SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
केंद्रीय स्वायत्त निकाय
2026 की प्रतिवेदन सं. 9
(अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

केंद्रीय स्वायत्त निकाय

2026 की प्रतिवेदन सं. 9

(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई:

लोक सभा -

राज्य सभा -

विषय सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		*v*
विहंगावलोकन		*vii - xix*
अध्याय-I प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
केंद्रीय स्वायत्त निकायों का विहंगावलोकन	1.2	1
केंद्रीय स्वायत्त निकायों की गतिविधियां एवं लेखापरीक्षा	1.3	2
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्‌यमों की तुलना में केंद्रीय स्वायत्त निकाय	1.4	4
केंद्रीय स्वायत्त निकायों में शासन	1.5	5
विभिन्न मंत्रालयों के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकाय	1.6	6
केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्‌वारा लेखे प्रस्तुत करना	1.7	8
लेखे प्रस्तुत करने में विलंब	1.8	12
संसद में लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने में विलंब	1.9	13
केंद्रीय स्वायत्त निकायों को अनुदान एवं उसका उपयोग	1.10	14
केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे का प्रमाणीकरण	1.11	17
केंद्रीय स्वायत्त निकायों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियां	1.12	17
केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखे में पाई गईं सामान्य कमियां	1.13	18
केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखे पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां	1.14	18
मंत्रालयों/विभागों द्‌वारा लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर प्रतिक्रिया तथा लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर की गई वसूली	1.15	26
अध्याय-II: संस्कृति मंत्रालय		
साहित्य अकादमी		
अनुपलब्ध/बाधाग्रस्त प्लॉट के आवंटन के कारण गोदाम एवं बिक्री कार्यालय के निर्माण में विलंब	2.1	27

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय-III: शिक्षा मंत्रालय		
उच्चतर शिक्षा विभाग		
शिक्षु प्रशिक्षण मंडल, मुंबई		
सामान्य श्रेणी के शिक्षुओं को एससी/एसटी के लिए सहायता अनुदान का अनियमित उपयोग - ₹17.34 करोड़	3.1	31
केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई		
संकाय सदस्यों द्वारा संचयी व्यावसायिक विकास भत्ते का अनियमित उपयोग	3.2	33
कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांदरबल		
छुट्टी नकदीकरण की अनियमित प्रतिपूर्ति	3.3	35
तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर		
₹8.16 करोड़ के माल के प्रापण/निर्माण कार्य के निष्पादन में अनियमितताएं	3.4	37
गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डिंडीगुल		
नई दिल्ली में केंद्र बनाने पर अप्राधिकृत व्यय - ₹3.20 करोड़	3.5	41
भारतीय प्रबंधन संस्थान, मुंबई		
हेफा मूलधन पुनर्भुगतान खाते की निलंबित राशि के अल्पावधि सावधि जमा में निवेश न करने के कारण ₹58.71 लाख के ब्याज की हानि	3.6	44
भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, कोलकाता		
निजी पक्ष को अनुचित लाभ दिया गया	3.7	46
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय		
ज्ञान वाणी एफएम रेडियो स्टेशनों के कामकाज में कमियां	3.8	49

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), बेंगलुरु		
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, बेंगलुरु द्वारा प्रत्यायन प्रदान करने की लेखापरीक्षा तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रबंधन प्रणाली की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा	3.9	62
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी		
टीडीएस जमा करने में विलंब के कारण दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान- ₹54.24 लाख	3.10	100
दिल्ली विश्वविद्यालय		
राम लाल आनंद कॉलेज, शिवाजी कॉलेज तथा शहीद भगत सिंह (संध्या) कॉलेज		
₹2.01 करोड़ के विश्वविद्यालय विकास शुल्क की कम वसूली	3.11	101
जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय		
₹78.12 करोड़ के व्यय के बावजूद प्रशासनिक विलंबों के कारण जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में गैर-कार्यान्वित शैक्षणिक अवसंरचना	3.12	105
अध्याय-IV: विदेश मंत्रालय		
नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर		
मूल्य वृद्धि समायोजन में ठेकेदारों को ₹3.01 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ	4.1	109
अध्याय-V: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश		
ठेकेदार से ₹1.78 करोड़ के राजस्व की कम वसूली	5.1	115
संकाय सदस्यों को अस्वीकार्य नर्सिंग भत्ते का भुगतान	5.2	116
चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (सीएनसीआई), कोलकाता		
बिजली शुल्क का परिहार्य भुगतान - ₹1.99 करोड़	5.3	118
₹2.14 करोड़ के विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान	5.4	122

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता		
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता द्वारा वार्षिक रिटर्न जमा करने में विलंब/गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण जुर्माना न लगाया जाना	5.5	124
अध्याय-VI: श्रम और रोजगार मंत्रालय		
कर्मचारी राज्य बीमा निगम		
बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को परिहार्य भुगतान	6.1	127
अध्याय-VII: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय		
भारतीय खेल प्राधिकरण **नेताजी सुभाष पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनएसईसी), कोलकाता**		
विलंबित भुगतान अधिभार के कारण ₹1.00 करोड़ के देय बिजली बिलों का परिहार्य भुगतान	7.1	131
भारतीय खेल प्राधिकरण		
खेल अवसंरचना का विकास तथा रखरखाव, उपकरणों का उपयोग तथा प्रशिक्षकों की तैनाती	7.2	134
अनुलग्नक	173-252	

प्राक्कथन

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के विभिन्न प्रावधानों के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के वित्तीय लेन-देनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षित संगठन अलग-अलग विशेषता तथा विधा वाले केंद्रीय स्वायत्त निकाये हैं। ये संगठन जो नीतियों हेतु रूपरेखा तैयार करने से लेकर अनुसंधान करने तथा सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने आदि की विविध गतिविधियों में लगे हैं, उनको अनिवार्य रूप से सरकार से वित्तीय सहायता के माध्यम से सार्वजनिक उपयोगिता की कुछ विनिर्दिष्ट सेवाओं को करने अथवा सरकार के कुछ कार्यक्रमों एवं नीतियों को निष्पादित करना प्रत्याशित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए मामलों के साथ-साथ वे मामले भी हैं जो पिछले वर्षों में संज्ञान में आए थे। कुछ मामलों में मार्च 2023 के बाद के लेन-देन के लेखापरीक्षा परिणामों का भी उल्लेख किया गया है।

विहंगावलोकन

स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके तहत स्थापित तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा हेतु विशिष्ट प्रावधानों वाले निकायों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम,1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत सांविधिक रूप से लेखापरीक्षा करने हेतु रखा गया है। अन्य संगठनों (निगमों या सोसायटियों) की लेखापरीक्षा जनहित में उक्त अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा पर्यावरण क्षेत्र के मंत्रालयों के अधीन सीएबी के लेखे की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गईं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (अनुपालन के साथ-साथ वित्तीय) शामिल हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्रीय स्वायत्त निकायों को अनुदान के रूप में ₹1,13,012.01 करोड़ जारी किए। ₹13,464.22 करोड़ की राशि 31 मार्च 2023 तक अप्रयुक्त अनुदान थी।

वर्ष 2023-24 के दौरान सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) एवं 20(1) के अंतर्गत सीएजी द्वारा 479 सीएबी के लेखे की लेखापरीक्षा की जानी थी। वर्ष 2022-23 के लिए 250 केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे 30 जून 2023 की अंतिम तिथि के पश्चात प्रस्तुत किए गए थे। उन्नीस सीएबी ने नियत तिथि से छः महीने की अवधि अर्थात् 31 दिसंबर 2023 के पश्चात भी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे। 31 मार्च 2024 तक एक वर्ष से नौ वर्षों तक के वार्षिक लेखे 11 सीएबी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(पैराग्राफ सं. 1.7 एवं 1.8)

वर्ष 2022-23 के लिए 468 सीएबी के वार्षिक लेखे की लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए आतंरिक नियंत्रणों तथा कमियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले नीचे दिए गए हैं:

i. 44 सीएबी ने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने लेखे संशोधित किए। संशोधनों का प्रभाव यह हुआ कि वर्ष 2022-23 के दौरान 21 सीएबी में ₹865.92 करोड़ तक परिसंपत्तियों/देनदारियों मे वृद्धि; 15 सीएबी में ₹97.15 करोड़ तक परिसंपत्तियों/देनदारियों में कमी; 17 सीएबी में ₹774.57 करोड़ तक अधिशेष में शुद्ध वृद्धि/घाटे में कमी तथा 22 सीएबी में ₹825.04 करोड़ तक घाटे में शुद्ध वृद्धि/अधिशेष में कमी हुई।

ii. 132 सीएबी की अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

iii. 111 सीएबी की भंडार सामग्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

iv. 27 सीएबी ने न तो सरकार से प्राप्त अनुदान पर अर्जित ₹121.82 करोड़ के ब्याज को वापस किया था और न ही वर्ष 2022-23 के लिए अपने वार्षिक लेखे में उसके लिए देनदारी का सृजन किया था।

v. 164 सीएबी ने उपदान एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखांकन नहीं किया।

(पैराग्राफ सं. 1.12 एवं 1.13)

मार्च 2023 में समाप्त वर्ष के लिए सीएबी की वित्तीय विवरणियों में लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण विचलन/गलत विवरण पाए गए थे जिनके परिणामस्वरूप देनदारियों, परिसंपत्तियों, आय एवं व्यय को अधिक दर्शाया गया/कम दर्शाया गया। कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल है:

i. कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा नवीनतम बीमांकिक रिपोर्ट (₹54,317 करोड़) के अनुसार पेंशन निधि की शुद्ध देनदारी के लिए प्रावधान न करना; मुंबई पत्तन प्राधिकरण (₹2,745.35 करोड़) तथा कोचीन पत्तन प्राधिकरण (₹2,334.51 करोड़) द्वारा पेंशन संबंधी देनदारी का कम प्रावधान करना।

ii. कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा निवेशों (₹166.76 करोड़) के लिए प्रावधान न करना जिसकी क्रेडिट रेटिंग को पर्याप्त रूप से घटा दिया गया था।

iii. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण द्वारा दावा न किए गए शेयरों के प्रति निवेशकों (₹47,225.57 करोड़) को देनदारियों के लिए प्रावधान न करना।

iv. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा कुल ₹1,059.64 करोड़ का मूल्यह्रास प्रभारित न करना।

v. दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा पूर्ण निर्माण कार्यों (₹208.32 करोड़) का पूंजीकरण न करना।

vi. तुलन पत्र में अप्राप्य निवेशों को दर्शाना (कोयला खान भविष्य निधि संगठनः ₹727.67 करोड़, चेन्नई पत्तन प्राधिकरणः ₹30.00 करोड़, वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरणः ₹50.00 करोड़)।

vii. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा बिना किसी आश्वासन या आदेश के जीओआई से प्राप्य के रूप में ₹360.42 करोड़ को दर्शाना।

viii. भारतीय खेल प्राधिकरण ने बीमांकिक मूल्यांकन पर किए गए प्रावधानों को वापस लेने के कारण 'पूर्व अवधि आय' को ₹731.77 करोड़ तक अधिक बताया।

ix. भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निर्माण अभिकरणों को प्रदान किए गए ₹2,279.68 करोड़ के लंबे लंबित अग्रिमों का गैर-निपटान।

(पैराग्राफ सं. 1.14)

पांच सीएबी के वार्षिक लेखे पर प्रतिकूल टिप्पणियां की गईं थीं तथा एक सीएबी को राय का अस्वीकरण दिया गया था।

(पैराग्राफ सं. 1.14)

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

संस्कृति मंत्रालय

साहित्य अकादमी

अनुपलब्ध/बाधाग्रस्त प्लॉट के आवंटन के कारण गोदाम एवं बिक्री कार्यालय के निर्माण में विलंब

साहित्य अकादमी की डीडीए द्वारा आवंटित प्लॉट को स्वीकृत करने से पूर्व उसकी स्थिति का आकलन करने में सतर्कता की कमी के परिणामस्वरूप तीन बार अनुपलब्ध/बाधाग्रस्त प्लॉटों का आवंटन हुआ, जिससे प्लॉट के लिए डीडीए को भुगतान किए गए ₹83.07 लाख और निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी को जारी किए गए ₹12.52 करोड़ की राशि अवरुद्ध हुई। अकादमी ने बिजली तथा जल आपूर्ति की लाईनों को स्थानांतरित करने पर ₹13.84 लाख का अतिरिक्त व्यय किया जिसे डीडीए द्वारा वहन किया जाना चाहिए था क्योंकि डीडीए से यह अपेक्षित था कि वह अतिक्रमण रहित प्लॉट उपलब्ध करवाए। चूंकि पहले भुगतान के 24 वर्षों के पश्चात परियोजना पूर्ण हुई थी इसलिए अकादमी ने किराए की बिल्डिंग से ही कार्य करना जारी रखा।

(पैराग्राफ सं. 2.1)

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

शिक्षु प्रशिक्षण मंडल, मुंबई

सामान्य श्रेणी के शिक्षुओं को एससी/एसटी के लिए सहायता अनुदान का अनियमित उपयोग - ₹17.34 करोड़

अनुदान निर्गम आदेश में अनुदेशों तथा नीति आयोग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में एससी/एसटी उम्मीदवारों को वजीफा प्रदान करने के उद्देश्य के लिए प्राप्त निधियों का सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को वजीफा का भुगतान करने के लिए उपयोग।

(पैराग्राफ सं. 3.1)

केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई

संकाय सदस्यों द्वारा संचयी व्यावसायिक विकास भत्ते का अनियमित उपयोग

केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई ने संचयी व्यावसायिक विकास भत्ता (सीपीडीए) के अंतर्गत लैपटॉप्स/डेस्कटॉप्स/टेबलेट्स या उसी श्रेणी के उपकरणों की खरीद हेतु अपने संकाय सदस्यों को लगभग ₹1.34 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जो अनियमित थी क्योंकि सीपीडीए के अंतर्गत इस प्रकार के व्यय की अनुमति नहीं थी।

(पैराग्राफ सं. 3.2)

कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांदरबल

छुट्टी नकदीकरण की अनियमित प्रतिपूर्ति

नियुक्ति एजेंसियों को छुट्टी नकदीकरण की अनियमित प्रतिपूर्ति के परिणामस्वरूप ₹76.31 लाख की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 3.3)

तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूटीएन), तिरुवरूर

₹8.16 करोड़ के माल के प्रापण/निर्माण कार्य के निष्पादन में अनियमितताएं

तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा ₹8.16 करोड़ की राशि के माल के प्रापण एवं निर्माण कार्यों के निष्पादन में सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 तथा अन्य नियम पुस्तक और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ₹2.60 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 3.4)

गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डिंडीगुल

नई दिल्ली में केंद्र बनाने पर अप्राधिकृत व्यय - ₹3.20 करोड़

शिक्षा मंत्रालय के अनुमोदन के बिना नई दिल्ली में एक केंद्र की स्थापना के परिणामस्वरूप ₹3.20 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय हुआ जिसमें परिसंपत्तियों पर ₹19.19 लाख की हानि हुई तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने और किए गए व्यय की वसूली हेतु मंत्रालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया।

(पैराग्राफ सं. 3.5)

भारतीय प्रबंधन संस्थान, मुंबई

हेफा मूलधन पुनर्भुगतान खाते की निलंबित राशि का अल्पावधि सावधि जमा में निवेश न करने के कारण ₹58.71 लाख के ब्याज की हानि

अर्धवार्षिक अवधि ऋण किस्तों की नियत तिथियों के साथ मूलधन पुनर्भुगतान खाते में निलंबित राशि का निवेश करने हेतु बैंक के लिए अनुदेशों के अभाव के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 3.6)

भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

निजी पक्ष को अनुचित लाभ दिया गया

संस्थान ने बिना वित्तीय विचार और मंत्रालय के अनुमोदन के एक निजी प्रतिष्ठान को स्कूल चलाने के लिए ₹12.54 करोड़ की तीन एकड़ भूमि एवं भवन का अनियमित रूप से कब्जा दिया जिसके परिणामस्वरूप किराया अनुबंध को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण कुल ₹6.50 करोड़ के राजस्व की गैर-वसूली हुई।

(पैराग्राफ सं. 3.7)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

ज्ञान वाणी एफएम रेडियो स्टेशनों के कामकाज में कमियां

इग्नू द्वारा समय पर निर्णय न लेने और एमओयू का नवीकरण करने में विलंब से, जीवी स्टेशनों की सेवाएँ दो वर्षों तक बाधित रहीं और परिणामस्वरूप ₹23.57 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, जिस दौरान कोई शैक्षिक प्रसारण नहीं किया गया। वर्ष 2016 में नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद भी इग्नू ने लाइसेंस शुल्क/स्पेक्ट्रम प्रभारों के रूप में ₹34.35 करोड़ का व्यय किया जबकि अधिकांश स्टेशन बंद थे या कम क्षमता पर काम कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, जीवी स्टेशनों के अभ्यर्पण के बाद प्रसार भारती परिसर खाली करने में 19 महीने तक के विलंब से ₹7.56 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.8)

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), बेंगलुरु

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, बेंगलुरु द्वारा प्रत्यायन प्रदान करने की लेखापरीक्षा तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रबंधन प्रणाली की सूचना प्रणाली की लेखापरीक्षा

भारत में युवा जनसंख्या का जनसांख्यिकीय लाभांश, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा प्रदान किए जाने वाले पर्याप्त कौशल और ज्ञान से अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करेगा। उच्च शिक्षा में प्रत्यायन, गुणवत्ता आश्वासन की एक प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करने के लिए सितंबर 1994 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। मार्च 2022 तक, 31.92 *प्रतिशत* उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्यायन प्राप्त था, लेकिन क्रमशः 56.26 *प्रतिशत* और 76.22 *प्रतिशत* विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को प्रत्यायन नहीं दिया गया था, जबकि वे पात्र थे।

यह देखा गया कि संस्थानों के प्रत्यायन की गति एवं प्रत्यायन के लिए निर्धारित लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम है, जिसमें एचईआई में शासन में सुधार के लिए 15 वर्षों के भीतर सभी एचईआई को प्रत्यायन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। डेटा मान्यकरण और सत्यापन भागीदारों की सेवाओं का उपयोग करने में प्रत्यायन पद्धति के संचालन में अक्षमताएं देखी गईं। संबंधित हितधारक प्रत्यायन के बारे में सही सूचना प्राप्त करने में असमर्थ हैं, क्योंकि लगभग 559 एचईआई ने अपनी वेबसाइटों पर प्रत्यायन की स्थिति प्रदर्शित करना जारी रखा, जबकि उनकी प्रत्यायन वैधता समाप्त हो गई थी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली के संबंध में, सूचना सुरक्षा, परिवर्तन प्रबंधन/संस्करण नियंत्रण प्रक्रियाओं, उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण के दस्तावेजीकरण आदि में कमियां देखी गईं। एनएएसी ने अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं, तथापि, कुशल एवं मजबूत प्रत्यायन प्रणाली प्राप्त करने के लिए उनके दृष्टिकोण में और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ सं. 3.9)

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी

टीडीएस जमा करने में विलंब के कारण दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान- ₹54.24 लाख

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा सरकारी खाते में टीडीएस जमा करने के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन न करने के परिणामस्वरूप कुल ₹54.24 लाख के दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.10)

दिल्ली विश्वविद्यालय: राम लाल आनंद कॉलेज, शिवाजी कॉलेज तथा शहीद भगत सिंह (संध्या) कॉलेज

₹2.01 करोड़ के विश्वविद्यालय विकास शुल्क की कम वसूली

दिल्ली विश्वविद्यालय के राम लाल आनंद कॉलेज, शिवाजी कॉलेज तथा शहीद भगत सिंह (संध्या) कॉलेज ने वर्ष 2012-13 तथा 2020-21 के बीच की अवधि के दौरान ₹600 *प्रति वर्ष* प्रति विद्यार्थी की बढ़ी हुई दर पर विश्वविद्यालय विकास शुल्क की वसूली हेतु विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के निर्णय का अनुपालन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹2.01 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 3.11)

जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

₹78.12 करोड़ के व्यय के बावजूद प्रशासनिक विलंबों के कारण जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में गैर-कार्यान्वित शैक्षणिक अवसंरचना

जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्ष 2009 में ₹33.40 करोड़ के प्रारंभिक लागत अनुमान से अनुमोदित नए शैक्षणिक भवन जिसका निर्माण कार्य नवंबर 2022 तक पूरा होने तथा ₹78.12 करोड़ का व्यय होने के बावजूद अप्रयुक्त रहा। यह विलंब खराब योजना, विलंब से अनुमोदन प्राप्त होना तथा टुकड़ों में निष्पादन के कारण हुआ। कॉलेज ने अनुमोदन के बिना निधियों का अपवर्तन किया तथा भूमिगत जल मामलों जैसे ज्ञात जोखिमों पर कार्रवाई नहीं की। परिणामस्वरूप एक बड़ा लोक निवेश वर्षों तक व्यर्थ रहा है जो परियोजना प्रबंधन तथा वित्तीय अनुशासन में गंभीर कमियों को दर्शाता है।

(पैराग्राफ सं. 3.12)

विदेश मंत्रालय

नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर

मूल्य वृद्धि समायोजन में ठेकेदारों को ₹3.01 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ

नालंदा विश्वविद्यालय ने खंड 10सीए के अंतर्गत मूल्य वृद्धि दावों में गलत आधार मूल्य और आधार मूल्य सूचकांक सीमा को अपनाया जो डीजी, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दिनांक 21.10.2020 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप नहीं था, जिससे ठेकेदारों को ₹3.01 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ और सरकारी राजकोष को भी हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 4.1)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश

ठेकेदार से ₹1.78 करोड़ के राजस्व की कम वसूली

एम्स ऋषिकेश द्वारा अनुबंध की शर्तों और सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार पर कोई कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप ₹1.78 करोड़ की बकाया राशि की कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ सं. 5.1)

संकाय सदस्यों को अस्वीकार्य नर्सिंग भत्ते का भुगतान

एम्स ऋषिकेश ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान नर्सिंग कॉलेज के संकाय सदस्यों को कुल ₹60.21 लाख का अस्वीकार्य नर्सिंग भत्ता तथा धुलाई भत्ता का भुगतान किया।

(पैराग्राफ सं. 5.2)

चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (सीएनसीआई), कोलकाता

बिजली शुल्क का परिहार्य भुगतान - ₹1.99 करोड़

चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (सीएनसीआई), कोलकाता द्वारा अनुबंध मांग में अधोगामी संशोधन करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹1.99 करोड़ के विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 5.3)

₹2.14 करोड़ के विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान

चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता ने छूट का लाभ प्राप्त किए बिना पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को विद्युत शुल्क का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹2.14 करोड़ के विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 5.4)

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता द्वारा वार्षिक रिटर्न जमा करने में विलंब/गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण जुर्माना न लगाया जाना

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता ने खाद्य व्यापार संचालकों से वार्षिक रिटर्न विलंब से या नियत तिथि के भीतर जमा न करने के लिए ₹5.60 करोड़ का जुर्माना नहीं वसूला। ₹5.60 करोड़ में से ₹2.27 करोड़ का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।

(पैराग्राफ सं. 5.5)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को परिहार्य भुगतान

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा आवंटित भूमि के लिए समय पर राशि का भुगतान करने में अनिर्णय के परिणामस्वरूप से ₹5.57 करोड़ की ब्याज राशि का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 6.1)

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

भारतीय खेल प्राधिकरण

नेताजी सुभाष पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनएसईसी), कोलकाता

विलंबित भुगतान अधिभार के कारण ₹1.00 करोड़ के देय बिजली बिलों का परिहार्य भुगतान

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी), पद्मा, हज़ारीबाग़ ने नियत तिथि तक बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.00 करोड़ का विलंबित परिहार्य भुगतान अधिभार लगाया गया।

(पैराग्राफ सं. 7.1)

भारतीय खेल प्राधिकरण

खेल अवसंरचना का विकास तथा रखरखाव, उपकरणों का उपयोग तथा प्रशिक्षकों की तैनाती

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) को खेलों को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल उत्कृष्टता प्राप्त करने के दोहरे उद्देश्य से अधिदेशित किया गया है। यह खिलाड़ियों को आवश्यक अवसंरचना, उपकरण, कोचिंग सुविधाएं तथा प्रतिस्पर्धी

अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि में साई तथा इसके विभिन्न केंद्रों की लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित उजागर किया:

- वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, साई ने खेल के मैदानों (एफओपी), खिलाड़ियों के लिए छात्रावास तथा अन्य अवसंरचना के निर्माण, नवीनीकरण तथा उन्नयन के लिए कुल ₹876.57 करोड़ की 123 अवसंरचना परियोजनाएं प्रारंभ कीं। इनमें से 115 परियोजनाएं मार्च 2025 तक पूर्ण हो चुकी थीं। शेष आठ परियोजनाओं का निर्माण कार्य अधूरा/प्रगति पर था।
- अवसंरचना तथा सुविधाओं की आवश्यकता का आकलन अपर्याप्त था।
- कार्यों के क्षेत्र में बार-बार संशोधन, निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलंब, अपूर्ण परियोजनाएं, निर्माण कार्यों की निम्नस्तरीय गुणवत्ता, अवसंरचना तथा सुविधाओं का निष्क्रिय रहना तथा अवसंरचना के अनुचित रखरखाव के कारण खिलाड़ियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के मामले सामने आए।
- साई की 15 इकाइयों में खेल/वैज्ञानिक/चिकित्सा उपकरण स्थान की कमी, खेलों के बंद होने, अत्यधिक खरीद तथा/या तकनीकी श्रमशक्ति की कमी के कारण बेकार/अप्रयुक्त पड़े थे।
- रखरखाव के अभाव में 10 खेल के मैदान (एफओपी) अप्रयुक्त पड़े हैं।
- साई ने अपने केंद्रों पर 206 प्रशिक्षक तैनात किए, जहां उनके संबंधित विधाओं या प्रशिक्षुओं के अभाव के कारण उनकी सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया।

(पैराग्राफ सं. 7.2)

अध्याय-I प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के लेखे की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (अनुपालन के साथ-साथ वित्तीय) शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन को निम्नलिखित अध्यायों में व्यवस्थित किया गया हैः

- **अध्याय-I** में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधीन सीएबी की कुल संख्या सहित सीएबी से संबंधित सामान्य सूचना, सीएबी एवं सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों) की तुलना, सीएबी द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को लेखे प्रस्तुत करने में विलंब, संसद को लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने में विलंब, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी अनुदान तथा सीएबी द्वारा अप्रयुक्त अनुदान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सीएबी की वित्तीय लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ भी शामिल हैं।
- **अध्याय-II से VII** में सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सिविल मंत्रालयों/विभागों के सीएबी की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां शामिल हैं।

1.2 केंद्रीय स्वायत्त निकायों का विहंगावलोकन

स्वायत्त निकाय ऐसे निकाय या प्राधिकरण हैं जिनका अपना एक विशिष्ट कानूनी अस्तित्व होता है तथा जिन्हें संसद के अधिनियमों के माध्यम से सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है या सोसाइटियों तथा ट्रस्टों आदि से संबंधित विभिन्न केंद्रीय या राज्य संविधियों के अंतर्गत या किसी अन्य तरीके से पंजीकृत किया जाता है। ये निकाय या प्राधिकरण अपने दैनिक कार्य पद्धति के लिए स्वतंत्र हैं तथा सरकार से

दूरी बनाकर काम करते हैं, हालांकि सामान्य निर्देश एवं पर्यवेक्षण के मामलों में मंत्रालय/विभागों का इन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है। जबकि संपूर्ण जोर संबंधित मंत्रालय की दूरदर्शिता एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित होता है उन्हें फिर भी विशिष्ट कार्यों या विशिष्ट कार्यक्रमों या सरकार की नीतियों का निष्पादन करने या सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं प्रदान करने का कार्य सौंपा जाता है।

इस संबंध में, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 का नियम 230(6) यह प्रावधान करता है कि अनुदान संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों को अनुदान प्रदान करने को विनियमित करते समय न केवल आंतरिक रूप से सृजित संसाधनों पर विचार करना चाहिए अपितु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों या संगठनों द्वारा आंतरिक संसाधन सृजन हेतु लक्ष्य निर्धारित करने पर भी विचार करना चाहिए, विशेष रूप से जहां अनुदान प्रत्येक वर्ष आवर्ती आधार पर दिए जाते हैं।

1.3 केंद्रीय स्वायत्त निकायों की गतिविधियां एवं लेखापरीक्षा

केंद्रीय स्वायत्त निकाय शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति, पोतपरिवहन, अनुसंधान, सामाजिक न्याय, श्रम आदि विविध गतिविधियों से जुड़े हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन कुछ महत्वपूर्ण सीएबी को **तालिका 1.1** में सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 1.1: कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय स्वायत्त निकायों की गतिविधियां

क्र. सं.	सीएबी का नाम	उद्देश्य/कार्य
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना, प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान करना तथा अधिगम को आगे और उन्नत करना एवं ज्ञान का प्रसार करना।
2.	भारतीय प्रबंधन संस्थान	वैश्विक मानकों के प्रबंधन ज्ञान का प्रसार करने तथा उद्यमों के अग्रणी तैयार करना जो समाज तथा राष्ट्र निर्माण में मूल्यवर्धन करें।
3.	केंद्रीय विश्वविद्यालय	विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी के क्षेत्र में शिक्षण तथा अनुसंधान।

क्र. सं.	सीएबी का नाम	उद्देश्य/कार्य
4.	पोर्ट ट्रस्ट	पोर्ट ट्रस्ट नागरिक एवं समुद्री विधि के अंतर्गत वाणिज्यिक समुद्री पत्तनों के माध्यम से पोत परिवहन तथा व्यापार के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है।
5.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा अन्य अस्पताल एवं चिकित्सा संस्थान	भारत में पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण के प्रतिमान विकसित करने के साथ-साथ अस्पताल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में एम्स की स्थापना की गई थी।
6.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम	श्रम लाभों के विनियमन तथा प्रबंधन हेतु सामाजिक सुरक्षा संगठन।
7.	विशेष आर्थिक क्षेत्र	आर्थिक गतिविधियों का सृजन, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात तथा निवेशों को प्रोत्साहन देना।

***सूचना का स्त्रोत** : क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत, सीएबी की आधिकारिक वेबसाइट*

संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके तहत स्थापित तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा हेतु विशिष्ट प्रावधानों वाले निकायों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत सांविधिक रूप से लेखापरीक्षा करने हेतु रखा गया है। अन्य संगठनों (निगमों या सोसायटियों) की लेखापरीक्षा जनहित में *उक्त* अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। इन प्रावधानों के अंतर्गत संचालित लेखापरीक्षा की प्रवृत्ति में वार्षिक लेखे के प्रमाणीकरण, अनुपालन के साथ-साथ निष्पादन लेखापरीक्षा भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय स्वायत्त निकाय जो मुख्यतः संघ सरकार से अनुदान/ऋण द्वारा वित्तपोषित होते हैं; *उक्त* अधिनियम की धारा 14(1) तथा 14(2) के प्रावधानों के अंतर्गत उनकी लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम,1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन आने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के लेखे पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) तैयार किए जाते हैं।

1.4 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की तुलना में केंद्रीय स्वायत्त निकाय

सरकारी कम्पनियों (सीपीएसई) की लेखापरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका सीएबी *की तुलना में* भिन्न है जैसा कि **तालिका 1.2** में दिया गया है:

तालिका 1.2: सीएबी और सीपीएसई की तुलना

मानदंड	सीएबी	सीपीएसई
सार	सीएबी की स्थापना किसी विशिष्ट संविधि के अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम 1882 या संसद या राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित किसी अन्य संविधि या अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की जाती है।	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कंपनी, ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित है जिसमें सरकार कम से कम 51 *प्रतिशत* प्रदत्त शेयर पूंजी केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास हो तथा इसमें वह कंपनी भी शामिल है जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।
सीएजी की भूमिका	लेखे सीएजी द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं, जहाँ वह डीपीसी अधिनियम (धारा 19(2) और 20(1) के अंतर्गत) के एक अधिदेश के द्वारा किसी निकाय या प्राधिकरण के मुख्य लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करता है।	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ पठित सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएजी, सीपीएसई के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में सनदी लेखाकार को नियुक्त करता है तथा इससे संबंधित निर्देश भी देता है कि इन कंपनियों के लेखे

मानदंड	सीएबी	सीपीएसई
		की लेखापरीक्षा किस प्रकार करनी है। इसके अतिरिक्त, सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा का भी अधिकार है।
लेखे के प्रारूप	सीएबी को वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा निर्धारित लेखे के समान प्रारूप के अनुसार लेखांकन वर्ष 2001-02 से अपने लेखे समेकित करना अपेक्षित है। तत्पश्चात, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने वर्ष 2015 में लेखे का संशोधित प्रारूप जारी किया, जिसका पालन एमओई के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सीएबी द्वारा किया जाना है। सभी सीएबी को वाणिज्यिक लेखांकन के आधार पर अपने लेखे तैयार करना अपेक्षित है।	सीपीएसई को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में दिये गये प्रारूप तथा केंद्र सरकार द्वारा लेखांकन मानक पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से बने अनिवार्य लेखांकन मानकों का पालन करते हुए वित्तीय विवरणी तैयार करना अपेक्षित है।

सूचना का स्त्रोत: *कंपनी अधिनियम, डीपीसी अधिनियम, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम 2020*

1.5 केंद्रीय स्वायत्त निकायों में शासन

केंद्रीय स्वायत निकायों (सीएबी) के शीर्ष प्रशासनिक निकाय को शासन परिषद या शासन निकाय या शासक मंडल कहा जाता है। ये निकाय सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं, जिसमें सचिव/वित्तीय सलाहकारों तथा अन्य सरकारी पदाधिकारियों को नामित किया जाता है। सीएबी में विशिष्ट समितियां जैसे कि क्रय समिति, निर्माण कार्य समिति, वित्त समिति होती है जो संबंधित क्षेत्रों में यथोचित परिश्रम तथा सीएबी के प्रभावी कामकाज के लिए होती हैं। प्रत्येक सीएबी का अपना संगठनात्मक ढांचा होता है जो क्षेत्र अनुसार अलग-अलग होता है। शिक्षा क्षेत्र में, प्रशासन, वित्त तथा लेखा स्कंध के प्रमुख रजिस्टार होते हैं तथा उप-कुलपति समग्र प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।

1.6 विभिन्न मंत्रालयों के अधीन केंद्रीय स्वायत्त निकाय

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन कुल 479 सीएबी हैं जिनमें से 397 सीएबी सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा पर्यावरण क्षेत्र के मंत्रालयों के अधीन कार्य करते हैं। मंत्रालय-वार सीएबी **तालिका 1.3** में दर्शाए गए हैं जिनमें क्र. सं. 1 से 24 तक (हरा शेड किया गया) सीएबी सामान्य**,** सामाजिक**,** वैज्ञानिक तथा पर्यावरण क्षेत्र के मंत्रालयों के अधीन आते हैं:

तालिका 1.3: मंत्रालय-वार सीएबी का विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय	सीएबी की सं.
1.	कृषि एवं किसान कल्याण	9
2.	आयुष	19
3.	रसायन एवं उर्वरक	7
4.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	2
5.	संस्कृति	40
6.	शिक्षा	198
7.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	8
8.	विदेश	4
9.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी	3
10.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	2
11.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	37
12.	गृह	7
13.	सूचना एवं प्रसारण	2
14.	जल शक्ति	9
15.	श्रम और रोजगार	4
16.	विधि एवं न्याय	8
17.	अल्पसंख्यक	4

क्र. सं.	मंत्रालय	सीएबी की सं.
18.	ग्रामीण विकास	1
19.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	5
20.	कौशल विकास एवं उद्यमिता	2
21.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	12
22.	जनजातीय कार्य	1
23.	महिला एवं बाल विकास	5
24.	युवा मामले एवं खेल	8
25.	नागर विमानन	2
26.	कोयला	1
27.	वाणिज्य एवं उद्योग	22
28.	संचार	2
29.	कारपोरेट कार्य	4
30.	रक्षा	5
31.	वित्त	5
32.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्यगिकी	1
33.	भारी उद्योग	1
34.	आवासन एवं शहरी कार्य	6
35.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	3
36.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	3
37.	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग	16
38.	विद्युत	4
39.	रेल	3
40.	वस्त्र	4
	कुल	**479**

सूचना का स्त्रोत: *क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत*

1.7 केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे प्रस्तुत करना

सदन के पटल पर रखे गए कागजात की समिति (सीओपीएलओटी) ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (5वीं लोक सभा) 1975-76 में अनुशंसा की थी कि प्रत्येक केंद्रीय स्वायत्त निकाय को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के बाद तीन माह की अवधि के भीतर अपने लेखे को पूर्ण कर लेना चाहिए तथा उन्हें लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना चाहिए।

जीएफआर 2017 के नियम 237 के अनुसार, सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि तथा संसद में समय से प्रस्तुतीकरण हेतु नोडल मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियां **तालिका 1.4** में सूचीबद्ध की गई हैं:

तालिका 1.4: वार्षिक लेखे एवं पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में समयसीमा

कार्य	समयसीमा
स्वायत्त निकाय द्वारा संबंधित लेखापरीक्षा कार्यालय को अनुमोदित एवं प्रमाणित वार्षिक लेखे उपलब्ध कराया जाना तथा वार्षिक लेखे की लेखापरीक्षा का प्रारंभ	30 जून
संबंधित स्वायत्त निकाय/सरकार को लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के साथ अंग्रेजी संस्करण में अंतिम पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) जारी करना	31 अक्तूबर
संसद के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे रखे जाने हेतु नोडल मंत्रालय को प्रस्तुत करना	31 दिसंबर

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी मंत्रालयों के अधीन सीएबी द्वारा लेखे प्रस्तुत करने में हुए विलंब को **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है। सामान्य, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा पर्यावरण क्षेत्र के मंत्रालयों के अधीन सीएबी द्वारा लेखे प्रस्तुत करने में हुए विलंब को भी **तालिका 1.5** में क्र. सं. 1 से 24 तक (हरा शेड किया गया) में दर्शाया गया है।

तालिका सं 1.5 : वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न मंत्रालयों के सीएबी द्वारा लेखे प्रस्तुत करने में विलंब

क्र. सं.	मंत्रालय	सीएबी की सं.	निर्धारित समय (30.06.2023) के भीतर लेखे प्रस्तुत करने वाले सीएबी की सं.	विलंब से लेखे प्रस्तुत करने वाले सीएबी की सं. (अर्थात् 30.06.2023 के पश्चात तथा 31.12.2023 से पहले)	उन सीएबी की सं. जिनके वि. वर्ष 2022-23 के लेखे प्राप्त नहीं हुए (31.12.2023 तक)
1.	कृषि एवं किसान कल्याण	9	5	3	1 (केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल)
2.	आयुष	19	4	14	1 (केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली)
3.	रसायन एवं उर्वरक	7	5	2	--
4.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	2	2	0	--
5.	संस्कृति	40	13	23	4(संगीत नाटक अकादमी, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, तिब्बत हाउस, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट)
6.	शिक्षा	198	96	102	--
7.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	8	3	4	1 (राज्य कैम्पा, एएण्डएन)
8.	विदेश	4	3	1	--
9.	मत्स्यपालन,	3	2	1	--

क्र. सं.	मंत्रालय	सीएबी की सं.	निर्धारित समय (30.06.2023) के भीतर लेखे प्रस्तुत करने वाले सीएबी की सं.	विलंब से लेखे प्रस्तुत करने वाले सीएबी की सं. (अर्थात् 30.06.2023 के पश्चात तथा 31.12.2023 से पहले)	उन सीएबी की सं. जिनके वि. वर्ष 2022-23 के लेखे प्राप्त नहीं हुए (31.12.2023 तक)
	पशुपालन और डेयरी				
10.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	2	0	2	--
11.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	37	15	22	--
12.	गृह	7	1	4	2 (नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर, चण्डीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड)
13.	सूचना एवं प्रसारण	2	1	1	--
14.	जल शक्ति	9	4	3	2 (गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड)
15.	श्रम और रोजगार	4	1	3	--
16.	विधि एवं न्याय	8	1	6	1 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लक्षद्वीप)
17.	अल्पसंख्यक कार्य	4	2	2	--
18.	ग्रामीण विकास	1	0	1	--
19.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	5	3	2	--
20.	कौशल विकास एवं उद्यमिता	2	0	2	--

क्र. सं.	मंत्रालय	सीएबी की सं.	निर्धारित समय (30.06.2023) के भीतर लेखे प्रस्तुत करने वाले सीएबी की सं.	विलंब से लेखे प्रस्तुत करने वाले सीएबी की सं. (अर्थात् 30.06.2023 के पश्चात तथा 31.12.2023 से पहले)	उन सीएबी की सं. जिनके वि. वर्ष 2022-23 के लेखे प्राप्त नहीं हुए (31.12.2023 तक)
21.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	12	7	5	--
22.	जनजातीय कार्य	1	1	0	--
23.	महिला एवं बाल विकास	5	3	2	--
24.	युवा मामले एवं खेल	8	1	5	2 (राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, मणिपुर एवं एनवाईकेएस, नई दिल्ली)
25.	नागर विमानन	2	1	1	--
26.	कोयला	1	0	1	--
27.	वाणिज्य एवं उद्योग	22	6	15	1 (निर्यात निरीक्षण परिषद तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरण)
28.	संचार	2	0	2	--
29.	कारपोरेट कार्य	4	1	3	--
30.	रक्षा	5	5	0	--
31.	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी	1	1	0	--
32.	वित्त	5	1	3	1 (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण)

क्र. सं.	मंत्रालय	सीएबी की सं.	निर्धारित समय (30.06.2023) के भीतर लेखे प्रस्तुत करने वाले सीएबी की सं.	विलंब से लेखे प्रस्तुत करने वाले सीएबी की सं. (अर्थात् 30.06.2023 के पश्चात तथा 31.12.2023 से पहले)	उन सीएबी की सं. जिनके वि. वर्ष 2022-23 के लेखे प्राप्त नहीं हुए (31.12.2023 तक)
33.	भारी उद्योग	1	0	0	1 (राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड)
34.	आवासन एवं शहरी कार्य	6	2	4	--
35.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	3	1	1	1 (लक्षद्वीप केवीआई बोर्ड)
36.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	3	2	1	--
37.	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग	16	15	1	--
38.	विद्युत	4	2	2	--
39.	रेल	3	0	3	--
40.	वस्त्र	4	0	3	1 (वस्त्र समिति)
कुल		**479**	**210**	**250**	**19**

यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, 250 सीएबी (52.19 *प्रतिशत*) ने 30 जून 2023 की अंतिम तिथि के पश्चात् तथा 31 दिसंबर 2023 से पूर्व अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत कर दिए हैं। 19 सीएबी (3.97 *प्रतिशत*) के लेखे नियत तिथि से छः महीने बीत जाने के पश्चात् 31 दिसंबर 2023 तक भी बकाया थे।

1.8 लेखे प्रस्तुत करने में विलंब

31 मार्च 2024 तक ग्यारह सीएबी ने अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं जिसमें एक वर्ष से नौ वर्षों के बीच का विलंब है जैसा कि **अनुलग्नक 1.1** में विवरण दिया गया है।

यह इन स्वायत्त निकायों पर संबंधित मंत्रालयों के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

1.9 संसद में लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने में विलंब

केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे अगले वित्तीय वर्ष की 31 दिसंबर तक संसद के पटल पर रखे जाते हैं। सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागजातों की समिति (सीओपीएलओटी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक वर्ष 2022-23 के लिए संसद के समक्ष सीएबी के लेखापरीक्षित लेखे रखने की स्थिति **तालिका 1.6** में दर्शाई गई है:

तालिका 1.6: संसद के समक्ष सीएबी के लेखापरीक्षित लेखे रखने की स्थिति

लेखे का वर्ष	31 अक्तूबर 2023 तक सीएजी द्वारा जारी एसएआर	31 दिसंबर 2023 तक संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे गए एसएआर	जारी किए गए परन्तु 31 दिसंबर 2023 तक संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष नहीं रखे गए एसएआर
2022-23	268	96 (35.82%)	172 (64.18%)[1]

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 31 अक्तूबर 2023 तक सीएबी को एसएआर जारी करने के बावजूद वर्ष 2022-23 के लिए 172 (64.18 *प्रतिशत*) सीएबी के लेखे 31 दिसंबर 2023 तक संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इनमें से 91 एसएआर शिक्षा मंत्रालय के अधीन सीएबी से संबंधित थे, 17 एसएआर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सीएबी से संबंधित थे एवं 9 एसएआर संस्कृति मंत्रालय के अधीन सीएबी से संबंधित थे। मंत्रालय तथा सीएबी वार सूची **अनुलग्नक 1.2** में उपलब्ध है।

[1] इसमें 10 सीएबी शामिल हैं जिनके लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसंबर 2023 से पहले लोक सभा के पटल पर रखे गए थे लेकिन राज्य सभा के पटल पर नहीं तथा 16 सीएबी जिनके लेखापरीक्षित लेखे राज्य सभा के पटल पर रखे गए थे लेकिन लोक सभा के पटल पर नहीं **(अनुलग्नक 1.2)**।

1.10 सीएबी को अनुदान एवं उसका उपयोग

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, विभिन्न मंत्रालयों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न सीएबी को ₹1,13,012.01 करोड़ जारी किए। जीएफआर, 2017 का नियम 230(5) निर्दिष्ट करता है कि केंद्रीय स्वायत्त निकाय जो अनुदान प्राप्त करते हैं, उन्हें पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का पृथक रूप से हिसाब रखना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने सभी केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए अंतिम लेखे प्रस्तुत करने हेतु मानक प्रारूप तैयार किए हैं। सभी अनुदान संस्वीकृति प्राधिकारियों को सभी सीएबी पर मानक प्रारूपों में अपने वार्षिक लेखे बनाने तथा प्रस्तुत करने के शर्त की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए।

अव्ययित शेष हेतु जीएफआर का नियम 230(7) निर्दिष्ट करता है कि जब एक ही संस्थान अथवा संगठन को एक ही उद्देश्य हेतु आवर्ती सहायता अनुदान संस्वीकृत की जाती है तो अनुवर्ती अनुदान को संस्वीकृति देते समय पिछले अनुदान के अव्ययित शेष को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सभी भुगतानों के संबंध में संभावित सीमा तक 'सही समय पर निर्गम' के सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए।

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, सांविधिक निकायों/संगठनों को जारी अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 माह के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त अनुदान सहित विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी अनुदान **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका 1.7: अप्रयुक्त अनुदान सहित विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय	मंत्रालय/यूजीसी (यूसी के अनुसार) द्वारा जारी अनुदान*	मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यूसी) के अनुसार अप्रयुक्त अनुदान
1.	कृषि एवं किसान कल्याण	8,647	249.72
2.	आयुष	1,755.67	296.31

क्र.सं.	मंत्रालय	मंत्रालय/यूजीसी (यूसी के अनुसार) द्वारा जारी अनुदान*	मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यूसी) के अनुसार अप्रयुक्त अनुदान
3.	रसायन एवं उर्वरक	425.13	174.85
4.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण	15.17	1.00
5.	संस्कृति	1,178.24	653.34
6.	शिक्षा	54,732.16	4,553.85
7.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	124.81	19.33
8.	विदेश	710.39	41.58
9.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी	24.92	1.38
10.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	80.11	6.16
11.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	17,146.61	3,259.14
12.	गृह	572.81	6.65
13.	सूचना एवं प्रसारण	2,727.36	10.90
14.	जल शक्ति	2,941.12	1,919.67
15.	श्रम और रोजगार	115.92	2.74
16.	विधि एवं न्याय	231.48	13.60
17.	अल्पसंख्यक कार्य	3,505.48	17.66
18.	ग्रामीण विकास	114.59	1.73
19.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	8,183.61	1,035.42
20.	कौशल विकास एवं उद्यमिता	20.24	4.77
21.	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	381.48	77.11
22.	जनजातीय कार्य	1,999.90	0.66
23.	महिला एवं बाल विकास	38.74	1.30

क्र.सं.	मंत्रालय	मंत्रालय/यूजीसी (यूसी के अनुसार) द्वारा जारी अनुदान*	मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यूसी) के अनुसार अप्रयुक्त अनुदान
24.	युवा मामले एवं खेल	1,517.50	243.76
25.	नागर विमानन	36.88	4.67
26.	कोयला	0.57	0.00
27.	वाणिज्य एवं उद्योग	1,118.86	92.51
28.	संचार	97.18	14.74
29.	कारपोरेट कार्य	83.22	0.01
30.	रक्षा	641.59	363.27
31.	वित्त	766.99	13.56
32.	इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	1,220.03	0.34
33.	भारी उद्योग	0.00	0.00
34.	आवासन एवं शहरी कार्य	72.74	4.66
35.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	13.87	0.16
36.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	338.71	205.06
37.	विद्युत	129.38	47.28
38.	रेल	239.27	123.95
39.	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग	45.00	0.00
40.	वस्त्र	1,017.28	1.39
	कुल	**1,13,012.01**	**13,464.22**

सूचना का स्त्रोतः *सीएबी द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) से निकाले गए आंकड़े।*

**कुल 479 सीएबी में से 31 मार्च 2023 को 470 सीएबी के लेखे पर अनुदान शामिल है। शेष नौ सीएबी के संबंध में सूचना/उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) प्रतीक्षित हैं।*

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल ₹1,13,012.01 करोड़ का अनुदान केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) को जारी किया गया, जिसमें से 63.60 *प्रतिशत* शिक्षा मंत्रालय

(48.43 *प्रतिशत*) तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (15.17 *प्रतिशत*) से संबंधित है।

31 मार्च 2023 तक कुल ₹13,464.22 करोड़ का अप्रयुक्त अनुदान शेष था, जिसमें से 58.03 *प्रतिशत* शिक्षा मंत्रालय (33.82 *प्रतिशत)* तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (24.21 *प्रतिशत*) से संबंधित था।

1.11 केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे का प्रमाणीकरण

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत सीएजी केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) की लेखापरीक्षा करता है। लेखापरीक्षा के परिणाम पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं। एसएआर संबंधित मंत्रालयों को जारी किए जाते हैं तथा प्रमाणित अंतिम लेखे के साथ संलग्न किए जाते हैं, जिन्हें संबंधित मंत्रालयों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन के साथ संसद के पटल पर रखा जाता है।

1.12 केंद्रीय स्वायत्त निकायों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियां

संगठन द्वारा वित्तीय एवं लेखांकन सूचना की समग्रता को सुनिश्चित करने, जवाबदेही को बढ़ावा देने तथा धोखाधड़ी को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र, नियम तथा प्रक्रियाएं कार्यान्वित की जाती हैं। विधि और विनियम का अनुपालन करने के अतिरिक्त आंतरिक नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता तथा समयबद्धता का सुधार करते हुए प्रचालनात्मक दक्षता का सुधार करने में मदद कर सकते हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए 479 सीएबी में से 210 सीएबी के लेखे समय पर अर्थात् 30 जून 2023 तक प्राप्त हुए थे। 258 सीएबी के लेखे नियत तिथि के बाद प्राप्त हुए हैं तथा 11 सीएबी ने अपने लेखे 31 मार्च 2024 तक प्रस्तुत नहीं किए हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए (मार्च 2024 तक प्राप्त वार्षिक लेखे) 468 केंद्रीय स्वायत्त निकायों की वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान पाई गईं कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण कमियां निम्नवत है:

- 173 सीएबी **(36.97 *प्रतिशत*)** की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई। **(अनुलग्नक 1.3)**
- 132 सीएबी **(28.21 *प्रतिशत*)** की अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। **(अनुलग्नक 1.4)**
- 111 सीएबी **(23.72 *प्रतिशत*)** की भंडार सामग्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। **(अनुलग्नक 1.5)**

1.13 सीएबी के लेखे में पाई गईं सामान्य कमियां

वर्ष 2022-23 के लिए (मार्च 2024 तक प्राप्त वार्षिक लेखे) 468 सीएबी की वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कुछ सामान्य कमियां निम्नवत हैं:

- 27 सीएबी **(5.77 *प्रतिशत*)** ने न तो सरकार से प्राप्त अनुदान पर अर्जित ₹121.82 करोड़ के ब्याज को वापस किया था और न ही वर्ष 2022-23 के लिए अपने वार्षिक लेखे में उसके लिए देनदारी का सृजन किया था **(अनुलग्नक 1.6)**।
- 164 सीएबी **(35.04 *प्रतिशत*)** ने उपदान एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखांकन नहीं किया **(अनुलग्नक 1.7)**।
- 44 सीएबी **(9.40 *प्रतिशत*)** ने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने लेखे संशोधित किए **(अनुलग्नक 1.8)**। संशोधनों का प्रभाव यह हुआ कि वर्ष 2022-23 के दौरान 21 सीएबी में ₹865.92 करोड़ तक परिसंपत्तियों/देनदारियों मे वृद्धि, 15 सीएबी में ₹97.15 करोड़ तक परिसंपत्तियों/देनदारियों में कमी; 17 सीएबी में ₹774.57 करोड़ तक अधिशेष में शुद्ध वृद्धि/घाटे में कमी तथा 22 सीएबी में ₹825.04 करोड़ तक घाटे में शुद्ध वृद्धि/अधिशेष में कमी हुई।

1.14 केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखे पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां

शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सीएबी को छोड़कर सभी केंद्रीय स्वायत्त निकायों को वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा निर्धारित लेखे के मानक प्रारूप में अपने वार्षिक लेखे को तैयार करना अपेक्षित है। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी सीएबी के लिए लेखे का एक अलग प्रारूप निर्धारित किया है। यह दोनों प्रारूप लेखांकन की उपार्जन प्रणाली का पालन करते हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए लेखांकन के निर्धारित प्रारूप तथा वाणिज्यिक सिद्धांतों से विचलन पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

तुलन पत्र: चालू देनदारियां एवं प्रावधान

क. कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के पैरा 22 के अनुसार आयुक्त प्रत्येक तीसरे वर्ष बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बीमांकिक द्वारा पेंशन निधि का मूल्यांकन करवाने के लिए उत्तरदायी होगा। आयुक्त द्वारा बीमांकिक की अनुशंसाएं बोर्ड के समक्ष रखी जाएंगी। नवीनतम बीमांकिक रिपोर्ट (जून 2023) के अनुसार, सीएमपीएफओ की पेंशन निधि की शुद्ध देनदारी ₹54,317 करोड़ निर्धारित किया गया था। तथापि, सीएमपीएफओ ने न तो लेखा-बही में देनदारी को दर्शाया है और न ही लेखा-बही में कोई प्रकटीकरण किया है। देनदारी का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप चालू देनदारी एवं प्रावधानों के साथ-साथ व्यय को भी ₹54,317 करोड़ कम दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, व्यय से आय भी उतनी ही राशि से अधिक दर्शाई गई है।

(कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद)

ख. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सामान्य ढ़ाचे के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए देनदारी का वित्तपोषण किसी न्यास के गठन के माध्यम से किया गया था तो वर्ष के लिए लागत का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा। मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने पेंशन निधि, उपदान निधि और छुट्टी नकदीकरण निधि के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं जैसा कि नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

निधि का नाम	31.03.2023 तक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रदान की जाने वाली देनदारी	31.03.2023 तक निधि में शेष राशि	कमी
1	2	3	4 (3-2)
पेंशन निधि	11,410.42	9,354.82	2,055.60
उपदान निधि	481.56	21.80	459.76
छुट्टी नकदीकरण निधि	230.28	0.29	229.99
कुल	**12,122.26**	**9,376.91**	**2,745.35**

कुल ₹2,745.35 करोड़ का उपरोक्त कम प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023 के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के घाटे/हानि (₹151.14 करोड़) के 1816 प्रतिशत के बराबर है। यदि लेखे में पूर्ण

प्रावधान किया जाता है तो मुंबई पत्तन प्राधिकरण का निवल मूल्य ₹2,220.30 करोड़ से घटकर (-) ₹525.05 करोड़ हो जाएगा एवं वर्ष के लिए घाटा/हानि भी ₹2,745.35 करोड़ बढ़ जाएगी।

इस देनदारी के गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹2,745.35 करोड़ तक चालू देनदारियों को कम दर्शाया गया है एवं उसी सीमा तक घाटा/हानि को कम दर्शाया गया है। उपरोक्त कमियों को 2012-13 से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया जा रहा है लेकिन प्रबंधन ने पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं।

(मुंबई पत्तन प्राधिकरण)

ग. कोचीन पत्तन प्राधिकरण ने पेंशन निधि, उपदान निधि और छुट्टी नकदीकरण में अंशदान के लिए देनदारी का प्रावधान नहीं किया जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित कर्मचारियों के क्रमशः ₹2,171.5 करोड़, ₹101.95 करोड़ और ₹61.05 करोड़ की राशि के सेवानिवृत्ति हितलाभ हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पत्तन के लाभ (₹5.83 करोड़) की तुलना में ₹2,334.51 करोड़ का उपरोक्त कम प्रावधान बहुत अधिक है। यदि लेखे में पूर्ण प्रावधान किया जाता है तो पत्तन का निवल मूल्य (-) ₹335.73 करोड़ से घटकर (-) ₹2,670.24 करोड़ हो जाएगी तथा वर्ष के लिए लाभ भी ₹2,328.68 करोड़ के हानि में बदल जाएगी।

कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति हितलाभों के प्रति देनदारी के गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप प्रावधानों को कम दर्शाया गया है तथा ₹2,334.51 करोड़ की सीमा तक लाभ को अधिक दर्शाया गया है।

(कोचीन पत्तन प्राधिकरण)

घ. सीएमपीएफओ ने इनफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एवं एफएस) में कुल ₹96.20 करोड़ तथा रिलायंस कैपिटल (आरकैप) में ₹150.00 करोड़ का निवेश किया। सितंबर 2018 और सितंबर 2019 में क्रमशः आईएल एंड एफएस और आरकैप की क्रेडिट रेटिंग घटाकर "डी" कर दी गई थी। निवेश समिति की अनुशंसा पर बोर्ड ने घटाए गए निवेश मूल्य के संबंध में लेखा-बहियों में प्रावधान करने का निर्णय लिया (अगस्त 2022)। हालांकि, सीएमपीएफओ ने लेखा-बही में प्रावधान नहीं किया।

प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और प्रावधान को कुल ₹166.76 करोड़ (निवेश का घटा हुआ मूल्य) कम दर्शाने के साथ-साथ व्यय को भी कम दर्शाया गाया है। परिणामस्वरूप, व्यय से अधिक आय भी उसी राशि तक अधिक दर्शाई गई है।

(कोयला खान भविष्य निधि संगठन)

ङ. उपरोक्त में 'निवेशकों के लिए देनदारी (प्रतिभूतियां)' के कारण ₹47,225.57 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जो दावा न किए गए शेयरों के मूल्य के लिए है जिनका आईईपीएफए संरक्षक है।

31 मार्च 2023 तक दो निक्षेपागार अर्थात् सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के अंतर्गत दावा न किए गए शेयरों का मूल्य क्रमश: ₹21,206.33 करोड़ और ₹26,019.24 करोड़ था। यह पाया गया कि सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास रखे कुल शेयर केवल आईईपीएफए के स्वामित्व में थे।

पिछले वर्ष तक, आईईपीएफए द्वारा दावा न किए गए शेयरों के मूल्य को अपनी देनदारी के साथ-साथ परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई थी, हालांकि 31 मार्च 2023 तक लेखा-बहियों में इसे मान्यत नहीं दी गई है भले ही दावा न किए गए लाभांश को दोनों देनदारी के साथ-साथ परिसंपत्ति के रूप में शामिल किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप ₹47,225.57 करोड़ तक चालू देनदारियों और प्रावधानों को कम दर्शाया गया है एवं उसी सीमा तक चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को कम दर्शाया गया है। यह एकरुपता और पूर्ण प्रकटीकरण के बुनियादी लेखांकन अवधारणाओं का भी उल्लंघन है।

(निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली)

तुलन पत्र: अचल परिसंपत्तियां

च. एमएचआरडी प्रपत्र के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों को निवल मूल्य पर दर्शाया जाना है। यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय ने सकल मूल्य पर कुल ₹2,946.17 करोड़ की अचल परिसंपत्तियों को दर्शाया है एवं कुल ₹1,059.64 करोड़ (पिछले वर्षों सहित) के मूल्यह्रास पर प्रभारित नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप "कार्पस/पूंजीगत निधि" और "अचल परिसंपत्तियों" में प्रत्येक में ₹1,059.83 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।

(बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी)

छ. उपरोक्त में निम्नवत पूंजीगत कार्य शामिल हैं जो उसी वर्ष/पिछले वर्षों के दौरान पूरे किए गए थे तथा पत्तन चालू/पिछले वर्ष से इन परिसंपत्तियों का उपयोग कर रहा है। तथापि, इन्हें 31 मार्च 2023 तक पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

पूंजीगत कार्य का नाम	समापन तिथि	समापन लागत (₹ करोड़ में)	उपयोग में लाने की तिथि	प्रभारित किया जाने वाला मूल्यह्रास (₹ करोड़ में)	31.03.2023 तक पूंजीकृत न की गई निवल अचल परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)
ऑयल जेटी सं. 1,2,4 में मौजूदा ऑयल जेटी संरचनाओं में सुधार करना	19-09-22	10.01	19-09-22	0.20	9.81
66 हेक्टेयर के सड़क नेटवर्क का उन्नयन का नाम बदलकर 66 हेक्टेयर के कच्चे भूखंडों का उन्नयन कर दिया गया है	22-09-21	16.12	22-09-21	1.28 (पूर्व अवधि सहित ₹0.64 करोड़ का मूल्यह्रास)	14.84
कांडला पत्तन की बर्थ सं. 13,14,15 और 16 को टेक-ऑफ पोइंट से बर्थ के पश्चिमी छोर तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करना (कार्य कोड 12149)	20-05-21	132.99	10-08-21	13.30 (पूर्व अवधि सहित ₹6.64 करोड़ का मूल्यह्रास)	119.69
बर्थ सं. 14 से 16 के लिए एलसी 236 से कच्छ सॉल्ट जंक्शन तक रेल कनेक्टिविटी (कार्य कोड 12130)	30-11-19	49.20	30-11-19	8.61 (पूर्व अवधि सहित ₹ 7.38 करोड़ का मूल्यह्रास)	40.59
कुल		**208.32**		**23.39 (पूर्व अवधि सहित ₹ 14.67 करोड़ का मूल्यह्रास)**	**184.93**

इसके परिणामस्वरूप, प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹208.32 करोड़ अधिक दर्शाया गया है, ₹184.93 करोड़ तक निवल अचल परिसंपत्तियों को कम दर्शाया गया है तथा ₹23.39 करोड़ के मूल्यह्रास को कम दर्शाया गया है जिसमें 14.67 करोड़ की पूर्व अवधि मूल्यह्रास भी शामिल है।

(दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण)

तुलन पत्र: निवेश

ज. सीएमपीएफओ ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के वित्तीय उपकरणों में ₹1,390.25 करोड़ का निवेश किया। शासन संबंधी चिंताओं और विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में हुई चूक के कारण, डीएचएफएल दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष गए (नवंबर 2019)। एनसीएलटी ने डीएचएफएल के विरूद्ध कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआरआईपी) प्रारंभ की एवं जून 2021 में समाधान योजना को अनुमोदित किया। समाधान प्रक्रिया लागू होने के बाद, सीएमपीएफओ ने किए गए निवेश के सापेक्ष में ₹662.58 करोड़ प्राप्त किए (सितंबर 2021), जिसके परिणामस्वरूप ₹727.67 करोड़ की हानि हुई। इसलिए, इस हानि को लेखा-बही से बट्टे खाते में डाले जाने की आवश्यकता है। हालांकि, उपरोक्त निवेशों की हानि का हिसाब नहीं रखा गया था एवं सीएमपीएफओ अभी भी अपने लेखों में डीएचएफएल में ₹727.67 करोड़ के निवेश को दर्शा रहा था। इसके परिणामस्वरूप निवेश और पेंशन निधि कार्पस में ₹727.67 करोड़ अधिक दर्शाया गया है। इस मुद्दे पर वर्ष 2019-20 से बार-बार टिप्पणी की गई है, फिर भी आज तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(कोयला खान भविष्य निधि संगठन)

झ. सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹30 करोड (₹10 प्रत्येक की दर पर तीन करोड़ शेयर) की राशि निवेश किए गए थे। चूंकि, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कंपनी को बंद करने का निर्देश दिया गया था और कंपनी का निवल मूल्य मुख्य रूप से निकर्षण व्यय के रूप में है जिससे नुकसान हुआ है। चेन्नई पत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेशों की वसूली नहीं की जा सकती है। कंपनी में निवेश के मूल्य में कमी या अपक्षरण के लिए प्रावधान किया जाना आवश्यक है। अतः, कमी के लिए इस पर विचार किए बिना लागत पर निवेश का लेखांकन करना गलत है। इसके परिणामस्वरूप ₹30 करोड़ की लागत की सीमा तक निवेश और लाभ को अधिक दर्शाया गया है।

(चेन्नई पत्तन प्राधिकरण)

ञ. सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2007 से परिचालन बंद कर दिया है एवं और कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। कंपनी में इक्विटी अंशदान के रूप में ₹50 करोड़ की राशि निवेश की गई राशि की संदेहपूर्ण वसूली को ध्यान में रखते हुए निवेश

की कमी हेतु प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप ₹50 करोड़ तक "निवेश को अधिक दर्शाया गया और 'प्रावधान' को कम दर्शाया गया। वर्ष के लाभ को उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया है।

(वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण)

तुलन पत्र: चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

ट. ₹360,41,52,405 (₹96,24,32,989) की राशि को भारत सरकार से प्राप्त होने वाले दावों के रूप में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दर्शाया गया था जबकि भारत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का आश्वासन या आदेश नहीं दिया गया था कि यह राशि उनके द्वारा देय है। चूंकि भारत सरकार पेंशन संबंधी लाभों सहित वार्षिक आधार पर अनुदान प्रदान करती है इसलिए भारत सरकार के विशिष्ट अनुमोदन के बिना प्राप्य के रूप में राशियों को दर्शाना सही नहीं है। इसे पिछले एसएआर में भी इंगित किया गया था।

- कार्पस: एमओआरडी से प्राप्य: ₹ 44,12,66,569
- कर्मचारी लाभ: बीमांकिक एमओआरडी से प्राप्य: ₹ 264,17,19,415
- मूल्यह्रास आरक्षित निधि: एमओआरडी से प्राप्य: ₹ 52,11,66,42

(राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद)

आय और व्यय लेखे: आय

ठ. अनुसूची- 24(ए) (अन्य (बी)- पूर्व अवधि आय) में ₹1,024.95 करोड़ की राशि शामिल है जो वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति हितलाभों (पेंशन, उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण) के प्रावधानों की वापस ली गई राशि है। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर 2021-22 के दौरान साई द्वारा ₹1,024.95 करोड़ के प्रावधान किए गए थे। हालांकि, वर्ष 2022-23 के दौरान, साई ने प्रावधानों को वापस ले लिया था एवं वास्तविक नकद प्राप्ति आधार पर 2018-19 से प्रभावी साई के आंतरिक राजस्व के 30 प्रतिशत के बराबर ₹293.18 करोड़ की राशि के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभों हेतु प्रावधान बनाया गया।

उपरोक्त सेवानिवृत्ति हितलाभों पर लेखांकन मानक -15 और लेखे के समान प्रारूप के विपरीत था। अतः, 2021-22 के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन पर बनाए गए प्रावधानों को वापस लेना सही नहीं था। साई को वर्ष 2022-23 के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान बनाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप

चालू देनदारियों को कम दर्शाया गया है और ₹731.77 करोड़ के पूर्व अवधि आय को अधिक दर्शाया गया है। परिणामतः, व्यय पर आय की अधिकता को भी उस सीमा तक अधिक दर्शाया गया था।

(भारतीय खेल प्राधिकरण)

सामान्य

ड. साई ने 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान सीडब्ल्यूजी 2010 से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) से निर्माण अधिकरणों को अग्रिम के लिए ₹2,279.68 करोड़ (अनुसूची-II) की राशि प्राप्त की थी एवं निर्माण अभिकरणों को इन अग्रिमों को जारी किया था। ऐसे लंबे समय से लंबित अग्रिमों और इनसे निर्मित परिसंपत्तियों का निपटान लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था। साथ ही, इन निधियों पर अर्जित ब्याज के निपटान के संबंध में कोई भी सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके अभाव में लेखापरीक्षा तुलन पत्र में दर्शाई गई इस राशि को सत्यापित करने में असमर्थ रहा। पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से भी इसे इंगित किया गया था। फिर भी, प्रबंधन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।

(भारतीय खेल प्राधिकरण)

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एबी को संप्रेषित की गई अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां संलग्न है **(अनुलग्नक 1.9)**।

इसके अतिरिक्त 468 सीएबी, जिनके लेखे मार्च 2024 तक प्राप्त हुए थे, उनमें से पांच सीएबी के वार्षिक लेखे पर प्रतिकूल टिप्पणियां[2] की गईं थी तथा एक सीएबी को राय का अस्वीकरण[3] दिया गया था जैसा **तालिका 1.8** में विवरण दिया गया है।

---

[2] लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि विचलन या गलत विवरण, चाहे वह व्यक्तिगत रुप से हो या कुल मिलाकर हो, दोनों भौतिक तथा व्यापक है।

[3] लेखापरीक्षा अनिश्चितता या क्षेत्र के परिसीमन के कारण पर्याप्त तथा उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थी, जो कि भौतिक तथा व्यापक दोनों थे।

तालिका 1.8: प्रतिकूल टिप्पणियां/राय का अस्वीकरण प्राप्त करने वाले वार्षिक लेखे

क्र.सं.	मंत्रालय	निकाय का नाम
प्रतिकूल टिप्पणी		
1.	आयुष	केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद
2.	आयुष	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद
3.	युवा मामले एवं खेल	भारतीय खेल प्राधिकरण
4.	कारपोरेट कार्य	निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण
5.	कोयला	कोयला खान भविष्य निधि संगठन
राय का अस्वीकरण		
1.	अल्पसंख्यक कार्य	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

1.15 मंत्रालयों/विभागों द्वारा लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर प्रतिक्रिया तथा लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर की गई वसूली

लोक लेखा समिति (पीएसी) की अनुशंसा पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति अपने उत्तर पैराग्राफों की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर प्रेषित करने के निर्देश जारी किए। तदनुसार, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ड्राफ्ट पैराग्राफों को अग्रेषित किया जाता है, तथा उनसे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर भेजने का निवेदन किया जाता है।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने अध्याय-II से अध्याय-VIII में शामिल 22 पैराग्राफों में से 11 के उत्तर नहीं भेजे। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से पैराग्राफों के संबंध में प्राप्त उत्तर को उचित प्रकार से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर, पांच सीएबी ने कर्मचारियों/ठेकेदारों/ऋणी से ₹5.14 करोड़ की वसूली की है **(अनुलग्नक 1.10)**। दो मामलों में, सीएबी ने सहायता अनुदान का अव्ययित शेष तथा उस पर अर्जित ब्याज के रूप में ₹21.87 करोड़ भारत की समेकित निधि में प्रेषित किया है **(अनुलग्नक 1.11)**।

अध्याय-II: संस्कृति मंत्रालय

साहित्य अकादमी

2.1 अनुपलब्ध/बाधाग्रस्त प्लॉट के आवंटन के कारण गोदाम एवं बिक्री कार्यालय के निर्माण में विलंब

साहित्य अकादमी की डीडीए द्वारा आवंटित प्लॉट को स्वीकृत करने से पूर्व उसकी स्थिति का आकलन करने में सतर्कता की कमी के परिणामस्वरूप तीन बार अनुपलब्ध/बाधाग्रस्त प्लॉटों का आवंटन हुआ, जिससे प्लॉट के लिए डीडीए को भुगतान किए गए ₹83.07 लाख और निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी को जारी किए गए ₹12.52 करोड़ की राशि अवरुद्ध हुई। अकादमी ने बिजली तथा जल आपूर्ति की लाईनों को स्थानांतरित करने पर ₹13.84 लाख का अतिरिक्त व्यय किया जिसे डीडीए द्वारा वहन किया जाना चाहिए था क्योंकि डीडीए से यह अपेक्षित था कि वह अतिक्रमण रहित प्लॉट उपलब्ध करवाए। चूंकि पहले भुगतान के 24 वर्षों के पश्चात परियोजना पूर्ण हुई थी इसलिए अकादमी ने किराए की बिल्डिंग से ही कार्य करना जारी रखा।

साहित्य अकादमी *(अकादमी)* संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के अधीन एक पूर्णत: वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है, जो भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। जनवरी 2000/मार्च 2001 में, *अकादमी* ने एक गोदाम एवं बिक्री कार्यालय के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से संपर्क किया। घटनाक्रम इस प्रकार है:

- मार्च 2001 में, डीडीए ने ₹21.17 लाख की कीमत पर कड़कड़डूमा, दिल्ली में 1900 वर्ग मीटर (वर्ग.मी.) माप की भूमि के एक प्लॉट का आवंटन किया जिसकी अदायगी *अकादमी* ने जून 2001 में की।
- हालांकि, जब *अकादमी* ने प्लॉट का कब्ज़ा लेने का प्रयास किया, तब डीडीए ने सूचित किया कि कड़कड़डूमा में ऐसा कोई प्लॉट उपलब्ध नहीं था और यह आवंटन गलती से हुआ था।

- जून 2001 में, डीडीए ने *अकादमी* को मंडावली दिल्ली में 2083 वर्ग मीटर माप की वैकल्पिक भूमि के प्लॉट का आवंटन किया जिसके लिए *अकादमी* द्वारा ₹4.36 लाख की अतिरिक्त राशि अदा की गई।
- नवंबर 2001 में, *अकादमी* ने निर्माण कार्य हेतु सीपीडब्ल्यूडी को नामित किया। सीपीडब्ल्यूडी ने कार्य के लिए ₹3.40 करोड़ की अनुमानित लागत तैयार की, जिसे जनवरी 2003 में एमओसी द्वारा अनुमोदित किया गया।
- बाद में, यह पाया गया कि यह प्लॉट बाधाग्रस्त/विवादित था तथा उस पर मुकदमा चल रहा था।
- इसके पश्चात, डीडीए ने *अकादमी* को द्वारका, नई दिल्ली में 2,011.65 वर्ग मीटर माप की भूमि आवंटित की (जुलाई 2009) जिसके लिए *अकादमी* ने डीडीए को अतिरिक्त ₹57.54 लाख[4] अदा किए (अक्तूबर 2010)।
- *अकादमी* को द्वारका, दिल्ली में प्लॉट का भौतिक कब्जा दिसंबर 2010 में दिया गया था।
- हालांकि, सीपीडब्ल्यूडी क्षेत्र के आकलन से असहमत था तो डीडीए ने आवंटित क्षेत्र को 2,011.65 वर्ग मीटर से 1,956.44 वर्ग मीटर तक संशोधित कर दिया (अप्रैल 2015)। इस प्रकार, आवंटित प्लॉट 55.21 वर्ग मीटर तक छोटा था जबकि भुगतान 2,011.65 वर्ग मीटर के पूर्ण प्लॉट के लिए किया गया था।
- 55.21 वर्ग मीटर भूमि हेतु ₹2.28 लाख की अंतर राशि वापस करने की मांग अक्तूबर 2020 में *अकादमी* द्वारा डीडीए से की गई थी, परंतु इसका निपटान नहीं हो सका है।

---

[4] ₹34.62 लाख प्रीमियम के अंतर के रूप में तथा ₹22.92 लाख ब्याज के रूप में। डीडीए ने 30.03.2001 से 30.11.2009 की अवधि के लिए ₹54.75 लाख (18 *प्रतिशत* की दर पर) के ब्याज की मांग यह बताते हुए की कि पहले के आवंटन वर्ष अर्थात् 2001 में द्वारका में भूमि की दरें पूर्वी दिल्ली (मंडावली) में भूमि की दरों से काफी अधिक थी। संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के पश्चात डीडीए ने ब्याज राशि को ₹22.92 लाख (सात *प्रतिशत* की दर पर) तक संशोधित किया। *अकादमी* ने अक्तूबर 2010 में इसका भुगतान किया था।
2010-11 की अवधि के लिए एसए की लेखापरीक्षा के दौरान, *अकादमी* द्वारा ब्याज के इस भुगतान पर लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति जताई गई थी। *अकादमी* ने, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का हवाला देते हुए डीडीए के साथ इस मामले को उठाया (नवंबर 2011 तथा दिसंबर 2013) तथा ₹22.92 लाख की ब्याज की राशि की वापसी का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान इस मामले में पत्राचार के अभिलेख नहीं मिले और *अकादमी* ने अपने अंतिम उत्तर (अगस्त 2023) में इस विषय पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

- 1956.44 वर्ग मीटर के संशोधित क्षेत्र को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत किया गया (मई 2015) तथा गोदाम एवं बिक्री कार्यालय के निर्माण हेतु ₹12.77 करोड़ का एक संशोधित प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत किया गया था।
- *अकादमी* के कार्यकारी बोर्ड ने जून 2016 में आयोजित बैठक में परियोजना हेतु ₹12.77 करोड़ के बजट अनुमान को अनुमोदित किया तथा 2003 से 2021 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी को ₹12.52 करोड़[5] अदा किए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीडीए के आश्वासन के बावजूद कि आवंटित प्लॉट बाधाओं से मुक्त है, इस प्लॉट से बिजली आपूर्ति लाइन तथा पानी की पाइपलाइन जा रही थी। *अकादमी* को बिजली तथा पानी की लाइन को स्थानांतरित करने के लिए बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल) के पास ₹16.49 लाख[6] (नवंबर 2019) तथा दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के पास ₹2.35 लाख (नवंबर 2019) जमा करने पड़े। हालांकि, यह व्यय डीडीए द्वारा वहन किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह अकादमी को अतिक्रमण रहित भूमि आवंटित करे। तथापि, *अकादमी* ने डीडीए से पानी की पाइपलाइन और बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की लागत की वापसी का दावा नहीं किया।

इस प्रकार, *अकादमी* ने प्लॉट की खरीद के लिए डीडीए को ₹83.07 लाख[7], परियोजना के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी को ₹12.52 करोड़ तथा आपूर्ति लाइनों को स्थानांतरित करने के लिए बीएसईएस तथा डीजेबी को ₹13.84 लाख का भुगतान किया था। इतना भारी व्यय करने के पश्चात भी, *अकादमी* कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण में विलंब के कारण किराए की बिल्डिंग से कार्य कर रही थी। जुलाई 2025 तक, मुख्य बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। तथापि, अधिभोग सह समापन प्रमाणपत्र प्रतीक्षित था।

---

[5] 2001-02: ₹1.16 करोड़, 2017-18: ₹5.00 करोड़, 2018-19: ₹1.50 करोड़, 2019-20: ₹2.50 करोड़, 2020-21: ₹2.36 करोड़।

[6] ₹16.49 लाख में से, नवंबर 2020 में बीआरपीएल ने ₹5.00 लाख वापस किए थे।

[7] कड़कड़डूमा में 1900 वर्ग मीटर - ₹21.17 लाख, मंडावली में 2083 वर्ग मीटर - ₹4.36 लाख तथा द्वारका में 2011.65 वर्ग मीटर - ₹57.54 लाख।

अपने उत्तर (अगस्त 2023) में, अकादमी ने बताया कि कब्जा लेते समय अथवा किसी भी चरण पर उसे यह जानकारी नहीं थी कि आवंटित प्लॉट के नीचे से बिजली और पानी की पाइपलाइन जा रही है।

आवंटित प्लॉट में लगातार परिवर्तन यह दर्शाता है कि डीडीए ने उपयुक्त भूमि की पहचान करने तथा आवंटित करने में अपनी ओर से चूक की थी, साथ ही *अकादमी* ने भी आवंटनों को स्वीकार करने तथा भुगतान करने से पहले उचित सतर्कता न बरतकर अपने स्वयं के हितों की रक्षा नहीं की थी। जिस प्लॉट के लिए प्रारंभ में भुगतान किया गया, वह मौजूद नहीं था, वैकल्पिक प्लॉट जिसके लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया था वह विवाद/मुकदमेबाजी के अधीन था तथा तीसरे प्लॉट के लिए पूर्ण भुगतान करने के बावजूद वह क्षेत्रफल में कम था और उसमें बाधाएं भी थीं। गोदाम एवं बिक्री कार्यालय के रूप में बिल्डिंग के संचालन के प्रत्याशित उद्देश्य को मार्च 2001 में प्रारंभिक भुगतान किए जाने के 23 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी प्राप्त नहीं किया जा सका था तथा बिल्डिंग के निर्माण में विलंब के कारण *अकादमी* ने किराए के परिसर का अधिग्रहण जारी रखा। इसके अतिरिक्त, डीडीए से ₹16.12 लाख[8] की राशि की वापसी की मांग नहीं की गई/बकाया है।

---

[8] 55.21 वर्ग मीटर कम आवंटित भूमि के लिए ₹2.28 लाख तथा अतिक्रमण हटाने के बीएसईएस और डीजेबी को ₹13.84 लाख जारी किए गए।

अध्याय-III: शिक्षा मंत्रालय[9]

उच्चतर शिक्षा विभाग

शिक्षु प्रशिक्षण मंडल, मुंबई

3.1 सामान्य श्रेणी के शिक्षुओं को एससी/एसटी के लिए सहायता अनुदान का अनियमित उपयोग - ₹17.34 करोड़

अनुदान निर्गम आदेश में अनुदेशों तथा नीति आयोग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में एससी/एसटी उम्मीदवारों को वजीफा प्रदान करने के उद्देश्य के लिए प्राप्त निधियों का सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को वजीफा का भुगतान करने के लिए उपयोग।

नीति आयोग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रभाग) ने अनुसूचित जाति के लिए विकास वार्षिक योजना (डीएपीएससी) तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विकास वार्षिक योजना (डीएपीएसटी) के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा निधियों को निर्धारित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए (अक्तूबर 2018)। दिशानिर्देशों की धारा 8(i) अनुबंध करती है कि निधियों का निर्धारण मंत्रालय/विभाग की विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत किया जाना चाहिए तथा एक योजना के अंतर्गत उपयोग न होने की स्थिति में, बजट का उपयोग विभाग की अन्य योजनाओं के अंतर्गत किया जाना चाहिए, परन्तु डीएपीएससी या डीएपीएसटी के मामले में मंत्रालय और वित्तीय सलाहकार के अनुमोदन से किया जाना चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय के अधीन शिक्षु प्रशिक्षण मंडल (बीओएटी), मुंबई प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत स्नातकोत्तर तथा तकनीकी शिक्षुओं के संबंध में पश्चिमी क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षु प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) को कार्यान्वित करता है। शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि के दौरान शिक्षुओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर नियोक्ताओं द्वारा मासिक वजीफा दिया जाता है। नियोक्ताओं को बोर्ड द्वारा शिक्षुओं को दिए गए वजीफे की निर्धारित दर का 50 *प्रतिशत* की प्रतिपूर्ति की जाती है। बोर्ड नियोक्ताओं

[9] पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)

द्वारा दावा किए गए वजीफे की प्रतिपूर्ति हेतु अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा सामान्य श्रेणियों के प्रति श्रेणी-वार सहायता अनुदान प्राप्त करता है। इन अनुदानों को नियंत्रित करने वाले संस्वीकृति आदेश अनुबंध करते हैं कि अनुदानग्राही अनुदानों का उपयोग नहीं करेगा तथा संबंधित योजना या कार्य के निष्पादन को किसी अन्य संस्थान या संगठन को नहीं सौंपेगा तथा अनुदान की शर्तों का अनुपालन करेगा।

संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (दिसंबर 2021) कि बीओएटी ने 2020-21 से 2022-23 के दौरान शिक्षुता प्रशिक्षण में कुल 1,42,393 शिक्षुओं को शामिल किया था जिसमें शामिल किए जाने वाले अपेक्षित 14,239 एससी तथा 12,943 एसटी उम्मीदवारों के प्रति केवल 10,736 एससी तथा 3,607 एसटी उम्मीदवार शामिल थे। इस प्रकार, इन वर्षों में बीओएटी द्वारा 25 *प्रतिशत* एससी और 72 *प्रतिशत* एसटी अभ्यर्थियों की कमी रही, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष अनुदान अप्रयुक्त रहा। इस अवधि के दौरान बीओएटी ने नीति आयोग के दिशानिर्देशों तथा अनुदान संस्वीकृति आदेश में निहित अनुदेशों के उल्लंघन में मंत्रालय तथा वित्तीय सलाहकार से अनुमति प्राप्त किए बिना सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को वजीफे के भुगतान हेतु ₹17.34 करोड़ की इन अप्रयुक्त एससी/एसटी अनुदानों का उपयोग किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (मई 2024) कि एससी/एसटी उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या को बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं फिर भी यह निर्धारित प्रतिशतता से कम थी। यद्यपि एनएटीएस योजना युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए लक्षित है, परंतु कुछ रिक्तियां शेष रहीं और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की मांग अधिक रही। इसलिए, निधियों का उपयोग सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए किया गया क्योंकि शिक्षुता नियम, 1992 का नियम 5(1) ऐसे उपयोग की अनुमति देता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना सामान्य उम्मीदवारों के लिए अनुदानों का उपयोग किया गया जो एससी तथा एसटी हेतु

विकास कार्य योजना के लिए निधियों के निर्धारण के दिशानिर्देशों के पैरा 8(i) के अधीन अनुदेशों का उल्लंघन करता है जो यह बताते हैं कि निधियों का उपयोग केवल मंत्रालय तथा वित्तीय सलाहकार के अनुमोदन से ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, नियम 5(1) रिक्त सीटों को उन व्यक्तियों के लिए उपयोग किए जाने की अनुमति देता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नहीं थे न कि एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए अप्रयुक्त अनुदानों के उपयोग की।

केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई

3.2 संकाय सदस्यों द्वारा संचयी व्यावसायिक विकास भत्ते का अनियमित उपयोग

केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई ने संचयी व्यावसायिक विकास भत्ता (सीपीडीए) के अंतर्गत लैपटॉप्स/डेस्कटॉप्स/टेबलेट्स या उसी श्रेणी के उपकरणों की खरीद हेतु अपने संकाय सदस्यों को लगभग ₹1.34 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जो अनियमित थी क्योंकि सीपीडीए के अंतर्गत इस प्रकार के व्यय की अनुमति नहीं थी।

शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने 18 अगस्त 2009 को संचयी व्यावसायिक विकास भत्ता (सीपीडीए) शुरु किया जिसके अंतर्गत सभी केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकि संस्थानों के संकाय सदस्यों को तीन वर्ष की प्रत्येक ब्लॉक अवधि के लिए ₹ तीन लाख (₹ एक लाख प्रति वर्ष) का भुगतान किया जाना था। उपरोक्त दिशानिर्देशों के पैरा 8(iii) के अनुसार, सीपीडीए अपने संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने, विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं की सदस्यता शुल्क के भुगतान की प्रतिपूर्ति तथा आकस्मिक व्ययों के लिए है। एमओई ने 01 दिसंबर 2020 को सभी आईआईटी को स्पष्ट किया कि सीपीडीए से लैपटॉप/टैबलेट की खरीद की अनुमति नहीं है। अतः इन संस्थानों द्वारा संकाय सदस्यों को नोटबुक/लैपटॉप/ डेस्कटॉप/टैबलेट की खरीद हेतु की गई प्रतिपूर्ति की अनुमति नहीं थी।

केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार (सीआईटीके), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी (आईआईटीजी) एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई (आईआईटीबी) के

उपलब्ध अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि इन संस्थानों द्वारा 2016 से 2023 की अवधि के दौरान सीपीडीए से नोटबुक्स/लैपटॉप्स/डेस्कटॉप्स/ टेबलेट्स की खरीद हेतु अपने संकाय सदस्यों को ₹1.34 करोड़[10] की प्रतिपूर्ति की गई थी।

मार्च 2021 में आईआईआईटीजी द्वारा जारी संशोधित सीपीडीए दिशानिर्देशों की जांच से प्रकट हुआ कि पैरा 4 (viii) के अनुसार, सीपीडीए से नोटबुक/लैपटॉप्स/डेस्कटॉप्स/ टेबलेट्स की खरीद सामान्यतः अनुमत नहीं है फिर भी, शासी मंडल (बीओजी) के अनुमोदन से एक अपवाद खंड यह बताते हुए शामिल किया गया कि इन मदों की खरीद की अनुमति दी जा सकती है यदि संकाय सदस्य को पिछले पांच वर्षों में किसी भी स्रोत से ऐसा उपकरण जारी नहीं किया गया हो। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बीओजी के पास सीपीडीए दिशानिर्देशों को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है।

उपरोक्त के उत्तर में, (i) आईआईआईटीजी ने बताया (अगस्त 2024) कि लैपटॉप/नोटबुक आदि की खरीद के संबंध में फरवरी 2018 एवं जुलाई 2020 में क्रमशः एमओएफ एवं एमओई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ही पात्र अधिकारियों के लिए लैपटॉप की खरीद की अनुमति दी गई थी। इसने आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद संचयी व्यावसायिक विकास भत्ते से ऐसी किसी भी खरीद की अनुमति नहीं दी जा रही है (ii) सीआईटीके ने बताया (सितंबर 2020 एवं अगस्त 2024) कि इसने सीपीडीए से इन मदों की प्रतिपूर्ति हेतु आईआईआईटीजी दिशानिर्देशों को अपनाया था तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद सीपीडीए से लैपटॉप की खरीद बंद कर दी गई है तथा सीआईटीके के संशोधित सीपीडीए नियम में लैपटॉप खरीद की अनुमति को हटा दिया गया है तथा (iii) आईआईआईटीबी ने बताया (फरवरी 2025) कि संस्थान ने 01 दिसंबर 2020 से प्रभावी सीपीडीए से लैपटॉप/डेस्कटॉप/टैब खरीदने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी है।

---

10 सीआईटीके: ₹50.31 लाख, आईआईआईटीजी: ₹10.33 लाख तथा आईआईआईटीबी: ₹73.81 लाख

हालांकि, इन उत्तरों को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि फरवरी 2018 और जुलाई 2020 में एमओएफ/एमओई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में सीपीडीए से लैपटॉप/नोटबुक आदि की खरीद की अनुमति नहीं है और एमओई ने दिसंबर 2020 में सभी आईआईटी को यह स्पष्ट कर दिया था कि सीपीडीए से लैपटॉप की खरीद की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, सीआईटीके ने एमओई द्वारा जारी सीपीडीए दिशानिर्देशों के आधार पर बने आईआईटीजी के सीपीडीए दिशानिर्देशों को तो अपनाया, लेकिन मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरणों को नहीं अपनाया।

एमओई ने अपने उत्तर (मई 2024/मई 2025) में सीआईटीके के उत्तर को संलग्न किया था और बताया कि एमओई की सीपीडीए नीति का कठोरता से अनुपालन करने के लिए संस्थानों को परामर्श जारी किया गया है। आगे यह भी बताया गया है कि इसने आईआईटी मुंबई को लेखापरीक्षा में इंगित अनुसार वसूली प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार, इन संस्थानों द्वारा सीपीडीए से नोटबुक/लैपटॉप/डेस्कटॉप/टैबलेट की खरीद हेतु संकाय सदस्यों को की गई प्रतिपूर्ति, एमओई द्वारा इस संबंध में जारी स्पष्टीकरणों का स्पष्ट उल्लंघन थी, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹1.34 करोड़ की अनियमित प्रतिपूर्ति हुई।

कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांदरबल

3.3 छुट्टी नकदीकरण की अनियमित प्रतिपूर्ति

नियुक्ति एजेंसियों को छुट्टी नकदीकरण की अनियमित प्रतिपूर्ति के परिणामस्वरूप ₹76.31 लाख की हानि हुई।

कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) ने ई-टेंडरिंग (मई 2019) के माध्यम से तीन एजेंसियों से आउटसोर्स श्रमशक्ति की भर्ती की थी। इन तीन एजेंसियों के साथ किए गए अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के खंड 12 तथा 29 के अनुसार सेवा के प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए एक माह की अर्जित छुट्टी तथा एक वर्ष में अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी का नकदीकरण का विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया जाएगा। यह शर्त केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) छुट्टी, नियमावली 1972 के नियम 39डी का उल्लंघन करती

है जो यह प्रावधान करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय, जो पूर्णतः या अधिकांशतः केंद्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है में स्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों के मामलें में छुट्टी वेतन के बराबर नकद राशि दी जाएगी।

सीयू कश्मीर ने, नियमों के उल्लंघन में, इन तीन एजेंसियों को 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान आउटसोर्स स्टाफ द्वारा अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के परिणामस्वरूप ₹76.31 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति की। इसका परिणाम यह हुआ कि इन एजेंसियों को अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ एवं ₹76.31 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अक्तूबर 2023, जनवरी 2024 और फरवरी 2024), विश्वविद्यालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्तूबर 2023 और जनवरी 2024) और पुष्टि की कि वर्ष 2022-23 के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया गया है। तथापि, नियमों के विरुद्ध धाराओं को अनुबंध में शामिल करने के लिए उत्तरदायित्व तय करने संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। नियुक्ति एजेंसियों को छुट्टी नकदीकरण की अनियमित प्रतिपूर्ति के परिणामस्वरूप, ₹76.31 लाख की हानि हुई।

अनुशंसा: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधिकांश उच्च शिक्षा संस्थान सेवाएं प्राप्त करने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों के साथ अनुबंध करते हैं, इसलिए मंत्रालय को सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को यह निर्देश जारी करने पर विचार करना चाहिए कि वे आवश्यक सावधानी बरतें और ऐसे आउटसोर्सिंग अनुबंधों में त्रुटिपूर्ण धाराओं को शामिल करने से बचें।

तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूटीएन), तिरुवरूर

3.4 ₹8.16 करोड़ के माल के प्रापण/निर्माण कार्य के निष्पादन में अनियमितताएं

तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा ₹8.16 करोड़ की राशि के माल के प्रापण एवं निर्माण कार्यों के निष्पादन में सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 तथा अन्य नियम पुस्तक और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ₹2.60 करोड़ की हानि हुई।

जनहित में माल के प्रापण की वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित प्रत्येक प्राधिकारी की लोक प्रापण से संबंधित मामलों में दक्षता, मितव्ययिता और पारदर्शिता लाने का उत्तरदायित्व और जवाबदेही होगी (जीएफआर का नियम 144)। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी माल के प्रापण के लिए नियम पुस्तक, 2017 निर्धारित करता है कि:

- प्रापण केवल उपयोगकर्ता विभाग से प्राप्त मांगपत्र के आधार पर शुरू की जानी चाहिए (पैराग्राफ 2.1.1)।
- सक्षम प्राधिकारी जो व्यय करने में सक्षम है, प्रापण दिशानिर्देशों (पैराग्राफ 1.4.1) का अनुपालन करके वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दे सकता है।
- आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिल को अनुबंध की शर्तों के अनुसार सत्यापित किया जाएगा और मांगकर्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं भुगतान आदेश प्रापण इकाई द्वारा तैयार किया जाएगा और भुगतान-आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा (पैराग्राफ 9.14.2)।

इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्य परियोजनाओं को भवन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और सीयूटीएन अधिनियम/धारा 28(जे) के अंतर्गत बनाए गए अध्यादेश संख्या 10 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार व्यय की मंजूरी दी जानी चाहिए।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने और नियमों/प्रक्रियाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एमएचआरडी ने निदेश दिया (मार्च 2016) कि वित्त अधिकारी निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है तथा यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा कोई अनधिकृत या अवैध व्यय न किया जाए।

वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान, संपदा अनुभाग/सीयूटीएन ने ₹8.16 करोड़ (44 बिल) की राशि के कार्य आदेश/प्रापण आदेश जारी किए और व्यय सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पूरे किए गए सीयूटीएन निर्माण कार्यों में हुई बचत के सापेक्ष में प्रभारित किया गया। इस संबंध में, लेखापरीक्षा (जून 2021, अप्रैल 2022 और अप्रैल 2023)[11] में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

- कार्य आदेश रजिस्ट्रार/सीयूटीएन की सहमति से जारी किए गए लेकिन भवन समिति की मंजूरी/उपयोगकर्ता विभाग/क्रय अनुभाग से अपेक्षित मांगपत्र प्राप्त नहीं किया गया, जिससे अध्यादेश और प्रापण नियम पुस्तक के अनुसार शक्तियों के प्रत्यायोजन का उल्लंघन हुआ।
- जीएफआर 2017 के नियम 155 के अंतर्गत ₹25000/- से अधिक की लागत की वस्तुओं की खरीद के लिए क्रय समिति का गठन नहीं किया गया था। क्रय समिति का गठन न किए जाने के कारण अभिलेख में नहीं पाए गए थे। इसके अतिरिक्त, सीयूटीएन के संपदा अनुभाग/रजिस्ट्रार ने जीएफआर 2017 के नियम 158 का उल्लंघन करते हुए, बिना निविदाएं आमंत्रित किए ₹2.50 लाख से अधिक की खरीद के लिए आपूर्तिकर्ताओं को कार्य आदेश जारी किए।
- आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से प्राप्त बिलों की वित्त/क्रय विंग द्वारा जांच नहीं की गई। संपदा अनुभाग/रजिस्ट्रार ने जीएफआर 2017 के नियम 138 का उल्लंघन करते हुए ₹8.16 करोड़ की राशि के बिल और भुगतान ज्ञापन अन्य पूर्ण हुए निर्माण कार्यों की बचतों से भुगतान करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को सीधे

---

[11] जारी निरीक्षण प्रतिवेदन सं. 28-03/2021-22, 28-115/2022-23 एवं 28-114/2023-24

अग्रेषित कर दिए। सीपीडब्ल्यूडी ने भी सभी निर्माण कार्यों/आपूर्तियों का भुगतान कर दिया और व्यय को विभिन्न प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्गत दर्ज कर दिया।

यह इंगित किए जाने पर, सीयूटीएन ने सरकारी धन की अनियमितता/दुरुपयोग की जांच के लिए एक स्वतंत्र तथ्य-खोज समिति (आईएफएफसी) का गठन (जुलाई 2021) किया। तत्पश्चात, आईएफएफसी की अनुशंसा पर माल के प्रापण और सिविल निर्माण कार्यों में प्रक्रियात्मक त्रुटियों की विशेष जाँच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन (दिसंबर 2021) किया गया। दोनों समितियों की रिपोर्ट (नवंबर 2021/ मार्च 2022) ने जीएफआर 2017 के नियम 138 और जमा निर्माण कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तक की मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार निधि को संस्वीकृत करने में प्रक्रियात्मक चूक पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पुष्टि करते हुए सहमति व्यक्त की गई है।

अगस्त 2022 में, सीयूटीएन ने लेखापरीक्षा की निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित 44 मदों/ कार्यों के संबंध में हानि का आकलन करने हेतु जांच लेखापरीक्षा के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को नियुक्त किया। फर्म ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की (अक्तूबर 2022) जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित प्रमुख अनियमितताओं को इंगित किया गया:

i. खरीदे गए माल के भौतिक सत्यापन के समय, इनवोइस/बिल की गई 2711 मात्राओं में से 786 मात्राएं नहीं पाई गईं और 387 मात्राएं अपनी अप्रकट प्रकृति के कारण सत्यापित नहीं की जा सकीं। अत: यह निष्कर्ष निकाला गया कि ₹58.87 लाख मूल्य के माल की कम आपूर्ति हुई।

ii. आपूर्ति किए गए माल या निष्पादित कार्य की मूल लागत से ₹2.01 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान किया गया था।

iii. अज्ञात पार्टी से ₹63.02 लाख का माल खरीदा गया था (जीएसटी अभिलेखों के अनुसार पैन/जीएसटीएन/पते का विवरण उपलब्ध नहीं था)।

iv. इनवॉइस या चालू बिलों की पर्याप्त प्रतियों के बिना मामलों के लिए ₹3.74 करोड़ की सीमा तक भुगतान किया गया था।

इसके बाद, मामला केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) नई दिल्ली को अग्रेषित किया गया (अक्तूबर 2022), जिसने चार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी करने और उन्हें बड़ा दंड (मई 2023) देने की सलाह दी गई।

इस प्रकार, जीएफआर/माल प्रापण नियम पुस्तक/शक्तियों के प्रत्यायोजन के गैर-अनुपालन तथा अपर्याप्त प्रशासनिक एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के कारण सीयूटीएन अधिकारियों द्वारा माल के प्रापण और कार्य के निष्पादन में ₹8.16 करोड़ की गड़बड़ी की गई।

यह मामला मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया (सितंबर 2023) तथा अक्तूबर 2023 और मई 2024 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है। *तथापि, सीयूटीएन ने अपने उत्तर में बताया (नवंबर 2023/मार्च 2024) कि सीवीसी की सलाह के आधार पर, अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है तथा जांच पूरी होने पर उचित कार्यवाही/कदम उठाए जाएंगे।* तथ्य यह है कि सीयूटीएन को माल के प्रापण में ₹8.16 करोड़ और निर्माण कार्यों के निष्पादन में ₹2.60 करोड़ की हानि हुई, जिसकी वसूली/दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही अभी भी लंबित है।

अनुशंसा: मंत्रालय लेखापरीक्षा में इंगित की गई कमियों के विरुद्ध विशेष रूप से अपनी प्रापण प्रक्रिया में उचित आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए की गई विशिष्ट कार्रवाई के संबंध में सीयूटीएन को निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डिंडीगुल

3.5 नई दिल्ली में केंद्र बनाने पर अप्राधिकृत व्यय - ₹3.20 करोड़

शिक्षा मंत्रालय के अनुमोदन के बिना नई दिल्ली में एक केंद्र की स्थापना के परिणामस्वरूप ₹3.20 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय हुआ जिसमें परिसंपत्तियों पर ₹19.19 लाख की हानि हुई तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने और किए गए व्यय की वसूली हेतु मंत्रालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया।

यूजीसी तथा एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित संस्थान के बहिर्नियम ग्रामीण विकास के समग्र क्षेत्रों में कार्य कर रहे अन्य संस्थानों को शामिल करने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसाओं पर सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऑफ-कैंपस तथा ऑफ-शोर केंद्रों को सृजित करने हेतु शक्तियों तथा कार्यों को परिभाषित करते हैं।

गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान (जीआरआई), डिंडिगुल, मानित विश्वविद्यालय, के प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) ने अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देने, ग्रामीण विकास के गांधीवादी आदर्शों पर अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु नई दिल्ली में एक केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया (जुलाई 2017)। केंद्र (जीआरआईसी) को निजी परिसर[12] में स्थापित (अगस्त 2017) किया गया तथा केंद्र के समग्र प्रभार सहित जीआरआईसी[13] हेतु अनुबंध आधार पर एक तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति की गई थी (मार्च 2017)। इस दौरान, जुलाई 2018 में एक प्रशासनिक प्रबंधक, एक सचिवीय सहायक तथा एक एमटीएस युक्त स्टाफ की भी अनुबंध आधार पर नियुक्ति की गई थी।

यह पाया गया कि यद्यपि जीआरआईसी के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु गठित समिति (जुलाई 2017) ने कई बार बैठक की थी तथा केंद्र के लिए अपेक्षित कुछ सिविल/रखरखाव कार्य की अनुशंसा की थी फिर भी इसने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की

---

[12] वीडियो कॉनफ्रेंसिंग, स्मार्ट/वर्चुअल कक्षा सुविधाओं तथा अन्य कार्यालय उपकरण से सृजित 1700 वर्ग फुट का एक फ्लोर।

[13] मार्च 2017 से नवंबर 2018 तक ₹30,000 प्रतिमाह पर वाहन भत्ता तथा दिसंबर 2018 से अप्रैल 2022 तक ₹80,000 प्रतिमाह के साथ ₹20,000 प्रतिमाह तक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति सहित समेकित वेतन। इसके पश्चात उसके वेतन पर व्यय जीआरआईसी के अधीन किया गया।

थी। तथापि, जीआरआईसी ने संपर्क गतिविधियों[14] का संचालन किया, जो उसके उद्देश्यों में परिकल्पित कार्यक्रमों से संबंधित नहीं थीं और छात्रों को लाभ पहुँचाने के लिए आयोजित नहीं की गई थीं।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अनियमितताएं पाईं (नवंबर 2019)।

i. जीआरआई ने नए केंद्र की स्थापना के लिए एमओआई/यूजीसी से अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था जैसा कि यूजीसी और एमएचआरडी, भारत सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित संस्थान बर्हिनियम के अधीन अपेक्षित है।

ii. जीआरआईसी में संचालित गतिविधियों से पता चला कि इसके उद्देश्यों में परिकल्पित कोई भी कार्यक्रम छात्रों को लाभ पहुंचाने हेतु आयोजित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, बहु-कौशल विकास कार्यक्रमों, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा सभी-मामले प्रारंभिक चरण में थे।

iii. स्टाफ की नियुक्ति पदों की संस्वीकृति के बिना चयन समिति की अनुशंसाओं पर वाक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की गई थी।

iv. जीएफआर 149 का अनुपालन किए बिना परिसंपत्तियों[15] (गैर-आवर्ती) का प्रापण किया गया था। निविदा प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने के कारण अभिलेखित नहीं थे।

v. परिसर को उचित प्रक्रिया[16] का अनुपालन किए बिना ₹1,50,000/- की दलाली कमीशन के भुगतान पर 01 अगस्त 2017 से पाँच वर्षों के लिए किराए[17] पर लिया गया था।

---

14 (i) जीआरआई द्वारा प्राप्त अनुदानों की मंजूरी हेतु बातचीत/शिक्षा मंत्रालय (एमओई)/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का दौरा (ii) महात्मा गांधी के 150वें जन्म वर्ष के उत्सव से संबंधित प्रस्तावों का एमओई को प्रस्तुतीकरण (iii) बहु-कौशल विकास कार्यक्रमों से संबंधित मामलों पर चर्चा/अंतिम रूप देना (iv) शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए जीआरआई को किराए पर देना तथा (v) जीआरआईसी में बीओएम बैठकों से संबंधित संपर्क कार्य।

15 कार्यालय उपकरण, फर्नीचर एवं फिटिंग, कम्प्यूटर, सर्वर, लैपटॉप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण सीसीटीवी कैमरा।

16 निविदा तथा सीपीडब्ल्यूडी से स्पष्ट किराया प्रमाणपत्र प्राप्त करना।

17 माह की 7 तारीख को या उससे पहले अग्रिम में देय ₹1.5 लाख प्रति माह की दर पर किराया के साथ 18 *प्रतिशत* की दर पर जीएसटी जो प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अंतिम अदा किए गए शुल्क पर 5 *प्रतिशत* तक बढ़ेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (नवंबर 2019) पर शिक्षा मंत्रालय ने अपने आदेश (मई 2022) में जीआरआईसी को मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना शुरु किया गया अवैध रूप से संचालित केंद्र बताया तथा इसे तुरंत बंद करने, भर्ती किए गए स्टाफ को हटाने, मामले की जांच करने, चूककर्ता अधिकारियों के उत्तरदायित्व तय करने तथा इसकी स्थापना पर किए गए भुगतान की वसूली सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

मंत्रालय के आदेश के अनुपालन में केंद्र को बंद कर दिया गया था तथा नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएँ जुलाई 2022 में समाप्त कर दी गईं। ₹32.16 लाख की कीमत की परिसंपत्तियों को वापस जीआरआई लाया गया था तथा आवश्यकता वाले विभागों में प्रभावी उपयोग हेतु वितरित (दिसंबर 2023) किया गया था। इसके अतिरिक्त, जीआरआई ने उत्तरदायित्व तय करने तथा समिति के गठन हेतु शिक्षा मंत्रालय से निर्देशों की माँग की। संस्थान के प्रबंधन मंडल ने दोषी अधिकारियों के उत्तरदायित्व तय करने संबंधी जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और रिपोर्ट की एक प्रति सभी सदस्यों को भेजने और आगे के निर्देशों हेतु उनकी राय प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए (जुलाई 2025)। इस पर मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है।

इस प्रकार, शिक्षा मंत्रालय की स्वीकृति के बिना नई दिल्ली में केंद्र की स्थापना से ₹3.20 करोड़[18] का अनधिकृत व्यय हुआ, जिसमें ₹19.19 लाख (₹51.35 लाख में से ₹32.16 लाख घटाकर) की हानि खरीदी गई परिसंपत्तियों से हुई।

अनुशंसा: मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि चूककर्ता अधिकारियों के उत्तरदायित्व तय करने हेतु मामले की जांच करने तथा नए केंद्र की स्थापना पर किए गए भुगतान की वसूली को सुनिश्चित करने के इसके निर्देशों का सामयिक प्रकार से अनुपालन किया गया है।

[18] कुल व्यय ₹319.69 लाख (किराया ₹118.63 लाख, परिसंपत्तियाँ ₹51.35 लाख, वेतन - स्टाफ ₹35.87 लाख, तकनीकी अधिकारी ₹57.05 लाख, मरम्मत एवं अनुरक्षण ₹24.21 लाख, अन्य/विविध/बकाया व्यय ₹30.95 लाख, दिल्ली से जीआरआई को परिसंपत्तियों के स्थानांतरण पर व्यय ₹1.63 लाख)।

भारतीय प्रबंधन संस्थान, मुंबई

3.6 हेफा मूलधन पुनर्भुगतान खाते की निलंबित राशि का अल्पावधि सावधि जमा में निवेश न करने के कारण ₹58.71 लाख के ब्याज की हानि

अर्धवार्षिक अवधि ऋण किस्तों की नियत तिथियों के साथ मूलधन पुनर्भुगतान खाते में निलंबित राशि का निवेश करने हेतु बैंक के लिए अनुदेशों के अभाव के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई।

शिक्षा मंत्रालय ने कैनरा बैंक के साथ संयुक्त उद्‌यम के रूप में ₹1,000 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी आधार के साथ एक उच्च शिक्षा वित्तपोषण अभिकरण (हेफा), एक अलाभकारी संगठन की स्थापना की है। हेफा को बाजार से निधियाँ जुटाना तथा उन्हें दान एवं कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि से पूरक करना अपेक्षित है। हेफा का अधिदेश उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी आदि में अच्छी गुणवता की संरचना के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करना है जिसमें (क) नई अवसंरचना के निर्माण, नवीकरण तथा मौजूदा अवसंरचना का विस्तार आदि तथा वर्तमान में चल रही पूंजीगत परियोजनाओं को वित्तपोषित करना, (ख) अनुसंधान सुविधाओं का निर्माण, जिसमें प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्हें सुसज्जित करना शामिल है।

इस योजना के अंतर्गत, आईआईएम मुंबई को हेफा तथा कैनरा बैंक के साथ त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुसार परिसर में छः परियोजनाओं के निर्माण हेतु ₹95.50 करोड़ का एक सावधि ऋण संस्वीकृत (जून 2020) किया गया था।

ऋण अनुबंध की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि हेफा एवं आईआईएम, मुंबई के बीच ऋण अनुबंध तथा आईआईएम एवं बैंक के बीच निलंबित अनुबंध की पुनर्भगतान शर्तों के खंड 6 के अनुसार, संस्थान को ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की तिथि को ₹4.78 करोड़ की राशि की अर्धवार्षिक किस्त तथा इसके पश्चात प्रत्येक छः माह में ऋण खाता बंद होने तक समान राशि जमा करनी थी तथा राशि को कैनरा बैंक में मूलधन पुनर्भुगतान खाते में भेजना था।

इसके अतिरिक्त, कैनरा बैंक में मूलधन पुनर्भुगतान खाते में प्राप्त निलंबित राशि को ऋणी के निर्देशानुसार पहले अल्पावधि सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि अर्धवार्षिक सावधि ऋण किस्त की देय तिथियों से मेल खा सके तथा फिर देय तिथियों को हेफा के खाते में हस्तांतरित किया जाए। इस प्रकार प्राप्त राशि को हेफा द्वारा ऋण खाते के संबंध में देय किस्तों के प्रति विनियोजित किया जाएगा (हेफा संस्वीकृति पत्र दिनांक 24 जून 2020 की शर्त सं. 6)।

तदनुसार, संस्थान ने जुलाई 2022 तक मूलधन पुनर्भुगतान खाते में कुल ₹23.88 करोड़ की पाँच अर्धवार्षिक ऋण किस्तें (₹4.78 करोड़ प्रत्येक) जमा की। तथापि, निर्माण अभिकरणों से चरण-वार-मांगो के अनुसार हेफा ने केवल ₹4.00 करोड़ (2 अगस्त, 2021 को ₹1.00 करोड़ का प्रथम संवितरण, 13 दिसंबर, 2021 को ₹2.00 करोड़ का दूसरा संवितरण तथा 30 दिसंबर, 2021 को ₹1.00 करोड़ का तीसरा संवितरण) की सीमा तक ही ऋण संवितरित किया।

इसके अतिरिक्त संवीक्षा से यह भी पता चला कि यद्यपि निधियाँ निलंबित बैंक खाते में पड़ी थीं फिर भी संस्थान ने हेफा द्वारा ऋण खाते के संबंध में देय किस्त के प्रति निलंबित राशि के विनियोजन से पहले अल्पावधि सावधि जमा में इसका निवेश करने हेतु बैंक को कोई निर्देश नहीं दिए थे।

अत: अर्धवार्षिक ऋण किस्तों की देय तिथियों के साथ मूलधन पुनर्भुगतान खाते में निलंबित राशि का निवेश करने हेतु बैंक के लिए अनुदेशों के अभाव के परिणामस्वरूप ₹58.71 लाख के ब्याज की हानि हुई जिससे संस्थान की ऋण देनदारी को कम किया जा सकता था। उन अधिकारियों के उत्तरदायित्व तय किए जाएं जो अल्पावधि सावधि जमा में निलंबित लेखा के निवेश हेतु बैंक को निर्देश देने में विफल हुए जिसके परिवामस्वरूप संस्थान की ऋण देनदारी को कम किया जा सकता था।

संस्थान ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (दिसंबर 2023) तथा बताया कि जनवरी 2023 से मूलधन पुनर्भुगतान खाते में निलंबित राशि का अल्पावधि सावधि जमा में निवेश किया गया है।

भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

3.7 निजी पक्ष को अनुचित लाभ दिया गया

संस्थान ने बिना वित्तीय विचार और मंत्रालय के अनुमोदन के एक निजी प्रतिष्ठान को स्कूल चलाने के लिए ₹12.54 करोड़ की तीन एकड़ भूमि एवं भवन का अनियमित रूप से कब्जा दिया जिसके परिणामस्वरूप किराया अनुबंध को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण कुल ₹6.50 करोड़ के राजस्व की गैर-वसूली हुई।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान[19] (संशोधन) अधिनियम 2012 की धारा 6(2) के अनुसार, संस्थान केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी प्रकार से कोई भी अचल संपत्ति का निपटान[20] नहीं करेगा।

भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), कोलकाता शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बुनियादी विज्ञान में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु स्थापित एक स्वायत संस्थान है।

संकाय, स्टाफ के बच्चों तथा पड़ोसी इलाकों के छात्रों को प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक कैंप्स स्कूल के निर्माण को संस्थान की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में शामिल किया गया था। स्कूल की स्थापना प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोड के अंतर्गत की जानी थी।

संस्थान नें अपने परिसर में एक स्कूल की स्थापना तथा प्रबंधन हेतु रुचि अभिव्यक्त की (अक्तूबर 2013)। संस्थान ने प्राप्त आठ प्रस्तावों में से तीन को चुना। इनका

---

[19] पहले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 के रूप में जाना जाता था।

[20] निपटान का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी नोट या प्राप्त लेखे या उनके साथ जुड़े किसी भी अधिकार एवं दावे का, आश्रय के साथ या बिना, कोई भी बिक्री, आवंटन, हस्तांतरण या अन्य निपटान सहित किसी भी संपत्ति की बिक्री, हस्तांतरण, लाईसेंस, पट्टा या अन्य अधिकार।

आगे मूल्यांकन[21] किया गया तथा मेसर्स सतिकांता गुहा प्रतिष्ठान (मेसर्स एसजीएफ) को प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) तथा वित्तीय बोली जारी किए बिना जनवरी 2014 में स्कूल को प्रारंभ करने तथा प्रबंधन हेतु सर्वसम्मति से चयन किया गया। पीपीपी मोड में वित्तीय विचार ही बोलीदाता के चयन हेतु एकमात्र मानदंड होगा।

आईआईएसईआर कोलकाता तथा मेसर्स सतिकांत गुहा प्रतिष्ठान (एसजीएफ) के बीच नवंबर 2014 में हस्ताक्षरित अनुबंध ज्ञापन (एमओए) के अनुसार, आईआईएसईआर कोलकाता द्वारा 33 वर्षों के लिए ₹12.54 करोड़ की कीमत का एक तीन एकड़ का प्लॉट एवं एक स्कूल भवन प्रदान करना था। हालांकि, फरवरी 2017 में, संस्थान ने किराया अनुबंध को अंतिम रूप दिए बिना मेसर्स एसजीएफ को 5058 वर्ग मीटर भूमि सौंप दी।

2016 में, आईआईएसईआर कोलकाता ने मासिक किराया प्रावधानों सहित एक ड्राफ्ट पट्टा अनुबंध तैयार किया तथा मंत्रालय से अनुमोदन की मांग की। हालांकि, मंत्रालय ने जून 2016 में पट्टा अनुबंध को अनुमति नहीं दी। मंत्रालय ने आईआईएसईआर कोलकाता को यह भी सूचित किया कि मेसर्स एसजीएफ के साथ कोई वैध पट्टा अनुबंध नहीं था तथा रजिस्ट्रार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) अनियमित था तथा मंत्रालय का अनुमोदन भी नहीं था। यह दर्शाता है कि मेसर्स एसजीएफ को कब्जा प्रदान करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

मंत्रालय (दिसंबर 2019) ने आईआईएसईआर कोलकाता को सीपीडब्ल्यूडी की दरों के आधार पर किराया तथा जनरेटर प्रभारों सहित वास्तविक खपत आधार पर बिजली प्रभारों तथा जब से मेसर्स एसजीएफ ने परिसर का कब्जा लिया है तब से लंबित भुगतानों पर 10 *प्रतिशत* ब्याज का परिकलन करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय (अगस्त 2022) ने संस्थान को लंबित मामलों का समाधान करने का भी निर्देश दिया। तथापि, जुलाई 2023 तक आईआईएसईआर कोलकाता ने न

[21] गुणात्मक मानदंड पर आधारित

मेसर्स एसएफजी से प्रभारों की वसूली की थी और न ही बकाया राशि के बारे में स्कूल को सूचित किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (सितंबर 2018)

i. संस्थान ने अपने परिसर में स्कूल की स्थापना के लिए वित्तीय बोली आमंत्रित करने के निर्धारित मांनदंडों का पालन नहीं किया था। ₹12.54 करोड़ की तीन एकड़ भूमि तथा बिल्डिंग बिना किसी अनुबंध के निजी पक्ष को सौंप दी गई थी। वित्तीय बोली आमंत्रित किए बिना बोलीकर्ता का चयन पीपीपी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था तथा इसके परिणामस्वरूप निजी पक्ष को अनुचित लाभ हुआ।

ii. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 6(2) के अनुसार यथा अपेक्षित एमओए पर हस्ताक्षर करने से पहले मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। एमओए अनियमित था और आईआईएसईआर कोलकाता ने मंत्रालय की स्वीकृति के बिना ही ₹12.54 करोड़ मूल्य की भूमि एवं भवन का कब्ज़ा दे दिया।

iii. किराया अनुबंध के अभाव में संस्थान किराया तथा बिजली प्रभारों के रूप में ₹6.63 करोड़ की वसूली नहीं कर सका। जिससे स्कूल बिना भुगतान के ही संचालित होता रहा।

iv. भूमि और भवन को बिना वित्तीय विचार और मंत्रालय की स्वीकृति के हस्तांतरित करने की इस अनियमितता के लिए किसी की उत्तरदायित्व तय नहीं की गई।

अपने उत्तर (अप्रैल 2024) में संस्थान ने बताया कि शासी बोर्ड (बीओजी) वास्तविक खपत के आधार पर बिजली प्रभारों की तुरंत वसूली के लिए सहमत था। बीओजी ने मेसर्स एसजीएफ के साथ उचित किराए पर बातचीत करने, मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने तथा उसके बाद किराया अनुबंध निष्पादित करने की अनुशंसा की। संस्थान ने ₹18.89 लाख के बिजली शुल्क की मांग की है, जिसमें से जून 2025 तक ₹12.73 लाख की वसूली हो चुकी है और मेसर्स एसजीएफ से ₹6.15 लाख (जून 2025) अभी वसूलना शेष है। किराए के लिए प्राप्तियों को अभी तक मान्यता

नहीं दी गई है क्योंकि संस्थान जून 2025 तक एसजीएफ के साथ किराया अनुबंध को अंतिम रूप देने के अंतिम चरण में है।

इस प्रकार, एसजीएफ को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था क्योंकि संस्थान ने बिना वित्तीय विचार तथा मंत्रालय के अनुमोदन के एक निजी प्रतिष्ठान को स्कूल चलाने के लिए ₹12.54 करोड़ की तीन एकड़ भूमि तथा बिल्डिंग का अनियमित प्रकार से कब्जा प्रदान किया और जिसके परिणामस्वरूप किराए और बिजली के संबंध में ₹6.50 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

3.8 ज्ञान वाणी एफएम रेडियो स्टेशनों के कामकाज में कमियां

इग्नू द्वारा समय पर निर्णय न लेने और समझौता ज्ञापन का नवीकरण करने में विलंब से, जीवी स्टेशनों की सेवाएँ दो वर्षों तक बाधित रहीं और परिणामस्वरूप ₹23.57 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, जिस दौरान कोई शैक्षिक प्रसारण नहीं किया गया। वर्ष 2016 में नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद भी इग्नू ने लाइसेंस शुल्क/स्पेक्ट्रम प्रभारों के रूप में ₹34.35 करोड़ का व्यय किया जबकि अधिकांश स्टेशन बंद थे या कम क्षमता पर काम कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, जीवी स्टेशनों के अभ्यर्पण के बाद प्रसार भारती परिसर खाली करने में 19 महीने तक के विलंब से ₹7.56 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

अगस्त 1999 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) को सरकार की पहल के अंतर्गत एफएम[22] सेवाओं के विस्तार हेतु देश के विभिन्न भागों में शैक्षिक प्रसारण के लिए रेडियो स्टेशनों का एक नेटवर्क विकसित करने हेतु एक नोडल एजेंसी बनाया गया। इस अधिदेश को आगे बढ़ाते हुए, अगस्त 2001 में, इग्नू ने शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने हेतु ज्ञान वाणी (जीवी) नामक 40 एफएम रेडियो स्टेशनों

[22] फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन।

को स्थापित करने, रखरखाव तथा संचालित करने हेतु प्रसार भारती (पीबी)[23] के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया।

ज्ञान वाणी स्टेशनों की संकल्पना एक कम लागत वाले सुलभ जनसंचार मंच के रूप में की गई थी जिससे औपचारिक शिक्षा को पूरक बनाया जा सके तथा संवादात्मक और कम लागत वाले प्रोग्रामिंग प्रारुपों के माध्यम से शिक्षार्थियों तक पहुँचा जा सके। योजनाबद्ध 40 स्टेशनों में से 37 को तकनीकी रूप से व्यवहार्य माना गया तथा 2001 से 2010 के दौरान उन्हें 10 किलोवाट ट्रांसमीटर[24] के साथ चालू किया गया था।

जीवी स्टेशनों के कामकाज में कमियों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2008 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 3 (पैरा 3.6.5, अध्याय III, मानव संसाधन विकास मंत्रालय) में उजागर किया गया था। सितंबर 2011 में प्रस्तुत अपनी कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) में उच्च शिक्षा विभाग ने बताया कि इग्नू द्वारा जीवी स्टेशनों की दक्षता एवं प्रभावकारिता को सुधारने हेतु कदम उठाए गए हैं। इसने आश्वासन दिया कि इग्नू तकनीकी संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करेगा तथा नेटवर्क की योजना, उपयोग और निगरानी हेतु सर्वोच्च समिति का गठन किया गया है।

तथापि, जनवरी 2022 में 2011-12 से 2020-21 (मार्च 2025 तक के अद्यतन सहित) की अवधि के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि जीवी स्टेशनों के संचालन और निगरानी में महत्वपूर्ण कमियां बनी रहीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011 के एटीएन में किए गए कई वादों का प्रभावी रूप से पालन नहीं किया गया है। इस संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर विस्तृत रूप से नीचे चर्चा की गई है:

---

23 प्रसार भारती, अपने घटकों के रूप में आकाशवाणी (अखिल भारतीय रेडियो-रेडियो नेटवर्क) तथा दूरदर्शन (टेलीविजन नेटवर्क) के साथ, भारत का सार्वजनिक सेवा प्रदाता है जो देश मे लोक प्रसारण सेवाओं को आयोजित एवं संचालित करता है।

24 10 किलोवाट ट्रांसमीटर की 70 किलोमीटर के घेरे की कवरेज थी।

3.8.1 समझौता ज्ञापन का नवीकरण करने में लंबे समय तक अनिर्णय तथा विलंबों के कारण निष्फल व्यय तथा सेवाओं में व्यवधान

अगस्त 2001 में इग्नू और प्रसार भारती (पीबी) के बीच ज्ञान वाणी (जीवी) एफएम रेडियो स्टेशनों के संचालन के लिए किया गया समझौता ज्ञापन (एमओयू) 10 वर्षों के लिए या जब तक रेडियो फ्रीक्वेंसी संचालन का लाइसेंस जारी रहने तक, जो भी बाद में हो, तक वैध था। परंतु 2011 के बाद इग्नू ने इस एमओयू की समीक्षा या नवीकरण के लिए समय पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे इसकी निरंतर वैधता को लेकर लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रही। इस अनिर्णय के कारण पीबी तथा संचार मंत्रालय के अधीन वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन[25] (डब्ल्यूपीसी) विंग को देय भुगतानों में विलंब हुआ और जीवी स्टेशनों का संचालन प्रभावित हुआ।

इग्नू ने अप्रैल 2013 से पीबी को संचालन और रखरखाव शुल्क का भुगतान बंद कर दिया और जुलाई 2013 से डब्ल्यूपीसी को स्पेक्ट्रम शुल्क भी रोक दिया। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2013 में कुलपति ने एक निर्णय दर्ज किया था कि जब तक जीवी स्टेशनों की निरंतरता पर नीतिगत निर्णय न हो जाए, तब तक उनमें आगे निवेश रोक दिया जाए।

इस निष्क्रियता के प्रतिक्रिया स्वरूप, पीबी ने अक्तूबर 2014 में सभी 37 जीवी स्टेशनों से प्रसारण बंद कर दिया। यद्यपि इग्नू ने बकाया लाइसेंस शुल्क का निपटान करने के लिए दिसंबर 2014 में पीबी को ₹16.20 करोड़ जारी किए, परन्तु सेवाएँ पुनः शुरू नहीं हुईं क्योंकि 2001 का एमओयू तब तक समाप्त हो चुका था। फलस्वरूप, सभी 37 जीवी स्टेशन अक्तूबर 2014 से दिसंबर 2016 तक दो वर्ष से अधिक समय तक ऑफ़-एयर रहे और केवल 18 जीवी स्टेशनों को जनवरी 2017 से सितंबर 2020 के बीच पुनः चालू किया जा सका।

---

[25] संचार मंत्रालय का वायरलेस योजना एवं समन्वय प्रकोष्ठ (डब्ल्यूपीसी) राष्ट्रीय रेडियो विनियामक प्राधिकरण है, जो आवृत्ति स्पेक्ट्रम प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है, जिसमें लाइसेंसिंग शामिल है तथा सभी वायरलेस उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

दिसंबर 2016 में इग्नू ने अंततः पीबी के साथ नया एमओयू हस्ताक्षरित किया, और 1 जनवरी 2017[26] से सेवाएँ फिर से आरंभ हुईं। स्टेशनों के डब्ल्यूओएल (वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस) भी तभी नवीकृत हो सके जब इग्नू ने सितंबर 2016 में ₹1.11 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान किया और लगभग ₹5.10 करोड़ (दंड सहित) नवीकरण शुल्क भी जमा किया।

स्टेशनों के ऑफ़-एयर रहने की अवधि में इग्नू ने लाइसेंस शुल्क[27] और स्पेक्ट्रम शुल्क माफ कराने का प्रयास किया, परन्तु असफल रहा। सेवाएँ पूरी तरह से स्थगित रहने के बावजूद, इग्नू ने अक्तूबर 2014 से दिसंबर 2016 के बीच पीबी और डब्ल्यूपीसी पर ₹23.57 करोड़[28] का व्यय किया, जो अनुत्पादक रहा और निष्फल व्यय के बराबर रहा।

अपने उत्तर में (सितंबर 2023 में मंत्रालय द्वारा समर्थित), इग्नू ने सेवा में आए व्यवधान और भुगतानों में विलंब का कारण वित्तीय सीमाएँ बताई। उत्तर में बताया गया कि व्यय का अधिकांश भाग स्थायी प्रकृति का था, जिसमें बढ़ते लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार शामिल थे, तथा सीमित बजट के कारण ट्रांसमीटरों एवं अन्य उपकरणों का नियमित रखरखाव कठिन था। इग्नू ने यह भी बताया कि उसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संचार मंत्रालय से शुल्क माफी के लिए संपर्क किया था और शिक्षा मंत्रालय से अतिरिक्त निधि की मांग भी की थी।

---

[26] जनवरी 2017 में एक जीवी स्टेशन, मई 2017 से सितंबर 2020 के बीच 17 जीवी स्टेशन, शेष 19 जीवी स्टेशनों को पुनः चालू नहीं किया जा सका।

[27] इग्नू द्वारा एमएचआरडी को पत्र लिखे गए ताकि वह इस मुद्दे को प्रसार भारती को देय लाइसेंस शुल्क की माफी के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के समक्ष उठाए।

[28] ₹23.57 करोड़ = पीबी को देय लाइसेंस शुल्क ₹18.47 करोड़ (अवधि 10/2014 से 12/2016 के लिए) + डब्ल्यूपीसी को देय स्पेक्ट्रम शुल्क (अवधि 10/2014 से 09/2016 के लिए) ₹5.10 करोड़ (दंड सहित)। स्पेक्ट्रम शुल्क का नवीकरण वार्षिक रूप से किया जाना चाहिए।

तथापि, यह उत्तर कई आधारों पर स्वीकार्य नहीं है। सबसे पहले, अभिलेख दर्शाते हैं कि इग्नू के पास 2013 में भुगतान जारी रखने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान[29] थे, फिर भी उसने एकतरफा निर्णय लेकर भुगतान रोक दिया। दिसंबर 2014 में लाइसेंस शुल्क के बकाया रूप में इग्नू द्वारा प्रसार भारती को ₹16.20 करोड़ का भुगतान उसके वित्तीय बाधाओं के दावे को कमज़ोर करता है। दूसरा, शिक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2017 में स्पष्ट किया था कि इग्नू को विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है और उन गतिविधियों में वित्तीय विनियोजन करना विश्वविद्यालय की आंतरिक उत्तरदायित्व है, जिसमें जीवी स्टेशन भी शामिल है। अतः, इग्नू द्वारा योजना-वार विशिष्ट अनुदान या शुल्क माफी की अपेक्षा गलत थी। तीसरा, 2012 में लेखापरीक्षा द्वारा एमओयू की समाप्ति की ओर ध्यान आकर्षित किए जाने और नवीकरण का आश्वासन देने के बावजूद, इग्नू को इसे नवीकृत करने में पाँच वर्ष से अधिक समय लगा, जिससे प्रसारण सेवाएँ लंबे समय तक स्थगित रहीं।

3.8.2 जीवी स्टेशनों पर ट्रांसमीटरों की क्षमता का कम उपयोग

इग्नू ने 2001 तथा 2010 के दौरान ₹51.94 करोड़ की लागत पर 37 जीवी स्टेशनों पर 10 किलोवाट (केडब्ल्यू) के ट्रांसमीटर खरीदे और स्थापित किए थे। इन ट्रांसमीटरों का 10 वर्षों का अनुमानित जीवन काल था। वर्ष 2001 में पीबी के साथ हस्ताक्षरित एमओयू और उसके नवीकृत संस्करण 2016 के अनुसार स्पेयर पार्टस की समय पर खरीद, उपकरणों का रखरखाव और अपने खर्च पर उन्हें बदलने का उत्तरदायित्व इग्नू की थी।

इग्नू द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर (ईएमपीसी) के कामकाज, जिसमें जीवी का संचालन शामिल है, के निर्धारण हेतु दिसंबर 2013 में गठित समीक्षा एवं पुनर्गठन समिति ने जुलाई 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने पाया

29 लाइसेंस शुल्क के ₹11.48 करोड़ के बकाये के विरुद्ध वर्ष 2013-14 के दौरान प्रसार भारती को लाइसेंस शुल्क के भुगतान हेतु ₹12.00 करोड़ का मूल प्रावधान किया गया था।

कि अधिकतर स्टेशनों पर चालू ट्रांसमीटरों की उपयोगी आयु समाप्त हो चुकी थी या वे उप-इष्टतम स्तरों पर कार्य कर रहे थे जिससे उनकी पहुंच और सीमा सीमित हुई। समिति ने यह भी पाया कि पुराने ट्रांसमीटरों को बदलने के लिए कोई निर्धारित नीति नहीं थी।

वर्ष 2011 तथा 2015 के बीच पीबी द्वारा बार-बार यह बताने के बावजूद कि खराब उपकरण, लगभग सभी जीवी स्टेशनों पर ट्रांसमीटरों की क्षमता को प्रभावित कर रहे थे, इग्नू ने दिसंबर 2016 में पीबी के साथ नया अनुबंध करने से पहले इन कमियों को दूर करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। परिणामस्वरूप, जब पीबी ने जनवरी 2017 में सेवाओं को फिर से शुरू किया तो 37 जीवी स्टेशनों में से 19 जीवी स्टेशनों को फिर से चालू नहीं किया जा सका था क्योंकि अधिकतर ट्रांसमीटर और संबंधित उपकरण मरम्मत से परे खराब हो गए थे। शेष 18 जीवी स्टेशनों में से, केवल दिल्ली को जनवरी 2017 में फिर से चालू किया जा सका जबकि 17 स्टेशनों को मई 2017 से सितंबर 2020 के बीच चार से 44 महीनों के विलंब से चालू किया गया।

इन परिचालन कमियों के बावजूद इग्नू ने जीवी स्टेशनों के निष्क्रिय रहने की अवधि के लिए भी पीबी को लाइसेंस शुल्क तथा डब्ल्यूपीसी को स्पेक्ट्रम प्रभार का भुगतान जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप निष्क्रिय जीवी स्टेशनों पर अप्रैल 2011 से मार्च 2024 के बीच (अक्तूबर 2014 से दिसंबर 2016 की अवधि को छोड़कर जब सेवाएं आधिकारिक रूप से बंद थीं) ₹34.35 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, जैसा कि **तालिका 3.1** में विस्तृत है।

तालिका 3.1: अप्रयुक्त सेवाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

अवधि	इग्नू द्वारा अदा किया गया कुल शुल्क			अप्रयुक्त सेवाओं पर अदा किया गया शुल्क			टिप्पणियाँ
	लाइसेंस शुल्क	स्पेक्ट्रम प्रभार	कुल	लाइसेंस शुल्क	स्पेक्ट्रम प्रभार	कुल	
04/2011 से 09/2014 तक	38.75	3.39	42.14	1.03	0.21	1.24	चार स्टेशनों[30] पर ब्रेकडाउन
01/2017 से 03/2024 तक	58.92	6.13	65.05	29.44	3.67	33.11	01/2017 में नए समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के पश्चात गैर-संस्थापित/खराब स्टेशनों के लिए
कुल	**97.67**	**9.52**	**107.19**	**30.47**	**3.88**	**34.35**	

एमओयू में निर्धारित व्यापक रखरखाव[31] रणनीति की कमी ने जीवी स्टेशनों की प्रसारण क्षमता और भौगोलिक कवरेज को काफी हद तक घटा दिया। 2011 से 2023[32] के दौरान संचालित जीवी स्टेशनों की प्रसारण क्षमता **चार्ट 3.1** में दर्शाई गयी है।

30 चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, तिरुचिरापल्ली।

31 वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध, ट्रांसमीटर के घटकों का उन्नयन, प्रमुख मरम्मत आदि।

32 2014-16 की अवधि के दौरान जीवी एफएम रेडियो स्टेशन बंद थे।

चार्ट 3.1: 2011 से 2014 तथा 2017 से 2023 (जुलाई 2023 तक) के दौरान प्रसारण क्षमता की तुलना में चालू ज्ञान वाणी स्टेशनों की संख्या

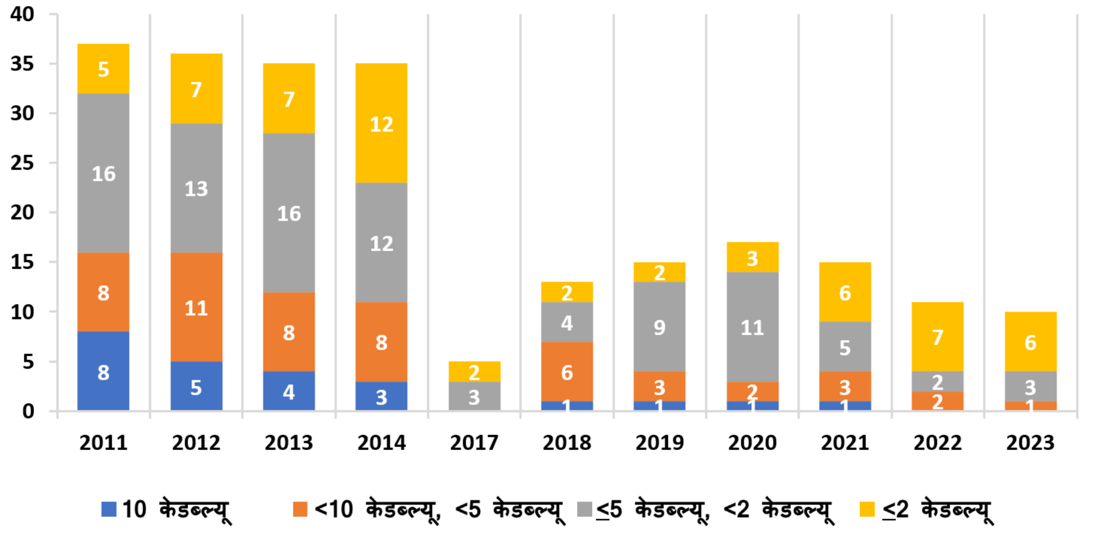

चार्ट दर्शाता है कि 2011 से 2014 के बीच 2 केडब्ल्यू (किलोवाट) क्षमता से कम क्षमता पर प्रसारण कर रहे ट्रांसमीटरों की संख्या पाँच से 12 स्टेशनों तक बढ़ी तथा 10 किलोवाट की अधिकतम क्षमता पर प्रसारण कर रहे आठ स्टेशनों में से घटकर तीन ही रह गए। यह गिरावट की प्रवृत्ति 2017 में सेवाएँ पुनः आरंभ होने के बाद भी जारी रही।

खराब ट्रांसमीटरों के रखरखाव तथा प्रतिस्थापन में लगातार चूक होने के परिणामस्वरूप अंततः इग्नू को 34 जीवी स्टेशनों को अभ्यर्पित करना पड़ाः अक्तूबर 2020[33] में 17, दिसंबर 2021[34] में आठ, जून 2022[35] में दो, अगस्त 2023[36] में तीन तथा फरवरी 2024[37] में चार। मार्च 2025 तक, दिल्ली, चण्डीगढ़ तथा मदुरई में तीन रेडियो स्टेशन ही चालू रहे जो 10 केडब्ल्यू की संस्थापित क्षमता की तुलना में क्रमशः 3 केडब्ल्यू, 5 केडब्ल्यू और 1.8 केडब्ल्यू की कम क्षमता पर प्रसारण कर

---

[33] अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मैसूर, पणजी, राजकोट, शिलांग, इलाहाबाद, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, मुंबई, भोपाल, हैदराबाद, कानपुर, कटक तथा श्रीनगर।

[34] जबलपुर, रायपुर, पटना, औरंगाबाद, इंदौर, आगरा, तिरुचिरापल्ली तथा तिरुनेलवेली।

[35] पुणे तथा वाराणसी।

[36] बेंगलुरु, जालंधर तथा त्रिवेंद्रम।

[37] लखनऊ, नागपुर, जयपुर तथा कोचीन।

रहे थे। स्टेशनों के बड़े पैमाने पर बंद होने से जीवी के रेडियो प्रसारणों की भौगोलिक पहुँच और भाषाई विविधता में बड़े पैमाने पर कमी आई।

उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि संचालन एवं रखरखाव से संबंधित बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण पीबी द्वारा 01 अक्तूबर 2014 से जीवी प्रसारण बंद कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि जीवी स्टेशनों को फिर से शुरु करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुमोदन तथा पीबी के साथ नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर आवश्यक था। विलंब का कारण तैयारी संबंधी गतिविधियों को भी बताया गया, जैसे ट्रांसमीटरों, स्टूडियो उपकरणों, जनरेटर और एयर कंडीशनरों की मरम्मत तथा साझेदार संस्थानों की भागीदारी। प्रसारण क्षमता में कमी के मुद्दे पर, मंत्रालय ने स्वीकार किया कि ट्रांसमीटर आउटपुट में गिरावट समय पर रखरखाव न होने के कारण हुई।

पुनः चालू करने में विलंब पर मंत्रालय का स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है। 2011 से 2015 की अवधि के दौरान संयुक्त समन्वय समिति के कार्यवृत से पता चलता है कि इग्नू को ट्रांसमीटरों तथा संबंधित अवसंरचनाओं की बिगड़ती स्थिति की जानकरी थी। तथापि 2016 में नया अनुबंध करने से पहले पुराने उपकरणों को बदलने या मरम्मत करने के लिए कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। इस संबंध में समय पर कार्रवाई होने से जीवी स्टेशनों की पुनर्प्रतिस्थापना में विलंब से बचा जा सकता था।

मंत्रालय द्वारा यह स्वीकार करना कि रखरखाव के अभाव में ट्रांसमीटर क्षमता कम हुई, सीधे तौर पर लेखापरीक्षा अवलोकन का समर्थन करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि जीवी स्टेशनों का अपर्याप्त उपयोग और अंततः उनका बंद होना, रखरखाव संबंधी जिम्मेदारियों की प्रणालीगत उपेक्षा से उत्पन्न हुआ।

3.8.3 ज्ञान वाणी प्रसारण घंटों का कम उपयोग

ईएमपीसी की समीक्षा एवं पुनर्गठन समिति ने जुलाई 2014 में यह अवलोकन किया कि ज्ञान वाणी (जीवी) एफएम चैनलों का इष्टतम उपयोग नहीं हो रहा था तथा उपलब्ध 24 घंटों में से औसतन केवल 12 घंटों का ही वास्तविक उपयोग हो रहा था।

2001 के एमओयू अनुसार, प्रत्येक जीवी स्टेशन को 16 घंटे प्रतिदिन का प्रसारण करना था। तथापि, 2011-14 के दौरान, 37 स्टेशनों में से केवल पांच स्टेशनों ने यह लक्ष्य पूर्ण किया। 11 स्टेशनों ने 10-13 घंटे एवं 21 स्टेशनों ने प्रतिदिन केवल आठ घंटे प्रसारण किया जो व्यापक रूप से कम उपयोग को दर्शाता है।

इस अकुशलता को दूर करने के बजाय, 2016 के एमओयू ने कुछ स्टेशनों के लिए अनुबंधित प्रसारण घंटों को बिना किसी दस्तावेजी औचित्य के घटाकर मात्र चार घंटे कर दिया। 2023 तक 10 कार्यात्मक स्टेशनों[38] में से दो अपने संशोधित अनुबंधित घंटों से कम, दो बराबर एवं छः अधिक समय तक काम कर रहे थे, और यह सभी 8 से 13 घंटे की सीमा के भीतर ही थे। मार्च 2025 तक, तीनों कार्यात्मक स्टेशन प्रतिदिन 12-13 घंटे काम कर रहे थे।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2023) कि सीधा प्रसारण एवं प्री-रिकॉर्डेड कार्यक्रमों के लिए स्टूडियो सुविधाओं की कमी तथा प्रसार भारती की सुविधाओं/स्टूडियो की उपलब्धता जैसी बाधाओं के कारण प्रभावित परिचालन के साथ प्रतिदिन आठ घंटे का प्रसारण पर्याप्त माना गया। इग्नू ने बाद में सूचित किया (अप्रैल 2024) कि पर्याप्त परिचालन सामग्री उपलब्ध थी।

तथापि, प्रसारण घंटों में कमी या प्रसारण बढ़ाने के लिए किए गए कथित प्रयासों के लिए कोई सहायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि क्यों अलग-अलग स्टेशनों को अलग-अलग लक्ष्य दिए गए थे, विशेष रूप से तब जब 2001 के पहले के एमओयू में 16 घंटे वांछनीय माने गए थे।

38

स्टेशन	अनुबंधित घंटे	संचालन घंटे	स्टेशन	अनुबंधित घंटे	संचालन घंटे
बेंगलुरु	10	13	लखनऊ	16	8
कोचीन	6	12	मदुरई	8	13
दिल्ली	12	13	नागपुर	8	8
जालंधर	10	13	तिरुवनंतपुरम	14	13
जयपुर	8	8	चंडीगढ़	12	13

3.8.4 विलंबित भुगतान ब्याज देनदारी

2016 के एमओयू के खंड 5.5 (बी) के अनुसार इग्नू को इनवोइस के 90 दिनों के भीतर वार्षिक लाइसेंस शुल्क एवं ओ एंड एम प्रभारों का भुगतान करना अपेक्षित है, अन्यथा इनवोइस की तिथि से 10 *प्रतिशत* की दर से वार्षिक ब्याज लागू होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इग्नू ने भुगतान में विलंब किया एवं प्रसार भारती ने अप्रैल 2022 और अप्रैल 2023 के बीच विलंबित भुगतान ब्याज के रूप में ₹2.29 करोड़ की राशि के मांग-पत्र जारी किए। तकनीकी क्रय समिति (मई 2023) ने अनुशंसा की कि इग्नू इस ब्याज में छूट की मांग करे।

इग्नू ने अगस्त 2025 में पुष्टि की कि राशि का भुगतान नहीं किया गया था। यह एमओयू की शर्तों के गैर-अनुपालन को दर्शाता है एवं इग्नू पर परिहार्य वित्तीय देनदारी का भार डालता है।

3.8.5 जीवी स्टेशनों के अभ्यर्पण के बाद प्रसार भारती परिसर खाली करने में विलंब

2016 के एमओयू के खंड 5.5 के अनुसार, इग्नू पीबी परिसर खाली करने की तिथि तक पीबी को अवसंरचना के साझा करने हेतु लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। पीबी से इनवोइस केवल वास्तविक हस्तांतरण के बाद ही बंद किए जाने थे।

इग्नू ने अक्तूबर 2020 एवं फरवरी 2024 के बीच 34 ज्ञान वाणी (जीवी) स्टेशनों को अभ्यर्पित कर दिया तथा अगस्त 2025 तक 33 परिसर खाली कर दिए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन स्टेशनों में से 29 स्टेशनों को खाली करने में 18 दिनों से लेकर 19 महीनों तक का विलंब हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस शुल्क पर

₹7.56 करोड़[39] का परिहार्य व्यय हुआ। बेंगलुरु में जीवी स्टेशन के उपकरणों को हटाने एवं परिवहन का कार्य अगस्त 2023[40] में इसके अभ्यर्पण के दो वर्ष बाद भी प्रक्रियाधीन था।

अपने उत्तर में (अगस्त 2023), मंत्रालय/इग्नू ने बताया कि परिसर खाली करने में कई प्रक्रियात्मक चरण शामिल थे जिनमें संबंधित मंत्रालयों से अनुमोदन, आकाशवाणी और वायरलेस मॉनीटरिंग स्टेशनों के साथ समन्वय तथा ट्रांसमीटरों का निरीक्षण और ध्वंश प्रमाणन शामिल है। इग्नू ने निरीक्षण के लिए 4-6 महीने एवं ध्वंश प्रमाणन के लिए 6-12 महीने का समय बताया।

तथापि, स्पष्टीकरण तर्कसंगत नहीं है। सर्वप्रथम, जीवी स्टेशनों के अभ्यर्पण की प्रक्रिया अक्तूबर 2020 में शुरु हुई तथा इग्नू के पास निरंतर देनदारियों से बचने के लिए परिसर को समय पर खाली करने की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय था। दूसरा, एमओयू में स्पष्ट रूप से इग्नू को एमओयू समाप्ति के 90 दिनों के भीतर सभी उपकरण हटाने की आवश्यकता थी। तीसरा, इग्नू के अपने आंतरिक निर्देश (अक्तूबर 2019) में दो महीने के भीतर गैर-कार्यात्मक जीवी स्टेशनों से ट्रांसमीटरों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्ष ने यह भी पाया कि 25 मामलों में इग्नू ने परिसर खाली करने के 3 से 49 महीने बाद ध्वंश प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जो साइटों को खाली करने के बाद भी अत्यधिक विलंब को दर्शाता है।

---

39 इग्नू द्वारा 33 जीवी स्टेशनों के परिसरों को खाली करने में विलंब के कारण अक्तूबर 2020 से जून 2025 की अवधि के लिए प्रसार भारती को वास्तव में ₹9.90 करोड़ का भुगतान किया गया। हालांकि, 2016 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) में निर्धारित 90 दिनों की अवधि को संबंधित जीवी स्टेशनों के अभ्यर्पण की तिथि से बाहर रखा गया है। तदनुसार, लेखापरीक्षा ने ₹7.56 करोड़ पर टिप्पणी की है, जो 29 जीवी स्टेशनों से संबंधित है, जिन्हें इग्नू ने 90 दिनों से अधिक समय लेकर खाली किया।

40 इग्नू ने अगस्त 2023 में बेंगलुरु स्थित जीवी स्टेशन के अभ्यर्पण के बाद, फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए ₹9.95 लाख का लाइसेंस शुल्क अदा किया था। फरवरी 2024 के बाद प्रसार भारती द्वारा लाइसेंस शुल्क की कोई बकाया राशि का दावा नहीं किया गया है।

3.8.6 ज्ञान वाणी प्रसारण का मूल्यांकन

2008 की प्रतिवेदन सं. 3 के अध्याय III में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में, उच्च शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया (सितंबर 2011) कि ज्ञान वाणी (जीवी) एफएम स्टेशनों की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी श्रोता सर्वेक्षण किया जाएगा। ईएमपीसी की समीक्षा और पुनर्गठन समिति ने बाद में यह पाया (जुलाई 2014) कि इग्नू जीवी कार्यक्रम सामग्री या उसकी पहुंच पर उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया एकत्र करने में विफल रहा एवं पाठ्यक्रम-प्रासंगिक कार्यक्रम सामग्री का निर्माण नगण्य था।

तत्पश्चात, जून 2022 में इग्नू के राष्ट्रीय दूरस्थ नवाचार केंद्र द्वारा ज्ञान दर्शन टीवी और जीवी एफएम स्टेशनों के उपयोग पर एक अध्ययन किया गया, जिसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट जून 2023 में प्रस्तुत की गई। निष्कर्षों से पता चला कि अधिकांश छात्र और शैक्षणिक परामर्शदाता जीवी प्रोग्रामिंग से अनभिज्ञ थे एवं उन्होंने इसे नहीं सुना था। रिपोर्ट में अधिक जागरुकता एवं प्रचार, छात्र-पसंदीदा प्रसारण समय, बेहतर कार्यक्रम सामग्री डिजाइन एवं अंतर क्रियाशीलता तथा शैक्षणिक आवश्यकताओं में जीवी प्रसारणों के एकीकरण की अनुशंसा की गई थी।

उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि इग्नू नियमित रूप से जीवी परिचालनों की निगरानी एवं समीक्षा करता है तथा चार डीटीएच चैनलों; ज्ञान दर्शन टीवी एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम सामग्री प्रसारित करता है।

यद्यपि इग्नू के व्यापक प्रसार प्रयासों को स्वीकार किया गया है फिर भी 2023 के सर्वेक्षण में उजागर मुख्य चिंताओं का समाधान नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण की अनुशंसाओं के संभावित लाभ इस तथ्य तक सीमित हैं कि मार्च 2025 तक, 37 जीवी स्टेशनों में से 34 जीवी स्टेशनों को अभ्यर्पित कर दिया गया है एवं शेष तीन (दिल्ली, चंडीगढ़, मदुरै) मूल 10 किलोवाट क्षमता के सापेक्ष में कमशः 3 किलोवाट, 5 किलोवाट एवं 1.8 किलोवाट की कम ट्रांसमिशन क्षमता पर काम कर रहे हैं। यह मंत्रालय के मूल आश्वासन के एक दशक से अधिक समय बाद किए गए विलंबित मूल्यांकन के दीर्घकालिक रणनीतिक मूल्य पर सवाल उठाता है।

निष्कर्ष

इग्नू ने ज्ञान वाणी (जीवी) की दक्षता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एटीएन में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन पर कार्रवाई नहीं की। एमओयू के नवीकरण में लंबे समय तक अनिर्णय एवं विलंब के कारण 2014-16 की अवधि के लिए ₹23.57 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, जिसके दौरान कोई प्रसारण सेवा प्रदान नहीं की गई। ट्रांसमीटरों के व्यापक रखरखाव या प्रतिस्थापन के लिए एक परिभाषित नीति के अभाव में और 2016 में संशोधित एमओयू पर हस्ताक्षर में विलंब के कारण जीवी स्टेशनों में खराबी आई एवं परिचालन बंद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस एवं स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में ₹34.35 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। मार्च 2025 तक, इग्नू ने अपने 37 जीवी स्टेशनों में से 34 जीवी स्टेशनों को अभ्यर्पित कर दिया था एवं स्टेशनों को अभ्यर्पित करने के बाद 29 स्थानों पर परिसर खाली करने में विलंब के कारण ₹7.56 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, बेंगलुरु

3.9 राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, बेंगलुरु द्वारा प्रत्यायन प्रदान करने की लेखापरीक्षा तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रबंधन प्रणाली की सूचना प्रणाली की लेखापरीक्षा

भारत में युवा जनसंख्या का जनसांख्यिकीय लाभांश, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा प्रदान किए जाने वाले पर्याप्त कौशल और ज्ञान से अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करेगा। उच्च शिक्षा में प्रत्यायन, गुणवत्ता आश्वासन की एक प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करने के लिए सितंबर 1994 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। मार्च 2022 तक, 31.92 *प्रतिशत* उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्यायन प्राप्त था, लेकिन क्रमशः 56.26 *प्रतिशत* और 76.22 *प्रतिशत* विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को प्रत्यायन नहीं दिया गया था, जबकि वे पात्र थे।

यह देखा गया कि संस्थानों के प्रत्यायन की गति एवं प्रत्यायन के लिए निर्धारित लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम है, जिसमें

एचईआई में शासन में सुधार के लिए 15 वर्षों के भीतर सभी एचईआई को प्रत्यायन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। डेटा मान्यकरण और सत्यापन भागीदारों की सेवाओं का उपयोग करने में प्रत्यायन पद्धति के संचालन में अक्षमताएं देखी गईं। संबंधित हितधारक प्रत्यायन के बारे में सही सूचना प्राप्त करने में असमर्थ हैं, क्योंकि लगभग 559 एचईआई ने अपनी वेबसाइटों पर प्रत्यायन की स्थिति प्रदर्शित करना जारी रखा, जबकि उनकी प्रत्यायन वैधता समाप्त हो गई थी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली के संबंध में, सूचना सुरक्षा, परिवर्तन प्रबंधन/संस्करण नियंत्रण प्रक्रियाओं, उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण के दस्तावेजीकरण आदि में कमियां देखी गईं। एनएएसी ने अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं, तथापि, कुशल एवं मजबूत प्रत्यायन प्रणाली प्राप्त करने के लिए उनके दृष्टिकोण में और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

3.9.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 और कार्य योजना, 1992 में निहित विचारों के परिणामस्वरूप, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की गुणवत्ता में सुधार हेतु सितंबर 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना एचईआई के निष्पादन का मूल्यांकन करने एवं क्षेत्रों जैसे कि (i) पाठ्यचर्या पहलू; (ii) शिक्षण-अधिगम और मूल्यांकन; (iii) अनुसंधान, नवाचार और विस्तार; (iv) अवसंरचना और शिक्षण संसाधन; (v) छात्र सहायता और प्रगति; (vi) शासन, नेतृत्व और प्रबंधन, तथा (vii) संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम प्रथाएँ, के मूल्यांकन के आधार पर प्रमाणन प्रदान करने के लिए की गई थी।

मूल्यांकन किसी संस्थान और/या उसकी इकाइयों के निष्पादन का मूल्यांकन है एवं यह स्व-अध्ययन, छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण और निर्धारित गुणवत्ता मानकों का उपयोग करते हुए सहकर्मी समीक्षा पर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। प्रत्यायन, एनएएसी द्वारा दिए गए ग्रेड (जैसे: ए++, ए+ आदि) के साथ प्रमाणन को संदर्भित करता है, जो पाँच वर्षों की अवधि के लिए मान्य होता है। जब एक संस्थान

पहली बार प्रत्यायन प्रक्रिया से गुजरता है, तो उसे चक्र-एक और उसके बाद के पाँच वर्षों की अवधि को चक्र दो, तीन, इत्यादि कहा जाता है।

भौगोलिक रूप से फैले विविध संस्थानों की मूल्यांकन एवं प्रत्यायन (ए एंड ए) आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, एनएएसी ने एक संपूर्ण स्वचालन प्रक्रिया शुरू की है। संशोधित प्रत्यायन ढाँचा (आरएएफ) जुलाई 2017 में एनएएसी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईसीटी)[41] प्रणाली, अर्थात् राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रबंधन प्रणाली (एनएएएमएस) की शुरुआत के साथ ही लागू किया गया था। आरएएफ में दोनों मात्रात्मक मेट्रिक्स के सेट पर आधारित मात्रात्मक मूल्यांकन एवं गुणात्मक मेट्रिक्स के सेट पर आधारित गुणात्मक मूल्यांकन शामिल हैं तथा इसे ए एंड ए प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए तैयार किया गया था।

इस स्वचालन प्रक्रिया में शामिल मॉड्यूल में गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए संस्थागत सूचना (आईआईक्यूए), स्व-अध्ययन रिपोर्ट (एसएसआर), डेटा मान्यकरण और सत्यापन (डीवीवी), छात्रों की संतुष्टि सर्वेक्षण (एसएसएस), मूल्यांकनकर्ता प्रबंधन, सहकर्मी टीम चयन मॉड्यूल, ऑनसाइट सहकर्मी टीम का दौरा, कार्यकारी समिति और शासन (ईसी एंड जी) मॉड्यूल, अपील मॉड्यूल, वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (एक्यूएआर) मॉड्यूल, वित्त मॉड्यूल, संभार मॉड्यूल, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (आईएनएफएलआईबीएनईटी) मॉड्यूल और समस्या प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) मॉड्यूल शामिल हैं।

ए एंड ए मांगने वाले एचईआई को गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु संस्थागत सूचना (आईआईक्यूए) ऑनलाइन जमा करनी होती है। एचईआई द्वारा विधिवत दाखिल किए गए आईआईक्यूए को एनएएसी द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार किया जाएगा। आईआईक्यूए की स्वीकृति के बाद, संस्थान को स्व-अध्ययन रिपोर्ट (एसएसआर) भरने के लिए कहा जाता है। एसएसआर में मात्रात्मक और गुणात्मक मेट्रिक्स शामिल हैं। मात्रात्मक मेट्रिक्स पर प्रस्तुत डेटा को डेटा मान्यकरण और

[41] आईसीटी में सूचना के प्रबंधन एवं संचार में सहायता के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी तकनीकी साधन शामिल हैं। इसमें कम्प्यूटर, नेटवर्क हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर शामिल हैं।

सत्यापन (डीवीवी) भागीदारों की सहायता से सत्यापित किया जाता है तथा गुणात्मक मेट्रिक्स को सहकर्मी टीम के दौरों द्वारा सत्यापित किया जाता है। सहकर्मी टीम द्वारा रिपोर्ट जमा करने के बाद ग्रेड घोषित किए जाते हैं। ऑनलाइन ए एंड ए प्रक्रिया के उद्देश्य से हितधारकों के लिए कई डैशबोर्ड बनाए गए हैं।

3.9.2 संगठनात्मक ढांचा

एनएएसी अपनी महापरिषद/महासभा (जीसी) और कार्यकारी समिति (ईसी) के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें उच्च शिक्षा प्रणाली के विभिन्न वर्गों के शैक्षिक प्रशासकों, नीति निर्माताओं और वरिष्ठ शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एनएएसी की जीसी के अध्यक्ष होते हैं, जबकि ईसी के अध्यक्ष एक प्रख्यात शिक्षाविद होते हैं, जिन्हें जीसी के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। निदेशक एनएएसी के शैक्षणिक और कार्यकारी प्रमुख होते हैं एवं जीसी तथा ईसी, दोनों के सदस्य-सचिव भी होते हैं। एनएएसी के पास अपने प्रत्यायन कार्यों को पूर्ण करने के लिए सलाहकारों द्वारा समर्थित एक मुख्य कर्मचारी टीम है।

3.9.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

(i) पात्र एचईआई के प्रत्यायन कवरेज में चरणबद्ध ढंग से वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई गई है;

(ii) सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से संशोधित मूल्यांकन ढाँचा डेटा मान्यकरण एवं सत्यापन प्रक्रिया सहित कुशल था;

(iii) सहकर्मी टीम प्रबंधन और ग्रेड घोषणा प्रक्रिया नियम पुस्तक में परिकल्पित अनुसार थी। क्या समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एनएएसी द्वारा आवधिक निगरानी की जाती है;

(iv) आईसीटी मॉड्यूल को परिकल्पित रूप से डिज़ाइन और कार्यान्वित किया गया था; और

(v) अवसंरचना, दस्तावेज़ीकरण और सुरक्षा के संदर्भ में तकनीकी समाधान मज़बूत था।

2019-20 से 2021-22 तक एचईआई के प्रत्यायन और डेटा मान्यकरण प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा की गई। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रबंधन प्रणाली (एनएएएमएस) की आईटी लेखापरीक्षा में जुलाई 2017 में प्रणाली की शुरुआत से लेकर मार्च 2022 तक डिज़ाइन प्रणाली की कार्यक्षमता, तकनीकी वास्तुकला एवं लेनदेन के विश्लेषण का मूल्यांकन शामिल था। प्रणाली के डिज़ाइन और लेन-देन एवं सत्यापन के विश्लेषण की जाँच आईसीटी प्रणाली के डेटाबेस के संबंध में की गई एवं तकनीकी वास्तुकला के अध्ययन के लिए विश्वसनीय तृतीय पक्ष सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर भरोसा किया गया। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा उद्देश्यों के संबंध में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों/सूचना का विश्लेषण किया।

29 अगस्त 2022 को निदेशक एनएएसी के साथ प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां लेखापरीक्षा के उद्देश्यों और फोकस क्षेत्रों पर संक्षिप्त सूचना दी गई। 08 मई 2023 को निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया। निर्गम सम्मेलन के दौरान, एनएएसी के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों और ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुशंसाओं पर चर्चा की गई।

3.9.4 लेखापरीक्षा नमूना

लेखापरीक्षा के दौरान, वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए स्तरीकृत नमूनाकरण का उपयोग करते हुए 1,783 प्रत्यायन प्राप्त एचईआई में से 133 एचईआई का विस्तृत परीक्षण के लिए चयन किया गया, जैसा कि **तालिका 3.2** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.2: नमूना का चयन

वर्ष	प्रदान किए गए प्रत्यायनों की सं.	लेखापरीक्षा के लिए नमूना (सात *प्रतिशत*)
2019-20	734	45
2020-21	319	26
2021-22	701	56
श्रेणी 'डी' एचईआई (प्रत्यायन प्राप्त नहीं)	29	06
कुल	**1783**	**133**

मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन, और एनएएसी (एनएएएमएस) द्वारा नियोजित आईसीटी प्रणालियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नियोजन, प्रत्यायन ढाँचा और कार्यप्रणाली, परिचालन दक्षता, हितधारकों के लिए प्रत्यायन संबंधी सूचना की विश्वसनीयता एवं आईसीटी प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

3.9.5 नियोजन

यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों का अनिवार्य मूल्यांकन एवं प्रत्यायन), विनियम 2012 के खंड 4.1 के अनुसार, सभी एचईआई के लिए दो बैच उत्तीर्ण होने या छः वर्ष पूरे होने के बाद, जो भी पहले हो, एजेंसी या आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और कार्यप्रणाली के अनुसार, प्रत्यायन एजेंसी से प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, विनियमों का खंड 7.1 बताता है कि कोई भी एचईआई, उपरोक्त खंड 4.1 में परिभाषित निर्धारित अवधि के भीतर मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्राप्त किए बिना, आयोग की किसी भी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने या प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

यूजीसी (2012) ने सभी पात्र एचईआई के लिए प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया था। तत्पश्चात्, यूजीसी ने दिनांक 29 जनवरी 2015 के अपनी सार्वजनिक सूचना में उन सभी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों को एनएएसी प्रत्यायन के लिए

आवेदन करने के लिए 31 दिसंबर 2015 तक छूट देने का निर्णय लिया जिन्होंने आवेदन नहीं किया था। इसमें यह भी कहा गया था कि ऐसा न करने पर अप्रैल 2016 से यूजीसी द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद कर दी जाएगी। यूजीसी की 532वीं बैठक (मई 2018) में लिए गए निर्णय के अनुसार, एचईआई में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिदेश प्राप्त करने के उद्देश्यों में से एक यह था कि प्रत्येक संस्थान को 2022 तक 4 में से 2.5 के न्यूनतम प्राप्तांक के साथ एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त करना होगा।

3.9.5.1 लक्ष्य निर्धारित करना और कार्य योजना तैयार करना

एनएएसी महापरिषद (जीसी) ने दिनांक 29 मार्च 2019 को अपनी बैठक में 2,500 प्रत्यायनों का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया था। यह यूजीसी द्वारा मई 2018 में अपनी बैठक में घोषित लक्ष्य के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यह लक्ष्य 2022 तक एचईआई की सार्वभौमिक प्रत्यायन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अतिरिक्त, 2019-20 और 2023-24 के बीच की अवधि के लिए लक्ष्य प्राप्ति की *प्रतिशतता* 12.76 से 79.24 *प्रतिशत* के बीच रही, जैसा कि **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: प्रत्यायनों[42] का लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता में उपलब्धि
2019-20	2,500	734	29.36
2020-21	2,500	319	12.76
2021-22	2,500	701	28.04
2022-23*	2,500	1808	72.32
2023-24*	2,500	1981	79.24

*लेखापरीक्षा पूर्ण होने के बाद एनएएसी द्वारा की गई प्रगति

यद्यपि जीसी ने अपनी बैठकों में 2,500 प्रत्यायनों का लक्ष्य निर्धारित किया था लेकिन इस लक्ष्य की गैर-प्राप्ति पर विस्तार से विचार-विमर्श नहीं किया। इसने

[42] ये उपलब्धियां एनएएसी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार हैं।

एनएएसी को 2022 तक सार्वभौमिक प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। हालांकि, लेखापरीक्षा को ऐसी कोई कार्य योजना उपलब्ध नहीं कराई गई।

प्रत्यायन के आवश्यक कवरेज को 31 मार्च 2022 तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के संबंध में पात्र एचईआई की प्रत्यायन स्थिति के आधार पर समझा जा सकता है, जैसा कि **तालिका 3.4** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.4: एचईआई की प्रत्यायन की स्थिति

	संख्या	प्रत्यायन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र संख्या	एनएएसी द्वारा प्रत्यायित संख्या	प्रत्यायन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र लेकिन आवेदन न करने वालों की संख्या	प्रतिशतता लागू नहीं और प्रत्यायित नहीं
	(क)	(ख)	(ग)	(घ=ख-ग)	(ङ=((घ/ख*100))
विश्वविद्यालय	1235	910	398	512	56.26
कॉलेज	43796	35947	8547	27400	76.22

उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार 56.26 *प्रतिशत* और 76.22 *प्रतिशत* विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को क्रमशः प्रत्यायन प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि वे पात्र थे। 31 मार्च 2022 तक, कुल मिलाकर 45,031 एचईआई[43] में से 14,373 एचईआई[44], अर्थात् केवल 31.92 *प्रतिशत* को ही प्रत्यायित किया गया है। इस प्रकार, प्रत्येक संस्थान के प्रत्यायन का उद्देश्य अभी प्राप्त किया जाना शेष है क्योंकि प्रत्यायन के लिए आवेदन अभी भी स्वैच्छिक बना हुआ है। ऐसे गैर-प्रत्यायन प्राप्त एचईआई को उनके द्वारा वित्तपोषित वित्तीय सहायता को या तो बंद करने या यूजीसी द्वारा वित्तपोषित नहीं

[43] उपरोक्त तालिका का 1235+43796।

[44] ए एंड ए प्रक्रिया- अर्थात् सभी चक्रों सहित।

किए गए एचईआई को दंडित करने के लिए दंडात्मक खंडों[45] पर कोई प्रोत्साहन या अनिवार्य प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2022 तक प्रत्यायन की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की श्रेणियों के आधार पर विश्वविद्यालयों का एक विस्तृत विश्लेषण भी किया, जैसा कि **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: 31 मार्च 2022 तक विश्वविद्यालयों की प्रत्यायन स्थिति

विश्वविद्यालयों की श्रेणी	विश्वविद्यालयों की कुल संख्या (क)	एनएएसी से प्रत्यायित (ख)	प्रत्यायित किया जाना शेष (ग)	प्रत्यायन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं लेकिन आवेदन नहीं किया (घ)	प्रतिशतता में कमी [घx100/(ख+घ)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राष्ट्रीय महत्व का संस्थान	161	7	154	125	94.70
राज्य विश्वविद्यालय	460	173	287	173	50.00
निजी विश्वविद्यालय	430	69	361	195	73.86
केंद्रीय विश्वविद्यालय	56	43	13	7	14.00
मानित विश्वविद्यालय	128	106	22	12	10.17

यह देखा गया कि मार्च 2022 तक राष्ट्रीय महत्व के 161 संस्थानों में से केवल सात संस्थान एनएएसी द्वारा प्रत्यायित थे। उपरोक्त सूचीबद्ध श्रेणियों में, "निजी विश्वविद्यालयों" (73.86 *प्रतिशत* की कमी के साथ) का खंड उच्च जोखिम वाला है क्योंकि प्रत्यायन रेटिंग के अतिरिक्त पाठ्यक्रम, शिक्षण, अधिगम, मूल्यांकन, अवसंरचना और अधिगम के संसाधनों, छात्र सहायता आदि जैसे क्षेत्रों के संबंध में इन संस्थानों पर सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होता है।

जब लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किया गया तो एनएएसी ने निम्नवत बताया (फरवरी/जुलाई 2024/मार्च 2025)।

[45] यूजीसी की दिनांक 29 जनवरी 2015 की सार्वजनिक सूचना और उसके बाद के निर्देशों में।

- *यह केवल एक गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी है और एनएएसी उन संस्थानों को प्रत्यायित करता है जो इसकी मूल्यांकन एवं प्रत्यायन (ए एंड ए) प्रक्रिया के लिए स्वैच्छिक रूप से आवेदन करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया है कि एचईआई की ए एंड ए प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित व्यापक समिति की अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताओं में बुनियादी (बाइनरी) प्रत्यायन की शुरुआत के अतिरिक्त मार्गदर्शन और सहायता के माध्यम से ग्रामीण और सुदूर स्थित संस्थानों पर प्रत्यायन के लिए विशेष ध्यान देना शामिल है। एनईपी और व्यापक समिति की अनुशंसाओं के अनुसार, पूरी ए एंड ए प्रक्रिया की पुनः समीक्षा एवं पुनः डिजाइन किया गया है। एनएएसी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया कि उन्होंने वर्ष 2022-23 (1808) और 2023-24 (1981) में एचईआई के प्रत्यायनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की है एवं पहले ही 2,471 एचईआई को प्रत्यायित किया गया है (6 मार्च 2025 तक), जो 2,500 प्रत्यायन के लक्ष्य के निकट है।*
- *राष्ट्रीय स्तर पर, यूजीसी ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12बी*[46] *के अंतर्गत प्रत्यायन के लिए पात्र बनाने हेतु शैक्षणिक संस्थानों के लिए एनएएसी ग्रेडिंग को अनिवार्य बना दिया था।*
- *इसके अतिरिक्त, यूजीसी की परामर्श योजना, एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों को मार्गदर्शन प्रदान करने एवं एचईआई में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इस योजना के अंतर्गत, यूजीसी ने कुछ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का चयन किया है जो एनएएसी मानकों को पूरा करते हैं। चयनित विश्वविद्यालय और कॉलेज (जिन्हें 'मार्गदर्शक' संस्थान कहा जाता है) ऐसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे जो एनएएसी मानकों को पूरा नहीं करते हैं।*
- *संस्थान पर आगे आने एवं एनएएसी से प्रत्यायन प्राप्त करने की ज़िम्मेदारी है। हालांकि, एनएएसी नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम, प्रायोजित सेमिनार (वित्तीय और शैक्षणिक रूप से) आयोजित करता रहा है, जिससे एचईआई को*

---

46 धारा 12बी के अंतर्गत सूचीबद्ध होने से एचईआई संघ सरकार या केंद्र से निधियां प्राप्त करने वाले किसी संगठन से सहायता के लिए पात्र हो जाते हैं।

एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। एनएएसी द्वारा की गई इन पहलों के परिणाम 2022-23 और 2023-24 में देखे गए हैं।

यूजीसी ने सूचित किया (मार्च 2025) कि 36,926 पात्र एचईआई (31 मार्च 2022 तक) ने एनएएसी प्रत्यायन के लिए आवेदन नहीं किया है जबकि यूजीसी ने अपनी 562वीं आयोग की बैठक (28 अक्तूबर 2022) में निर्णय लिया था कि यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12बी के अंतर्गत प्रत्यायन के लिए पात्र बनने हेतु एचईआई के लिए एनएएसी प्रत्यायन अनिवार्य है। जिन एचईआई को पहले ही 12बी का दर्जा दिया जा चुका है, उन्हें यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12बी के अंतर्गत अपनी मान्यता बनाए रखने हेतु एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु अधिकतम पांच वर्ष का समय दिया गया है।

यह देखा गया कि आगामी वर्षों (2022-23, 2023-24 और 2024-25) में लक्ष्य प्राप्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हालांकि, नियोजन प्रक्रिया में सुधार के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

- एचईआई में शासन में सुधार के लिए 15 वर्षों के भीतर सभी एचईआई को प्रत्यायन देने के लिए एनईपी 2020 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में यह लक्ष्य अभी भी कम है। प्रति वर्ष 2500 प्रत्यायन का लक्ष्य, वर्ष 2035 के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रत्यायित किए जाने वाले एचईआई की संख्या (46,641[47]) को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। इस संख्या में वे प्रत्यायित एचईआई शामिल नहीं हैं जो अगले 15 वर्षों में प्रत्यायन के लिए पात्र हो जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त, एनएएसी ने अभी तक सार्वभौमिक प्रत्यायन के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई है।
- यूजीसी अधिनियम के गैर 12बी संस्थानों के लिए कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं।

[47] उच्च शिक्षा पर नवीनतम अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट (2021-22) के अनुसार, 46,641 एचईआई यूजीसी के साथ पंजीकृत हैं।

- यूजीसी की परामर्श योजना भी सफल नहीं रही क्योंकि वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान मार्गदर्शक संस्थानों पर ₹20.46 करोड़ का व्यय करने के बावजूद लक्षित 1,011 एचईआई में से केवल 61 एचईआई को ही प्रत्यायन दिया गया।
- इसके अतिरिक्त, एनएएसी के उत्तर (मार्च 2025) के अनुसार, केवल 11,581 एचईआई को ही प्रत्यायित किया गया है, जो कुल एचईआई का केवल 25.71 *प्रतिशत*[48] है।

अनुशंसा: मंत्रालय यूजीसी को कार्य योजना तैयार करने एवं बुनियादी (बाइनरी) प्रत्यायन ढाँचे तथा एनईपी 2020 के अनुसार 2035 तक सभी एचईआई को प्रत्यायन के राष्ट्रीय लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, एनएएसी द्वारा सार्वभौमिक प्रत्यायन हेतु यथार्थवादी, समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश जारी कर सकता है। मंत्रालय, एचईआई को प्रत्यायन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना पर भी विचार कर सकता है। अनुपालन न करने वालों के लिए, उचित समय बीतने के बाद दंडात्मक प्रक्रिया पर भी विचार किया जा सकता है। एचईआई की सार्वभौमिक प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए यूजीसी, एनएएसी, एचईआई और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

3.9.6 प्रत्यायन ढांचा और कार्यप्रणाली

संशोधित प्रत्यायन ढांचा (आरएएफ) को एनएएसी आईसीटी प्रणाली, अर्थात् राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रबंधन प्रणाली (एनएएएमएस) के साथ जुलाई 2017 में एक साथ प्रस्तुत किया गया था। आईसीटी समाधान के कार्यान्वयन पर अन्य परिणामों के साथ निम्नलिखित परिणामों की परिकल्पना भी की गई थी:

(i) सभी एचईआई के लिए शीघ्र प्रत्यायन एवं उसके बाद के प्रत्यायन चक्रों का समर्थन करने की क्षमता,

(ii) लेन-देन का समय कम करना,

(iii) परिचालन दक्षता में सुधार,

---

48 11581 (पहले चक्र में मार्च 2025 तक)/45031 (31/3/2022 तक)*100

(iv) उत्पादकता में वृद्धि,

(v) प्रतीक्षा समय और अनिश्चितता में कमी तथा

(vi) परिचालन लागत में कमी।

3.9.6.1 कवरेज पर प्रभाव

संशोधित प्रत्यायन ढांचे की शुरूआत से पहले और बाद में एचईआई के प्रत्यायन की संख्या **तालिका 3.6** और **तालिका 3.7** में दी गई है।

तालिका 3.6: आरएएफ की शुरूआत से पहले प्रदान किए गए प्रत्यायन

वर्ष	एचईआई की कुल प्रत्यायन संख्या
2014-15	854
2015-16	1,285
2016-17	1,641
कुल	**3,780**

तालिका 3.7: आरएएफ की शुरूआत के बाद प्रदान किए गए प्रत्यायन

वित्तीय वर्ष	एचईआई की कुल प्रत्यायन संख्या
2017-18	999
2018-19	824
2019-20	734
2020-21	319
2021-22	701
2022-23	1808
2023-24	1981
कुल	**7366**

यह देखा गया कि 31 मार्च 2022 तक ₹3.52 करोड़ की कुल लागत से आरएएफ की शुरूआत एवं ऑनलाइन आईसीटी के कार्यान्वयन के बावजूद एचईआई के प्रत्यायन की संख्या में सुधार नहीं हुआ है, बल्कि 16.51 *प्रतिशत* (औसत)[49] की कमी आई है (कार्यान्वयन चरण और एएमसी की लागत शामिल है)।

उत्तर (फरवरी 2023/मार्च 2025) में, एनएएसी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया कि 2020-21 और 2021-22 में कोविड-19 महामारी के कारण मूल्यांकन एवं

[49] वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए प्रत्यायन का औसत 1260 है, वर्ष 2017-18 से 2023-24 के लिए प्रत्यायन का औसत 1052 है, इसलिए कमी 16.51 *प्रतिशत* है।

प्रत्यायन के लिए कम संस्थानों ने आवेदन किया। इसलिए, एनएएसी ने इस अवधि के दौरान उन एचईआई को विस्तार दिया है जिन्होंने आगामी चक्रों के लिए एसएसआर प्रस्तुत किया था।

यदि, कोविड वर्ष (2020-21 और 2021-22) के प्रभाव पर विचार न किया जाए, तो भी 2017-18 और 2018-19 में प्रत्यायन की संख्या क्रमशः 999 और 824 थी, जो कि पूर्व-आरएएफ अवधि में किए गए औसत प्रत्यायनों से 20.71 और 34.60 *प्रतिशत* कम थी।

3.9.6.2 प्रत्यायन का प्रतिवर्तन काल पर प्रभाव

आईसीटी के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य "मूल्यांकन एवं प्रत्यायन के लिए प्रतिवर्तन काल को कम करना" परिकल्पित किया गया था। मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया के संबंध में नियम पुस्तक, स्व-अध्ययन रिपोर्ट (एसएसआर)[50] प्रस्तुत करने के बाद निम्नलिखित समयसीमा निर्दिष्ट करता है:

- डेटा मान्यकरण और सत्यापन (डीवीवी)[51] प्रक्रिया सामान्यतः 30 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
- जो एचईआई डीवीवी प्रक्रिया में सफल होते हैं, उनका दौरा एक सहकर्मी टीम द्वारा पूर्व-योग्यता के साथ जाएगा कि डीवीवी प्रक्रिया के अंतिम प्राप्तांक के अनुसार, एचईआई को मात्रात्मक मेट्रिक्स में कम से कम 25 *प्रतिशत* अंक प्राप्त करने होंगे। एचईआई का सहकर्मी टीम का दौरा पूर्व-योग्यता चरण की समाप्ति के तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।

---

[50] एएंडए की अपेक्षा करने वाले एचईआई को गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु संस्थागत सूचना (आईआईक्यूए) ऑनलाइन जमा करनी होगी। एचईआई द्वारा विधिवत दाखिल आईआईक्यूए को आगे की प्रक्रिया के लिए एनएएसी द्वारा स्वीकार किया जाएगा। आईआईक्यूए की स्वीकृति के बाद, संस्थान को स्व-अध्ययन रिपोर्ट (एसएसआर) भरने के लिए कहा जाएगा। एसएसआर में मात्रात्मक और गुणात्मक मेट्रिक्स शामिल हैं। मात्रात्मक मेट्रिक्स पर प्रस्तुत डेटा को डेटा सत्यापन और सत्यापन (डीवीवी) भागीदारों की सहायता से सत्यापित किया जाता है और गुणात्मक मेट्रिक्स को सहकर्मी टीम के दौरों द्वारा सत्यापित किया जाता है।

[51] डीवीवी प्रक्रिया, स्व-अध्ययन रिपोर्ट (एसएसआर) में शामिल मात्रात्मक मेट्रिक्स पर संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का एक तृतीय पक्ष सत्यापन और मान्यकरण कार्य है।

एनएएसी ने दिशानिर्देशों में प्रत्यायन प्रक्रिया के लिए कुल समयसीमा तय नहीं की है। जुलाई 2018 से सितंबर 2022 तक की अवधि के आंकड़ों से, जहाँ प्रत्यायन पूरे हुए थे एवं ग्रेड घोषित किए गए थे, से पता चला कि 2,485 मामलों में स्व-अध्ययन रिपोर्ट (एसएसआर) प्रस्तुत करने से लेकर ग्रेड घोषित करने तक की औसत अवधि 242 दिन थी। इसके अतिरिक्त, 1,868 मामलों (2,485 मामलों का 75 *प्रतिशत*) में, एसएसआर प्रस्तुत करने की तिथि से ग्रेड घोषित करने में 150 दिनों[52] से अधिक का समय लगा।

इस प्रकार, यह देखा गया है कि आईसीटी प्रणाली की शुरूआत के चार वर्ष बाद भी एनएएसी ए एंड ए प्रक्रिया के लिए प्रतिवर्तन काल को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया है।

एनएएसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2023/फरवरी 2024/मार्च 2025) में बताया कि वर्ष 2018 और 2019 में प्रणाली स्थिरीकरण चरण में थी जहां विभिन्न मॉड्यूल विकसित, संचालित एवं प्रमोचित किए गए थे। वर्ष 2020 में जब प्रणाली ने पूरी तरह से काम करना शुरू किया, तो कोविड-19 ने मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया को प्रभावित किया जिससे प्रक्रिया की समयसीमा प्रभावित हुई। अनुबंध के अनुसार, परियोजना की परिकल्पना वाटरफॉल मॉडल के साथ की गई थी। लेकिन मंत्रालय के निर्देशानुसार विकास के दृष्टिकोण में बदलाव किया गया और जुलाई 2017 से आईआईक्यूए (गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए संस्थागत सूचना) मॉड्यूल प्रमोचित किया गया। एसआरएस में कार्यान्वयन पूर्ण होने तक कई बदलाव हुए हैं। इसके अतिरिक्त, इसने ए एंड ए प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगने वाले दिनों की संख्या को कम करने के लिए आवश्यक पहल की है तथा 01 जुलाई 2024 से, एनएएसी ने ए एंड ए प्रक्रियाओं के लिए नए आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया है एवं ए एंड ए प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में मौजूदा आवेदनों को समयसीमा के भीतर पूरा करने की प्रक्रिया में है।

उत्तर पर पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि वर्ष 2018-19 और 2019-20 में क्रमशः 226 और 522 मामलों में एसएसआर प्रस्तुत करने के बाद प्रत्यायन प्रक्रिया में

[52] डीवीवी प्रक्रिया के लिए 30 दिनों की समयसीमा, सहकर्मी टीम दौरा प्रक्रिया के लिए अधिकतम 90 दिनों तथा ग्रेड घोषणा के लिए 30 दिनों का बफर देने पर विचार करते हुए, ग्रेड घोषणा में विलंब का आकलन 150 दिनों के बाद किया गया है।

150 दिनों से अधिक का समय लगा। यहां तक कि 2021-22 में 752 मामलों की प्रत्यायन प्रक्रिया में 150 दिनों से अधिक का समय लगा, जिसमें विलंब की सीमा 151 से 485 दिनों की थी। इसके अतिरिक्त, आईसीटी प्रणाली के कार्यान्वयन में विलंब मुख्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि एनएएसी ने अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरी तरह से तय नहीं किया था, और आरएएफ के साथ-साथ आईसीटी प्रणाली के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया।

अनुशंसा: एनएएसी अपने दिशानिर्देशों में प्रत्यायन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कुल समयसीमा तय कर सकता है एवं एनएएएमएस के कार्यान्वयन में सीखे गए सबक और पाई गईं कमियों के आधार पर बुनियादी (बाइनरी) प्रत्यायन के कार्यान्वयन के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकता है।

3.9.7 परिचालन दक्षता

मूल्यांकन प्रक्रिया में एचईआई द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का सत्यापन और सहकर्मी टीम का दौरा शामिल है। एचईआई द्वारा प्रस्तुत आंकड़े सात मानदंडों पर आधारित होते हैं एवं प्रत्येक मानदंड के प्रमुख संकेतक होते हैं तथा जिन्हें आगे मेट्रिक्स के रूप में बताया गया है। प्रमुख संकेतक को मात्रात्मक मेट्रिक्स और गुणात्मक मेट्रिक्स में बांटा गया है। मात्रात्मक मेट्रिक्स पर प्रस्तुत आंकड़ों का सत्यापन डेटा मान्यकरण और सत्यापन (डीवीवी) भागीदारों की सहायता से किया जाता है तथा गुणात्मक मेट्रिक्स का सत्यापन सहकर्मी टीम के दौरे द्वारा किया जाता है।

एनएएसी द्वारा एक समन्वय समिति (डीवीवी सेल) का गठन इस औचित्य के साथ किया गया कि (i) डीवीवी भागीदारों के काम के कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता थी अर्थात् डीवीवी भागीदारों द्वारा कुछ मैट्रिक्स को समझना (ii) डीवीवी भागीदारों द्वारा बार-बार की गई त्रुटियों से बचना (iii) डीवीवी भागीदारों के कर्मियों को प्रशिक्षित करना और (iv) डीवीवी भागीदारों को सौंपे गए कार्य को पूर्ण करने में लगने वाले समय को कम करना।

आरंभ में छः महीने की अवधि के लिए एक सलाहकार और तीन परियोजना कर्मचारियों से युक्त डीवीवी सेल के गठन के लिए एनएएसी के प्रस्ताव को ईसी (अगस्त 2018) द्वारा अनुमोदित किया गया था। तीन सलाहकारों और 10 परियोजना कर्मचारियों के साथ डीवीवी सेल को सुदृढ़ करने के लिए एनएएसी का प्रस्ताव यूजीसी (अप्रैल 2019) को भेजा गया था, निर्णय प्रतीक्षित है।

डीवीवी सेल, डीवीवी भागीदार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करता है एवं डीवीवी भागीदार द्वारा विभिन्न मेट्रिक्स को दिए गए मूल्यों पर डीवीवी भागीदार को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। इसके बाद डीवीवी भागीदार डीवीवी सेल की अनुशंसाओं पर अपने द्वारा की गई कार्रवाई को सूचित करता है। डीवीवी भागीदार द्वारा दिए गए अंतिम इनपुट और आईसीटी द्वारा विभिन्न मानदंडों के लिए मुख्य मेट्रिक्स और वेटेज के आधार पर, प्रणाली प्रत्येक मानदंड पर समग्र प्राप्तांक तैयार करती है।

3.9.7.1 डेटा वैधता और सत्यापन

डीवीवी सेल की भूमिका एसएसआर के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की समीक्षा करना था, जैसा कि डीवीवी भागीदारों द्वारा किया जाता था, जहां भी आंतरिक इकाई और डीवीवी भागीदारों के बीच महत्वपूर्ण उपयोग थे या जब भिन्नताएं निर्धारित *प्रतिशत* से अधिक थीं।

तथापि, यह पाया गया कि एचईआई द्वारा प्रस्तुत मात्रात्मक मेट्रिक्स के डेटा सत्यापन, जिसे डीवीवी भागीदार द्वारा किया गया था, वह आगे 100 *प्रतिशत* जाँच के अधीन था अर्थात्, सभी मामलों में डीवीवी सेल द्वारा पूरी तरह से पुनः जाँच किए गए थे। डीवीवी भागीदारों द्वारा किए गए मूल्यांकन और किए गए व्यय का विवरण **तालिका 3.8** में दिया गया है।

तालिका 3.8: डीवीवी भागीदारों द्वारा मूल्यांकन

क्रम सं.	वर्ष	डीवीवी भागीदारों द्वारा किए गए जांच मूल्यांकनों की सं.	डीवीवी भागीदारों को अदा की गई राशि (राशि ₹ में)	ऐसे मामलों की सं. जहां डीवीवी समन्वय समिति ने मूल्यांकन की पुनः जांच की
1.	2019-20	693	78,80,040	693
2.	2020-21	334	34,03,260	334
3.	2021-22	907	76,89,900	907
	कुल	**1,934**	**1,89,73,200**	**1,934**

इस प्रकार, वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान डीवीवी सेल द्वारा सभी मामलों की शत-प्रतिशत समीक्षा और दोनों के बीच बड़े उपयोग के कारण, डीवीवी भागीदारों का कार्य निष्फल हुआ और डीवीवी भागीदारों को भुगतान के प्रति किया गया ₹1.90 करोड़ का व्यय परिहार्य था। आगे यह भी पाया गया कि

- डीवीवी भागीदार द्वारा प्रारंभ में प्रदान किए गए मूल्यों (अर्थात् डीवीवी सेल द्वारा "निगरानी तंत्र" से पहले प्रदान किए गए मूल्य) का कोई अभिलेख नहीं था क्योंकि डीवीवी सेल की अनुशंसा के आधार पर डीवीवी भागीदारों द्वारा आवंटित केवल संशोधित मूल्य ही आईसीटी प्रणाली में दर्ज किए जाते हैं।

- यद्यपि डीवीवी भागीदारों का चयन तकनीकी मूल्यांकन के बाद किया गया था और उन्हें इस प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था, फिर भी डीवीवी भागीदारों और डीवीवी सेल के बीच मेट्रिक्स में मूल्यों के आवंटन में अंतर बना रहा। इसका अर्थ यह है कि डीवीवी भागीदारों ने अपेक्षानुसार निष्पादन नहीं किया। लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत 108 मामलों की जाँच से इसकी पुष्टि हुई क्योंकि यह देखा गया था कि डीवीवी भागीदारों और डीवीवी सेल द्वारा 80 *प्रतिशत* से अधिक एचईआई में किए गए मूल्यांकन में सहमति नहीं थी। 96 एचईआई के संबंध में लगभग 20 मेट्रिक्स में औसतन विचलन के साथ एक मीट्रिक से 74 मेट्रिक्स के बीच के विचलन पाए गए थे।

- वर्ष 2020 के दौरान, एनएएसी ने एक सलाहकार की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा 10 मानदंडों पर डीवीवी भागीदार के निष्पादन का मूल्यांकन करने के

लिए एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की और निष्कर्ष यह था कि मूल्यांकन किए गए पांच डीवीवी भागीदारों में से केवल एक भागीदार ने 5-अंक के पैमाने पर 2.63 का सीजीपीए प्राप्त किया और अन्य सभी भागीदारों ने सीजीपीए के 50 *प्रतिशत* से कम प्राप्त किया, जो यह दर्शाता है कि डीवीवी भागीदार एनएएसी के प्रत्याशित परिणाम प्रदान करने में सक्षम नहीं थे।

- एनएएसी ने डीवीवी प्रक्रिया के लिए 30 दिनों की समयसीमा निर्धारित की है। यह पाया गया कि नमूना-जाँच किए गए 127 मामलों में से 125 में डीवीवी प्रक्रिया पूरी होने में विलंब हुआ, शीर्ष तीन डीवीवी भागीदारों, जिन्हें लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सबसे अधिक संख्या में डीवीवी सत्यापन सौंपे गए और उनके द्वारा सत्यापन पूरे किए, उनके विलंब की अवधि नीचे **तालिका 3.9** में दर्शाई गई है।

तालिका 3.9: डीवीवी भागीदारों द्वारा कार्य पूर्ण करने में विलंब (127 में से 125 नमूना जांचे गए मामले)

डीवीवी प्रक्रिया के पूर्ण होने में विलंब	एचईआई की सं.	सीआरआई एसआईएल	निटकॉन लिमिटेड	आईसीआरए	अन्य
<30 दिन	34	18	2	8	06
30 दिन से 60 दिन	25	8	5	1	11
60 दिन से 90 दिन	14	3	0	1	10
90 दिन से 120 दिन	17	5	3	1	8
120 दिन और उससे अधिक	35	4	10	5	16

(क) ग्रेड की घोषणा पर प्रभाव

एनएएसी ने दिशानिर्देशों में स्व-अध्ययन रिपोर्ट से लेकर ग्रेड घोषणा तक की प्रत्यायन प्रक्रिया के लिए समग्र समयसीमा निर्धारित नहीं की है। हालांकि, डीवीवी प्रक्रिया के लिए 30 दिनों की समयसीमा, सहकर्मी टीम के दौरे की प्रक्रिया के लिए अधिकतम 90 दिनों की समयसीमा और ग्रेड घोषणा के लिए 30 दिनों का बफर समय देते हुए,

ग्रेड घोषणा में विलंब का आकलन 150 दिनों के बाद किया गया है, जैसा कि **तालिका 3.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.10: ग्रेड घोषणा में विलंब (127 में से 98 नमूना जांच किए गए मामले)

ग्रेड घोषणा में विलंब (150 दिनों से अधिक के मामले)	एचईआई की सं.				
	सीआरआईएसआईएल	निटकॉन लिमिटेड	आईसीआरए	अन्य	कुल
151 से 180 दिन	3	4	2	8	17
181 दिन से 360 दिन	10	11	3	19	43
361 दिन और उससे अधिक	10	3	7	18	38
कुल	**23**	**18**	**12**	**45**	**98**

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि इन सभी 98 एचईआई (नमूना जाँच किए गए 127 मामलों में से) के संबंध में, जहाँ ग्रेड घोषणा प्रक्रिया में 151 दिनों से अधिक का विलंब हुआ वहाँ डीवीवी प्रक्रिया में भी विलंब हुआ। इस प्रकार, डीवीवी प्रक्रिया के पूर्ण होने में विलंब, ए एंड ए प्रक्रिया के पूर्ण होने और एचईआई के ग्रेड की घोषणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारणों में से एक है।

(ख) डीवीवी भागीदारों को एचईआई सौंपना

सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देश के अनुसार, डीवीवी भागीदारों को स्व-अध्ययन रिपोर्ट चक्र-स्पर्धा आधार पर सौंपा जाता है। आईसीटी प्रणाली के अनुसार, 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए डीवीवी भागीदारों और डीवीवी भागीदारों को एचईआई सौंपने का विवरण **तालिका 3.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11: डीवीवी भागीदारों को एचईआई सौंपना

डीवीवी भागीदार[53]	अनुबंध अवधि		कुल एचईआई सौंपे गए		
	से	तक	2019-20	2020-21	2021-22
सीआरआईएसआईएल	23.01.2019	21.02.2023	240 (1)	212 (52)	504 (158)
आईसीआरए प्रबंधन और परामर्श सेवा लिमिटेड	23.01.2019	22.02.2021	227 (22)	85 (13)	लागू नहीं

53 लगभग पूरे वर्ष की अनुबंध अवधि वाले डीवीवी भागीदारों को लिया गया है।

डीवीवी भागीदार[53]	अनुबंध अवधि		कुल एचईआई सौंपे गए		
	से	तक	2019-20	2020-21	2021-22
निटकॉन लिमिटेड	23.01.2019	21.02.2023	177 (7)	202 (83)	196 (67)
एथेना इन्फोनॉमिक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	23.01.2019	02.02.2021	213 (56)	71 (60)	लागू नहीं
वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक प्रा.लिमिटेड	16.08.2018	02.02.2021	136 (1)	70 (19)	लागू नहीं
प्रोमार्क सॉफ्टवेयर प्रा. लिमिटेड	18.02.2021	17.03.2023	शून्य	शून्य	408 (8)
एड्वांटेज प्रा.लिमिटेड	22.02.2021	21.02.2023	शून्य	2 (0)	314 (246)
कोलांथ एंड कंपनी	22.02.2021	21.02.2023	शून्य	शून्य	164 (6)
कुल			**993 (87)**	**642 (227)**	**1586 (485)**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े फर्म द्वारा अस्वीकृत मामलों की संख्या को दर्शाते हैं।

ये आँकड़े दर्शाते हैं कि कार्य सौंपने के लिए चक्र स्पर्धा आधार प्रणाली के प्रयोग के बावजूद, डीवीवी भागीदारों, विशेष रूप से सीआरआईएसआईएल और प्रोमार्क सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के बीच एचईआई का असमान वितरण हुआ था। एक डीवीवी (सीआरआईएसआईएल) के मामले में असमानता के विशलेषण का उदाहरण इस प्रकार है:

- 2019-20 के दौरान, प्रति भागीदार अपेक्षित एचईआई 181 [(993-87)/5] होने चाहिए थे, लेकिन, सीआरआईएसआईएल को आवंटित एचईआई की सं. 239 (औसत से 32 *प्रतिशत* अधिक) थी।
- 2020-21 के दौरान, प्रति भागीदार अपेक्षित एचईआई 83 [(642-227)/5] होने चाहिए थे, लेकिन, सीआरआईएसआईएल को आवंटित एचईआई की सं. 160 (औसत से 92 *प्रतिशत* अधिक) थी।
- इसी प्रकार से, 2021-22 के दौरान, प्रति भागीदार अपेक्षित एचईआई 220 [(1586-485)/5] होने चाहिए थे, लेकिन, सीआरआईएसआईएल को आवंटित

एचईआई की सं. 364 (औसत से 65 *प्रतिशत* अधिक) थी एवं प्रोमार्क प्राइवेट को 400 एचईआई (औसत से 82 *प्रतिशत* अधिक) आवंटित किया गया था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एचईआई को डीवीवी भागीदारों को सौंपने में एकरूपता नहीं है एवं कार्य सौंपने की प्रक्रिया निर्धारित चक्र स्पर्धा आधार के अनुसार नहीं है।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर एनएएसी ने (फरवरी 2024/मार्च 2025) निम्नलिखित बताया:

- *डीवीवी प्रक्रिया को एनएएसी ए एंड ए प्रक्रिया में नया-नया शुरू किया गया था। एनएएसी ने डीवीवी भागीदारों द्वारा मूल्यांकन में होने वाली विभिन्न त्रुटियों को दूर करने के लिए एक समन्वय समिति की स्थापना की थी क्योंकि यह उनके लिए भी नया था। पिछले कुछ वर्षों से, डीवीवी भागीदारों को एनएएसी अधिकारियों द्वारा निरंतर प्रशिक्षित किया जाता रहा है एवं उन्होंने मान्यकरण और सत्यापन प्रक्रिया को समझ लिया था जिससे उनकी ओर से होने वाली त्रुटियाँ कम हुई हैं। एनएएसी ने अब डीवीवी सेल की भूमिका समाप्त कर दी है तथा डीवीवी भागीदारों के रूप में निजी फर्मों की भागीदारी को कम कर दिया है।*
- *डीवीवी भागीदारों के नामांकन के बाद, उन्हें कुछ (एक या दो) एचईआई के साथ प्रशिक्षित किया जाता है और बाद में एसएसआर का नियमित कार्य सौंपा जाता है जो केवल "चक्र स्पर्धा आधार" पर होता है। इसमें एकरूपता है एवं एचईआई का डीवीवी भागीदारों को मनमाने तरीके से कार्य नहीं सौंपा गया है। डीवीवी भागीदारों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार संस्थान के प्रकार के आधार पर एसएसआर आवंटित किए गए हैं।*
- *निष्पादन और विभिन्न प्रकार के एचईआई भी डीवीवी भागीदारों को एसएसआर कार्य सौंपने का एक अन्य कारण है।*
- *डीवीवी भागीदारों के पास उन्हें सौंपे गए एसएसआर को अस्वीकार करने का विकल्प है। एक भागीदार द्वारा एक बार अस्वीकृत किए जाने के बाद, इसे चक्र स्पर्धा आधार पर अगले डीवीवी भागीदार को सौंप दिया जाएगा।*

> *कोविड-19 के कारण, एक वर्ष में अलग-अलग समय पर कई एसएसआर अस्वीकृत किए गए और इसके कारण वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान डीवीवी भागीदारों के बीच एसएसआर कार्य सौंपने में असंतुलन हुआ।*

निम्नलिखित कारणों से उत्तर पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

- सीआरआईएसआईएल, निटकॉन, आईसीआरए, एडुवांटेज और प्रोमार्क सॉफ्टवेयर प्राइवेट को अन्य की तुलना में अधिक एचईआई प्राप्त हुए हैं। एनएएसी और डीवीवी भागीदारों के बीच व्यावसायिक सेवा अनुबंध के खंड 2.2 के अनुसार, सभी डीवीवी भागीदारों को समान संख्या में एचईआई का आवंटन किया जाना था। इसके अतिरिक्त, एनएएसी ने स्वयं बताया है कि डीवीवी भागीदारों के निष्पादन और उनकी क्षमता के आधार पर संस्थानों के प्रकार के पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए डीवीवी भागीदार प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

- उपरोक्त **तालिका 3.11** में दर्शाए गए अस्वीकृति मामलों पर विचार करने के बाद भी, यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, उन्हें अन्य की तुलना में अधिक मामले सौंपे गए।

- कोविड संबंधी कारण स्वीकार्य नहीं हो सकते क्योंकि सभी डीवीवी भागीदारों ने एनएएसी आईसीटी प्रणाली में पोर्टल के माध्यम से एचईआई के डेटा को ऑनलाइन मान्यता दी थी। एनएएसी के आईसीटी को एचईआई की संख्या की परवाह किए बिना चक्र स्पर्धा आधार पर डीवीवी भागीदारों को एसएसआर सौंपने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

- यह भी ध्यान देने योग्य है कि सीआरआईएसआईएल, निटकॉन और आईसीआरए द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब अधिक था, जैसा कि ऊपर दी गई **तालिका 3.9** से देखा जा सकता है, फिर भी उन्हें औसत से अधिक कार्य सौंपे जाते रहे, जैसा कि उपरोक्त पैरा में बताया गया है, जिससे एनएएसी की ओर से निगरानी संबंधी कमियां सामने आईं। डीवीवी भागीदारों को सौंपे गए

कार्य का समान वितरण होने पर, प्रत्यायन को समय पर पूर्ण होना सुनिश्चित कर सकता था।

अनुशंसा: एनएएसी सौंपे गए कार्य के लिए चक्र स्पर्धा आधार पद्धति का अनुपालन कर सकता है और कार्य आदेशों में एक विशिष्ट दंड खंड भी जोड़ सकता है तथा जब डीवीवी भागीदारों की ओर से सुपुर्द कार्य के निष्पादन में विफलता या विलंब होता है तो दंड खंड को लागू भी कर सकता है।

3.9.7.2 मानदंडों का युक्तिकरण

18 मई 2017 को यूजीसी, नई दिल्ली में आयोजित डेटा मान्यकरण और सत्यापन बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, जिसकी अध्यक्षता यूजीसी के अध्यक्ष ने की थी, यह राय व्यक्त की गई थी कि एनएएसी को कुल प्रमुख संकेतकों और मेट्रिक्स को कम करना चाहिए क्योंकि भारी मात्रा में सूचना मांगने से या तो संस्थान ए एंड ए प्रक्रिया के लिए आवेदन करने से कतराएंगे या फिर वे प्रणाली को धोखा देने के तरीके अपनाएंगे।

इसके अतिरिक्त, एनएएसी की मौजूदा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए "एनएएसी की द्विआधारी प्रत्यायन के लिए समिति की रिपोर्ट" शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 16 *प्रतिशत* एचईआई के अनुसार प्रत्यायन की वर्तमान प्रणाली जटिल है एवं 40 *प्रतिशत* एचईआई ने महसूस किया कि इस प्रणाली में संशोधन/सुधार की आवश्यकता है। इसलिए, एचईआई का प्रत्यायन बढ़ाने के लिए, एनएएसी को यूजीसी के सुझाव पर कार्य करना चाहिए था एवं 2017 से स्वयं ही कुल प्रमुख संकेतकों और मेट्रिक्स को कम करना चाहिए था।

एनएएसी ने (फरवरी 2024/मार्च 2025) बताया कि 2020 में विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों और संबद्ध कॉलेजों के लिए एसएसआर नियम पुस्तक में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों के लिए नियम पुस्तक को सरल बनाया गया है तथा ये 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु संस्थागत सूचना (आईआईक्यूए) ऑनलाइन जमा करने वाले एचईआई

पर लागू होंगे। एनएएसी ने आगे बताया कि विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों के लिए मेट्रिक्स को क्रमशः 137 से घटाकर 87 और 136 से घटाकर 85 कर दिया गया एवं कॉलेजों के लिए मेट्रिक्स को घटाकर 121 से 56 कर दिया गया है।

3.9.7.3 सहकर्मी टीम प्रबंधन प्रक्रिया

एचईआई में ग्रेड की गणना के लिए एचईआई द्वारा उनके एसएसआर में प्रस्तुत गुणात्मक मानकों का सत्यापन, मान्यकरण, मूल्यांकन एवं अंकन करने के लिए एक सहकर्मी टीम (मूल्यांकनकर्ता) को नियुक्त किया जाता है। मूल्यांकनकर्ता पुस्तिका के पैरा 3.1 के अनुसार, मूल्यांकनकर्ता ऐसे पेशेवर हो सकते हैं, जो इस काम को करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हों।

एनएएसी की सहकर्मी टीम चयन प्रक्रिया की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित कई मुद्दे सामने आए:

- सहकर्मी टीम के सदस्यों के चयन या चयन रद्द करने के लिए प्रणालीगत उत्पन्न लेखापरीक्षा ट्रेल का अभाव था।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहकर्मी टीम पैनल तैयार करने पर दिशानिर्देशों के अनुमोदन का साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।
- सहकर्मी टीम अनुमोदन समिति द्वारा सहकर्मी टीम के सदस्यों के चयन या चयन रद्द करने के कारणों के साथ कार्यवृत्त अभिलेखित नहीं किए गए थे।
- यद्यपि दौरों की संख्या (छः बार) पर एक सीमा है, फिर भी एक कैलेंडर वर्ष 2019 में मूल्यांकनकर्ताओं[54] को निर्धारित छः से अधिक बार सहकर्मी टीम के दौरे के लिए भेजा गया था।
- 1,25,135 मूल्यांकनकर्ताओं (जुलाई 2017 से मार्च 2022) में से 47,194 (37.71 *प्रतिशत*) का चयन एसआरएस (प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, निर्दिष्ट किसी भी नियम (चयन के लिए अपेक्षित) को लागू किए बिना किया गया था।

---

[54] सात अवसरों पर चार मूल्यांकनकर्ता तथा आठ अवसरों पर एक मूल्यांकनकर्ता।

एनएएसी ने उत्तर में बताया (फरवरी 2023/फरवरी 2024/मार्च 2025) कि उसने एक बार की त्रुटि का संज्ञान लिया है और तब से यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी मूल्यांकनकर्ता को एक कैलेंडर वर्ष में छः से अधिक दौरे नहीं दिए जाएं। सहकर्मी टीम के सदस्यों का चयन पारदर्शी है और यह भी बताया कि यह चयन प्रक्रिया के कार्यवृत्तों को अभिलेखित नहीं कर सकता क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है। एक दिन में, 10-15 अनुमोदन दिए जाने होते हैं, अर्थात् 180 लोगों के लिए और इसलिए चयन और रद्द करने के कारणों को अभिलेख में रखना संभव नहीं है। एनएएसी ने यह भी बताया कि पूर्वनिर्धारित शर्तों और गतिशील नियमों के आधार पर प्रणाली द्वारा सुझाए गए सहकर्मी टीम के सदस्यों का परिणाम प्रणाली में संग्रहीत[55] किया जाता है। समन्वयक के पास यदि आवश्यक हो, किसी भी गतिशील नियम को चुनने का विकल्प होता है, और यह अनिवार्य नहीं है। चयन के लिए डिफॉल्ट रूप से स्थैतिक नियम लागू होते हैं इसलिए इसे संग्रहीत नहीं किया जाता है।

उत्तर पर पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि आईसीटी प्लेटफ़ॉर्म के नियम इंजन की अंतर्निहित कार्यक्षमता का उपयोग दक्षता बढ़ाने, त्रुटियों को कम करने और चयन की निरंतरता में सुधार करने में मदद करेगा। एनएएसी मौजूदा नियमों को जोड़ने या बढ़ाने और मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए प्रणाली में संग्रहीत[56] नियमों के प्रबंधन पर विचार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, जहाँ एनएएसी को गतिशील नियमों का उपयोग करने की आवश्यकता हो, वहाँ प्रणाली के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल को संग्रहीत करना महत्वपूर्ण है। साथ ही, जहां मूल्यांकनकर्ताओं के चयन के लिए विवेकाधिकार का उपयोग किया जाता है, वहां चयन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सहकर्मी टीम अनुमोदन समिति की बैठक और कार्यवृत्त का दस्तावेजीकरण किया जा सकता है।

3.9.8 हितधारकों के लिए प्रत्यायन के बारे में सूचना की विश्वसनीयता

प्रत्यायन के प्रमुख लाभों में से एक लाभ छात्रों/समाज को शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में विश्वसनीय सूचना प्रदान करना है। एचईआई द्वारा प्रत्यायन की स्थिति उनकी

[55] मूल्यांकनकर्ता_सहकर्मी टीम_सूची

[56] मूल्यांकनकर्ता नियम तालिका।

वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है एवं सही सूचना तक यह पहुँच छात्रों और उनके परिवारों द्वारा एचईआई, विशेषकर निजी विश्वविद्यालयों, को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्वविद्यालय का ग्रेड उन्हें उच्च शिक्षा में किए जाने वाले निवेश के लिए "निवेश की सही कीमत" को समझने में भी मदद करता है। एचईआई को जारी चेतावनी नोट के अनुसार, संस्थानों को सलाह दी गई है कि वे वैधता अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्यायन की स्थिति का उपयोग न करें और यह भी बताया गया है कि ऐसे संस्थानों को एनएएसी द्वारा कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

3.9.8.1 प्रत्यायन की समाप्ति के बाद प्रत्यायन की गलत स्थिति का प्रदर्शन

एचईआई के उपलब्ध डेटा (दिसंबर 2020) के क्रॉस सत्यापन से, जिसमें वैधता अवधि समाप्त हो गई थी/बीत चुकी थी की तुलना में एचईआई की वेबसाइट में संबंधित डेटा से प्रकट हुआ कि 3,093 एचईआई में से 559 एचईआई के लिए प्रत्यायन की स्थिति 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान समाप्त हो गई थी/बीत चुकी थी, फिर भी इन संस्थानों ने अपनी वेबसाइटों पर "प्रत्यायित" के रूप में स्थिति प्रदर्शित करना जारी रखा, जैसा कि विवरण **तालिका 3.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.12: प्रत्यायन की समाप्ति के बाद प्रत्यायन की स्थिति का अनियमित प्रदर्शन

वर्ष	नमूना जांच किए गए एचईआई	वे एचईआई जिनकी वैधता समाप्त हो गई है, लेकिन वे अपनी वेबसाइट पर प्रत्यायन प्राप्त होने का दावा कर रहे हैं
2019-20	264	50
2020-21	1,231	145
2021-22	1,598	364
कुल	**3,093**	**559**

यह स्पष्ट था कि एचईआई चेतावनी नोटिस का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि इन संस्थानों पर एनएएसी द्वारा कड़ी कार्रवाई हो सकती थी। यह एनएएसी की निगरानी में चूक को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, एनएएसी द्वारा न तो अपनी किसी नियम

पुस्तक में और न ही एचईआई को प्रत्यायन प्रदान करने की किसी भी शर्त में कड़ी कार्रवाई को परिभाषित किया गया था। एनएएसी की जीसी ने दिनांक 29 मार्च 2019 को अपनी 33वीं बैठक में एनएएसी को उन संस्थानों की सूची प्रदर्शित करने का सुझाव दिया था जिन्होंने अभी तक प्रत्यायन के लिए आवेदन नहीं किया है, फिर भी, एनएएसी ने जीसी के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था।

जब लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किया गया तो यूजीसी ने निम्नलिखित बताया (मार्च 2025):

- एनएएसी ने उन एचईआई के लिए सक्रिय पहल की है जिनका प्रत्यायन पहले ही समाप्त हो गया है या समाप्त होने वाला है, एवं उनसे आगामी चक्रों के लिए मूल्यांकन एवं प्रत्यायन हेतु स्वेच्छा से आगे आने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, एनएएसी की केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन समिति, एनएएसी के संज्ञान में आए मामलों पर कार्रवाई करती है। यूजीसी ने सूचित किया (मार्च 2025) कि निम्नलिखित संख्या में एचईआई की प्रत्यायन वैधता संबंधित वर्षों में समाप्त हो गई है:

तालिका 3.13: प्रत्यायन की वैधता की समाप्ति

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	एचईआई जिनकी प्रत्यायन वैधता समाप्त हो गई है
1.	2019-20	3,130
2.	2020-21	2,746
3.	2021-22	2,335
4.	2022-23	4,390
5.	2023-24	4,081

- जिन एचईआई की प्रत्यायन वैधता समाप्त हो गई है, वे प्रत्यायन अवधि समाप्त होने से पहले और प्रत्यायन अवधि समाप्त होने के बाद भी आगामी चक्रों के लिए स्वेच्छा से आगे आ सकते हैं एवं वे तत्काल आगामी वर्षों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

एनएएसी ने बताया (मार्च 2025) कि उसके पास निगरानी की व्यवस्था नहीं है और वह विनम्रतापूर्वक ऐसे एचईआई को अपनी वेबसाइटों से प्रत्यायित स्थिति हटाने के लिए कह सकता है। इसके अतिरिक्त, एनएएसी के पास उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है एवं एनएएसी केवल विश्वविद्यालयों, राज्य स्तरीय समितियों आदि को सूचित करके उन्हें चेतावनी दे सकता है। जिन एचईआई की प्रत्यायन अवधि समाप्त हो गई है या छः महीने के भीतर समाप्त होने वाली है, उन्हें अगले प्रत्यायन चक्रों के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं। एनएएसी ने जीसी के निर्देशों का अनुपालन न करने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया।

यह देखा गया कि यूजीसी और एनएएसी ने उन एचईआई तक पहुँचने के प्रयास किए हैं जिनकी प्रत्यायन स्थिति समाप्त हो चुकी है। तथापि, केवल यह प्रयास पर्याप्त नहीं है और नागरिक सेवा वितरण प्रक्रिया में सुधार के लिए निम्नलिखित पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

- यदि एनएएसी के पास चूक करने वाले एचईआई के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निगरानी शक्तियां नहीं हैं, तो यह जोखिम बना रहेगा कि एचईआई चेतावनी को नजरअंदाज करना जारी रखेंगे और हितधारकों को प्रत्यायन वस्तु-स्थिति के बारे में गलत जानकारी मिलती रहेगी।
- एनएएसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है कि प्रत्यायन के बारे में सही और पूर्ण सूचना हमेशा हितधारकों के लिए उनकी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध रहे, विशेष रूप से उन एचईआई पर ध्यान केंद्रित किया जाए जिनकी प्रत्यायन स्थिति पहले ही समाप्त हो चुकी है।

अनुशंसा: एनएएसी अपनी वेबसाइट पर उन एचईआई की सूची प्रदर्शित कर सकता है जिनकी प्रत्यायन स्थिति समाप्त हो गई है, तथा नियामक के रूप में अपनी भूमिका में कार्रवाई के लिए समय-समय पर यूजीसी को प्रत्यायन समाप्त हो चुके एचईआई की सूची भेज सकता है।

3.9.8.2 एचईआई की वेबसाइट पर अनिवार्य सूचना का अपूर्ण प्रकटीकरण

एनएएसी की स्व-अध्ययन रिपोर्ट के लिए नियम पुस्तक के पैरा XIII के अनुसार, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एचईआई की वेबसाइट पर निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है (क) डीवीवी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसएसआर, (ख) एसएसआर के साथ डेटा टेम्पलेट्स, (ग) वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (एक्यूएआर - वर्षवार), (घ) प्रत्यायन परिणाम दस्तावेज अर्थात् प्रमाण पत्र, ग्रेड शीट, आदि।

तथापि, चयनित नमूने की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 15 एचईआई के संबंध में, उनके द्वारा एसएसआर में प्रदान किया गया वेबसाइट पता काम नहीं कर रहा था, इसके अतिरिक्त 34 एचईआई के संबंध में प्रत्यायन के प्रमाण पत्र/ग्रेड शीट उनकी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए थे।

इसलिए, इन एचईआई का ग्रेड सहित मूल्यांकन और प्रत्यायन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि हितधारकों को बेहतर विकल्प चुनने के लिए आवश्यक सूचना से वंचित रहना पड़ा। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि एनएएसी द्वारा कोई निगरानी नहीं की गई, या कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि इसने अपने नियम पुस्तक में दंडात्मक प्रावधानों की परिकल्पना नहीं की है।

एनएएसी ने बताया (मार्च 2025) कि एचईआई की वेबसाइट, जहाँ सूचना अपलोड की जाती है, एचईआई द्वारा गतिशील रूप से प्रबंधित की जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए, एनएएसी ने सभी हितधारकों के लिए एनएएसी वेबसाइट पर सभी प्रत्यायन विवरणों को अनिवार्य रूप से प्रकट किया है। हालांकि, ऐसी संभावनाएं हैं कि कुछ वेब लिंक चालू न हों या संस्थान की ओर से रखरखाव के अधीन हों, जो ए एंड ए प्रक्रिया के दौरान कार्यात्मक थे। एचईआई को इस विशिष्ट आवश्यकता के बारे में सूचित करने के प्रयास किए गए हैं क्योंकि प्रत्यायन प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं।

एनएएसी द्वारा अपनी वेबसाइट पर सभी प्रत्यायन विवरण प्रदर्शित करने का प्रयास सराहनीय है। हालांकि, यह उत्तर कि अनिवार्य सूचना एनएएसी की वेबसाइट पर

उपलब्ध थी, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एनएएसी नियम पुस्तक के अनुसार, ए एंड ए प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, एचईआई के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रत्यायन की वैधता अवधि समाप्त होने तक अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एसएसआर को भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें।

अनुशंसा: मंत्रालय/यूजीसी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एनएएसी और एचईआई को आवश्यक सूचना/दस्तावेजों को एचईआई की वेबसाइटों पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने और उनका रखरखाव करने के आवश्यक अनुदेश जारी करे।

3.9.9 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईसीटी प्रणाली)

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईसीटी प्रणाली) की संकल्पना (मई 2016) की गई थी और अगस्त 2016 में निविदा आमंत्रित की गई थी। अनुबंध 23 जनवरी 2017 को प्रदान किया गया था। आईसीटी प्रणाली को दिसंबर 2017 में चालू होना था। हालांकि, यह जुलाई 2018 में ही चालू हो पाई। अंतिम पड़ाव (स्थिरीकरण के बाद) की आपूर्ति भी अक्तूबर 2021 तक बढ़ा दी गई थी, जिसमें तीन वर्ष और नौ महीने का विलंब हुआ। ₹5.29 करोड़ के अनुबंध मूल्य के सापेक्ष में, अब तक ₹3.34 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि समाधान प्रदाता को जारी किया जाना शेष है।

यह देखा गया कि कार्यान्वयन में विलंब ए एंड ए प्रक्रिया और परियोजना विकास मॉडल की आवश्यकताओं में संशोधन के कारण हुई, जिसमें मूल रूप से परिकल्पित वाटरफॉल मॉडल से पुनरावृत्तीय मॉडल को मॉड्यूल विकसित करने और जारी करने तथा मात्रात्मक मैट्रिक्स के सत्यापन के लिए डीवीवी प्रक्रिया को शामिल करने जैसे प्रणाली डिजाइन में परिवर्तन शामिल थे।

आईसीटी प्रणाली के माध्यम से ए एंड ए प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में विलंब का प्रभाव ग्रेड की घोषणा में लगने वाले समय पर भी पड़ा। सितंबर 2017 से नवंबर 2017 तक स्व-अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 85 एचईआई के लिए ग्रेड

की घोषणा आईसीटी प्रणाली का उपयोग करते हुए आठ महीने के विलंब से 3 जुलाई 2018 को किया गया।

एनएएसी ने अपने उत्तर (मार्च 2025) में बताया कि यह प्रणाली 2018 से चालू है। वर्ष 2018 और 2019 में यह प्रणाली स्थिरीकरण चरण में थी और वर्ष 2020 में जब प्रणाली ने पूरी तरह से कार्य करना शुरू किया तो कोविड-19 महामारी के कारण मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की नियमित प्रक्रिया पर गंभीर प्रभाव पड़ा। एनएएसी ने मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगने वाले दिनों की संख्या को कम करने के लिए आवश्यक पहल की है एवं वर्ष 2022 में, विस्तार बंद होने के कारण प्रत्येक चरण में औसत समय और कुल प्रक्रिया समय में काफी कमी आई है।

तथ्य यह है कि एनएएसी कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरी तरह से समझ नहीं सका, जिसके कारण भिन्न-भिन्न विकास मॉडल अपनाए गए। हालांकि इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा, फिर भी बार-बार होने वाले बदलावों ने आवश्यकता विनिर्देशों में कमियों को दर्शाया और आईसीटी समाधान के कार्यान्वयन में विलंब का कारण बना, जिसके परिणामस्वरूप एचईआई की ग्रेडिंग में विलंब हुआ जिसे पूर्व नियोजन और डिज़ाइन से टाला जा सकता था।

3.9.9.1 मूल्यांकन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण में कमियां

एनएएसी द्वारा कार्यान्वित मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया, परिवर्तन काल को कम करने और प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाने के लिए डिज़ाइन की गई थी। हालांकि, आईआईक्यूए और एसएसआर प्रस्तुत करने पर आईटी डेटा के विश्लेषण और प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश (एसआरएस) के संदर्भ में, यह पता चला कि प्रतिवर्तन काल (टीएटी) के लिए सत्यापन नियंत्रणों को ठीक से कार्यान्वित नहीं किया गया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

(क) गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए संस्थागत सूचना के अनुमोदन हेतु टीएटी

एसआरएस में यह परिकल्पना की गई थी कि "प्रणाली को एनएएसी को एचईआई द्वारा प्रस्तुत आईआईक्यूए को 15 दिनों के भीतर स्वीकार, अस्वीकार या लंबित

रखने की अनुमति देनी चाहिए"। हालांकि, यह देखा गया कि 14 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान 2,228 (53.41 *प्रतिशत*) मूल्यांकन एवं प्रत्यायन आवेदनों जिनके लिए आईआईक्यूए प्राप्त किए गए थे उनमें से 1,190 के लिए आईआईक्यूए को 15 दिनों से 219 दिनों तक के विलंब से स्वीकृत किए गए थे। इस प्रकार, यद्यपि डिज़ाइनिंग चरण के दौरान समयसीमा की उचित रूप से परिकल्पना की गई थी लेकिन इसे आवेदन में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया था।

एनएएसी ने उत्तर दिया (फरवरी 2023/फरवरी 2024/मार्च 2025) कि एचईआई आईआईक्यूए के सत्यापन के लिए एनएएसी द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार डेटा उपलब्ध नहीं करा सके। इसके अतिरिक्त, एचईआई आईआईक्यूए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ और शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके जो एचईआई से प्राप्त किए जाने थे, जिससे सत्यापन की समयसीमा प्रभावित हुई। इसलिए आईआईक्यूए सत्यापन को इस तरह से बदल दिया गया कि समन्वयक 30 दिनों तक का समय बढ़ा सकेंगे और इससे आगे के विस्तार को नामित आईआईक्यूए प्रबंधक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 अवधि के दौरान, एनएएसी ने सभी चरणों में एनएएसी की ईसी की स्वीकृति के बाद खुली विस्तार अधिसूचना जारी की थी।

एनएएसी का उत्तर दर्शाता है कि वास्तविक एसआरएस में समयसीमा बढ़ाने और निर्धारित दस्तावेजों के स्थान पर शपथ-पत्र प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी आईसीटी प्रणाली में बिना किसी सत्यापन नियंत्रण के समयसीमा बढ़ाने की अनुमति देने के लिए फेरबदल किया गया था, जिससे विलंबित मामलों को आईआईक्यूए प्रबंधक के पास भेजा जा सके और बाद में उचित स्तर पर विस्तार दिया जा सके। कोविड-19 अवधि के संबंध में दिया गया उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उद्धृत 1190 मामले कोविड-19 अवधि से पहले के मूल्यांकनों से संबंधित थे।

(ख) स्व-अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए टीएटी:

एसआरएस और एसएसआर नियम पुस्तक के अनुसार, एचईआई आईआईक्यूए की स्वीकृति की तिथि से 45 दिनों के भीतर एसएसआर प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि, डेटा विश्लेषण ने इंगित किया कि 6 सितंबर 2017 से 11 नवंबर 2019 की अवधि के दौरान प्रणाली के माध्यम से स्वीकार किए गए 2,228 मूल्यांकन एवं प्रत्यायन आवेदनों में से 499 आवेदनों जिनके लिए आईआईक्यूए स्वीकार किए गए थे, उनके एसएसआर 199 दिनों तक के विलंब से प्रस्तुत किए गए थे। यद्यपि, डिज़ाइनिंग चरण के दौरान कार्य प्रवाह और समयसीमा की परिकल्पना की गई थी तथापि उन्हें प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया था।

एनएएसी ने उत्तर दिया (फरवरी 2023/फरवरी 2024/मार्च 2025) कि, समस्या प्रबंधन प्रणाली (एनएएसी का आईएमएस) प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भुगतान निपटान में विलंब, तकनीकी समस्याओं के मामलों में, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अधिकतम 15 दिनों तक एसएसआर प्रस्तुत करने की समयसीमा बढ़ाने का प्रावधान करता है, यदि एचईआई द्वारा निर्धारित समयसीमा समाप्त होने से पहले अनुरोध किया गया हो। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 अवधि के दौरान, एनएएसी ने सभी चरणों में एनएएसी की कार्यकारी समिति के अनुमोदन के बाद खुली विस्तार अधिसूचना जारी की थी।

एनएएसी का उत्तर स्वयं दर्शाता है कि जबकि वास्तविक एसआरएस में विस्तार देने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी, दस्तावेजीकरण सहित आवेदन और विस्तार की स्वीकृति की प्रक्रिया, साथ ही यदि आवश्यक हो, आईसीटी के भाग के रूप में कार्यान्वित नहीं किया गया था और प्रणाली में इसका अभिलेख रखे बिना ही विस्तार प्रदान किए गए थे। आईएमएस विस्तार की सीमा भी केवल 15 दिन थी, जबकि उद्धृत मामलों में विस्तार सीमा 199 दिनों तक थी, जो 15 दिनों की सीमा से कहीं अधिक थी। कोविड-19 अवधि के संबंध में प्रतिक्रिया प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उद्धृत 499 मामले कोविड-19 अवधि से पहले के मूल्यांकन से संबंधित थे।

अनुशंसा: एनएएसी, एसएसआर के प्रस्तुतीकरण में समयसीमा लागू कर सकता है और आईसीटी प्रणाली में सत्यापन नियंत्रणों या सॉफ्ट अलर्ट का उपयोग करके विलंब और प्रदान किए गए विस्तार पर नज़र रख सकता है। पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए, यह विभिन्न स्तरों पर समयसीमा के विस्तार के लिए आवेदन, समीक्षा और आवेदन की प्रणाली भी लागू कर सकता है।

3.9.9.2 तकनीकी समाधान की मजबूती

आईसीटी प्रणाली की समीक्षा से सूचना सुरक्षा, परिवर्तन प्रबंधन के संस्करण नियंत्रण दस्तावेजीकरण, उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) आदि में अपर्याप्तताएं उजागर हुईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

(क) सूचना सुरक्षा नीति

साइबर सिक्योरिटी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड[57] और एसटीक्यूसी[58] द्वारा तृतीय-पक्ष सुरक्षा लेखापरीक्षा की गई। सुरक्षा लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि लाइव होने से पहले प्रतिक्रिया शीर्षलेख[59] की कमज़ोरियों को ठीक किया जाना चाहिए, पूरे एप्लिकेशन को केवल पढ़ने की अनुमति के साथ होस्ट किया जा सकता है, सभी संवेदनशील डेटा को टीएलएस संस्करण 1.2 या उच्चतर आदि का उपयोग करके उचित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए।

हालांकि, ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चले कि इन अभ्युक्तियों पर ध्यान दिया गया था। *एनएएसी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2023/ फरवरी 2024) कि एप्लिकेशन का सुरक्षा परीक्षण बार-बार किया गया था और उपरोक्त अनुशंसाओं को कार्यान्वित किया गया है।* तथापि, एनएएसी ने इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है कि उपरोक्त सुविधाएँ कार्यान्वित की गई हैं।

---

57 26 जुलाई 2018 से 25 जुलाई 2019 के बीच

58 जुलाई 2022

59 प्रतिक्रिया शीर्षलेख एक एचटीटीपी शीर्षलेख है, जिसका उपयोग एचटीटीपी प्रतिक्रिया में किया जा सकता है और जो संदेश के प्रकरण से संबंधित नहीं होता है। एचटीटीपी प्रतिक्रिया शीर्षलेख में गंतव्य आईपी पता, दिनांक प्रकार, होस्ट पता और अन्य सूचना शामिल होती है।

(ख) वेबसाइट और अभिलेखीय नीति

एनएएसी के पास कोई प्रकरण संग्रह नीति और वेबसाइट निगरानी नीति नहीं है। इसके अतिरिक्त, एक्सेस करने के लिए वेबसाइट का पता ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी/सिक्योर सॉकेट्स लेयर (https://) द्वारा समर्थित नहीं है और केवल http:// द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है।

उत्तर (फरवरी 2024/मार्च 2025) में, एनएएसी ने बताया कि एनआईसी से एसएसएल समर्थित करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेखीय नीति के संबंध में, संशोधन और अद्यतन से संबंधित दस्तावेज़ संदर्भ के लिए रखे जाते हैं क्योंकि एचईआई प्रत्यायन के विभिन्न चरणों में है एवं पुराने दस्तावेज़ों का संग्रह भी समय-समय पर किया जाता है। हालांकि, सत्यापन पर यह देखा गया कि एसएसएल अभी भी एसएसएल समर्थित नहीं है, और वेबसाइट अभी भी केवल http:// के माध्यम से ही उपलब्ध है। साथ ही, अभिलेखीय नीति के लिए दस्तावेज़ लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(ग) परिवर्तन प्रबंधन और संस्करण नियंत्रण प्रक्रियाओं का दस्तावेज़ीकरण

कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों में डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रलेखित और सत्यापन योग्य परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया आवश्यक है, जैसा कि एनएएसी और केईएलटीआरओएन के बीच निविदा अनुबंध (खंड 17.8) में माना गया है। मौजूदा तंत्र की समीक्षा से इंगित हुआ कि निम्नलिखित में परिवर्तनों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रबंधन द्वारा विधिवत अनुमोदित कोई प्रलेखित नीति/प्रक्रिया/कार्यप्रणालियाँ नहीं थीं:

i. वेब एप्लीकेशन स्रोत कोड और उत्पादन के लिए उसका प्रचार
ii. डेटाबेस तालिका संरचनाएँ और डेटाबेस में मौजूद कोड में परिवर्तन
iii. एप्लिकेशन के संस्करणों का इतिहास और संबंधित जारी नोट्स

उपरोक्त विफलता के जोखिम के परिणामस्वरूप अनधिकृत या अप्रमाणित परिवर्तन, प्रणाली कमजोरियां, डेटा हानि, डेटा अखंडता संबंधी समस्याएं और अनिर्धारित डाउनटाइम हो सकता है।

उत्तर में, एनएएसी ने बताया कि (फरवरी 2024/मार्च 2025) वे मैन्युअल प्रणाली में नियंत्रण और कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली में नियंत्रण लाने की प्रक्रिया में हैं। साथ ही, सेवा प्रदाता के साथ परिवर्तन प्रबंधन का उपयोग केवल तभी किया गया जब विकास में आईआईक्यूए और एसएसआर प्रोफ़ाइल मॉड्यूल में परिवर्तन शामिल थे। इसके बाद, सेवा प्रदाता के माध्यम से परिवर्तन प्रबंधन का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि कोड एनएएसी को सौंप दिया गया था।

इस प्रकार, उत्तर से यह स्पष्ट है कि अपनाई गई परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रियाएं अपूर्ण थीं तथा आंतरिक रूप से किए गए विकास के बाद के चरण से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

(घ) उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण का दस्तावेज़ीकरण

एनएएसी ने परीक्षण किए गए डेटा का विवरण, उपयोगकर्ता परीक्षणों के परिणाम, विभिन्न मॉड्यूल जैसे अपील प्रबंधन, एक्यूएआर, मूल्यांकन, निर्धारक, डीवीवी और एसएसआर मॉड्यूल से संबंधित परीक्षणों के विवरण दस्तावेज़ीकृत नहीं किया है। उपयोगकर्ता और एप्लिकेशन परीक्षण मामलों का दस्तावेज़ीकरण न होने से त्रुटि होना, उपयोगकर्ता आवश्यकताओं का पता न लग पाना आदि समस्याएँ हो सकती हैं।

एनएएसी ने उत्तर दिया (फरवरी 2024/मार्च 2025) कि परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद केईएलटीआरओएन द्वारा यूएटी परीक्षण मामले किए गए थे एवं यह सूचना केईएलटीआरओएन से प्राप्त की जाएगी। चूँकि एनएएसी ने यूएटी परिणाम प्रस्तुत नहीं किए थे, इसलिए लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि क्या परियोजना के लाइव होने से पहले यूएटी परीक्षण किए गए थे या नहीं।

अनुशंसा: एनएएसी, एनएएएमएस के लिए परिवर्तन प्रबंधन और संस्करण नियंत्रण प्रक्रियाओं से संबंधित नियंत्रण तंत्र को मजबूत कर सकता है। यह सूचना सुरक्षा के लिए नीति भी स्थापित कर सकता है।

3.9.10 निष्कर्ष

31 वर्षों से अधिक समय से उपस्थित होने और, यूजीसी के 2012 के अनिवार्य प्रत्यायन विनियम के बावजूद एनएएसी देश में 56.26 *प्रतिशत* (विश्वविद्यालय) एवं 76.22 *प्रतिशत* (कॉलेजों) की सीमा तक ही पात्र एचईआई को प्रत्यायित कर पाया है। यद्यपि ए एंड ए प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आईसीटी प्रणाली शुरू की गई थी, फिर भी यह देखा गया कि मैन्युअल प्रक्रिया की तुलना में प्रत्यायन में 16.48 *प्रतिशत* की कमी थी।

डीवीवी भागीदारों की तैनाती की प्रणाली में एचईआई के आवंटन और भागीदारों द्वारा किए गए सत्यापन की गुणवत्ता सहित कई कमियां थीं। एचईआई के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ताओं के नियम-आधारित चयन की कार्यक्षमताएं प्राप्त नहीं की गईं क्योंकि 37.71 *प्रतिशत* मूल्यांकनकर्ताओं का चयन, बिना किसी निर्धारित नियमावली को लागू किए, इस प्रणाली का उपयोग करके किया गया था।

एनएएसी एचईआई द्वारा दी जाने वाली सूचना की घोषणा की निगरानी करने में असमर्थ है, जिसके कारण कई एचईआई द्वारा पांच वर्ष की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी अपनी प्रत्यायन की स्थिति को बनाए रखने के दृष्टांत सामने आए हैं।

आईटी लेखापरीक्षा ने बड़े पैमाने पर प्रकट किया कि परियोजना में विलंब मुख्यतः इसलिए हुआ क्योंकि एनएएसी ने कार्यात्मक आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से नहीं समझा और परिणामस्वरूप प्रारंभिक रूप से परिकल्पित वाटरफॉल मॉडल से हटकर विकास के एक विपरीत पुनरावृत्तीय जीवन-चक्र मॉडल को अपनाया। इसने सूचना सुरक्षा, दस्तावेज़ परिवर्तन प्रबंधन, संस्करण नियंत्रण प्रक्रियाओं और यूएटी से संबंधित अपर्याप्तताओं को भी प्रकट किया।

प्रतिवेदन मंत्रालय को भेजी गई (अप्रैल 2023) और उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी

3.10 टीडीएस जमा करने में विलंब के कारण दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान- ₹54.24 लाख

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा सरकारी खाते में टीडीएस जमा करने के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन न करने के परिणामस्वरूप कुल ₹54.24 लाख के दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201 (1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि में कटौती करने की आवश्यकता है, कटौती नहीं करता है या भुगतान नहीं करता है, या कटौती करने के बाद कर के पूर्ण या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे कर के संबंध में चूककर्ता करदाता माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 201 (1ए) प्रावधान करती है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे कर की राशि पर उस तिथि, जब ऐसा कर कटौती योग्य था, से उस तिथि जब ऐसे कर की कटौती की है, तक प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए एक *प्रतिशत* तथा ऐसे कर की राशि पर उस तिथि, जब ऐसे कर की कटौती की जानी थी, से उस तिथि, जब वास्तव में ऐसा कर अदा किया गया है तक, प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए डेढ़ *प्रतिशत* साधारण ब्याज अदा करने को उत्तरदायी होगा।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की स्थापना शिक्षा मंत्रालय द्वारा मई 2018 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के अधीन उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला/शिक्षावृत्ति के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए की गई थी।

एनटीए द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि उसने 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान कुल ₹6.21 करोड़ का टीडीएस काटा था परंतु आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार इसे सरकारी खाते में जमा नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, उस अवधि के दौरान सरकारी खाते में

टीडीएस के विलंबित जमा के कारण कुल ₹54.24 लाख का दंडात्मक ब्याज का भुगतान हुआ। सरकारी खाते में समय पर टीडीएस जमा कर इससे बचा जा सकता था।

मामला मंत्रालय को प्रेषित किया गया और मंत्रालय ने एनटीए के उत्तर का समर्थन किया (अक्तूबर 2023) कि एक नया संगठन होने के नाते, नीतियों/प्रतिक्रियाओं को स्थापित करने और प्रणाली स्थापित करने में कुछ समय लगा है। एक टीडीएस विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है जो टीडीएस की समय पर कटौती के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है और उसके पश्चात ऐसी चूक नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज का बड़ा भाग कोविड-19 प्रभावित अवधि से संबंधित है जिसने कार्यों के सुचारु संचालन में बाधा उत्पन्न की और एजेंसी के पास पर्याप्त सक्षम स्टाफ नहीं था जो कुशलतापूर्वक कार्य कर सके।

दिल्ली विश्वविद्यालय

राम लाल आनंद कॉलेज, शिवाजी कॉलेज तथा शहीद भगत सिंह (संध्या) कॉलेज

3.11 ₹2.01 करोड़ के विश्वविद्यालय विकास शुल्क की कम वसूली

दिल्ली विश्वविद्यालय के राम लाल आनंद कॉलेज, शिवाजी कॉलेज तथा शहीद भगत सिंह (संध्या) कॉलेज ने वर्ष 2012-13 तथा 2020-21 के बीच की अवधि के दौरान ₹600 *प्रति वर्ष* प्रति विद्यार्थी की बढ़ी हुई दर पर विश्वविद्यालय विकास शुल्क की वसूली हेतु विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के निर्णय का अनुपालन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹2.01 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 के खंड 3 के अनुसार, कार्यकारी परिषद "दिल्ली विश्वविद्यालय" के नाम से निगमित निकाय के घटकों में से एक है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के खंड 4 (10) के अनुसार, "विश्वविद्यालय" अर्थात् कार्यकारी परिषद के पास ऐसे शुल्क तथा अन्य प्रभारों जैसा उसके द्वारा जारी अध्यादेशों द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, की मांग करने तथा भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की कार्यकारी परिषद् ने 09 जुलाई 2011 को आयोजित अपनी बैठक में विश्वविद्यालय विकास निधि (यूडीएफ) में अंशदान को ₹300 *प्रति*

वर्ष से ₹600 *प्रति वर्ष* तक की वृद्धि को अनुमोदित किया जिसे शैक्षणिक सत्र 2012-13 से विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों के प्रत्येक छात्र से प्रभारित किया जाना था। कार्यकारी परिषद के निर्णय को 06 सितंबर 2011 को अधिसूचित[60] किया गया था। डीयू ने अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2012-2013 से प्रत्येक विद्यार्थी से यूडीएफ के रूप ₹600 *प्रति वर्ष* प्रभारित किए जाने का फिर से अनुदेश[61] दिया (जून 2012)। यूडीएफ को दाखिला प्रक्रियाओं के समाप्त होने के तुरंत बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की वित्त शाखा में प्रेषित किया जाना था।

वर्ष 2012-13 से 2022-23 की अवधी के लिए डीयू के 55[62] कॉलेजों द्वारा यूडीएफ की वसूली के अभिलेखों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि तीन कॉलेजों अर्थात् राम लाल आनंद कॉलेज (आरएलए), शिवाजी कॉलेज (एसएचसी) तथा शहीद भगत सिंह (संध्या) कॉलेज (एसबीएस (ई)) ने डीयू द्वारा जारी निर्देशानुसार यूडीएफ की वसूली नहीं की थी जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

(क) आरएलए कॉलेज ने 2012-13 तथा 2019-20 के बीच दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों से यूडीएफ वसूला नहीं था तथा केवल 2020-21 की अवधि से ही दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों से यूडीएफ वसूल करना शुरु किया। इसके परिणामस्वरूप 11,999 विद्यार्थियों से कुल ₹71.99 लाख के यूडीएफ की कम वसूली हुई **(अनुलग्नक-3.1)**।

(ख) शिवाजी कॉलेज ने 2012-13 से 2020-21 के दौरान विद्यार्थियों से ₹600 प्रति विद्यार्थी के बजाए ₹300 प्रति विद्यार्थी की पुरानी दर पर यूडीएफ की वसूली की थी। कॉलेज ने केवल 2021-22 से ही *अर्थात्* दर के संशोधन के नौ वर्षों के पश्चात, संशोधित दर पर प्रति विद्यार्थी यूडीएफ की वसूली शुरु की। इसके परिणामस्वरूप 33,162 विद्यार्थियों से कुल ₹99.49 लाख के यूडीएफ की कम वसूली हुई **(अनुलग्नक-3.1)**।

---

60 अधिसूचना सं. एसीए-1/ यूडीएफ/2011-2012/120 दिनांक 06 सितंबर 2011।

61 पत्र सं एसीएडी- 1/2012-13/यूडीएफ/225 दिनाँक 28 जून 2012।

62 नमूना जांच किए गए 57 कॉलेजो/संस्थानों में से 55 कॉलेजों ने यूडीएफ के ब्यौरे प्रस्तुत किए।

(ग) शहीद भगत सिंह (संध्या) कॉलेज ने भी 2012-13 से 2016-17 के दौरान अपने विद्यार्थियों से ₹600 की संशोधित दर के बजाए ₹300 प्रति विद्यार्थी की पुरानी दर पर यूडीएफ की वसूली की थी। इसके परिणामस्वरूप 10,766 विद्यार्थियों से कुल ₹32.30 लाख के यूडीएफ की कम वसूली हुई। कॉलेज ने केवल 2017-18 से ही ₹600 प्रति विद्यार्थी की दर पर यूडीएफ वसूल करना शुरु किया **(अनुलग्नक-3.1)**।

आरएलए कॉलेज ने बताया (मार्च 2022) कि 2012-13 से, वह केवल प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों से यूडीएफ वसूल कर रहा था तथा एकत्रित राशि को प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किया गया था। विश्वविद्यालय ने 2020-21 तक यूडीएफ के कम भुगतान हेतु कॉलेज को कभी भी सूचित नहीं किया था।

आरएलए कॉलेज ने आगे बताया (नवंबर 2022) कि उसने कार्यकारी परिषद के अध्यादेश का 2013 में प्राप्ति तथा कार्यान्वयन के समय गलत अर्थ लगा लिया था। उसने उपलब्ध विद्यार्थियों से कुल ₹2.64 लाख की बकाया राशि वसूल की तथा 2020-21 के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की फीस से संबंधित फीस खाते से ₹26.08 लाख अदा किए थे। इसे छात्र ऋण निधि से पुनर्प्राप्त किया गया था। कॉलेज संचालन समिति की अनुमति से 2012-13 से 2018-19 तक व्यपगत अवधान निधि में से ₹24.49 लाख का यूडीएफ के प्रति समायोजन किया गया था। कॉलेज ने ₹18.69 लाख की शेष राशि की छूट का अनुरोध करते हुए विश्वविद्यालय से संपर्क भी किया है।

हालॉकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यपगत अवधान निधि[63] और ऋण निधि का उपयोग विद्यार्थियों के कल्याण, कॉलेज के विकास तथा इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों के लिए किया जाना था न कि यूडीएफ के बकाया भुगतान के लिए। इस प्रकार, आरएलए कॉलेज द्वारा यूडीएफ की वसूली में ₹68.35 लाख (₹71.99 लाख की कम वसूली की गई, जिसमें से ₹2.64 लाख वर्तमान विद्यार्थियों से समायोजित

[63] विद्यार्थियों से एकत्रित शुल्क से वर्षों में संचित निधि जो अब तक अप्रयुक्त रही।

किए गए) की कमी रही तथा विद्यार्थियों के कल्याण हेतु निधियों का यूडीएफ के भुगतान के प्रति उपयोग किया गया था।

इस संबंध में संदर्भ की प्राप्ति पर (फरवरी 2024) शिवाजी कॉलेज ने बताया (मार्च 2024) कि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान यूडीएफ की कुल ₹33.58 लाख की कम वसूली को विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2021-22 की विद्यार्थियों की फीस से समायोजित किया गया है।

शिवाजी कॉलेज का उत्तर इस तथ्य पर विचार करते हुए तर्कसंगत नहीं है कि 2018-19 से 2020-21 तक के यूडीएफ के बकाया का 2018-19 से 2020-21 के संबंधित विद्यार्थियों से इसकी वसूली किए बिना 2020-21 की वार्षिक फीस से समायोजन विश्वविद्यालय के कुल राजस्व में कमी का कारण बना।

फरवरी 2024 में शहीद भगत सिंह कॉलेज के संज्ञान में लाए गए मामले पर उसने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

इस प्रकार, डीयू के तीन कॉलेजों ने यूडीएफ की वसूली के संबंध में विश्वविद्यालय के वर्तमान अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कॉलेजों द्वारा एकत्रित यूडीएफ को विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना था, विश्वविद्यालय की ओर से निगरानी में कमी को दर्शाता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलोजों से यूडीएफ की वसूली की निगरानी पर कमजोर आंतरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप यूडीएफ की कम वसूली के कारण कुल ₹2.01 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति उच्च शिक्षा विभाग को अक्तूबर 2022 (आरएलए कॉलेज) और मई 2024 (सभी तीन कॉलेजों) में जारी की गई थी; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं।

जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (जेडएचडीसी), दिल्ली विश्वविद्यालय

3.12 ₹78.12 करोड़ के व्यय के बावजूद प्रशासनिक विलंबों के कारण जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में गैर-कार्यान्वित शैक्षणिक अवसंरचना

जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्ष 2009 में ₹33.40 करोड़ के प्रारंभिक लागत अनुमान से अनुमोदित नए शैक्षणिक भवन जिसका निर्माण कार्य नवंबर 2022 तक पूरा होने तथा ₹78.12 करोड़ का व्यय होने के बावजूद अप्रयुक्त रहा। यह विलंब खराब योजना, विलंब से अनुमोदन प्राप्त होना तथा टुकड़ों में निष्पादन के कारण हुआ। कॉलेज ने अनुमोदन के बिना निधियों का अपवर्तन किया तथा भूमिगत जल मामलों जैसे ज्ञात जोखिमों पर कार्रवाई नहीं की। परिणामस्वरूप एक बड़ा लोक निवेश वर्षों तक व्यर्थ रहा है जो परियोजना प्रबंधन तथा वित्तीय अनुशासन में गंभीर कमियों को दर्शाता है।

फरवरी 2009 में, जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (ज़ेडएचडीसी) में एक नए शैक्षणिक ब्लॉक (भूतल सहित आठ-मंजिला) के निर्माण को मंज़ूरी दी। प्रारंभिक अनुमानित लागत ₹33.40 करोड़ थी, जिसे निर्माण दरों में वृद्धि के कारण जनवरी 2012 में ₹68.00 करोड़ तक संशोधित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपने अंशदान को ₹55.00 करोड़ तक सीमित करते हुए मई 2013 में संशोधित अनुमानों को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया। शेष राशि को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत ज़ेडएचडीसी को आवंटित ₹13.02 करोड़ से पूरा किया जाना था। ज़ेडएचडीसी ने मार्च 2012 में अंतिम निर्मित लागत के 6.25 *प्रतिशत* शुल्क पर डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एवं परियोजना पर्यवेक्षण के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में राइट्स लिमिटेड को नियुक्त किया।

वर्ष 2012 में पीएमसी की नियुक्ति किए जाने के बावजूद, निर्माण कार्य केवल अप्रैल 2017 में ही आरंभ हुआ अर्थात् पांच वर्ष के बाद, जबकि नियोजित समयसीमा 11 माह थी। इस विलंब का प्रमुख कारण दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से अनुमोदन प्राप्त करने में प्रक्रियागत अड़चनें, भूमि एवं विकास कार्यालय से अनिवार्य अनापत्ति

प्रमाणपत्र की अनुपलब्धता, परिसर में अनधिकृत निर्माण की मौज़ूदगी तथा ज़ेडएचडीसी और पीएमसी के बीच खराब समन्वय था।

वर्ष 2016 में, अनुबंध प्रदान किए जाने से पूर्व ही, परियोजना की अनुमानित लागत को पुनः संशोधित कर ₹75.12 करोड़ कर दिया गया। वित्तीय अंतराल को देखते हुए, जेडएचडीसी ने परियोजना को अनियमित रूप से दो पैकेजों[64] में विभाजित करने का निर्णय लिया, जिसमें पैकेज-I की लागत को पूर्व स्वीकृत अनुमान के भीतर रखा गया ताकि नए प्रशासनिक अनुमोदनों की आवश्यकता न पड़े। पैकेज-I 2017 में ₹54.42 करोड़ की लागत पर प्रदान किया गया परंतु इस विभाजन ने परियोजना को विलंबित किया और ऐसे घटक जिन्हें समानांतर रूप से निर्मित किया जा सकता था, उन्हें क्रमवार रूप से निष्पादित करने को मजबूर किया। जेडएचडीसी ने लागत पर व्यय जारी रखा, जिससे नवंबर 2022 तक कुल व्यय ₹78.12 करोड़ तक पहुँच गया। जेडएचडीसी ने बढ़ी हुई लागत के लिए यूजीसी से वित्तीय संस्वीकृति की मांग की जिसकी संस्वीकृति जुलाई 2025 तक प्राप्त नहीं हुई थी।

निधि की कमी को पूरा करने हेतु, जेडएचडीसी ने ब्याज आय का अपवर्तन किया – जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुदानों पर ₹4.25 करोड़, यूजीसी अनुदानों पर ₹13.55 करोड़, और परियोजना लेखा के अंतर्गत राइट्स की शेष राशि पर अर्जित ₹7.36 करोड़ के ब्याज का उपयोग किया गया। हालाँकि, विश्वविद्यालय द्वारा केवल ओबीसी निधि (डीयू अनुदान से संबंधित) पर अर्जित ब्याज के उपयोग को ही अनुमति प्रदान की गई थी।

इसके अतिरिक्त, निर्माण की गुणवत्ता से भी समझौता किया गया था। 2012 में भू-तकनीकी अध्ययन ने जल-स्तर को 3.0 से 3.2 मीटर सूचित किया जबकि 2017 में वास्तविक खुदाई में जल-स्तर 1.2 से 1.5 मीटर प्रकट हुआ। इस असमानता के कारण 2019 से निचले बेसमेंट में लगातार जलभराव रहा है। समीक्षा समिति द्वारा बार-बार शिकायतों के बावजूद इस मामले का उचित प्रकार से समाधान नहीं किया

64 पैकेज I और पैकेज II की अनुमानित लागत क्रमशः ₹67.81 करोड़ और ₹7.31 करोड़ थी।

गया था। कई मंजिलों पर दरारें भी दिखाई दीं तथा मरम्मत के बाद भी फिर पड़ गई। जनवरी 2023 में ठेकेदार से एक वचनबंध लेना पड़ा, जिसमें उन्हें फरवरी 2028 तक भविष्य में मरम्मत तथा उपमृदा जल को निकालने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

कार्य के समापन के पश्चात जेडएचडीसी ने फरवरी 2025 में एमसीडी से भवन के अधिभोग प्रमाणपत्र का अनुरोध किया हालांकि यह जुलाई 2025 तक प्रतीक्षित था। भवन की औपचारिक सुपुर्दगी/अधिग्रहण भी कॉलेज द्वारा पाई गई कुछ त्रुटियों के कारण लंबित था।

जेडएचडीसी ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में, एमसीडी अनुमोदनों में विलंब तथा 2016 में संशोधित अनुमानों पर प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रमुख निर्णयकर्ताओं की अनुपस्थिति को विलंब का कारण बताया। उसने निधियों की तत्काल आवश्यकता के कारण ब्याज आय के उपयोग को भी उचित ठहराया।

तथापि, यह केवल उपयुक्त योजना की कमी, वित्तीय संस्वीकृतियों का अभाव, निधियों का विचलन तथा कमजोर परियोजना पर्यवेक्षण को उजागर करता है। यूजीसी ने अगस्त 2020 और नवंबर 2021 में कॉलेज को भवन अनुदान पर अर्जित कुल ₹18 करोड़ के ब्याज को वापिस करने का अनुरोध भी किया। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक भवन का निर्माण कार्य पूरा होने तथा पर्याप्त व्यय करने के बावजूद भी अप्रयुक्त रही।

शिक्षा मंत्रालय को मई 2023 में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी की गई थीं; उनका उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

अध्याय-IV: विदेश मंत्रालय

नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर

4.1 मूल्य वृद्धि समायोजन में ठेकेदारों को ₹3.01 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ

नालंदा विश्वविद्यालय ने खंड 10सीए के अंतर्गत मूल्य वृद्धि दावों में गलत आधार मूल्य और आधार मूल्य सूचकांक सीमा को अपनाया जो डीजी, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दिनांक 21.10.2020 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप नहीं था, जिससे ठेकेदारों को ₹3.01 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ और सरकारी राजकोष को भी हानि हुई।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने प्रतिशत दर/वस्तु दर निविदाओं (2014) के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी) जारी की। जीसीसी में मूल्य वृद्धि संबंधी खंड 10सीए शामिल है जो यह निर्धारित करता है कि "*यदि निविदा प्रस्तुत करने के बाद, अनुसूची एफ में निर्दिष्ट सामग्रियों की कीमत कार्य के लिए अनुसूची एफ*[65] *में दर्शाए गए आधार मूल्य से अधिक बढ़ती/घटती है, तो अनुबंध की राशि तदनुसार बदली जाएगी*"। खंड 10सीए[66] के अंतर्गत मूल्य वृद्धि की गणना करने की विधि को सभी अनुबंध समझौतों का हिस्सा बनाया गया है।

इस संदर्भ में, सीपीडब्ल्यूडी की सतर्कता इकाई ने भी एक ज्ञापन[67] (अगस्त 2016) जारी किया, जिसमें विभिन्न समझौतों में मूल्य वृद्धि संबंधी खंड 10सीए और 10सीसी के अनुचित संचालन के विरूद्ध चेतावनी दी गई थी तथा 2015-16 के

---

65 अनुबंध समझौता में अनुसूची 'एफ' में ठेकेदार और निष्पादन एजेंसी जैसे एनयू/सीपीडब्ल्यूडी के बीच सहमत शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें विशिष्ट कार्य में लागू दरों की मानक अनुसूची, आधार मूल्य, मूल्य वृद्धि खंड, निष्पादित अनुबंध मात्रा में भिन्नता/विचलन आदि शामिल है।

66 सामग्री लागत में परिवर्तन (V), अर्थात भुगतान की जाने वाली/वसूली जाने वाली राशि में वृद्धि/कमी (ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता को/से) = आधार मूल्य (पी) x विचलन सीमा तक सामग्री की मात्रा (क्यू) x [चालू माह के लिए सामग्री का मूल्य सूचकांक (सीआई) - आधार माह के लिए सामग्री का मूल्य सूचकांक (सीएलओ)/ आधार माह के लिए सामग्री का मूल्य सूचकांक (सीएलओ)]

67 संख्या 24/ईई(वी)/आईआर/2015-वीएस-1 दिनांक 05.08.2016।

दौरान पूर्ण किए गए मूल्य वृद्धि वाले ऐसे निर्माण कार्यों की समीक्षा करने पर जोर दिया गया, कि अधिक भुगतान के मामले में ठेकेदार से वसूली की जा सके और सरकारी हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

नालंदा विश्वविद्यालय (एनयू), राजगीर के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2023) से पता चला कि एनयू ने राजगीर में अपने स्थायी परिसर के भीतर दो निर्माण कार्यों को निष्पादित करने का ठेका दिया था, जिसका विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया है:

तालिका 4.1: नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का विवरण

कार्य का नाम	एनयू द्वारा नियुक्त क्रियान्वयन एजेंसी	समझौते की लागत (₹ करोड़ में)	प्रारंभ करने की निर्धारित तिथि/पूर्णता की निर्धारित तिथि	पूर्णता की स्थिति	किए गये कार्य के सापेक्ष में ठेकेदारों को भुगतान (मूल्य वृद्धि और जीएसटी आदि को छोड़कर) (₹ करोड़ में)	10सीए (फरवरी 2024) के अंतर्गत भुगतान की गई मूल्य वृद्धि (6) पर किए गए भुगतान के अतिरिक्त (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गैर आवासीय भवन का निर्माण (कार्य-I)	मेसर्स एनसीसी लिमिटेड, हैदराबाद (एनसीसी)[68]	435.07	मार्च 2017/फरवरी 2020 (36 महीनों के भीतर)	लगभग पूर्ण (99.50%)	537.74[69]	23.79[70]
आवासीय भवनों का निर्माण (कार्य-II)	मेसर्स जेएमसी प्रोजेक्ट लिमिटेड, कोलकाता[71] (जेएमसी)	306.12	जुलाई 2018/जून 2020 (24 महीनों के भीतर)	लगभग पूर्ण (99.50%)	359.52[72]	9.76[73]
कुल		**741.19**			**897.26**	**33.55**

---

[68] एनयू ने 01.03.2017 को मेसर्स एनसीसी लिमिटेड, हैदराबाद के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए।

[69] प्रमाणित 69वें आरए बिल (फरवरी 2024) के अनुसार कार्य लगभग पूरा हो चुका है तथा उपयोग में है।

[70] जून 2021 तक।

[71] एनयू ने 06.09.2018 को मेसर्स जेएमसी प्रोजेक्ट लिमिटेड, कोलकाता के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए।

[72] 53वें आरए बिल तक प्रमाणित है तथा काम लगभग पूरा हो गया है और उपयोग में है।

[73] अगस्त 2020 तक।

एनयू और एनसीसी/जेएमसी के बीच किए गए समझौते[74] की शर्तों में यह प्रावधान था कि ठेकेदारों को एनयू के प्रभारी अभियंता[75] द्वारा निर्धारित प्रारूप में अभिलेखित मापों के आधार पर निष्पादित कार्य के लिए चालू लेखा बिल जमा करना था। प्रभारी अभियंता को बिलों के सत्यापन और ठेकेदार को स्वीकार्य राशि का भुगतान करने की व्यवस्था करनी थी। एनयू ने परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) के लिए मेसर्स मेकॉन लिमिटेड (मार्च 2015) के साथ एक अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित किया गया था कि पीएमसी बिलों के भुगतान के लिए कार्य (ठेकेदार के) को प्रमाणित करेगा। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से पता चला कि पीएमसी द्वारा बिलों को सत्यापित/प्रमाणित करने के बाद, इसे अंतिम अनुमोदन और भुगतान जारी करने के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया था।

लेखापरीक्षा जांच में एनयू द्वारा अनुच्छेद 10सीए के अंतर्गत ठेकेदारों को भुगतान किए गए मूल्य वृद्धि बिलों की समीक्षा की गई, जो ऊपर दी गई तालिका में उल्लिखित निर्माण कार्यों से संबंधित है। जांच में पाया गया कि (अप्रैल 2017 से जून 2021 के दौरान), सीमेंट और टीएमटी की कीमतों में वृद्धि के कारण एनयू ने दोनों ठेकेदारों को कुल ₹33.55[76] करोड़ का भुगतान किया था। तथापि, लेखापरीक्षा के अनुसार, समझौतों तथा मौजूदा आदेशों की शर्तों के अनुसार, मूल्य वृद्धि राशि ₹30.54 करोड़[77] होनी चाहिए थी। अत: एनयू ने दोनों ठेकेदारों (एनसीसी: ₹2.00 करोड़ और जेएमसी: ₹1.01 करोड़) को कुल ₹3.01 करोड़[78] का अतिरिक्त भुगतान जारी किया, जिसके कारण नीचे दिए गए हैं:

---

[74] मेसर्स एनसीसी और मेसर्स जेएमसी के साथ संबंधित समझौतों का खंड-7।

[75] प्रभारी अभियंता का अर्थ है एनयू द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अभियंता जो कार्य का पर्यवेक्षण करता है तथा अपने प्राधिकृत अधीनस्थ अभियंताओं की सहायता से अनुबंध का प्रबंधन करता है।

[76] एनसीसी: ₹23.79 करोड़ और जेएमसी: ₹9.76 करोड़।

[77] एनसीसी: ₹21.78 करोड़ और जेएमसी: ₹8.76 करोड़।

[78] एनसीसी: ₹2.00 करोड़ और जेएमसी: ₹1.01 करोड़।

क) महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी ने दिनांक 21 अक्तूबर 2020 के अपने कार्यालय ज्ञापन[79] में यह प्रावधान किया था कि 1 जुलाई 2017 से खंड 10सीए के अंतर्गत मूल्य वृद्धि अनुसूची-एफ में दर्शाए गए के अनुसार उत्पाद शुल्क और वैट (पूर्व-जीएसटी अवधि की) को छोड़कर 'आधार मूल्य' (पी) और निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार अक्तूबर, 2012 के लिए आधार मूल्य (उत्पाद शुल्क और वैट के बिना) के अनुरूप अखिल भारतीय आधार मूल्य सूचकांक (सीएलओ) लेकर की जानी थी। इसके अतिरिक्त, 12 *प्रतिशत* की दर पर जीएसटी को इस प्रकार गणना की गई मूल्य वृद्धि राशि में जोड़ा जाना है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एनयू ने संबंधित महीने के लिए उत्पाद शुल्क और वैट के बिना वर्तमान मूल्य सूचकांक (सीआई) लिया था, लेकिन खंड 10सीए के अंतर्गत सीमेंट और टीएमटी के लिए मूल्य वृद्धि राशि की गणना करते समय गलती से उत्पाद शुल्क और वैट सहित आधार मूल्य (पी) और आधार मूल्य सूचकांक (सीएलओ) लिया था।

एनयू ने अपने उत्तर (मई 2024) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और मेकॉन लिमिटेड (पीएमसी) के उत्तर का समर्थन किया, जिसमें कहा गया था कि संबंधित पैकेजों के बंद होने तक संशोधित गणना की जा रही है और इस संबंध में आवश्यक समायोजन एनसीसी और जेएमसी के मूल्य वृद्धि बिलों से किया जाएगा और अंतिम प्रमाणीकरण के बाद, यदि कोई वसूली हो, तो की जाएगी। नवीनतम उत्तर (2025) में, एनयू ने पुनः दोहराया कि ठेकेदारों के अंतिम समायोजन बिल मेकॉन के पास संवीक्षा के अधीन थे और मई 2025 तक कोई वसूली नहीं की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि यदि वसूली योग्य राशि के समायोजन के माध्यम से वसूली की जाती है, तो इसकी सूचना दी जाएगी।

ख) उपलब्ध दस्तावेजों से पता चला कि बिलों के सत्यापन/प्रमाणीकरण (पीएमसी, अर्थात् मेसर्स मेकॉन द्वारा) के बाद, इसे अंतिम स्वीकृति और भुगतान जारी

---

[79] कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं.137/एसई(टीएएस)/10सीए/2020/410 दिनांक 21.10.2020 के द्वारा

करने के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा एनयू में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया था। अतः ठेकेदार को भुगतान की स्वीकृति और जारी करने का अंतिम उत्तरदायित्व नालंदा विश्वविद्यालय की थी। उपरोक्त से पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने डीजी, सीपीडब्ल्यूडी के विस्तारित आदेशों और अनुबंध की शर्तों के अनुसार मूल्य वृद्धि बिलों की शुद्धता को सत्यापित करने में यथोचित सावधानी नहीं बरती। स्वीकृति और भुगतान जारी करने में विश्वविद्यालय की लापरवाही के परिणामस्वरूप दोनों ठेकेदारों को ₹3.01 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया (मई 2023); उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

अध्याय-V: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश

5.1 ठेकेदार से ₹1.78 करोड़ के राजस्व की कम वसूली

एम्स ऋषिकेश द्वारा अनुबंध की शर्तों और सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार पर कोई कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप ₹1.78 करोड़ की बकाया राशि की कम वसूली हुई।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 के नियम 09 और 10 के अनुसार, संबंधित अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि सरकार की प्राप्तियां और बकाया राशि का सही एवं त्वरित मूल्यांकन, संग्रहण किया जा रहा है तथा वे संबंधित बैंक खाते में विधिवत जमा की जा रही हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश ने 1 अगस्त 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अस्पताल परिसर में पार्किंग क्षेत्र के प्रबंधन और यातायात के नियंत्रण के लिए एच1 बोलीदाता मेसर्स जय दुर्गा कंस्ट्रक्शन कंपनी (ठेकेदार) हरिद्वार के साथ एक समझौता किया (अगस्त 2019)। पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को त्रैमासिक अग्रिम के रूप में देय ₹9,01,500.00 (सभी करों को छोड़कर) प्रति माह की दर से लाइसेंस शुल्क का भुगतान एम्स को करना था और यदि ठेकेदार पिछली तिमाही के अंतिम दिन तक भुगतान करने में विफल रहता है, तो तिमाही के दस दिनों तक प्रति दिन राशि का *दो प्रतिशत* जुर्माना देय था तथा उसके बाद अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा और सुरक्षा जमा जब्त कर लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुबंध अगस्त 2019 से शुरू हुआ था और ठेकेदार ने अनुबंध की शुरुआत से ही लाइसेंस शुल्क और उस पर जीएसटी का भुगतान करने में चूक करना शुरू कर दिया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एम्स के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं था जो यह पता लगा सके कि ठेकेदार से पूरा लाइसेंस शुल्क और जीएसटी समय पर प्राप्त नहीं हो रहा था

और इसीलिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई जबकि ठेकेदार ने ढ़ाई वर्षों तक केवल आंशिक भुगतान ही किया था। फरवरी 2022 में ही एम्स ने ठेकेदार से बकाया राशि जमा करने का अनुरोध किया, जिसके बाद उसे अनुस्मारक[80] भी भेजे गए। ठेकेदार ने लंबित बकाया राशि का भुगतान किए बिना ही अक्तूबर 2022 में अस्पताल परिसर खाली कर दिया।

इस प्रकार, एम्स ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि राजस्व समय पर प्राप्त हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.78 करोड़ की बकाया राशि की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर एम्स ने बताया (फरवरी 2024) कि ठेकेदार के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है और ₹18 लाख की प्रतिभूति जमा जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, लेकिन इसे अभी भी जब्त किया जाना शेष है (जुलाई 2025)।

इस प्रकार, अनुबंध की शर्तों और सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार एम्स ऋषिकेश द्वारा ठेकेदार पर कोई कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप ₹1.78 करोड़ की बकाया राशि की कम वसूली हुई।

मंत्रालय को जून 2023 में अभ्युक्ति जारी की गई थी, उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

5.2 संकाय सदस्यों को अस्वीकार्य नर्सिंग भत्ते का भुगतान

एम्स ऋषिकेश ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान नर्सिंग कॉलेज के संकाय सदस्यों को कुल ₹60.21 लाख का अस्वीकार्य नर्सिंग भत्ता तथा धुलाई भत्ता का भुगतान किया।

7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की अनुशंसा के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अस्पतालों के साथ-साथ डिस्पेंसरियों में कार्य कर रहे सभी नर्सिंग कार्मिकों को रोगियों की देखभाल से संबंधित उनके बहु-प्रकार के कार्य तथा अन्य स्वास्थ्य व्यावसायिकों से अधिक जोखिमों के संपर्क में रहने के कारण

[80] मार्च, 2022, जुलाई-2022 तथा अगस्त 2022।

₹7,200 *प्रति माह* तक नर्सिंग भत्ते की वृद्धि की (जुलाई 2017)। चूंकि नर्सों को वर्दी में अपने काम पर आना अपेक्षित है इसलिए उन्हें वर्दी भत्ता[81] भी दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के आदेश में दी गई[82] शिक्षण संकाय की परिभाषा के अनुसार 'नर्सिंग कॉलेज के संकाय चिकित्सा कॉलेजों के शेष संकाय के बराबर हैं' तथा इसलिए शैक्षणिक भत्ते के पात्र हैं। चूंकि नर्सिंग कॉलेज के संकाय सदस्य शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं तथा शैक्षणिक भत्ता प्राप्त कर रहे हैं इसलिए नर्सों तथा नर्सिंग कार्मिक की अन्य श्रेणी, जो पूर्णत: नर्सिंग सेवाएं करते हैं, से इनकी बराबरी नहीं की जा सकती तथा नर्सिंग कॉलेज के संकाय सदस्यों को नर्सिंग भत्ता तथा वर्दी भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

एम्स ऋषिकेश के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत नर्सिंग कॉलेज (कॉलेज) जिसमें नर्सिंग पाठ्यक्रम अर्थात् बी.एससी *(ऑनर्स)* नर्सिंग; एम.एससी नर्सिंग; ऑपरेटिंग रूम नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा तथा पीएच.डी पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि कॉलेज के संकाय सदस्य, जो शैक्षणिक कार्य करने के लिए ₹22,500.00 *प्रति माह* की दर पर शैक्षणिक भत्ता तथा ₹1.50 लाख *प्रति वर्ष* का संसाधन ज्ञान भत्ता प्राप्त करते हैं, वे ₹7,200.00 प्रति माह की दर पर नर्सिंग भत्ता तथा ₹1,800.00 प्रति माह की दर पर वर्दी भत्ता भी प्राप्त कर रहे थे जबकि उनके कर्तव्यों की प्रकृति में रोगियों की देखभाल शामिल नहीं है तथा उनको वर्दी में अपने कार्य पर आना भी अनिवार्य नहीं है।

एम्स ऋषिकेश ने नर्सिंग कॉलेज के संकाय सदस्यों को शैक्षणिक भत्ते तथा संसाधन ज्ञान भत्ते के अतिरिक्त नर्सिंग भत्ता तथा वर्दी भत्ता भी दिया जो संकाय सदस्यों को अनुचित लाभ का कारण बना। चूंकि नर्सिंग कॉलेज के संकाय सदस्यों की नियुक्ति,

---

[81] 7वें सीपीसी की अनुशंसा पर, पहले के वर्दी भत्ता तथा धुलाई भत्ता को सम्मिलित करने के पश्चात् नया वर्दी भत्ता शुरू किया गया तथा इसे सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया था।

[82] सीएटी, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के ओए 26/2021 दिनांक 4 अगस्त 2022 में शशी मावर बनाम एम्स नई दिल्ली।

वेतन संरचना तथा कार्यों की प्रकृति नर्सों से अलग है इसलिए उनके द्वारा नर्सिंग एवं वर्दी भत्ता का आहरण गलत था। एम्स ऋषिकेश ने अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक की अवधि के दौरान नर्सिंग कॉलेज के संकाय सदस्यों को ₹60.21 लाख के अस्वीकार्य भत्तों का भुगतान किया।

मामला एम्स ऋषिकेश को सूचित किया गया था (जून 2023)। एम्स ऋषिकेश ने स्वीकार किया (अगस्त 2023) कि कॉलेज के संकाय सदस्यों को ये भत्ते अदा किए जा रहे हैं।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (सितंबर 2023)। *मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि एम्स ऋषिकेश सहित 10 एम्स को नर्सिंग कॉलेज के संकाय सदस्यों को नर्सिंग भत्ते का भुगतान तुरंत प्रभाव से बंद करने के अनुदेश जारी किए थे तथा सभी एम्स द्वारा इसका पालन भी किया गया था।*

चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (सीएनसीआई), कोलकाता

5.3 बिजली शुल्क का परिहार्य भुगतान - ₹1.99 करोड़

चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (सीएनसीआई), कोलकाता द्वारा अनुबंध मांग में अधोगामी संशोधन करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹1.99 करोड़ के विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (डब्ल्यूबीईआरसी) के दिनांक 31 दिसंबर 2007[83] की अधिसूचना के खंड 3ए.3.5 के अनुसार, विद्युत मांग प्रभार महीने के दौरान दर्ज अधिकतम मांग या अनुबंध मांग[84] का 85 *प्रतिशत*, जो भी अधिक हो, के आधार पर लगाया जाएगा।

[83] दिनांक 25 अप्रैल 2011 की संशोधित अधिसूचना का खंड 4.3.5।

[84] अनुबंध मांग या अनुबंध भार का अर्थ किलोवाट (केडब्ल्यू) या किलो वोल्ट एम्पीयर (केवीए) में विद्युत भार है, जिसे लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध या समझौते के अनुसार, लाइसेंसधारी ने वितरित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है, और उपभोक्ता को अनुबंध या समझौते की निरंतरता के दौरान किसी भी समय या सभी समय उपभोक्ता के आपूर्ति बिंदु पर इसे प्राप्त करने का अधिकार है।

चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (सीएनसीआई), कोलकाता, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, ने कोलकाता के राजारहाट में अपने दूसरे परिसर में 460-बिस्तरों वाले कैंसर उपचार केंद्र को बिजली की आपूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) के साथ पांच साल का समझौता किया (सितंबर 2018)।

समझौते के अनुसार, सीएनसीआई द्वारा आवेदन की गई अधिकतम अनुबंध मांग पहले वर्ष के लिए 2000 किलो वोल्ट एम्पीयर (केवीए), दूसरे वर्ष के लिए 3500 केवीए और तीसरे वर्ष के लिए 4150 केवीए थी।

जुलाई 2019 से 2000 केवीए की अनुबंध मांग के साथ परिसर में बिजली की आपूर्ति शुरू हुई। केवल तीन महीने बीतने के बाद ही सीएनसीआई ने डब्ल्यूबीएसईडीसीएल से अनुबंध मांग को 2000 केवीए से घटाकर 1000 केवीए करने का अनुरोध किया (29 अक्तूबर 2019), क्योंकि पहले वर्ष में वास्तविक खपत अनुबंध मांग से कम थी। इस अनुरोध को डब्ल्यूबीएसईडीसीएल (8 नवंबर 2019) ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मौजूदा डब्ल्यूबीईआरसी मानदंडों के अनुसार, अनुबंध मांग में कमी केवल सेवा कनेक्शन के प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष के बाद *अर्थात्* जुलाई 2020 के बाद ही की जा सकती है। डब्ल्यूबीएसईडीसीएल ने सीएनसीआई (नवंबर 2019) को अनुबंध मांग में कमी के लिए भविष्य में नए सिरे से आवेदन करने की सलाह दी।

तथापि, सीएनसीआई ने जुलाई 2020 में *अर्थात्* आपूर्ति के एक वर्ष पूरा होने के बाद, अनुबंध मांग में कमी के लिए आवेदन नहीं किया। डब्ल्यूबीएसईडीसीएल ने समझौते की शर्तों के अनुसार, दूसरे वर्ष *अर्थात्* जुलाई 2020 से अनुबंध मांग को 2000 केवीए से बढ़ाकर 3500 केवीए और तीसरे वर्ष *अर्थात्* जुलाई 2021 से अनुबंध मांग को 4150 केवीए कर दिया।

जुलाई 2020 से फरवरी 2023 की अवधि के लिए बिजली बिलों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि सीएनसीआई ने अनुबंध मांग का केवल 16 *प्रतिशत* से 28 *प्रतिशत* ही प्राप्त किया था तथा समझौते के अनुसार, अनुबंध मांग के

85 *प्रतिशत* पर बिजली शुल्क का भुगतान किया था, जैसा कि **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.1: अनुबंध मांग के सापेक्ष में उपयोग (केवीए)

अवधि	अनुबंध मांग (केवीए)	केवीए में वास्तविक उपयोग (कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं)		जिसके लिए भुगतान किया गया (केवीए)
		न्यूनतम	अधिकतम	
जुलाई 2020 - जून 2021	3500	580 (17)	872 (25)	2975
जुलाई 2021 - जून 2022	4150	648 (16)	1108 (27)	3528
जुलाई 2022 - फरवरी 2023	4150	920 (22)	1152 (28)	3528

नवंबर 2021 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, सीएनसीआई ने 15 महीने बीत जाने के बाद, मौजूदा 4150 केवीए से 2000 केवीए तक अनुबंध की मांग में कमी के लिए आवेदन किया (फरवरी 2023) और तदनुसार, मार्च 2023 के बिलिंग चक्र से डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा इसे 4150 केवीए से घटाकर 2000 केवीए कर दिया गया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (सितंबर 2023) में बताया कि:

i. *बिजली आपूर्ति की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सीएनसीआई ने डब्ल्यूबीएसईडीसीएल से अनुबंध मांग को कम करने का अनुरोध किया, लेकिन डब्ल्यूबीएसईडीसीएल ने यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि अधोगामी संशोधन केवल एक वर्ष की सेवा अर्थात् जुलाई 2020 के बाद ही किया जा सकता है।*

ii. *सीएनसीआई के परिसर को पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 अस्पताल (मार्च 2020 से फरवरी 2022) स्थापित करने के लिए अपने अधीन ले लिया*

था, ऐसे में सीएनसीआई अधोगामी संशोधन के लिए सटीक केवीए की गणना करने की स्थिति में नहीं था।

iii. *कोविड अस्पताल के संचालन की अवधि के दौरान बिजली बिल का कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वहन किया गया था।*

iv. *अस्पताल के प्रारंभिक चरण में होने तथा उसमें कुछ उच्च-स्तरीय उपकरणों की स्थापना लंबित होने के कारण, सीएनसीआई अनुबंध मांग के लिए सटीक आवश्यकता का आकलन करने की स्थिति में नहीं था। तथापि, पूर्ण-विकसित सेवाओं की शुरुआत के बाद सीएनसीआई द्वारा मूल्यांकन किया गया और इस मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध मांग को 4150 केवीए से घटाकर 2000 केवीए कर दिया गया था।*

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि: (i) सीएनसीआई को पहले से ही पता था कि उसके पहले वर्ष में वास्तविक ऊर्जा खपत अनुबंध मांग से काफी कम थी, जैसा कि अक्तूबर 2019 में डब्ल्यूबीएसईडीसीएल को किए गए अधोगामी संशोधन के उनके अनुरोध से स्पष्ट है, लेकिन उसने अनुबंध की मांग को वर्ष में एक बार बदलने के विकल्प पर कार्रवाई नहीं की, जिससे वे फरवरी 2022 के बाद, *अर्थात्* पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा परिसर वापस किए जाने के बाद अपने अनुबंध मांग की समीक्षा कर सकते थे। सीएनसीआई की वास्तविक खपत अर्थात् खंड 3ए 3.5 के अनुसार कभी भी प्रारंभिक अनुबंधित भार (2000 केवीए) तक भी नहीं पहुँची। यह बिजली बिलों के भुगतान में अतिरिक्त व्यय को बचाने के लिए सीएनसीआई की ओर से निगरानी में कमी को दर्शाता है।

सीएनसीआई ने अंततः फरवरी 2023 में लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर ही अनुबंध की मांग में अधोगामी संशोधन के लिए आवेदन किया। इस प्रकार, सीएनसीआई द्वारा अपनी अनुबंध मांग को समय पर अपनी वास्तविक बिजली खपत के साथ संरेखित करने में विफलता और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के साथ मामले को उठाने की पहल में कमी के परिणामस्वरूप ₹1.99 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

5.4 ₹2.14 करोड़ के विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान

चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता ने छूट का लाभ प्राप्त किए बिना पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को विद्युत शुल्क का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹2.14 करोड़ के विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 का नियम 21 अनुबंध करता है कि लोक धन से व्यय करने या व्यय को प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय आदेश तथा कड़ी मितव्ययिता को भी लागू करनी चाहिए तथा देखना चाहिए कि सभी संबंधित नियम-विनियम का उसके स्वयं के कार्यालय तथा अधीनस्थ संवितरण अधिकारियों द्वारा पालन किया गया है। इसके अतिरिक्त, जीएफआर के नियम 229 के अनुसार, स्वायत्त निकाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वायत्त निकायों के समग्र वित्तीय प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होगा।

बंगाल विद्युत शुल्क (बीईडी) अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत लाईसेंसधारियों[85] को बिल के भुगतान के समय उपभोगताओं से विद्युत शुल्क की वसूली करना तथा पश्चिम बंगाल सरकार को उसका प्रेषण करना अनिवार्य है। हालांकि, बीईडी अधिनियम 1935 की धारा 3(3)(बी)(iii) प्रावधान करती है कि दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान या व्यक्ति के वर्ग द्वारा या उसके संबंध में खपत की गई बिजली की यूनिट, जो मीटर में दर्ज है, पर विद्युत शुल्क देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची की बिन्दु सं. 7 उन अस्पतालों या डिस्पेंसरियों जिनका संचालन निजी लाभ के लिए नहीं किया जाता है, के संबंध में विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट का प्रावधान भी करती है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए, पात्र संस्थानों को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में विद्युत शुल्क निदेशालय, पश्चिम बंगाल को आवेदन करना होता है।

---

[85] लाईसेंसधारी से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसे लाइसेंस प्रदान किया गया है या जिसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अंतर्गत लाइसेंसधारी माना गया है। लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं को बिजली के पारेषण/वितरण/व्यापार का कार्य करता है।

चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (सीएनसीआई), कोलकाता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। सीएनसीआई दो अस्पतालों का संचालन करता है, एक हजारा में (पहला परिसर) तथा दूसरा न्यू टाउन (दूसरा परिसर), कोलकाता में, जो बिना किसी निजी लाभ के समाज के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समर्पित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीएनसीआई ने बीईडी अधिनियम के अंतर्गत छूट उपलब्ध होने के बावजूद अपने दूसरे परिसर (न्यू टाउन, कोलकाता में) के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) को ₹2.14 करोड़ का विद्युत शुल्क अदा किया। तथापि, इसके पहले परिसर (हजारा, कोलकाता में) के लिए कोई विद्युत शुल्क अदा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, सीएनसीआई ने विद्युत शुल्क निदेशालय, पश्चिम बंगाल से संपर्क किया (नवंबर 2022)। विद्युत शुल्क निदेशालय ने छूट प्रदान की (सितंबर 2023) तथा डब्ल्यूबीएसईडीसीएल को विद्युत शुल्क न लगाने का निर्देश दिया। तदनुसार, सितंबर 2023 के बाद से कोई विद्युत शुल्क अदा नहीं किया गया था।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीएनसीआई के उत्तर को अग्रेषित किया (मार्च 2025) जिसमें संस्थान ने बताया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को पहले की अवधि में अदा किए गए विद्युत शुल्क की वापसी हेतु अनुरोध किया था। तथापि, तथ्य यह है कि कुल ₹2.14 करोड़ के पहले के विद्युत शुल्क को अभी भी वापस किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त सीएनसीआई ने सूचित किया कि अस्पताल सेवा परामर्श निगम लिमिटेड (एचएससीसी), परियोजना परामर्शदाता, मार्च 2021 तक सीएनसीआई की ओर से बिजली बिलों का भुगतान कर रहा था। यह कथन तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि उस अवधि के दौरान किसी भी बिजली बिल का भुगतान एचएससीसी द्वारा नहीं किया गया था।

इस प्रकार, बंगाल विद्युत शुल्क अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक छूट को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने में सीएनसीआई की विफलता ने न केवल सामान्य वित्तीय नियमावली में उल्लिखित वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का उल्लंघन किया बल्कि ₹2.14 करोड़ के परिहार्य व्यय का कारण भी बनी।

अनुशंसा: मंत्रालय सीएबी को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है कि वे संबंधित राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा दी जाने वाली छूट और प्रोत्साहन के संदर्भ में सभी उचित लाभ उठाए, जो उनके लिए लागू हो सकते हैं और मंत्रालय को सहायता-अनुदान की मांग प्रस्तुत करते समय इस संबंध में आश्वासन दे।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता

5.5 भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता द्वारा वार्षिक रिटर्न जमा करने में विलंब/गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण जुर्माना न लगाया जाना

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता ने खाद्य व्यापार संचालकों से वार्षिक रिटर्न विलंब से या नियत तिथि के भीतर जमा न करने के लिए ₹5.60 करोड़ का जुर्माना नहीं वसूला। ₹5.60 करोड़ में से ₹2.27 करोड़ का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएस), 2006 के अंतर्गत की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एफएसएसएआई के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है। एफएसएसएआई का गठन खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए किया गया है। एफएसएसएआई अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अपने अधिदेश को लागू करता है, जिन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अध्याय II की धारा 4(4) के अनुसार स्थापित किया गया है।

खंड 2.1.13 और विनियमों के अनुलग्नक 3 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, विनिर्माण, प्रसंस्करण, पुनः-लेबलिंग, पुनः पैकिंग और आयात में लगे सभी लाइसेंस प्राप्त खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को पिछले वर्ष के दौरान उनके द्वारा निर्मित/संभाले गए/आयातित और निर्यात किए गए प्रत्येक वर्ग के खाद्य उत्पादों की मात्रा दर्शाते हुए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह प्रस्तुतीकरण अगले वर्ष की 31 मई तक संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

विनियमन के खंड 2.1.13 (3) में आगे बताया गया है कि निर्धारित समयसीमा तक रिटर्न जमा न करने पर रिटर्न दाखिल करने की तिथि तक प्रतिदिन ₹100 का जुर्माना लगाया जाएगा। दिनांक 10 नवंबर 2022 के आदेश के अनुसार वार्षिक रिटर्न जमा न करने पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वार्षिक शुल्क के अधिकतम पांच गुना तक सीमित कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 32 के साथ पठित विनियमों के खंड 2.1.14 और खंड 2.1.8 के अनुसार, प्रत्येक एफबीओ जिसे इस विनियमन के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में सुधार नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस में उल्लिखित निर्धारित समयसीमा के भीतर अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा, ऐसा न करने पर उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद उसका लाइसेंस निलंबित/रद्द किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए एफएसएसएआई के पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एफबीओ द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न के उपलब्ध अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला है कि 1018 एफबीओ ने अपने वार्षिक रिटर्न जमा नहीं किए थे और 1412 एफबीओ ने विलंब से वार्षिक रिटर्न जमा किया था (अगस्त 2023 तक)।

चूंकि एफबीओ निर्धारित तिथि तक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे, इसलिए वे मौजूदा नियमों के अनुसार वार्षिक रिटर्न विलंब से या न जमा करने के लिए निर्धारित जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी हो गए।

लेखापरीक्षा ने अनुमान लगाया कि 2430 एफबीओ पर उचित लाइसेंसिंग प्राधिकरण को अपने वार्षिक रिटर्न जमा न करने/विलंब से जमा करने के लिए ₹5.60 करोड़ का जुर्माना नहीं लगाया गया। उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, एफएसएसएआई ने किसी भी चूककर्ता का लाइसेंस रद्द/निलंबित नहीं किया है (अगस्त 2023)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2021), एफएसएसएआई कोलकाता ने बताया (मार्च 2024/अगस्त 2025) कि 327 चूककर्ता एफबीओ में से 158 को सुधार नोटिस जारी किए गए थे (अप्रैल 2021 से अगस्त 2023 तक)। सभी चूककर्ता एफबीओ को पुनः सुधार नोटिस जारी किए जाएंगे और लंबित बकाया राशि जमा न करने पर एफएसएस अधिनियम/विनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एफएसएसएआई कोलकाता ने आगे बताया कि वर्ष 2020-23 के लिए ₹2.27 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के लिए क्रमशः ₹2.06 करोड़ और ₹0.68 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, जो चूककर्ताओं से वसूला जा सकता है तथा जिसमें से क्रमशः ₹0.11 करोड़ और ₹0.06 करोड़ की राशि की वसूली भी की जा चुकी है।।

मंत्रालय ने (अक्तूबर 2023) बताया कि एफएसएसएआई से प्राप्त टिप्पणियों के अनुसार, प्रति वर्ष 31 मई तक वार्षिक रिटर्न जमा करने में विफल रहने वाले एफबीओ पर प्रतिदिन ₹100 का जुर्माना लगाया जाएगा तथा वित्त वर्ष 2020-21 से पहले वार्षिक रिटर्न जमा करने के लिए कोई ऑनलाइन तंत्र नहीं था, इसलिए, एफबीओ द्वारा वार्षिक रिटर्न जमा करने पर नज़र रखना एक कठिन काम था। मंत्रालय ने आगे बताया कि कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और जुर्माने की वसूली के लिए भविष्य कार्य योजना तैयार है।

इस प्रकार, तथ्य यह था कि एफएसएसएआई, कोलकाता द्वारा चूककर्ता एफबीओ से ₹3.33 करोड़ (₹5.60 करोड़ - ₹2.27 करोड़) का जुर्माना वसूलने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल सरकार को राजस्व की हानि हुई, बल्कि यह एफएसएसएआई की निगरानी प्रणाली में कमियों को भी दर्शाता है।

अध्याय-VI: श्रम और रोजगार मंत्रालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

6.1 बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को परिहार्य भुगतान

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा आवंटित भूमि के लिए समय पर राशि का भुगतान करने में अनिर्णय के परिणामस्वरूप से ₹5.57 करोड़ की ब्याज राशि का परिहार्य भुगतान हुआ।

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआईडीसी) लिमिटेड ने श्रम विभाग, बिहार सरकार को नामकुम, रांची में 50 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल के निर्माण के लिए वर्ष 1977 में हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री (एचटीआईएफ) की 7.6 एकड़[86] भूमि का आवंटन किया। अस्पताल का निर्माण 1987 में पूरा हुआ और इसे राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2002 तक संचालित किया गया, जिसके बाद इसे ईएसआईसी को सौंप दिया गया।

श्रम विभाग, बिहार सरकार ने 1982 में, निर्देश दिया कि ईएसआईसी द्वारा भूमि की कीमत का भुगतान करने के पश्चात भूमि का विक्रय पत्र उसके पक्ष में निष्पादित किया जाएगा। एचटीआईएफ ने वर्ष 2000 में हस्तांतरित भूमि के लिए ₹40 लाख प्रति एकड़ (प्रचालित बाजार कीमत) की दर से ₹2.36 करोड़ की मांग की। वर्ष 2009 में, एचटीआईएफ ने भुगतान के लिए पुनः अनुरोध किया तथा ईएसआईसी को सूचित किया कि लंबित भुगतान पर *आठ प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से ब्याज लागू होगा। इस संबंध में ईएसआईसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वर्ष 2012 में, ईएसआईसी ने भूमि हस्तांतरण हेतु ब्याज सहित ₹6.74 करोड़ का प्रस्ताव रखा। वर्ष 2013 में

[86] 5.9 तथा 1.7 एकड़ भूमि (वास्तविक माप पर कुल 8.1 एकड़)

बीएसआईडीसी लिमिटेड ने बिक्री के बजाय पट्टा अनुबंध[87] का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे ईएसआईसी ने दिसंबर 2015 में स्वीकार कर लिया। बीएसआईडीसी लिमिटेड को क्रमश: 29 दिसंबर 2017 तथा 19 मार्च 2019 को ₹8.63 करोड़ तथा ₹5.08 करोड़ की दो किश्तों में भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि श्रम विभाग के निर्देशों के अनुसार, बीएसआईडीसी लिमिटेड को भुगतान करने तथा 2000 से भूमि के स्वामित्व को सुरक्षित करने में ईएसआईसी के अनिर्णय तथा निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹5.57 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना पड़ा जिससे बचा जा सकता था। अंततः, ईएसआईसी को उसी भूमि के लिए अधिक दर पर भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, भुगतान किए जाने के बावजूद पट्टा समझौता अभी तक निष्पादित होना शेष है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2025) में बताया कि भूमि के विलंबित भुगतान का मुख्य कारण राज्य के विभाजन के समय जनशक्ति तथा अन्य संसाधनों के वितरण/पुनर्व्यवस्था की प्रक्रिया में लगने वाला अधिक समय था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भूमि की कीमत का परिकलन 2008 के सर्कल रेट के आधार पर किया गया था तथा यदि भुगतान 2017 के सर्कल रेट पर किया जाता तो यह काफी अधिक होता। ब्याज का भुगतान आगे की वृद्धि को रोकने हेतु विरोधस्वरूप किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि 2015 में प्रयास किए गए थे, जिसे बीएसआईडीसी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था तथा पुनः 2025 में मेडिकल कॉलेज के लिए अतिरिक्त भूमि के भुगतान के प्रति ब्याज माफ करने या समायोजित करने के प्रयास किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईएसआईसी, आरओ रांची 2008 में चालू था तथा ईएसआईसी को एचटीआईएफ के अनुरोध के अनुसरण में, 2008 के प्रचलित सर्कल

[87] 01 जनवरी 1980 से 60 वर्षों की अवधि के लिए तथा 30 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए उस समय प्रचलित भूमि के 50 *प्रतिशत* मूल्य के आधार पर, जैसा कि झारखंड सरकार द्वारा पट्टा राशि के रूप में निर्धारित किया गया है, तथा इस प्रकार निर्धारित राशि का एक *प्रतिशत* वार्षिक किराया ब्याज सहित देय होगा।

रेट के आधार पर 2009 में ब्याज के बिना भूमि की लागत का भुगतान करने का अवसर मिला था। 1980 से भूमि पर लगातार अधिकार रहने तथा 2000 एवं 2009 में भुगतान के लिए मांग प्राप्त होने के बावजूद ईएसआईसी ने निर्णायक कार्रवाई नहीं की। राज्य विभाजन या अदालती मामलों के कारण कानूनी अनिश्चितता का तर्क 2009 के बाद से निरंतर निष्क्रियता को उचित नहीं ठहराता है, विशेषकर जब एचटीआईएफ ने अपनी मांग दोहराई थी तथा विशिष्ट भुगतान शर्तें प्रस्तुत की थीं। इसके अतिरिक्त ₹13.71 करोड़ (ब्याज के रूप में ₹5.57 करोड़ सहित) के भुगतान के पश्चात भी पट्टा विलेख निष्पादित किया जाना शेष है और स्थिति 2009 जैसी ही बनी हुई है। 10 वर्षों तक भुगतान में विलंब के लिए कोई उचित आधार नहीं दिखता, विशेषकर जब 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए ईएसआईसी के अपने खाते में बड़ा अधिशेष था। इस विलंब के परिणामस्वरूप बीएसआईडीसी को ₹5.57 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। यह अनुशंसा की जाती है कि पट्टा अनुबंध को यथाशीघ्र औपचारिक रूप दिया जाए।

अध्याय-VII: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

भारतीय खेल प्राधिकरण

नेताजी सुभाष पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनएसईसी), कोलकाता

7.1 विलंबित भुगतान अधिभार के कारण ₹1.00 करोड़ के देय बिजली बिलों का परिहार्य भुगतान

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी), पद्मा, हज़ारीबाग़ ने नियत तिथि तक बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.00 करोड़ का विलंबित परिहार्य भुगतान अधिभार लगाया गया।

झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ विनियमन[88] में प्रावधान है कि यदि कोई उपभोक्ता बिल में निर्दिष्ट देय तिथि के पश्चात 15 दिनों की छूट अवधि के भीतर ऊर्जा बिल का पूर्ण भुगतान नहीं करता है तो, बिल की बकाया मूल राशि पर 1.5 *प्रतिशत* की दर से प्रति माह या उसके भाग पर विलंबित भुगतान अधिभार[89] (डीपीएस), देय तिथि से भुगतान पूर्ण होने तक लगाया जाएगा।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने देश भर में विभिन्न साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) स्थापित किए हैं, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी हेतु खिलाड़ियों को विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है।

साई, नेताजी सुभाष पूर्वी केंद्र (एनएसईसी), कोलकाता पूर्वी क्षेत्र में साई की विभिन्न खेल प्रोत्साहन योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई), साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी), एसटीसी के विस्तार केंद्र आदि के कार्यान्वयन तथा निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है। साई-एनएसईसी, कोलकाता का परिचालन क्षेत्र छः राज्यों *अर्थात्* बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में फैला हुआ है। इनमें से एक प्रशिक्षण केंद्र पद्मा, हज़ारीबाग़ (झारखंड) में स्थित है। इस केंद्र का निर्माण वर्ष 2009 में किया गया था लेकिन

---

88 वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22

89 झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग की धारा 10.13

सुरक्षा मामलों के कारण इसे सितंबर 2017 तक चालू नहीं किया जा सका। केंद्र का औपचारिक रूप से उद्घाटन फरवरी 2018 में किया गया था।

साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) हज़ारीबाग़ ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के साथ 500 केवीए (किलो वोल्ट एम्पीयर), की अनुबंध मांग सहित बिजली की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध (जुलाई 2010) किया। अगस्त 2012 में, साई ने जेबीवीएनएल से भार कम करने का अनुरोध किया जिसे जेबीवीएनएल द्वारा यह बताते हुए नहीं बदला गया कि भार कम करना अनुबंध के तीन वर्ष अर्थात् 02.07.2013 के बाद ही संभव है। तत्पश्चात्, भार 200 केवीए तक संशोधित किया गया।

एसटीसी, हज़ारीबाग़[90] द्वारा बिजली बिलों के भुगतान से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि केंद्र ने अक्तूबर 2012 से जुलाई 2016 की अवधि के लिए बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया था जिसके लिए जेबीवीएनएल ने ₹4.47 लाख के डीपीएस प्रभार सहित ₹50.64 लाख की बकाया राशि की मांग की थी। हालांकि, साई पूर्वी केंद्र, कोलकाता ने राशि का भुगतान नहीं किया तथा राज्य सरकार से देय राशि को माफ करने का अनुरोध किया (दिसंबर 2016) क्योंकि केंद्र अपनी स्थापना के पश्चात से ही निष्क्रिय रहा। तदनुसार, राज्य सरकार ने जेबीवीएनएल को ₹50.64 लाख की लंबित देनदारी को स्थगित रखने और सितंबर 2017 से नई बिलिंग शुरू करने का निर्देश दिया।

तथापि, एसटीसी हज़ारीबाग़, ने मार्च 2017 से फरवरी 2019 तक की अवधि के लिए बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण मार्च 2019 में बिजली की आपूर्ति काट दी गई। कनेक्शन को पुनः बहाल करने के लिए, एसटीसी हज़ारीबाग़ द्वारा अप्रैल 2019 में ₹15.00 लाख का भुगतान किया गया (डीपीएस के रूप में भुगतान किए गए ₹12.80 लाख सहित)। तथापि, एसटीसी हज़ारीबाग़ ने बिजली बिलों के भुगतान में चूक करना जारी रखा, जिसके कारण फरवरी 2022 तक बकाया देय

[90] उपभोक्ता संख्या- 7003/पीएमएचटी1161

राशि ₹2.72 करोड़ हो गई, जिसमें से ₹1.85 करोड़ बकाया ऊर्जा प्रभार तथा ₹0.87 करोड़ विलंबित भुगतान अधिभार के कारण थे। एसटीसी द्वारा अंततः अगस्त 2022 में ₹2.72 करोड़ के बकाया बिजली बिल का भुगतान किया गया। इसमें ₹50.64 लाख शामिल नहीं हैं, जिसे स्थगित रखा गया था, तथा जो जून 2022 में जेबीवीएनएल द्वारा स्थगन हटाने के पश्चात देय हो गया था तथा जून 2022 से इस राशि पर डीपीएस प्रभारित किया गया था।

इस प्रकार, एसटीसी द्वारा बिजली बिलों के विलंबित भुगतान के कारण साई को अगस्त 2022 तक विलंबित भुगतान अधिभार के कारण ₹1.00 करोड़[91] का भुगतान करना पड़ा तथा मार्च 2023 तक डीपीएस के कारण ₹0.38 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी हुई।

प्रबंधन ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2024)। *तथापि, मंत्रालय ने जुलाई 2024 में सूचित किया कि एसटीसी पद्मा हजीराबाग नियमित रूप से बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर सका क्योंकि जेबीवीएनएल ब्याज की छूट तथा भार की कटौती के निर्णय को लंबे समय तक स्थगित रख रहा था।*

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एसटीसी हजीराबाग को ब्याज की छूट तथा भार कटौती से संबंधित लंबित निर्णयों के बावजूद वास्तविक बिजली खपत हेतु सामयिक भुगतान करना अपेक्षित था। इस दायित्व के अनुपालन में विफलता के कारण विलंबित भुगतान अधिभार (डीपीएस) के परिहार्य संचय में हुआ जिसे वर्तमान बकायों का समय पर भुगतान करके न्यूनतम किया जा सकता था।

[91] ₹0.87 करोड़ + ₹0.13 करोड़

भारतीय खेल प्राधिकरण

7.2 खेल अवसंरचना का विकास तथा रखरखाव, उपकरणों का उपयोग तथा प्रशिक्षकों की तैनाती

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) को खेलों को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल उत्कृष्टता प्राप्त करने के दोहरे उद्देश्य से अधिदेशित किया गया है। यह खिलाड़ियों को आवश्यक अवसंरचना, उपकरण, कोचिंग सुविधाएं तथा प्रतिस्पर्धी अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि में साई तथा इसके विभिन्न केंद्रों की लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित उजागर किया:

- **वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, साई ने खेल के मैदानों (एफओपी), खिलाड़ियों के लिए छात्रावास तथा अन्य अवसंरचना के निर्माण, नवीनीकरण तथा उन्नयन के लिए कुल ₹876.57 करोड़ की 123 अवसंरचना परियोजनाएं प्रारंभ कीं। इनमें से 115 परियोजनाएं मार्च 2025 तक पूर्ण हो चुकी थीं। शेष आठ परियोजनाओं का निर्माण कार्य अधूरा/प्रगति पर था।**
- **अवसंरचना तथा सुविधाओं की आवश्यकता का आकलन अपर्याप्त था।**
- **कार्यों के क्षेत्र में बार-बार संशोधन, निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलंब, अपूर्ण परियोजनाएं, निर्माण कार्यों की निम्नस्तरीय गुणवत्ता, अवसंरचना तथा सुविधाओं का निष्क्रिय रहना तथा अवसंरचना के अनुचित रखरखाव के कारण खिलाड़ियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के मामले सामने आए।**
- **साई की 15 इकाइयों में खेल/वैज्ञानिक/चिकित्सा उपकरण स्थान की कमी, खेलों के बंद होने, अत्यधिक खरीद तथा/या तकनीकी श्रमशक्ति की कमी के कारण बेकार/अप्रयुक्त पड़े थे।**
- **रखरखाव के अभाव में 10 खेल के मैदान (एफओपी) अप्रयुक्त पड़े हैं।**
- **साई ने अपने केंद्रों पर 206 प्रशिक्षक तैनात किए, जहां उनके संबंधित विधाओं या प्रशिक्षुओं के अभाव के कारण उनकी सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया।**

7.2.1 प्रस्तावना

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की स्थापना नई दिल्ली में 1982 में आयोजित IXवें एशियाई खेलों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जनवरी 1984 में खेल विभाग के अंतर्गत एक संस्था के रूप में की गई थी। साई को खेलों को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल उत्कृष्टता प्राप्त करने के दोहरे उद्देश्य सौंपे गए हैं। अपनी प्रचार योजनाओं के माध्यम से, साई प्रतिभाओं को समर्थन एवं पोषण तथा खिलाड़ियों को अपेक्षित अवसंरचना, उपकरण, कोचिंग सुविधाएं तथा प्रतिस्पर्धी अवसर प्रदान करता है। साई को वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से ₹2,757.72 करोड़ का ब्लॉक अनुदान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, साई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय से सीधे निधियां प्राप्त करता है। साथ ही, इसके पास राजस्व के आंतरिक स्रोत हैं, जिनमें प्राथमिक रूप से स्टेडियम, शुल्क/सदस्यता से आय भी शामिल है।

7.2.1.1 संगठनात्मक ढांचा

महानिदेशक, साई संगठन के प्रधान कार्यकारी अधिकारी हैं। साई का मुख्यालय (साई एचक्यू) नई दिल्ली में है, जिसमें विभिन्न कार्यात्मक प्रभाग शामिल हैं। 23 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) में पूर्ववर्ती 10 क्षेत्रीय केंद्र शामिल हैं जिन्हें अक्तूबर 2019 से एनसीओई के रूप में पुनःनामित किया गया है। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) के रूप में नामित दिल्ली में स्थित पांच स्टेडियमों[92] का प्रबंधन तथा रखरखाव साई मुख्यालय द्वारा किया जाता है। दो शैक्षणिक संस्थान, *अर्थात्* एनएसएनआईएस पटियाला तथा एलएनसीपीई तिरुवनंतपुरम, जो क्षेत्रीय केंद्रों के समान थे, देश भर में खेल प्रोत्साहन तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए इसकी योजनाओं के कार्यान्वयन अभिकरण बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीओई के अंतर्गत 67 साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) हैं।

---

[92] जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम परिसर (गैर-क्रियात्मक), इंदिरा गांधी खेल परिसर, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल परिसर (पहले तालकटोरा स्वीमिंग पूल के रुप में जाना जाता था), मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम (पहले नेशनल स्टेडियम के रुप में जाना जाता था), डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज (पहले शूटिंग रेंज तुगलकाबाद के रुप में जाना जाता था)।

7.2.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के लिए 10 पूर्ववर्ती क्षेत्रीय केंद्र (आरसी), दो शैक्षणिक संस्थानों तथा 17 साई प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) जिनमें उनके विस्तार केंद्र भी शामिल है, सहित सभी 23 साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) में लेखापरीक्षा की गई थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.2.3 अवसंरचना का विकास

7.2.3.1 अवसंरचना के विकास की स्थिति

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, साई ने खेल के मैदानों (एफओपी)[93]सिंथेटिक ट्रैक तथा सिंथेटिक हॉकी टर्फ के निर्माण/नवीनीकरण/सुधार से संबंधित विभिन्न अवसंरचना परियोजनाएं प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त, साई ने देश भर में फैले आरसी, एनसीओई तथा अन्य इकाइयों में खिलाड़ियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी प्रारंभ किया। अवसंरचना निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए साई ने सितंबर 2020 तक की अवधि के लिए टर्नकी तथा लागत जमा आधार पर जमा कार्य के रूप में तीन परियोजना प्रबंधन सलाहकारों[94] (पीएमसी) को सूचीबद्ध किया (2017)। तत्पश्चात, साई ने देश भर की परियोजनाओं के लिए आठ पीएमसी[95] को चार वर्ष की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया (2020), जो सितंबर 2021 में उसकी 55वीं बैठक में शासी निकाय द्वारा रद्द किए जाने तक जारी रहे।

---

93 किसी खेल के लिए अपेक्षित विशिष्टताओं का खेल मैदान जिसे उस स्थान के रुप में निर्धारित किया जाता है जहाँ वह खेल खेला जाता है।

94 वैपकॉस, मणिपुर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमएएनआईडीसीओ) तथा हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड

95 (i) वैपकॉस; (ii) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी); (iii) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएनएल); (iv) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी); (v) मणिपुर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमएएनआईडीसीओ); (vi) मेसर्स हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल); (vii) उत्तर प्रदेश परियोजना निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल); तथा (viii) मेघालय सरकार निर्माण निगम लिमिटेड

वर्षवार किये गए अवसंरचनात्मक निर्माण कार्यों की संख्या तथा उनकी स्थिति **तालिका 7.1** में दी गई है।

तालिका 7.1: मार्च 2025 तक अवसंरचनात्मक निर्माण कार्यों की स्थिति

वर्ष	प्रारंभ की गई परियोजनाएँ	परियोजनाओं की लागत (₹ करोड़ में)	पूर्ण की गई परियोजनाएँ	पूर्ण की गई परियोजनाओं की लागत (₹ करोड़ में)	चालू परियोजनाएँ	चालू परियोजनाओं की लागत (₹करोड़ में)
2017-18	53	286.09	51	272.09	2	14.00
2018-19	05	19.05	05	19.05	0	0.00
2019-20	18	345.51	15	277.17	3	68.34
2020-21	44	222.95	41	135.62	3	87.33
2021-22	03	2.97	03	2.97	0	0.00
कुल	**123**	**876.57**	**115**	**706.90**	**08**	**169.67**

इस प्रकार, 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान प्रारंभ की गई कुल ₹876.57 करोड़ की 123 परियोजनाओं में से कुल ₹706.90 करोड़ (81 *प्रतिशत*) की 115 (93.5 *प्रतिशत*) परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी थीं तथा कुल ₹169.67 करोड़ (19 *प्रतिशत*) की लागत के आठ निर्माण कार्य[96] (6.5 *प्रतिशत*) मार्च 2025 तक अधूरे थे।

इसके अतिरिक्त, 2017-18 से 2021-22 के दौरान प्रारंभ की गई 123 परियोजनाओं में से केवल 23 परियोजनाएं ही समय पर पूर्ण हुई थी; 92 परियोजनाएं विलंब से पूर्ण हुईं, जिनमें से 46 परियोजनाएं एक वर्ष से अधिक समय तक विलंबित थीं। सभी आठ चालू परियोजनाएं 18 से 84 महीने तक विलंबित थीं। पूर्ण हो चुकी 115 परियोजनाओं में से 10 में स्वीकृत लागत से ₹3.61 करोड़ की अधिक लागत आई थी।

7.2.3.2 अवसंरचना के विकास के लिए योजना का अभाव

लेखापरीक्षा ने पाया कि पूंजीगत परियोजनाओं के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु अवसंरचना की आवश्यकता का आवधिक रूप से आकलन करने का तंत्र भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) में मौजूद नहीं था। साई ने सूचित किया (अगस्त 2023) कि

96 2017-18 से दो, 2019-20 से तीन, 2020-21 से चार तथा 2021-22 से एक।

विभिन्न केंद्रों पर भविष्य में अवसंरचना की आवश्यकता का आकलन समय-समय पर केंद्र प्रभारियों के साथ सम्मेलनों/बैठकों के माध्यम से किया गया था। तथापि, तथ्य यह है कि अवसंरचना के विकास के लिए योजना के अभाव के कारण अवसंरचना परियोजनाओं के स्थान में परिवर्तन, निर्माण कार्य के क्षेत्र में बार-बार संशोधन, निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलंब, अपूर्ण निर्माण कार्य, अवसंरचना एवं सुविधाओं के निष्क्रिय रहने आदि के कारण, खिलाड़ियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में बताया गया है।

7.2.3.3 छात्रावास परियोजनाएँ

(क) छात्रावास परियोजनाओं की योजना तथा क्रियान्वयन में कमियाँ

साई ने 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान देश भर में अपने क्षेत्रीय केंद्रों तथा अन्य स्थानों पर ₹519.99 करोड़ की कुल संस्वीकृत लागत पर 21 छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। इन 21 छात्रावास परियोजनाओं में से 17 परियोजनाओं की लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- जून 2019 (प्रथम-चरण) में साई की विभागीय परियोजना अनुमोदन समिति (डीपीएसी) द्वारा ₹126.96 करोड़ की अनुमानित लागत पर चार स्थानों[97] पर 300 बिस्तरों वाले चार छात्रावासों को स्वीकृति दी गई;
- जून 2019 (द्वितीय चरण) में डीपीएसी द्वारा ₹214.16 करोड़ की अनुमानित लागत पर आठ स्थानों[98] पर 300 बिस्तरों वाले छात्रावास को स्वीकृति दी गई; तथा
- ₹70.94 करोड़ की लागत पर 100 से 160 बिस्तरों वाले पांच छात्रावासों[99] को स्वीकृति दी गई।

---

97 भोपाल, इम्फाल, सोनीपत तथा तिरुवंतनपुरम।

98 एनसीओई बेंगलुरु; इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली; डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली; एसटीसी औरंगाबाद; एनएसएनआईएस पटियाला; क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ; एनसीओई कोलकाता; तथा आर्मी खेल संस्थान, पुणे।

99 डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली; एसटीसी पुडुचेरी; एनसीओई सोनीपत; एनएसएनआईएस पटियाला तथा एनसीओई ईटानगर।

छात्रावास परियोजनाओं के प्रथम चरण के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि साई ने बिना किसी सर्वेक्षण तथा विस्तृत स्थान-वार अनुमान प्राप्त किए बिना मंत्रालय को चार 300-बिस्तरों वाले छात्रावासों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (25 मार्च 2019)। प्रारंभिक प्रस्ताव में उन स्थानों का उल्लेख नहीं गया था, जहां छात्रावासों का निर्माण किया जाना था। मंत्रालय ने ₹70.88 करोड़ (प्रारंभिक अनुमान) की लागत पर चार 300 बिस्तरों वाले छात्रावासों के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृत किया तथा 29 मार्च 2019 को, अर्थात् प्रस्ताव प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर, साई को ₹46.23 करोड़ जारी किए। विस्तृत अनुमान में वातानुकूलित स्टूडियो अपार्टमेंट, फर्नीचर तथा भोजन कक्ष जैसे अतिरिक्त मदों को शामिल करने के कारण अनुमान को बाद में ₹126.96 करोड़ तक संशोधित कर दिया गया।

300 बिस्तरों वाले छात्रावासों के दूसरे चरण के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने 10 स्थानों पर छात्रावास के निर्माण हेतु ₹267.70 करोड़ के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया (जून 2019)। मूल प्रस्ताव में स्वीकृत 10 छात्रावासों में से, एनसीओई मुंबई तथा एनसीओई गुवाहाटी के स्थान पर एसटीसी धर्मशाला तथा आर्मी खेल संस्थान (एएसआई), पुणे को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, एसटीसी धर्मशाला तथा जेएलएन स्टेडियम, नई दिल्ली में छात्रावासों को क्रमशः भूमि की अनुपलब्धता तथा कार्य/योग्यता मानदंडों के क्षेत्र में बड़े संशोधन के कारण रद्द कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप स्वीकृत परियोजनाएं रद्द हुईं, परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब हुआ तथा लागत में वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी 12 छात्रावास (300 बिस्तरों वाले) परियोजनाएं प्रारंभ में एक ही पीएमसी *अर्थात्* वैपकॉस[100] को आवंटित (जुलाई/अगस्त 2019) की गई थीं, जिनमें से दो[101] को बाद में एनबीसीसी को आवंटित (जुलाई 2020) कर दी गईं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि पूर्ण आवश्यकताओं का पूर्व आकलन किए बिना छात्रावासों के निर्माण की परियोजनाओं का निष्पादन किया गया, जिसके

[100] एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो इस कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रुप में कार्य कर रहा है।

[101] आईजीएससी नई दिल्ली तथा डॉ. केएसएसआर नई दिल्ली।

परिणामस्वरूप मूल योजनाओं में बार-बार संशोधन/संवर्धन, अतिरिक्त लागत तथा परियोजनाओं के समापन में विलंब हुआ, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

(i) इंदिरा गांधी (आईजी) स्टेडियम, नई दिल्ली: डीपीएसी ने आईजी स्टेडियम, नई दिल्ली में ₹26.77 करोड़ की लागत पर 300 बिस्तरों वाले छात्रावास के निर्माण को स्वीकृत किया (जून 2019)। बाद में, साई ने इसकी क्षमता को 700 बिस्तरों तक बढ़ाने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2019)। तदनुसार, वैपकॉस ने 684 बिस्तरों वाले छात्रावास (भूतल+7) का एक व्यापक प्रस्ताव (सितंबर 2019) प्रस्तुत किया तथा ₹52.95 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान दिया। तथापि, साई ने 300 बिस्तरों वाले छात्रावास के निर्माण के मूल प्रस्ताव पर वापस लौटने तथा वैपकॉस पर पहले से ही कार्य के अधिक बोझ को देखते हुए पीएमसी को बदलने का निर्णय लिया (जुलाई 2020) तथा ₹29.48 करोड़ की लागत पर एनबीसीसी (नई पीएमसी) को कार्य सौंपा गया (जनवरी 2021)। इसके बाद, एनबीसीसी ने 15 महीने की समापन अवधि के साथ यह कार्य एक ठेकेदार को सौंपा (जून 2021)। तथापि, मार्च 2025 तक तीन वर्षों से अधिक के विलंब के बाद भी कार्य अपूर्ण था।

(ii) डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज (डॉ. केएसएसआर), नई दिल्ली: डीपीएसी ने ₹26.77 करोड़ की लागत पर प्रत्येक कमरे में तीन लोगों की रहने की क्षमता वाले 300 (भूतल+3) बिस्तरों वाले छात्रावास के निर्माण को स्वीकृति दी (जून 2019)। बाद में, साई ने इसकी क्षमता को 600 बिस्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2019)। तदनुसार, वैपकॉस ने 684 बिस्तरों वाले छात्रावास (भूतल+7) का एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (सितंबर 2019) तथा ₹52.95 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान उद्धृत किया। हालाँकि, साई ने 300 बिस्तरों वाले छात्रावास (भूतल+2) के निर्माण पर वापस लौटने तथा साथ ही पीएमसी को भी बदलने का निर्णय लिया क्योंकि (जुलाई 2020) यह महसूस किया गया कि वैपकॉस के पास पहले से ही अधिक कार्य था तथा एनबीसीसी (नई पीएमसी) को कार्य सौंपा गया (फरवरी 2021)। परियोजना के कार्य क्षेत्र को संशोधित किया गया क्योंकि प्रत्येक कमरे में तीन लोगों के रहने की क्षमता को वातानुकूलन सहित दो लोगों की रहने की क्षमता में संशोधित किया गया तथा प्रारंभिक अनुमानों को डीपीएआर-2019 से डीपीएआर 2020 के

आधार पर संशोधित किया गया, जिससे लागत ₹26.77 करोड़ से बढ़कर ₹29.30 करोड़ हो गई। यह परियोजना मार्च 2025 तक पूर्ण कर ली गई है।

(iii) एनसीओई इम्फाल: डीपीएसी ने ₹38.57 करोड़ की लागत पर भूतल+3 मंजिलों के 300 बिस्तरों वाले छात्रावास की परियोजना को अप्रैल 2021 की निर्धारित समापन तिथि के साथ स्वीकृत किया (जून 2019)। वैपकॉस ने आगे यह कार्य ठेकेदार को कुल ₹24.80 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) की उद्धृत लागत पर सौंपा। वैपकॉस ने लेआउट योजना का आकार (षट्कोणीय आकार के बजाय वाई-आकार), मंजिलों की संख्या (जी+3 के बजाय जी+5) में परिवर्तन किया (जनवरी 2020) तथा भूमि संबंधी बाधाओं से निपटने के लिए पाइल फाउंडेशन कार्य को शामिल किया, जिन पर वैपकॉस द्वारा विस्तृत अनुमान तैयार करते समय ध्यान नहीं दिया गया था। अनुबंधित राशि से ₹5.88 करोड़ अधिक की लागत का यह बड़ा बदलाव सक्षम प्राधिकारी/साई के अनुमोदन के बिना किया गया था। कार्य चार वर्षों से अधिक के विलंब के साथ अगस्त 2025 तक अपूर्ण था।

(iv) एनसीओई लखनऊ: डीपीएसी ने एनसीओई लखनऊ में ₹26.77 करोड़ की लागत पर 300 बिस्तरों वाले छात्रावास के निर्माण को स्वीकृत किया (जून 2019) जिसे मार्च 2021 तक पूर्ण किया जाना था। हालाँकि, नवंबर 2019 में, आगामी परियोजना से एक हाई टेंशन (एचटी) ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन जाती पाई गई, जिसे निर्माण कार्य के प्रारंभ होने से पहले हटाना अपेक्षित था। एनसीओई लखनऊ ने ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन को हटाने के लिए जून 2020 में ₹39.76 लाख का अतिरिक्त व्यय किया, साथ ही, इससे निर्माण कार्य भी 19 महीने के विलंब से, नवंबर 2022 में पूर्ण हुआ।

(v) एनसीओई कोलकाता: डीपीएसी ने एनसीओई, कोलकाता में 300 बिस्तरों वाले छात्रावास के निर्माण को स्वीकृत किया (जून 2019)। एनसीओई कोलकाता ने भूमि की कमी को इंगित करते हुए 300 बिस्तरों वाले एक छात्रावास का निर्माण न करने का सुझाव दिया (जुलाई 2019) तथा इसके बजाय लड़कों (200 बिस्तरों वाले) तथा लड़कियों (100 बिस्तरों वाले) के लिए अलग-अलग छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, साई मुख्यालय द्वारा इस सुझाव पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया,

और फायर एनओसी से पहले ही कार्य आरंभ कर दिया गया। पीएमसी (वैपकॉस) ने साई को सूचित किया (अक्तूबर 2020) कि राज्य अग्निशमन विभाग ने छात्रावास भवन में सीढ़ियों की संख्या को तीन के बजाय चार करने का निर्देश दिया था, जिससे ₹86 लाख की अतिरिक्त लागत आएगी, या क्षेत्रफल को समान (7509 वर्ग मीटर) रखने के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट की संख्या को 24 से घटाकर 16 की जाए। साई की वित्त समिति की 98वीं बैठक (जुलाई 2021) में ₹86 लाख की अतिरिक्त लागत पर सीढ़ियों के निर्माण को स्वीकृत किया गया। यह बताया गया कि छात्रावास का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है (अगस्त 2025) जबकि फिनिशिंग, इनवेंटरी प्राप्त करने, मलबा हटाने आदि का कार्य प्रगति पर था तथा ₹27.61 करोड़ की राशि वैपकॉस को हस्तांतरित कर दी गई थी। तथापि, छात्रावास अभी भी साई को सुपुर्द नहीं किया गया था।

(vi) एनसीओई ईटानगर: डीपीएसी ने प्रारंभ में एसटीसी धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में 300 बिस्तरों वाले छात्रावास के निर्माण को स्वीकृत किया (जून 2019), जिसे धर्मशाला में भूमि की अनुपलब्धता के कारण ₹26.72 करोड़ की लागत पर 120 बिस्तरों वाले छात्रावास हेतु एनसीओई ईटानगर में बदल दिया गया (सितंबर 2021)। छात्रावास के निर्माण स्थान में परिवर्तन के लिए डीपीएसी से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। मार्च 2024 मे समापन की निर्धारित तिथि के साथ फरवरी 2022 में कार्य प्रारंभ किया गया। तथापि, सितंबर 2025 तक 32 *प्रतिशत* वित्तीय प्रगति तथा 40 *प्रतिशत* भौतिक प्रगति के साथ कार्य अपूर्ण था।

उपरोक्त उदाहरणों ने योजना चरण में कमियों, पीएमसी के साथ उचित समन्वय की कमी, पीएमसी में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परियोजनाओं में विलंब या पूर्ण नहीं होने के संकेत दिए।

(बी) निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलंब तथा निगरानी की कमी

छात्रावासों तथा खेल के मैदानों जैसी अवसंरचना परियोजनाओं के समापन में काफी विलंब हुआ, जिसके कारण खिलाड़ियों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं। 41वीं जीबी बैठक (सितंबर 2013) के निर्देशों के अनुसार, साई ने परियोजना

प्रबंधन समूह (पीएमजी) की स्थापना की (अक्तूबर 2015), जिसके संदर्भ शर्तों में कार्य क्षेत्र को अंतिम रूप देना तथा परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी शामिल थी।

साई ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान 123 निर्माण परियोजनाओं में से 21 छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिनमें से 16 छात्रावास मार्च 2025 तक पूर्ण हो चुके थे। लेखापरीक्षा ने छात्रावासों के निर्माण के नियोजन चरण में ऊपर चर्चा की गई कमियों, के अतिरिक्त परियोजना निष्पादन में परिहार्य विलंब भी पाया। लेखापरीक्षा ने साई मुख्यालय में 17 नई छात्रावास परियोजनाओं की नमूना जांच की, जिनमें से 12 परियोजनाएं मार्च 2025 तक पूर्ण हो चुकी थीं। 17 छात्रावास परियोजनाओं में से 10 में प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति (एए एंड ईएस) प्रदान करने तथा पीएमसी द्वारा ठेकेदार को कार्यादेश (एलओए) जारी करने की अवधि के बीच तीन से दस महीने का समय अंतराल था। इसके अतिरिक्त, 16 परियोजनाओं में 8 से 50 महीने का समय लंघन पाया गया, जैसा **अनुलग्नक 7.1** में उल्लेख किया गया है, जबकि एक परियोजना में एए एंड ईएस में परियोजना के समापन के समय का उल्लेख नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजनाओं की योजना में कमियों के कारण विलंब हुआ था अर्थात् साइट की अनुपलब्धता, साइट/संरचना/डिजाइन को अंतिम रूप न देना, स्थानीय प्राधिकारियों से मंजूरी प्राप्त न करना, पीएमसी द्वारा ठेकेदार को निधियां जारी करने में विलंब, पीएमसी द्वारा पहले सिविल निर्माण कार्यों के लिए तथा बाद में अन्य मदों जैसे बाहरी विकास निर्माण कार्यों, फर्नीचर और अन्य सुविधाओं के लिए निविदा को विभाजित करना।

साई/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2023) कि विलंब लॉकडाउन लागू होने के साथ-साथ केंद्रीय नोडल अभिकरण (सीएनए) प्रणाली की स्थापना के कारण निधि हस्तांतरण के कारण हुआ था। साई ने भी वैपकॉस को बार-बार कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया था तथा अनुमानों को अंतिम रूप देने से पहले पूर्व-अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के निर्देश जारी किए थे।

साई द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम स्थिति (अगस्त 2025) के अनुसार, छात्रावासों की 17 नई निर्माण परियोजनाओं में से, 300 बिस्तरों वाले आठ छात्रावासों तथा चार अन्य छात्रावासों का निर्माण मार्च 2025 तक पूर्ण हो चुका था तथा पांच छात्रावासों का निर्माण एए एंड ईएस जारी होने के तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी मार्च 2025 तक प्रगति[102] पर था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन पांच अपूर्ण निर्माण कार्यों में से चार को पीएमसी को एए एंड ईएस जारी होने के 18 से 24 महीने में पूर्ण किया जाना था, जबकि एनसीओई ईटानगर में छात्रावास के समापन की समयसीमा एए एंड ईएस में निर्धारित नहीं की गई थी।

छात्रावासों के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित विशिष्ट उदाहरणों ने अनुपालन तथा निगरानी में कमियों को उजागर किया।

(i) विकास नियमों के उल्लंघन में छात्रावास भवन का निर्माण

ओलंपिक खेलों के लिए एक टीम तैयार करने के लिए राष्ट्रीय हॉकी अकादमी (एनएचए) के लिए **मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम (एमडीसीएनएस)** के परिसर में पुरुष तथा महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए छात्रावास का निर्माण करने का निर्णय लिया गया (मार्च 2017)। साई ने साइट सेटबैक, अर्थात् प्लॉट की आंतरिक सीमा से लगे 12-15 मीटर का क्षेत्र, जहां सीपीडब्ल्यूडी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए एमडीसीएनएस परिसर के पहले के नवीकरण के दौरान साइट कार्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए अर्ध-स्थायी संरचनाएं स्थापित की थी, का उपयोग करने का निर्णय लिया।

उन कार्यालय संरचनाओं को वातानुकूलन प्रावधान, प्रशासनिक ब्लॉक के नवीनीकरण, फर्नीचर की आपूर्ति आदि के साथ प्रीफैब तकनीक से छात्रावासों में परिवर्तित करने का कार्य मई से सितंबर 2017 के दौरान ₹2.52 करोड़ की कुल लागत पर वैपकॉस को सौंपा गया था। अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्नलिखित कमियां प्रकट कीं:

102 एलएनसीपीई तिरुवनंतपुरम, एनसीओई इम्फाल, एनसीओई कोलकाता, आईजी स्टेडियम, नई दिल्ली तथा एनसीओई ईटानगर

- साई ने उन अर्ध-स्थायी संरचनाओं में छात्रावास बनाए, जबकि सीपीडब्ल्यूडी ने चेतावनी दी थी (दिसंबर 2016 तथा फरवरी 2017) कि स्थानीय भवन उप-नियमों[103] के अनुसार उसके साइट कार्यालयों वाली भूमि पर किसी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है।
- सितंबर 2017 में छात्रावास चालू किए गए थे, परंतु सात महीने (मई 2018) के भीतर ही उन्हें मरम्मत तथा रखरखाव की आवश्यकता पड़ने लगी जैसे कि जलभराव, बिजली एवं प्लंबिग उपकरणों का न चलना। इसने कार्य की खराब गुणवत्ता को दर्शाया। अंततः, मार्च 2022 में छात्रावास खाली किए गए तथा उसकी मरम्मत करने के लिए खिलाड़ियों को जेएनएस स्थित छात्रावास में भेज दिया गया।

इस प्रकार, छात्रावासों का निर्माण भवन उपनियमों तथा प्रक्रियाओं के उल्लंघन में जल्दबाजी में किया गया था। निर्माण भी निम्नस्तरीय था जिसके परिणामस्वरूप हॉकी खिलाड़ियों के लिए अच्छी छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकीं।

साई ने बताया (अक्तूबर 2023) कि मरम्मत कार्य अप्रैल 2023 में पूर्ण हो गया था तथा खिलाड़ियों को जेएनएस से एमडीसीएनएस छात्रावास में भेज दिया गया था।

(ii) 17 छात्रावास परियोजनाओं में से एक अर्थात् एसटीसी पुडुचेरी में लड़कियों के लिए 100 बिस्तरों वाला छात्रावास, नए स्थान पर स्थानांतरण, बिजली कनेक्शन में विलंब आदि के कारण विलंबित हुआ। इसी परियोजना के संबंध में, वित्त समिति ने बाद में पाया (सितंबर 2023) कि स्थानीय पीएमजी ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना ₹45.38 लाख की कीमत के निर्माण कार्य प्राप्त किए थे। समिति ने यह भी बताया कि कई अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में, पीएमजी, जिसका गठन परियोजना की उचित निगरानी एवं सामायिक समापन को सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य रूप से

[103] सीपीडब्ल्यूडी का साइट कार्यालय एक साइट सेटबैक क्षेत्र (चारदीवारी और बिल्डिंगों के बीच का क्षेत्र) था। स्थानीय भवन उपनियमों के अनुसार, परिसर के कुल क्षेत्रफल के अनुसार साइट सेटबैक क्षेत्र में कोई भी निर्माण किए जाने की अनुमति नहीं थी। चूँकि राष्ट्रीय स्टेडियम के प्लॉट का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से अधिक था इसलिए कम से कम 12 से 15 मीटर सेटबैक के रूप में छोड़ा जाना था।

किया गया था, अतिरिक्त कार्य करवा रहा है तथा अतिरिक्त मदों पर कार्य शुरू करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी का उचित अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया है। साई ने वित्त समिति के निर्देशों के आधार पर पीएमजी को भंग कर दिया (सितंबर 2023) तथा वित्तीय निहितार्थों वाले निर्णय लेने के किसी भी अधिकार के बिना कार्य की प्रगति की निगरानी के एकमात्र उद्देश्य से तकनीकी निगरानी समितियों की स्थापना की (अक्तूबर 2023)।

अनुशंसा: मंत्रालय साई को साइटों/भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं की पहचान की अपनी प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा उनके अनुमोदनों हेतु अपेक्षित प्रक्रियाओं के साथ-साथ मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दे सकता है।

7.2.3.4 खेल के मैदान (एफओपी)

(क) निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलंब

साई ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान 123 निर्माण परियोजनाओं में से 45 एफओपी का निर्माण प्रारंभ किया, जिनमें से 42, मार्च 2025 तक पूर्ण हो चुके थे। लेखापरीक्षा ने नौ परियोजनाओं की नमूना जांच की जिनमें से सात परियोजनाएं मार्च 2025 तक पूर्ण हो चुकी थीं, जिनमें से दो परियोजनाओं[104] में ₹67 लाख की लागत वृद्धि पाई गई। चार निर्माण कार्य ऐसे थे जिनमें कार्य के समापन हेतु कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई थी जबकि तीन निर्माण कार्यों में 4 से 42 महीनों तथा एक अपूर्ण परियोजना में छः वर्ष से अधिक का समय लंघन पाया गया था जैसा कि **अनुलग्नक-7.2** में उल्लिखित है।

यह पाया गया कि खेल के मैदानों से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में आवश्यकताओं के आकलन, संविदा प्रबंधन तथा परियोजनाओं के लिए समय पर निधियों के प्रावधान के रूप में कमियां थीं। उपरोक्त नौ परियोजनाओं की नमूना जांच के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईं।

[104] एनसीओई, बेंगलुरु में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक (₹41 लाख) तथा एसटीसी हजारीबाग में सिंथेटिक हॉकी टर्फ (₹26 लाख)।

(ख) एफओपी परियोजनाओं के कार्य क्षेत्र में बाद के चरणों में बदलाव

खेल के मैदानों से संबंधित परियोजनाओं में भी सुदृढ़ योजना का अभाव रहा तथा कार्यान्वयन चरण के दौरान कार्यक्षेत्र में बदलाव के कारण भी परियोजना प्रभावित हुई। निम्नलिखित उदाहरण प्रक्रिया में कमजोरी को दर्शाते हैं:

- मंत्रालय ने ₹50.00 करोड़ की अनुमानित लागत पर **एनएसडब्ल्यूसी, गांधीनगर** में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए दक्षिण एशियाई पैरालंपिक केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया (मार्च 2017)। इसमें से, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) को ₹20.00 करोड़ का योगदान देना था। डीईपीडब्ल्यूडी ने एसआईपीडीए[105] योजना के अंतर्गत पहली किस्त (जून 2017) के रूप में ₹10.00 करोड़ की राशि जारी की। साई ने कार्य को दो चरणों में (चरण-I के अंतर्गत ₹50.47 करोड़ तथा चरण- II के अंतर्गत ₹23.12 करोड़) निष्पादित करने का निर्णय लिया जिसमें एफओपी तथा छात्रावास (150 बिस्तरों वाले) शामिल थे। तत्पश्चात, सचिव (खेल) तथा डीजी साई ने परियोजना के क्षेत्र में काफी संशोधन किया (अप्रैल/जुलाई 2019) क्योंकि साई के माध्यम से छात्रावास (400 बिस्तरों वाले) के निर्माण को छोड़कर दोनों चरणों में प्रस्तावित सभी अवसंरचनाओं के निर्माण को समाप्त कर दिया गया था। परियोजना में बदलावों को ध्यान में रखते हुए मार्च 2021 में ₹30.28 करोड़ के संशोधित अनुमान को स्वीकृत किया गया। यह कार्य मई 2022 तक पूर्ण किया जाना था। परियोजना में हुए बदलावों के कारण छात्रावास का निर्माण आज तक (अप्रैल 2025) अपूर्ण है। साई ने बताया (अगस्त 2025) कि 95 *प्रतिशत* सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य सितंबर 2025 तक पूर्ण हो जाएगा। कार्य के समापन की अनुमानित लागत ₹25.73 करोड़ थी जिसमें से ₹21.51 करोड़ का व्यय किया जा चुका है तथा ₹4.22 करोड़ की शेष राशि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत की गई थी।
- साई ने **एनसीओई औरंगाबाद** में फेंसिंग हॉल के निर्माण को स्वीकृत किया (अक्तूबर 2020) जिसे मेसर्स एनपीसीसी लिमिटेड द्वारा ₹2.00 करोड़ की लागत से निष्पादित किया जाना था और अगस्त 2021 तक पूर्ण किया जाना

---

105 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (एसआईपीडीए) के कार्यान्वयन की योजना।

था। कार्य[106] में संशोधन के कारण कार्य को ₹2.20 करोड़ की लागत से मार्च 2024 में विलंब से पूर्ण किया गया।

- साई ने **एनसीओई मुंबई** में ₹8.00 करोड़ की लागत से बहुउद्देशीय इनडोर हॉल के निर्माण कार्य को स्वीकृत किया (जुलाई 2017) जिसे मई 2018 तक पूर्ण किया जाना था। हालाँकि, कार्य को नवंबर 2018 में, *अर्थात्* प्रशासनिक अनुमोदन जारी होने की तिथि से 16 महीनों के विलंब के पश्चात एक ठेकेदार को सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त, जिमनास्टिक्स, जूडो तथा कबड्डी जैसे कई खेलों के बजाय, हॉल को विशेष रूप से कुश्ती के लिए निर्धारित (सितंबर 2021) किया गया था। कार्य पांच वर्षों के विलंब के पश्चात जून 2023 में पूर्ण हुआ।
- साई/मंत्रालय ने यह भी स्वीकार किया कि दो निर्माण कार्यों, *अर्थात्* 'जयपुर ग्रामीण में विभिन्न स्थानों पर 17 खेल के मैदानों का विकास' तथा 'जयपुर ग्रामीण में विभिन्न स्थानों पर 17 व्यायामशाला हॉल के निर्माण' को एनसीओई गांधीनगर के अधिकार क्षेत्र में ₹8.85 करोड़ तथा ₹3.06 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत किया गया था। कार्य क्रमशः दिसंबर 2018 तथा मार्च 2019 में प्रारंभ हुआ तथा अन्य कारणों सहित भूमि सौंपने में विलंब के कारण क्रमशः 26 तथा 23 महीने के विलंब से पूर्ण हुआ।

साई/मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि पैरालंपिक केंद्र में संशोधन परियोजना के हित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण के आधार पर किए गए थे, जबकि एनसीओई औरंगाबाद में फेंसिंग हॉल के निर्माण के लिए कार्यक्षेत्र में संशोधन कार्य की प्रगति के दौरान अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुमत था, जिसे पीएमजी की अनुशंसा के आधार पर किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं, क्योंकि कार्यक्षेत्र में बार-बार संशोधन, प्रारंभिक योजना में कमियों को दर्शाता है तथा इससे अनुबंध प्रबंधन के साथ-साथ परियोजनाओं के सामयिक समापन में भी समस्याएं आती हैं।

एनसीओई मुंबई में बहुउद्देशीय इनडोर हॉल के मामले में साई/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि विलंब मुख्य रूप से पीएमसी द्वारा ठेकेदार को भुगतान न करने

[106] फर्श की सामग्री, दर्शक दीर्घा, कार्यालय तथा भंडार कक्ष का फर्नीचर, एचवीएसी प्रणाली सहित संशोधित अनुमान।

के कारण हुआ था जो साई एवं पीएमसी के बीच निगरानी तथा समन्वय की कमी को दर्शाता है। वित्त समिति ने निगरानी की कमी को स्वीकार किया।

अनुशंसा: मंत्रालय साई को अवसंरचना परियोजनाओं की योजना तथा निष्पादन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं हेतु व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दे सकता है।

(ग) खेल के मैदान (एफओपी) के निर्माण कार्यों में प्रभावी अनुबंध प्रबंधन की कमी

यह पाया गया था कि परियोजनाओं की परिकल्पना या योजना ध्यानपूर्वक नहीं की गई थी बल्कि अनुबंध प्रबंधन में भी लापरवाही बरती गई थी, जो निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर अभ्युक्तियों से स्पष्ट है:

- साई ने **एसटीसी तिनसुकिया, असम** में 400 मीटर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाने की परियोजना को स्वीकृत किया (अक्तूबर 2017) जिसे मणिपुर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमएएनआईडीसीओ) द्वारा पीएमसी के रूप में नौ महीने में जुलाई 2018 तक निष्पादित किया जाना था। साई ने दिसंबर 2020 तक ₹7.00 करोड़ की कुल स्वीकृत लागत में से ₹6.00 करोड़ जारी किए। साई ने मंत्रालय को सूचित किया (जुलाई 2021) कि 75 *प्रतिशत* कार्य पूर्ण हो चुका था। तथापि, साइट पर किए गए भौतिक निरीक्षण (अगस्त 2021) ने प्रकट किया कि केवल 10 *प्रतिशत* कार्य ही पूर्ण हुआ था तथा कार्यस्थल पर कोई श्रमिक, ठेकेदार का स्टाफ तथा निर्माण मशीनरी नहीं पाई गई, सिंथेटिक ट्रैक के लिए कच्चा माल क्षतिग्रस्त पाया गया था तथा कुछ उप-निर्माण कार्य शुरू भी नहीं किए गए थे। इस प्रकार, कार्य की प्रगति कार्य के लिए जारी की गई राशि के अनुरूप नहीं थी।

  लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएएनआईडीसीओ ने अपने संबंधित इंजीनियर को नोटिस जारी किया (सितंबर 2021)। साई ने अपने उत्तर (अगस्त 2023) में बताया कि तिनसुकिया में कार्य को फिर से शुरू कर दिया गया है तथा मार्च 2024 तक पूर्ण होने की संभावना है।

  साई ने सूचित किया (अगस्त 2025) कि तिनसुकिया में परियोजना की भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत थी जबकि वित्तीय प्रगति 100 प्रतिशत थी।

- साई ने **एसटीसी दीमापुर,** नागालैंड में ₹7.00 करोड़ की लागत पर 400 मीटर के अंतरराष्ट्रीय आकार के सिंथेटिक आठ लेन एथलेटिक ट्रैक के निर्माण को स्वीकृत किया (अगस्त 2017), जिसे मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना था। साई ने मई 2019 तक एमएएनआईडीसीओ को ₹7.00 करोड़ जारी किए। एमएएनआईडीसीओ ने भी जनवरी 2020 तक पूरी राशि के यूसी जमा कर दिए थे, हालांकि, साई मुख्यालय ने पाया (फरवरी 2022) कि केवल 80 *प्रतिशत* निर्माण कार्य ही पूर्ण हुआ था तथा कार्य समापन की तिथि को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था। कार्य के समापन में अत्यधिक विलंब के बावजूद, एमएएनआईडीसीओ के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिंथेटिक ट्रैक परियोजना के अनुमोदन की तिथि से पांच वर्षों से अधिक समय के बीत जाने के बाद भी मार्च 2025 तक उपयोग के लिए तैयार नहीं था तथा एथलीट अपेक्षित सुविधाओं से वंचित थे।

  साई ने बताया (अगस्त 2025) कि अंतिम लाइन मार्किंग तथा एथलेटिक उपकरणों को लगाने को छोड़कर परियोजना पूर्ण हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, शेष कार्य मानसून के मौसम के बाद पूर्ण होने की संभावना है।

अनुशंसा: साई को पीएमसी के साथ हस्ताक्षरित संस्था के बहिर्नियम (एमओए) में निर्माण कार्य के समापन में विलंब तथा परियोजनाओं के निष्पादन में अन्य कमियों के लिए दंड का प्रावधान शामिल करने की आवश्यकता है जिससे परियोजनाओं को कमियों के बिना समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

साई/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2023) कि अब से सभी एमओयू/एमओए में दंडात्मक प्रावधान होंगे।

(घ) कार्य की निम्नस्तरीय गुणवत्ता

(i) जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (जेएनएस), नई दिल्ली

साई ने ₹7.00 करोड़ की लागत पर जेएनएस (जुलाई 2017) में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक को बदलने के कार्य को स्वीकृत किया जिसे जून 2018 तक पूर्ण किया जाना था। कार्य मार्च 2018 में खेलो इंडिया गेम्स के आयोजन के कारण प्रारंभ नहीं हो सका। इस बीच की अवधि के दौरान कार्य में किए गए संशोधनों तथा लागत को

₹7.37 करोड़ तक संशोधित करने के बाद कार्य फरवरी 2020 तक ही शुरू हो सका। साई ने मई 2021 तक ₹6.45 करोड़ की राशि जारी की।

अक्तूबर 2021 में, साई/पीएमजी ने पाया कि नए बिछाए गए सिंथेटिक ट्रैक में सुरंग के दोनों ओर ऊबड़-खाबड़ पन विकसित हो गया था, जो सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाने के कार्य की खराब गुणवत्ता को दर्शाता है। साई को सीपीडब्ल्यूडी से गैर-खेल क्षेत्र में सिंथेटिक ट्रैक के धँसे एवं क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का कार्य करने के लिए कहना पड़ा (अक्तूबर 2021)।

जेएनएस, जो एथलेटिक्स के लिए एक प्रतिष्ठित स्टेडियम है, में सिंथेटिक ट्रैक बिछाने के लिए विशेषज्ञ अभिकरणों को नियुक्त करने में साई की विफलता ने एक गंभीर चूक को दर्शाया क्योंकि गैर-कार्यात्मक एथलेटिक ट्रैक के कारण जेएनएस में कोई भी एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप खेल गतिविधियों के लिए एक बड़ी सुविधा अनुपयोगी हो गई तथा सितंबर 2017 से मई 2021 के दौरान इस उद्देश्य के लिए वैपकॉस को जारी ₹6.45 करोड़ का व्यय भी निष्फल हुआ।

साई/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2023) कि ट्रैक का सुधार कार्य दिसंबर 2023 में आरंभ किया जाएगा। साई ने आगे बताया (अगस्त 2025) कि ट्रैक का सुधार कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है।

(ii) ईसी कोटपूतली, राजस्थान में बहुउद्देशीय इनडोर हॉल के निर्माण में निर्धारित विशिष्टताओं का गैर-अनुपालन

साई ने एसटीसी जयपुर के अधीन एलबीएस राजकीय पीजी कॉलेज, कोटपुतली के विस्तार केंद्र में बहुउद्देशीय इनडोर हॉल, फुटबॉल मैदान तथा एथलेटिक ट्रैक की परियोजना संस्वीकृत की। परियोजना को एनबीसीसी द्वारा कार्यान्वित किया जाना था, जिसके लिए मार्च 2017 से जुलाई 2018 के दौरान ₹3.12 करोड़ की निधियां जारी की गई। परियोजना को एनबीसीसी द्वारा 25 महीने के विलंब से कॉलेज निगरानी समिति को सौंपा गया था (फरवरी 2020)।

प्रधानाचार्य ने ठेकेदार द्वारा ड्राइंग तथा सहमत विशिष्टताओं के गैर-अनुपालन के निम्नलिखित मामले एनबीसीसी के संज्ञान में लाए (सितंबर 2021 तथा जनवरी 2022):

- अनुमान में आरसीसी वाली संरचना के निर्माण के प्रावधान के बावजूद बहुउद्देशीय हॉल की छत को फॉल्स सीलिंग के साथ सामान्य गुणवत्ता के टिन-शेड से ढ़का गया था। परिणामस्वरूप, टिनशेड लगाने के खराब जोड़ कार्य के कारण हॉल की छत से पानी टपकना शुरू हो गया था। जिसके परिणामस्वरूप, फॉल्स सीलिंग गिर गई और ठेकेदार द्वारा लगाए गए दरवाजे भी गिर गए।
- सौर प्रकाश प्रणाली, अग्निशमन प्रणाली, 3000 लीटर क्षमता वाली ओवरहेड आरसीसी पानी की टंकी तथा छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की स्थापना/निर्माण नहीं किया गया था जबकि इन्हें कार्य आदेश में शामिल किया गया था।

प्रधानाचार्य ने स्वीकार किया (फरवरी 2023) कि निर्माण कार्य निर्धारित ड्राइंग तथा डिजाइन के अनुसार निष्पादित नहीं किए गए थे। साई/मंत्रालय का उत्तर (अक्तूबर 2023) यह बताने के अतिरिक्त कि 17 एथलीटों वाला एथलेटिक्स विधा 2020-21 से चल रहा था, कार्य निष्पादन में कमियों या उनके सुधार के संबंध में मौन था।

(iii) तिरुवनंतपुरम गोल्फ कोर्स के सुधार की परियोजना के धीमे कार्यान्वयन के कारण ₹6.37 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ

केरल राज्य सरकार ने तिरुवनंतपुरम में 25.38 एकड़ में फैले गोल्फ कोर्स को गोल्फ अकादमी तथा गोल्फ क्लब स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन के अधीन साई को 33 वर्षों के लिए सौंपा था (जुलाई 2014)। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने तिरुवनंतपुरम में गोल्फ कोर्स के उन्नयन के लिए ₹24.64 करोड़ संस्वीकृत किए (मार्च 2017) तथा पहली किस्त के रूप मे साई को ₹12.32 करोड़ जारी किए (अप्रैल 2017)। कार्य को सितंबर 2019 तक पूर्ण करना था। साई ने जुलाई 2018 से

अगस्त 2019 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी को ₹9.27 करोड़ जारी किए जिसमें से ₹6.37 करोड़ का उपयोग अन्य सिविल एवं इलेक्ट्रिकल निर्माण कार्यों के साथ टर्फ बिछाने पर किया गया। पहली किस्त के रूप में प्राप्त ₹12.32 करोड़ में से, ब्याज सहित कुल ₹4.19 करोड़ की शेष राशि नवंबर 2021 में साई द्वारा एमओटी को वापस कर दी गई थी। साई मुख्यालय ने सूचित किया (नवंबर 2022) कि एमओटी ने साई टीजीसी के आगे के किसी भी निर्माण कार्य को वित्तपोषित करने से इनकार कर दिया था।

परियोजना में विलंब तथा गैर-समापन के निम्नलिखित कारण थे:

- कार्यक्षेत्र में बार-बार बदलाव किए गए तथा इसके परिणामस्वरूप अनुमानों में भी संशोधन किया गया।
- साई, सीपीडब्ल्यूडी तथा साई टीजीसी समिति की समीक्षा बैठकों (अप्रैल तथा जून 2022) में पाया गया कि फेयरवे[107] के कई क्षेत्रों में कठोर सतह, खराब टर्फिंग तथा निचले स्तर की ओर अनुचित ढ़लान/ढ़ाल/स्तर आदि के कारण जलभराव था।
- सीपीडब्ल्यूडी तथा साई की ओर से अपर्याप्त निगरानी के कारण कार्य की गुणवत्ता निम्नस्तरीय रही, जिससे टर्फ गोल्फ खेलने के लिए पूर्ण रूप से अनुपयोगी हो गया।

गोल्फ कोर्स के संयुक्त निरीक्षण (फरवरी 2023) में लगाई गई घास निम्नस्तरीय गुणवत्ता का पाया गया था, हरियाली उनकी जड़ों की खराब पकड़ के साथ कम फैली हुई थी तथा शैवाल का व्यापक संक्रमण उसके विकास को बाधित कर रहा था जैसा कि नीचे दिए गए **चित्र 7.1** तथा **7.2** में देखा जा सकता है:

107 गोल्फ कोर्स का वह भाग जहां टी और संबंधित हरियाली के बीच के घास को छोटा रखा जाता है।

चित्र 7.1

चित्र 7.2

अनुपयोगी गोल्फ कोर्स

इसके परिणामस्वरूप गोल्फ अकादमी के उपयोग के लिए गोल्फ कोर्स सुविधा का उन्नयन पूर्ण नहीं हो सका, जिससे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में गोल्फ में भाग लेने वाले एथलीटों के प्रशिक्षण को और अधिक सुगम बनाया जा सकता था।

खेल के मैदान के निर्माण कार्यों/अन्य निर्माण कार्यों के कार्य क्षेत्र में बार-बार बदलाव, विलंब, अनुबंध प्रबंधन में कमियां, निधियां जारी करने में विलंब के संदर्भ में कमियों के उपर्युक्त मामले दर्शाते हैं कि साई को परियोजनाओं के निष्पादन तथा निगरानी के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है, ताकि न्यूनतम उपयोग तथा विशिष्टताओं के अनुपालन के साथ परियोजनाओं के सामयिक समापन को सुनिश्चित किया जा सके।

साई/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2023/अगस्त 2025) कि परियोजना के निरीक्षण के समय विस्तृत कार्य क्षेत्र तथा विशिष्टताओं को अंतिम रूप देने तथा आगामी परियोजनाओं में निष्पादन अभिकरण को बाधा मुक्त साइटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निगरानी समितियों (टीएमसी) के लिए रेडी रेकनर के माध्यम से परियोजनाओं के प्रारंभ से समापन तक मासिक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है (नवंबर 2023)।

अनुशंसा: मंत्रालय, साई को संपूर्ण परियोजना अवधि में निरंतर आधार पर अवसंरचना परियोजनाओं की नियमित निगरानी की प्रक्रिया स्थापित करने का निर्देश दे सकता है।

(ड़) अवसंरचना का अनुचित रखरखाव

एथलीटों/खिलाडियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए आवासीय सुविधाओं सहित खेल तथा संबद्ध अवसंरचना का रखरखाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा ने साई इकाइयों में दस्तावेजों के सत्यापन के साथ-साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान संयुक्त साइट दौरे के माध्यम से स्थिति की समीक्षा की।

दस्तावेजों की समीक्षा ने अवसंरचना का रखरखाव न करने/खराब स्थिति को प्रकट किया जो प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए इसे अनुपयुक्त बनाती है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- **एसटीसी मदिकेरी** में 2008 में निर्मित हॉकी सिंथेटिक टर्फ का उपयोग निवासी खिलाड़ियों द्वारा नियमित प्रशिक्षण/प्रतियोगिताओं के लिए किए जाने से, उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं था क्योंकि इसकी कुशनिंग प्रभाव कम होने से सतह कठोर हो गई थी। *साई/मंत्रालय (मई 2023) द्वारा यथासूचित हॉकी टर्फ को फिर से बिछाने का प्रस्ताव वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्याशित योजना के अधीन था तथा सीपीडब्ल्यूडी से अनुरोधित अनुमान प्रतीक्षित थे। साई ने आगे बताया (अगस्त 2025) कि साई, एनसीओई बेंगलुरु के पुराने नीले सिंथेटिक हॉकी टर्फ को अक्तूबर 2024 में एसटीसी, मदिकेरी में फिर से बिछाया गया था।*
- **एनसीओई, सोनीपत** में एक स्विमिंग पूल अक्तूबर 2019 से चालू हालत में नहीं था क्योंकि इसके अधिकांश मशीनी एवं बिजली के उपकरण की उपयोगी अवधि पूरी हो चुकी थी तथा वे आर्थिक मरम्मत से परे थे। *साई/मंत्रालय (फरवरी 2023) द्वारा यथासूचित नवीकरण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन नवंबर 2021 में प्रदान किया गया था तथा सीपीडब्ल्यूडी से ₹2.66 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान प्राप्त हुआ था (नवंबर 2022)। साई ने आगे बताया (अगस्त 2025) कि साई के शासी बोर्ड की 56वीं बैठक में यथानुमोदित उच्चतम निश्चित राजस्व आधार पर स्विमिंग पूल तथा संबंधित अवसंरचना के संचालन तथा रखरखाव के लिए प्रबंधन संचालक के चयन के लिए एक*

आरएफपी जारी की गई (मार्च 2025)। प्रस्ताव का अंतिम अनुमोदन अगस्त 2025 तक साई मुख्यालय से प्रतीक्षित था।

- **एनसीओई सोनीपत** के एथलीट मौजूदा ट्रैक की खराब स्थिति के कारण उचित अभ्यास करने में समर्थ नहीं थे तथा अभ्यास के दौरान उन्हें चोटें लग रही थीं, जिससे प्रतियोगिताओं में उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ। *साई/मंत्रालय द्वारा यथासूचित (फरवरी 2023) कि ट्रैक को फिर से बिछाने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन नवंबर 2021 में प्राप्त हो गया था तथा सीपीडब्ल्यूडी ने प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत किए थे। साई ने आगे बताया (अगस्त 2025) कि परियोजना को खेलो इंडिया योजना के अधीन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई थी तथा इसकी डीपीआर वर्तमान में साई मुख्यालय में तैयार की जा रही है।*
- **एसटीसी धारवाड़** ने कबड्डी, बास्केटबॉल तथा कुश्ती खेल विधाओं को स्वीकृति दी थी परंतु खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए कोई उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। छात्रावास भवन भी रखरखाव न होने के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था। *साई/मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि केंद्र में एक आंतरिक (इनडोर) सुविधा बनाने के प्रयास किए जा रहे थे। साई ने आगे बताया (अगस्त 2025) कि नए इंडोर हॉल का निर्माण पूर्ण (98 प्रतिशत) हो चुका था तथा अगस्त 2025 से इसके चालू होने की संभावना थी। इसमें यह भी बताया गया है कि छात्रावास का मामूली सुधार निर्माण कार्य 2023 में किया गया था।*

लेखापरीक्षा ने साई की विभिन्न फील्ड इकाइयों में अवसंरचना के भौतिक सत्यापन के लिए दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के दौरान संयुक्त दौरे भी किए। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- **एसटीसी हैदराबाद** के तीरंदाजी मैदान में अपशिष्ट पदार्थ फेंके हुए थे तथा मैदान के चारों ओर पेड़-पौधे उग गए थे। दो हॉकी मैदान घिस गए थे तथा उनमें दरारें पड़ गई थीं, टर्फ सिकुड़ गए थे तथा वे पूरे हॉकी मैदान को कवर नहीं कर पा रहे

थे, साथ ही, मैदानों के चारों ओर पेड़-पौधे भी उग गए थे। पूरे खेल मैदान की कवरेज के लिए उसके चारों ओर एक अस्थायी व्यवस्था में धातु की तार बांधी गई थी। **एसटीसी हैदराबाद** के अंतर्गत गाचीबोवली स्टेडियम में दो एथलेटिक ट्रैक भी खराब हो चुके थे तथा उपयोग करने योग्य स्थिति में नहीं थे।

साई ने बताया (अगस्त 2025) कि एसटीसी हैदराबाद स्थित ये एफओपी, यद्यपि 20 वर्ष पुराने तथा खराब स्थिति में हैं, ये साई के सीधे नियंत्रण में नहीं आते तथा राज्य सरकार के साथ हुए एमओयू में ट्रैक/हॉकी टर्फ को फिर से बिछाने जैसे बड़े निवेशों की सुविधा नहीं थी। इसके अतिरिक्त, एफओपी क्षेत्रों को कभी-कभी निजी पार्टियों के लिए किराए पर दिया जाता था जो कचरा/कूड़ा फेंके जाने का कारण बना।

- **एनसीओई मुंबई** में हॉकी प्लेफील्ड टर्फ तथा सिंथेटिक एथलेटिक मैदान में कई स्थानों पर दरारें तथा गड्ढे हो गए थे, जैसा कि **चित्र 7.3** तथा **7.4** में दर्शाया गया है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए बुनियादी मैदान/ट्रैक की कमी से खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावित होना स्वाभाविक था तथा एफओपी की खराब स्थिति के कारण उन्हें चोटें भी लगीं। अवसंरचना को महाराष्ट्र सरकार द्वारा किराए पर लिया गया था तथा समझौते की शर्तों के अनुसार मरम्मत निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकार की अनुमति पूर्व-अपेक्षित थी। *जैसा साई/मंत्रालय द्वारा बताया गया (मार्च 2023) कि राज्य प्राधिकारी हॉकी टर्फ की मरम्मत करने के लिए अनुमति के अनुरोधों का उत्तर नहीं दे रहे थे।*

चित्र 7.3

एनसीओई, मुंबई में हॉकी टर्फ

चित्र 7.4

एनसीओई, मुंबई में सिंथेटिक ट्रैक

साई ने आगे बताया (अगस्त 2025) कि हॉकी एनसीओई एथलिटों ने कौशल आधारित अभ्यास के लिए टर्फ के उपयोगी हिस्से का उपयोग किया जबकि एथलेटिक्स ट्रैक का उपयोग साई खिलाड़ियों द्वारा नहीं किया जाता है (क्योंकि एथलेटिक्स एनसीओई मुंबई की खेल विधा नहीं है), बल्कि स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों द्वारा निचले स्तर की प्रतियोगिताओं/खेल स्पर्धाओं के आयोजनों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, हॉकी टर्फ तथा एथलेटिक्स ट्रैक को फिर से बिछाना एनसीओई मुंबई की पुनर्विकास परियोजना की डीपीआर का हिस्सा है, जिसकी लागत ₹478 करोड़ है जिसे राज्य सरकार के साथ साई द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन (अक्तूबर 2024) में शामिल किया गया है।

- झारखंड सरकार ने अगस्त 2007 में **एसटीसी रांची** को लड़कों तथा लड़कियों के लिए अवसंरचना (कार्यालय भवन तथा छात्रावास) प्रदान किया था। हालाँकि, तब से, एसटीसी रांची ने न तो छात्रावास तथा कार्यालय भवन की कोई मरम्मत/ रखरखाव किया है और न ही एनसीओई कोलकाता को इसके लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

  इसके परिणामस्वरूप अवसंरचना की स्थिति बहुत खराब हो गई, भारी बारिश के दौरान दीवारों तथा छतों से बार-बार रिसाव के कारण फरवरी 2023 तक लड़कियों के छात्रावास के 47 कमरों में से सात कमरे अनुपयोगी हो गए थे। *साई ने आगे बताया (अगस्त 2025) कि 2023-25 के दौरान ₹7.86 लाख मूल्य के रखरखाव निर्माण कार्य किए गए थे तथा 2025-26 में ₹5.78 लाख मूल्य के कार्य आदेश जारी किए गए। तथापि, साई ने बताया कि तीसरी मंजिल पर नौ कमरे भारी रिसाव के कारण अभी भी अनुपयोगी हैं। यह भी बताया गया कि रखरखाव के मामले पर राज्य सरकार के साथ बातचीत चल रही है।*

- यह पाया गया था (जनवरी 2023) कि **एसटीसी जबलपुर** के छात्रावास की दीवारों में दरारें थीं तथा प्लास्टर खराब स्थिति में था जिसे तत्काल मरम्मत तथा रंग-रोगन कार्य की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, जबलपुर स्थित छात्रावास के कमरों तथा बाथरूम की दीवारों में रिसाव था जिससे सीलन तथा दुर्गंध हो रही

थी। कमरों तथा बाथरूम की दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा था तथा दरवाजे टूटे हुए थे। छात्रावास में पर्याप्त जल भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, छात्रावास प्रशिक्षुओं के लिए सुरक्षित तथा स्वच्छ नहीं था। *साई/मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2025) कि मरम्मत कार्य जनवरी 2023 में किया गया था जबकि मरम्मत अगस्त 2025 में प्रगति पर था।*

अनुशंसा: साई को अवसंरचना के नियमित निरीक्षणों तथा रखरखाव के लिए एसओपी तैयार करने की आवश्यकता है ताकि ऐसी अवसंरचना के निर्माण का लाभ खिलाड़ियों को सतत् आधार पर उपलब्ध कराया जा सके।

साई/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि अनुमानों को सुव्यवस्थित करने तथा परिसंपत्तियों का उचित रूप से रखरखाव करने के लिए नई अवसंरचनाओं की आवश्यकताओं तथा मौजूदा अवसंरचना की विशेष मरम्मतों सहित एफओपी के प्रतिस्थापन के लिए 10 वर्षों के रोड मैप पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। साई ने वर्ष 2035-36 तक ₹4105.23 करोड़ के अनुमानित व्यय के साथ उपर्युक्त 690 परियोजनाओं की सूची प्रदान की (अगस्त 2025)।

(च) निष्क्रिय/अनुपयोगी खेल अवसंरचना

खिलाड़ियों के प्रशिक्षण तथा विकास के लिए सृजित खेल अवसंरचना के निष्क्रिय रहने के कारण सुविधाएं अनुपयोगी हो जाने के उदाहरण नीचे दर्शाए गए हैं।

(i) इंदिरा गांधी खेल परिसर, नई दिल्ली

2019-20 में, इंदिरा गांधी खेल परिसर (आईजीएससी) को दो प्राथमिकता वाले खेलों *अर्थात्* साइकिलिंग तथा जिमनास्टिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) घोषित किया गया था। इसमें मुक्केबाजी, बैडमिंटन, जूडो, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस तथा कुश्ती जैसे खेल विधाओं की भी व्यवस्था थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि साई प्रशिक्षकों की कमी के कारण कुछ खेलों के लिए आवश्यक अवसंरचना तथा सुविधाएं होने के बावजूद आईजीएससी की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर सका, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

- हैंडबॉल तथा ताइक्वांडो के लिए सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि इन खेलों के प्रशिक्षक क्रमशः 2017-18 तथा 2018-19 तक ही उपलब्ध थे।
- यद्यपि परिसर में लॉन टेनिस, वुशु तथा क्यू स्पोर्ट्स (बिलियर्डस तथा स्नूकर) के लिए अवसंरचना उपलब्ध थी फिर भी ये खेल आईजीएससी में नहीं खेले जा रहे थे तथा इन्हें 'आओ और खेलो योजना' में शामिल नहीं किया गया था जिसके अंतर्गत बहुत मामूली शुल्क पर अवसंरचना का उपयोग करने की अनुमति है। इन खेलों की मौजूदा अवसंरचना तथा सुविधाओं का उपयोग नहीं किया गया।
- आईजीएससी में क्रिकेट मैदान तथा टेनिस मैदान जैसी खेल सुविधाओं का उपयोग उस सीमा तक नहीं था, जिसके कारण वहां पेड़-पौधे/झाड़ियों की अनियंत्रित वृद्धि हो गई थी।

चित्र 7.5

चित्र 7.6

कचरा डालने के स्थान के रूप में इस्तेमाल किए गए टेनिस मैदान की खराब हालत

साई/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि शासी निकाय ने निर्देश दिया था कि साई के अनुपयोगी तथा कम उपयोग की गई अवसंरचना को प्रबंधन संचालकों[108] को इन सुविधाओं के प्रबंधन, रखरखाव तथा संचालन के लिए दिया जाएगा।

[108] प्रबंधन संचालक का अर्थ है साई द्वारा अपने स्टेडियम/केंद्र में खेल सुविधा/सुविधाओं की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए नियुक्त अभिकरण/फर्म/कंपनी।

(ii) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल परिसर (डॉ. एसपीएमएसपीसी), नई दिल्ली

(क) साई ने ₹24.78 लाख (₹1.24 लाख प्रति टेबल) की लागत से 20 बिलियर्ड्स तथा स्नूकर टेबल खरीदे (मई 2014) जिन्हें डॉ. एसपीएमएसपीसी- तैराकी के लिए एनसीओई समेत दिल्ली स्थित साई के पाँच स्टेडियमों में रखा जाना था। प्रत्येक स्टेडियम में चार टेबल रखे जाने थे। साई ने जून 2014 से अक्तूबर 2016 तक इन टेबलों का उपयोग नहीं किया क्योंकि टेबलों के उपयोग की सुविधा को नवंबर 2016 में चालू होना बताया गया था। मई 2017 में साई तथा बीएसएफआई के बीच दो वर्ष की अवधि के लिए किए गए समझौता ज्ञापन के माध्यम से डॉ. एसपीएमएसपीसी के दो हॉल में एक राष्ट्रीय क्यू स्पोर्ट्स अकादमी (एनसीएसए) की स्थापना की गई थी। साई ने भारतीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर महासंघ (बीएसएफआई) के माध्यम से छः और बिलियर्ड्स एवं स्नूकर टेबल की खरीद की (मई 2017) जिसके लिए बीएसएफआई को ₹11.25 लाख जारी किए गए।

(ख) सितंबर 2019 में दो वर्ष की समाप्ति पर, साई ने इस आधार पर अकादमी को बंद कर दिया कि गैर-प्राथमिकता वाले खेल को चलाना बहुत मंहगा था तथा तैराकों के लिए स्थान को उपयोग में लिया जा सकता था। साई ने एनसीएसए को चलाने के लिए मई 2017 से सितंबर 2019 तक ₹8.66 करोड़[109] का व्यय किया जो निष्फल रहा क्योंकि इसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) सितंबर 2019 में एनसीएसए के बंद होने के बाद, वहां रखे उपकरण तीन वर्ष से अधिक समय तक निष्क्रिय पड़े रहे और उस दौरान खराब होते रहे तथा अकादमी के लिए उपयोग किए जाने वाले 10,492 वर्ग फीट माप क्षेत्रफल के दो हॉल को भी किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया गया **(चित्र 7.7 तथा 7.8)**। इसके अतिरिक्त, डॉ. एसएमपीएससी द्वारा अनुरक्षित स्टॉक रजिस्टर में केवल चार टेबलों को दर्ज पाया गया था जबकि शेष छः टेबलों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था।

[109] एनसीएसए की स्थापना में ₹10.00 लाख, प्रशिक्षक तथा सहायक स्टाफ के पारिश्रमिक के प्रति ₹44.06 लाख, टेबलों के लिए ₹16.21 लाख तथा दो हॉलों के बिजली एवं वातानुकूलन शुल्क के रुप में ₹7.96 करोड़।

चित्र 7.7	चित्र 7.8
डॉ. एसपीएमएसपीसी में बेकार पड़े बिलियर्ड्स तथा स्नूकर टेबल	

(iii) एनसीओई, औरंगाबाद में स्विमिंग पूल के निर्माण पर निष्फल व्यय

साई ने दिसंबर 2016 में एनसीओई, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में ₹10.30 करोड़ की लागत पर एफआईएनए मानक वाले ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के निर्माण को स्वीकृत किया, जिसे एनपीसीसी द्वारा जनवरी 2018 तक पूर्ण किया जाना था। तैराकी एनसीओई, औरंगाबाद, की नियमित खेल विधा नहीं थी जो पानी की कमी वाला क्षेत्र भी था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि स्विमिंग पूल का उद्घाटन दिसंबर 2020 में, अर्थात् परिसंपत्ति सौंपने तथा त्रुटि दायित्व अवधि समाप्त होने के एक वर्ष के बाद किया गया था। हालांकि, स्विमिंग पूल के निर्माण की गुणवत्ता खराब थी क्योंकि उद्घाटन के तीन महीने के भीतर ही जल प्रशोधन संयंत्र में बड़ी तकनीकी समस्या के साथ-साथ खराबी देखी गई। जनवरी 2023 में लेखापरीक्षा के दौरान किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान भी स्विमिंग पूल निष्क्रिय पड़ा पाया गया। यह दर्शाता है कि ₹10.30 करोड़ व्यय करने के बाद भी स्विमिंग पूल निष्क्रिय पड़ा था।

साई/मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि त्रुटि दायित्व अवधि के भीतर कुछ मरम्मत की गई है तथा अन्य छोटी मरम्मतों के बारे में एनपीसीसी को सूचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, साई/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2023/अगस्त 2025) कि स्विमिंग पूल को चलाने के लिए प्रचालक-सह-प्रबंधक को नियुक्त करने के लिए जारी प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) तथा स्विमिंग पूल के रखरखाव/मामूली मरम्मत के लिए एएमसी के प्रति कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ, जबकि अंतिम तिथि तीन बार बढ़ाई गई थी।

(iv) एसटीसी में निष्क्रिय अवसंरचना

कुछ एसटीसी में अवसंरचना को भी निष्क्रिय पड़ा पाया गया, जैसा नीचे दर्शाया गया है:

- **आरसी, कोलकाता** ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (दिसंबर 2016) के अनुसार एसटीसी, जलपाईगुड़ी की स्थापना के लिए विश्व बांग्ला क्रीड़ांगन, जलपाईगुड़ी खेल परिसर का अधिग्रहण किया। समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रारंभ में केंद्र में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन तथा तैराकी जैसे खेल उपलब्ध होने थे। तीन बैडमिंटन कोर्ट, लकड़ी के फर्श वाला एक टेबल टेनिस हॉल तथा एक स्विमिंग पूल की उपलब्धता के बावजूद, साई ने संबंधित खेल विधाओं को मंजूरी नहीं दी तथा कथित अवसंरचना केंद्र में निष्क्रिय पड़ी रही।
- **एसटीसी हजारीबाग** में ₹1.26 करोड़ की लागत पर एक फुटबॉल मैदान का निर्माण किया गया तथा अक्तूबर 2018 में इसे चालू कर दिया गया था परंतु प्रशिक्षुओं द्वारा इसका उपयोग अक्तूबर 2019 तक ही किया जा सका। इसके पश्चात, साई ने एसटीसी से फुटबॉल खेल विधा को बंद कर दिया (दिसंबर 2019) तथा यह दिसंबर 2022 में एसटीसी की लेखापरीक्षा के समय तक निष्क्रिय पड़ा रहा।

एसटीसी जलपाईगुड़ी के संबंध में साई/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2023) कि किसी विशेष खेल विधा को चलाने का निर्णय कुछ निश्चित बिंदुओं पर आधारित होता है तथा यह अनिवार्य नहीं है कि समझौता ज्ञापन में दर्शाए गए सभी खेल एक विशेष अवधि में चलाए जाएं। साई के इस निर्णय के कारण ये सुविधाएं वर्षों तक निष्क्रिय पड़ी रहीं। साई ने एसटीसी हजारीबाग के संबंध में अभ्युक्ति का उत्तर नहीं दिया।

आगे यह भी पाया गया था कि साई ने अपनी 56वीं जीबी बैठक (अक्तूबर 2022) में साई केंद्रों की अनुपयोगी/कम उपयोग की गई अवसंरचना के उपयोग हेतु एक नीति को अंतिम रूप दिया। तत्पश्चात, साई ने विभिन्न अनुपयोगी/कम उपयोगी अवसंरचना

के संचालन तथा रखरखाव के लिए एक प्रबंधन संचालक की नियुक्ति के लिए क्रमशः मॉडल आरएफपी तथा एसओपी परिचालित किया (दिसंबर 2022 तथा मार्च 2024)। साई ने, आरएफपी मॉडल को एक खंड के साथ संशोधित (मई 2024) किया जिसके अनुसार "चयनित बोलीदाता को अनुबंध अवधि की पूर्ण अवधि के दौरान व्यस्ततम घंटों तथा गैर-व्यस्ततम घंटों पर प्रतिभागियों/उपयोगकर्ताओं के आधार पर खेल गतिविधियों के लिए देय शुल्क का निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा"।

यह भी पाया गया था कि उपरोक्त पैरा में उल्लिखित अनुसार साई ने आईजीएससी (एमडीसीएनएस तथा जेएनएस सहित) में टेनिस कोर्ट के संचालन तथा रखरखाव के लिए एक प्रबंधन संचालक नियुक्त करने के लिए आरएफपी (मार्च 2024) जारी किया था। इसके अतिरिक्त, जैसा कि *उक्त* पैराग्राफ 7.2.3.4 (ई) में उल्लेख किया गया है, एनसीओई सोनीपत ने मार्च 2025 में अपने बंद स्विमिंग पूल के संचालन तथा रखरखाव के लिए एक प्रबंधन संचालक की नियुक्ति के लिए आरएफपी जारी किया। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया[110] गया था कि कई साई केंद्रों ने इसी प्रकार के आरएफपी जारी किए थे। उपर्युक्त नीति के अंतर्गत आरएफपी की संख्या तथा प्रबंधन संचालकों की नियुक्ति की स्थिति की मांग साई से की गई थी (अगस्त 2025)।

15 एनसीओई के विवरण प्रस्तुत करते हुए साई ने बताया (सितंबर 2025) कि मार्च 2025 तक पांच[111] एनसीओई ने अनुपयोगी/कम उपयोग की गई सुविधाओं का अनुबंध निजी संचालकों को सौंपा है। आईजीएससी तथा जेएनएस नई दिल्ली ने मार्च 2025 तक अनुपयोगी/कम उपयोग की गई सुविधाओं (एफओपी के अतिरिक्त) का अनुबंध निजी संचालकों को सौंपा है। इसके अतिरिक्त, एनसीओई सोनीपत ने आरएफपी जारी किया है, हालांकि साई मुख्यालय से वित्तीय सहमति प्रतीक्षित है। एनसीओई भोपाल ने आरएफपी जारी किया है परंतु किसी भी बोलीकर्ता/अभिकरण ने जारी निविदा में न तो भाग लिया और न ही योग्य पाया गया।

---

110 साई की आधिकारिक वेबसाइट (https://sportsauthorityofindia.nic.in/sai_new/tenders-archive) से कुछ अंश।

111 बेंगलुरु, लखनऊ, कोलकाता, एमडीसीएनएस नई दिल्ली तथा जेएनएस नई दिल्ली।

अनुशंसा: मंत्रालय, प्रबंधन संचालकों के माध्यम से अनुपयोगी/कम उपयोग की गई अवसंरचना के उपयोग की राष्ट्रव्यापी क्षमता तथा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति का इसके प्रभाव सहित आकलन करने के लिए साई को निर्देश दे सकता है।

7.2.4 उपकरणों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग

साई मुख्यालय देश भर में अपनी विभिन्न खेल प्रोत्साहन योजनाओं के लिए क्षेत्रीय केंद्रों/उप-केंद्रों/फिल्ड इकाइयों के लिए खेल सामग्री/उपकरण/खेल विज्ञान/चिकित्सा उपकरणों की खरीददारी हेतु केंद्रीय खरीद प्रभाग (सीपीडी) है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, साई मुख्यालय ने कुल ₹67.07 करोड़[112] की खेल किट, सामान, उपकरण आदि खरीदे हैं।

7.2.4.1 उपकरणों की खरीद में विलंब

खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए साई की सभी इकाइयों में पर्याप्त खेल उपकरणों की उपलब्धता प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। तथापि, साई मुख्यालय तथा इसकी विभिन्न इकाइयों के अभिलेखों से यह पाया गया था कि आवश्यक उपकरणों की समय पर खरीद में विलंब के मामले थे जिससे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में बाधा उत्पन्न हुई, जिस पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) भारतीय बैडमिंटन संघ के लिए शटलकॉक की खरीद में विलंब

भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) ने साई मुख्यालय से खिलाड़ियों के मुख्य समूह के चल रहे कोचिंग कैम्प की मांग को पूरा करने के लिए 4000 दर्जन शटलकॉक की तत्काल खरीद का अनुरोध किया (अप्रैल 2018)। बीएआई ने अपनी मांग को बढ़ाकर 5000 दर्जन शटलकॉक तक संशोधित किया (अक्तूबर 2018) तथा 'योनेक्स' ब्रांड के शटलकॉक की खरीद का अनुरोध किया। बीएआई ने साई को बताया (नवंबर 2018) कि उन्हें योनेक्स/सनराइज स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से शटलकॉक पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 50 *प्रतिशत* की छूट मिलती है।

---

[112] 2017-18: ₹9.15 करोड़, 2018-19: ₹6.43 करोड़, 2019-20: ₹9.84 करोड़, 2020-21: ₹16.24 करोड़, 2021-22: ₹25.41 करोड़

साई से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, बीएआई ने कोचिंग कैम्प के लिए अपेक्षित 275 दर्जन शटलकॉक खरीदे (जनवरी 2019)। साई ने खुली निविदा के अंतर्गत ₹91.76 लाख की लागत के 3100 दर्जन शटलकॉक की खरीद के लिए विक्रेता को आशय पत्र जारी किया (अक्तूबर 2019), जिसे नवंबर 2019 में वितरित किया गया। इसके परिणामस्वरूप शटलकॉक की खरीद में 20 महीने (अप्रैल 2018 से नवंबर 2019 तक) का विलंब हुआ।

साई/मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक के विलंब के लिए साई को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि बीएआई न तो स्वामित्व प्रमाणपत्र (पीएसी) प्रदान करने और न ही खुली निविदा स्वीकार करने के लिए तैयार था। इसी बीच, राष्ट्रीय शिविरार्थियों के प्रशिक्षण में कोई बाधा न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए साई ने तत्काल खरीद के लिए बीएआई को अंतरिम राशि जारी की थी। इसके अतिरिक्त, उस समय के मानदंडों में निर्दिष्ट किया गया था कि राष्ट्रीय खेल महासंघों को केवल ₹1.00 करोड़ तक की उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए निधियां जारी की जा सकती है, जबकि इस मामले में खरीद की अनुमानित लागत ₹1.40 करोड़ थी।

उत्तर, साई तथा बीएआई के बीच प्रभावी समन्वय की कमी को दर्शाता है, जिससे शटलकॉक जैसी नियमित तथा आवश्यक मद की खरीद में 20 महीने का समय लग गया।

(ii) भारतीय नौकायन संघ के लिए उपकरणों की खरीद में विलंब

भारतीय नौकायन संघ (वाईएआई) ने एशियाई खेल 2018 में भारतीय नौकायन टीमों के प्रशिक्षण तथा भागीदारी के लिए ₹1.28 करोड़ की लागत वाली नौकाओं सहित नौकायन उपकरणों की आवश्यकता के लिए साई को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (नवंबर 2017)। उपकरणों की खरीद प्राथमिकता के आधार पर समय पर की जानी थी। वाईएआई ने साई को यह अनुरोध करते हुए कई स्मारक जारी किए (जनवरी से मई 2018 तक) कि आगे किसी भी प्रकार के विलंब से नाविकों के प्रदर्शन तथा एशियाई खेलों में देश की पदक संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साई ने खरीद प्रक्रिया प्रारंभ की (जून 2018) तथा उपकरण 16 अगस्त 2018 को जकार्ता,

इंडोनेशिया में प्राप्त हुए, अर्थात् 18 अगस्त 2018 से एशियाई खेलों के आरंभ होने से केवल दो दिन पहले।

इसके परिणामस्वरूप खरीद में लगभग 10 महीने का विलंब हुआ, जबकि आगामी एशियाई खेलों को देखते हुए यह अति आवश्यक था।

साई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर कोई उत्तर नहीं दिया है।

7.2.4.2 उपकरणों का वितरण तथा उपयोग

खेल उपकरणों का वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि संबंधित स्थानों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके तथा उन्हें बेकार/अप्रयुक्त न रखा जाए। इस संबंध में निम्नलिखित उपयोग तथा अक्षमताएं पाई गईं:

- साई की 12 इकाइयों[113] में ₹1.74 करोड़ मूल्य के उपकरण (कुश्ती तथा जूडो मैट, जिम उपकरण, एथलेटिक उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण, चिकित्सा उपकरण) स्थान की कमी, खेल विधा बंद होने, आवश्यकता का आकलन किए बिना अधिक खरीद तथा/या तकनीकी श्रमशक्ति की कमी के कारण बेकार/अप्रयुक्त पाए गए।
- एनसीओई कोलकाता के अंतर्गत 16 एनसीओई/एसटीसी में से पांच[114] ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान एनसीओई से कोई खेल उपकरण (गैर-उपभोग्य) प्राप्त नहीं किया। इस अवधि के दौरान, तीन एसटीसी (ढेंकनाल, बोलपुर, लेबोंग) तथा एनसीओई, जगतपुर से उपकरणों के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए थे।

साई/मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में बेकार और अप्रयुक्त पड़े उपकरणों का उपयोग करने के लिए कदम उठाए गए हैं। बैठकें की गई

[113] एनसीओई गांधीनगर (₹11.45 लाख), एनसीओई तिरुवनंतपुरम (₹43.17 लाख), एसटीसी धार (₹2.66 लाख), एसटीसी हजारीबाग़ (₹6.45 लाख), एसटीसी इंफाल (₹30.33 लाख), एसटीसी जबलपुर (₹6.37 लाख), एसटीसी जयपुर (₹30.54 लाख), एसटीसी जोधपुर (₹3.15 लाख), एसटीसी काशीपुर (₹6.81 लाख), एसटीसी मदिकेरी (₹24.63 लाख), एसटीसी राजनंदगाँव (₹2.30 लाख) तथा राजकीय सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोटपुतली में अखाड़ा (₹6.35 लाख)।

[114] बोलपुर, लेबोंग, गिधौर, देंकनाल तथा पोर्ट ब्लेयर।

हैं तथा बेकार पड़े उपकरणों की सूची तैयार कर ली गई है। सभी क्षेत्रीय केंद्रों को उपरोक्त सूची की जांच करने तथा अपनी आवश्यकता प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, ताकि इन उपकरणों को उनके अधिकतम उपयोग हेतु उनके केंद्रों में स्थानांतरित किया जा सके। साई ने उपकरणों की वर्तमान स्थिति जानने के लिए जारी पत्र (अगस्त 2025) का उत्तर नहीं दिया।

एनसीओई कोलकाता के संबंध में मंत्रालय/साई ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि चूंकि उपलब्ध संसाधन सीमित थे इसलिए पहले उन केंद्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी गई जिनमें अधिक संख्या में खिलाड़ी थे, तथा महामारी के पश्चात, उपकरणों की मांग के लिए अनुरोधों पर कार्रवाई की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रशिक्षुओं के होने के बावजूद केंद्रों को उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए, तथा उत्तर ने एनसीओई/एसटीसी के बीच उपकरणों के असमान आवंटन के मुद्दे का समाधान नहीं किया था।

अनुशंसा: साई को अपने केंद्रों में खेल उपकरण तथा उपभोग्य सामग्रियों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, उनका समुचित वितरण हो तथा उपकरण किसी भी इकाई में स्थापना के लिए आवश्यक स्थान की कमी, प्रशिक्षक की अनुपलब्धता आदि के कारण बेकार/अप्रयुक्त नहीं रहने चाहिए।

7.2.5 प्रशिक्षकों की तैनाती

साई के पास 1524 संस्वीकृत संख्या के साथ प्रशिक्षकों का एक सामान्य संवर्ग है (खेलवार कोई विभाजन नहीं) तथा उनकी सेवाओं का उपयोग एनसीओई, एसटीसी तथा इसके नियंत्रणाधीन अन्य इकाइयों सहित अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न साई योजनाओं में किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि साई की विभिन्न इकाइयों में प्रशिक्षकों की तैनाती यादृच्छिक थी। विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में साई ने विभिन्न खेलों के 206 प्रशिक्षकों को तैनात किया था, जहां संबंधित खेलों या प्रशिक्षुओं के अभाव के कारण इन प्रशिक्षकों की सेवाओं का उपयोग नहीं हो सका। इसके परिणामस्वरूप 2,572 श्रम-माह अप्रयुक्त रहे तथा

परिणामस्वरूप इन प्रशिक्षकों के वेतन एवं भत्ते के प्रति साई द्वारा लगभग ₹10.29 करोड़[115] का व्यय एक निष्फल व्यय था **(अनुलग्नक-7.3)**।

इन 206 प्रशिक्षकों में से 32 प्रशिक्षकों को उन केंद्रों पर पुनः तैनात/तैनात किया जा सकता था, जहां उसी खेल के प्रशिक्षु उपलब्ध थे, परंतु उसी वर्ष प्रशिक्षकों की कमी थी। क्षेत्रीय केंद्रवार विवरण जहां 32 प्रशिक्षकों (384 श्रम-माह) को उनकी सेवाओं के समुचित उपयोग हेतु तैनात किया जा सकता था, **अनुलग्नक-7.4** में दिया गया है।

ये उदाहरण साई द्वारा विभिन्न इकाइयों में प्रशिक्षकों की तैनाती में कुशल प्रबंधन की कमी को इंगित करते हैं क्योंकि साई प्रशिक्षकों की विशेषज्ञता का उपयोग उपयुक्त केंद्रों पर नहीं कर सका जहां संबंधित खेल विधा उपलब्ध थे। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक एवं इच्छुक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण से वंचित रहना पड़ा। यह साई के प्रत्येक केंद्र/इकाई में खेलों/प्रशिक्षुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षकों की आवश्यकता के आवधिक मूल्यांकन की कमी को दर्शाता है।

प्रशिक्षकों के अभाव से खिलाड़ियों के कौशल विकास में कमी, प्रेरणा तथा अनुशासन में कमी, प्रतिक्रिया तथा सुधार की कमी के साथ खिलाड़ी के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे अंततः खेल की गुणवत्ता में कमी आती है।

साई/मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2023) कि किसी विशेष स्थान पर प्रशिक्षकों की आवश्यकता को अंतिम रूप देने में कई हितधारक शामिल होते हैं तथा खेलो इंडिया और इसके जैसे कई खेलों के उभरते कार्यक्षेत्रों को देखते हुए, जहां सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए कई हितधारकों के साथ समन्वय की आवश्यकता होती है, वहाँ तैनाती तथा खेल विधा में विसंगति संभावित तथा अपरिहार्य है। प्रशिक्षुओं वाले खेल विधा के लिए प्रशिक्षक की अनुपलब्धता, उत्कृष्टता की अधिक संभावना वाले केंद्रों में प्रशिक्षकों की तैनाती के कारण श्रमशक्ति की कमी के कारण हैं। खेल विधाओं के स्थानांतरण, प्रशासनिक अनिवार्यताओं तथा ऐसे केंद्रों पर खिलाड़ियों की संख्या में

---

[115] कुल श्रम-माह का नुकसान= 2572
प्रशिक्षक का एक माह का वेतन= ₹40,000(35400+2832+1800)-सहायक प्रशिक्षक का प्रारंभिक स्तर ग्रेड वेतन- 4200)
कुल व्यय= 2572* 40,000= ₹10.29 करोड़

कमी या शून्यता के कारण ऐसे प्रशिक्षकों की तैनाती हुई, जहां खेल विधा नहीं है या ऐसे खेल विधा जिनमें प्रशिक्षु नहीं है।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि प्रत्येक केंद्र/इकाई के आवधिक आवश्यकता के आकलन के साथ संबंधित केंद्रों/इकाईयों में खेल विधाओं/प्रशिक्षुओं की उपलब्धता के अनुसार प्रशिक्षकों की तैनाती करके उनकी सेवाओं का अधिकतम उपयोग संभव था। खेलो इंडिया जैसे नए कार्यक्रमों/योजनाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए साई को प्रशिक्षकों को उनकी तैनाती के स्थान पर खेल विधाओं/प्रशिक्षुओं की कमी के कारण उनकी सेवाओं के गैर-उपयोग से बचने के लिए एक प्रणाली/एसओपी तैयार करनी चाहिए।

अनुशंसा: साई को अवसंरचना तथा प्रशिक्षुओं/एथलीटों की वास्तविक उपलब्धता के आधार पर देश भर के केंद्रों में संबंधित खेलों में निरंतर आधार पर प्रशिक्षकों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए उनकी तैनाती को युक्तिसंगत बनाना चाहिए।

7.2.6 निष्कर्ष

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि की लेखापरीक्षा में प्राधिकरण द्वारा अवसंरचना के विकास, उपकरणों के उपयोग तथा प्रशिक्षकों की तैनाती में कमियों को प्रकट किया। इस अवधि के दौरान साई द्वारा प्रारंभ की गई 123 अवसंरचना परियोजनाओं में से 115 परियोजनाएं मार्च 2025 तक पूर्ण हो चुकी हैं। निर्माण कार्यों के क्षेत्र में बार-बार संशोधन, निर्माण कार्यों के प्रारंभ/निष्पादन में विलंब, अपूर्ण निर्माण कार्य, कुछ निर्माण कार्यों की निम्नस्तरीय गुणवत्ता, अवसंरचना तथा सुविधाओं का निष्क्रिय होना तथा अवसंरचना का अनुचित रखरखाव जैसे मामले पाए गए। अवसंरचना तथा सुविधाओं की आवश्यकता की योजना तथा मूल्यांकन अपर्याप्त था।

साई की 12 इकाइयों में ₹1.74 करोड़ मूल्य के विभिन्न उपकरण स्थान की कमी, खेल विधा के बंद होने, अत्यधिक खरीद तथा/या तकनीकी श्रमशक्ति की कमी आदि के कारण बेकार/अप्रयुक्त पड़े थे। इसके अतिरिक्त**,** खिलाड़ियों के लिए अपेक्षित खेल उपकरणों तथा उपभोग्य सामग्रियों की खरीद में विलंब के मामले भी पाए गए।

अंत में, साई ने अपने केंद्रों पर विभिन्न खेल विधाओं के 206 प्रशिक्षकों को तैनात किया था, जहाँ संबंधित खेल विधाओं या प्रशिक्षुओं के अभाव के कारण उनकी सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा सका।

इन त्रुटियों/कमियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध अवसंरचना तथा सुविधाओं को प्रभावित किया तथा खेलों को बढ़ावा देने तथा खेल उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए परियोजनाओं के निष्पादन में सुधार की गुंजाइश को दर्शाया।

नई दिल्ली
दिनांक: 04 मई 2026

(सौरभ कुमार जयपुरियार)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केंद्रीय व्यय)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 18 मई 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1.1

(पैराग्राफ संख्या 1.8 में संदर्भित)

31 मार्च 2024 तक लेखे की प्रस्तुति में बकाया

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	कब से देय	वर्षों में देरी
	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय		
1.	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) इंफाल	2022-23	1
	संस्कृति मंत्रालय		
2.	जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, अमृतसर	2016-17	7
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		
3.	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2020-21	3
	भारी उद्योग मंत्रालय		
4.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड	2014-15	9
	गृह मंत्रालय		
5.	चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	2018-19	5
6.	नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर	2021-22	2
	जल शक्ति मंत्रालय		
7.	गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जीआरएमबी), हैदराबाद	2022-23	1
8.	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी), हैदराबाद	2022-23	1
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		
9.	लक्षद्वीप केवीआई बोर्ड	2015-16	8
	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय		
10.	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, इंफाल, मणिपुर	2022-23	1
11.	नेहरु युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली	2022-23	1

अनुलग्नक-1.2

(पैराग्राफ संख्या 1.9 में संदर्भित)

(ए) ऐसे स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संबंध में 31.10.2023 तक स्वायत्त निकायों/मंत्रालयों को जारी लेखापरीक्षित लेखे 31.12.2023 तक संसद के किसी भी सदन के पटल पर नहीं रखे गए

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
1.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार
2.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव
3.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), हैदराबाद, तेलंगाना
	आयुष मंत्रालय
4.	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद्, चेन्नई
5.	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, नई दिल्ली
6.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर
8.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
9.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
10.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलुरु
11.	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ, नई दिल्ली
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
12.	राष्ट्रीय औषधि चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर, बिहार
13.	राष्ट्रीय औषधि चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
	उपभोक्ता मामले मंत्रालय
14.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली
	संस्कृति मंत्रालय
15.	केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह
16.	केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी
17.	बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र, तवांग मठ विद्यालय, अरुणाचल प्रदेश
18.	सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली
19.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
20.	ख़ुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक पुस्तकालय, पटना
21.	तिब्बती कृतियाँ एवं अभिलेखागार लाइब्रेरी, धर्मशाला
22.	सलारजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद
23.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
	रक्षा मंत्रालय
24.	वैमानिकीय विकास अभिकरण, बैंगलुरू
	शिक्षा मंत्रालय
25.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
26.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम
27.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
28.	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान), नई दिल्ली
29.	केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश (सीटीयूएपी), विजयनगरम, आंध्र प्रदेश
30.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
31.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़ (अजमेर)
32.	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया
33.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवारूर
34.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
35.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
36.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
37.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
38.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला
39.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), सूरत
40.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), इलाहाबाद
41.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), भागलपुर, बिहार
42.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), कल्याणी, पश्चिम बंगाल
43.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), सोनीपत
44.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)), श्री सिटी, चित्तूर, आंध्र प्रदेश

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
45.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), उना, हिमाचल प्रदेश
46.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)), वड़ोदरा
47.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान (आईआईटीडीएम), कांचीपुरम
48.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान (आईआईआईटीडीएम), कुरनूल, आंध्र प्रदेश
49.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़, कर्नाटक
50.	भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), जम्मू
51.	भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), रायपुर, छत्तीसगढ़
52.	भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), संबलपुर, ओड़िशा
53.	भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद
54.	भारतीय प्रबंध संस्थान, बोध गया
55.	भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर, मध्य प्रदेश
56.	भारतीय प्रबंध संस्थान, काशीपुर
57.	भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता
58.	भारतीय प्रबंध संस्थान, रोहतक
59.	भारतीय प्रबंध संस्थान, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
60.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
61.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली, पंजाब
62.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), भोपाल
63.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलुरु
64.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भिलाई, छत्तीसगढ़
65.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), जम्मू
66.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गोवा
67.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी-बीएचयू), वाराणसी
68.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर, मध्य प्रदेश
69.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल
70.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
71.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
72.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
73.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), बरहमपुर, ओडिशा
74.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), तिरुपति, आंध्र प्रदेश
75.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
76.	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, मध्य प्रदेश
77.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र
78.	महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी, बिहार
79.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
80.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
81.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना
82.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
83.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली
84.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा
85.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), दिल्ली
86.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), कराईकल, पुडुचेरी
87.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), पौड़ी, उत्तराखंड
88.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), ताड़ेपल्लीगुडम, आंध्र प्रदेश
89.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
90.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
91.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हजरतबल, श्रीनगर
92.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर, झारखंड
93.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
94.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
95.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़
96.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला, ओडिशा
97.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल, तेलंगाना
98.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर, मध्य प्रदेश
99.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
100.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
101.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, भोपाल
102.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
103.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
104.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना
105.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
106.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना
107.	विश्व भारती शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल
108.	विश्वेस्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
109.	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली
110.	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई
	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय
111.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, तंजावूर , तमिलनाडु
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
112.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर
113.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवन्तीपुरा (जम्मू एवं कश्मीर)
114.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भटिंडा, पंजाब
115.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर, झारखंड
116.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी, असम
117.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
118.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मदुरै
119.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरी, आंध्र प्रदेश
120.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
121.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली
122.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
123.	भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली
124.	भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली
125.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	गृह मंत्रालय
126.	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
127.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
128.	राजघाट समाधि समिति
	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
129.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली
130.	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा
	विधि और न्याय मंत्रालय
131.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल
132.	राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
133.	केंद्रीय वक़्फ़ परिषद, नई दिल्ली
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
134.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
135.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
136.	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई
137.	राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (दिव्यांगजन), कोलकाता (पूर्व में राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान)
138.	राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई
139.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर, भोपाल
140.	राष्ट्रीय स्वापरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास, नई दिल्ली
141.	पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली
142.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	जनजातीय कार्य मंत्रालय
143.	राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली
	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
144.	चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चंडीगढ़
145.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
146.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली

(बी) ऐसे स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संबंध में 31.10.2023 तक स्वायत्त निकायों/मंत्रालयों को जारी लेखापरीक्षित लेखे 31.12.2023 तक लोक सभा में प्रस्तुत किए गए परंतु राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किए गए

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
1.	राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य एवं प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना
2.	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
3.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
4.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन न्यास
	सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्रालय
5.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई-सीपीएफ)
	विदेश मंत्रालय
6.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, नई दिल्ली
	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
7.	भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़, हरियाणा
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
8.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
9.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना
10.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता

(सी) ऐसे स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संबंध में 31.10.2023 तक स्वायत्त निकायों/मंत्रालयों को जारी लेखापरीक्षित लेखे 31.12.2023 तक राज्य सभा में प्रस्तुत किए गए परंतु लोक सभा में प्रस्तुत नहीं किए गए

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	आयुष मंत्रालय
1.	आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
2.	राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
3.	राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली
	शिक्षा मंत्रालय
4.	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर
5.	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
6.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा, पंजाब
7.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था, (आईआईआईटी), कोट्टायम
8.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना
9.	नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा
10.	संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर
	विदेश मंत्रालय
11.	भारतीय वैश्विक परिषद्, नई दिल्ली
12.	नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, बिहार
	विधि और न्याय मंत्रालय
13.	राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चंडीगढ़
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
14.	चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण
15.	पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण, पारादीप (पूर्व में पारादीप बंदरगाह न्यास)
	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
16.	राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी, नई दिल्ली

अनुलग्नक-1.3

(पैराग्राफ संख्या 1.12 में संदर्भित)

ऐसे स्वायत्त निकायों की सूची जिनमें आतंरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
1.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि
2.	रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी
	आयुष मंत्रालय
3.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली
4.	केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
5.	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
6.	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
7.	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद
8.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान
9.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग
10.	राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग
11.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
12.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
13.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे
14.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
15.	राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान, लेह
16.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग
17.	पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
18.	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
19.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
20.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
	नागर विमानन मंत्रालय
21.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
22.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
23.	फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, कोलकाता
24.	कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, अहमदाबाद
25.	मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, चेन्नई
26.	स्पाइसेस बोर्ड
27.	टी बोर्ड भारत, कोलकाता
	कोयला मंत्रालय
28.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
29.	भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
	संस्कृति मंत्रालय
30.	एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता
31.	केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह
32.	केंद्रीय हिमालयीय संस्कृति शिक्षण संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
33.	तिब्बती ग्रन्थ एवं अभिलेख पुस्तकालय, धर्मशाला
34.	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता
35.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता
36.	रामपुर रज़ा लाइब्रेरी बोर्ड, रामपुर, उत्तर प्रदेश
	रक्षा मंत्रालय
37.	राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं खेल संस्थान, दिरांग, अरुणाचल प्रदेश

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	शिक्षा मंत्रालय
38.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
39.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम
40.	ओरोविल फाउनडेशन, तमिलनाडु
41.	शिक्षु प्रशिक्षण मंडल, मुंबई
42.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
43.	आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम आंध्र प्रदेश
44.	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट
45.	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, नारनौल/महेंद्रगढ़
46.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
47.	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
48.	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची
49.	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर
50.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड
51.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा, पंजाब
52.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़ (अजमेर)
53.	डॉ बी. आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
54.	गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलकाता
55.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
56.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
57.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
58.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी, पश्चिम बंगाल
59.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा, राजस्थान
60.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ
61.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
62.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर, कर्नाटक
63.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची
64.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीरंगम, त्रिची
65.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, उना, हिमाचल प्रदेश
66.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र
67.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची
68.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
69.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
70.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटीबीएचयू वाराणसी
71.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू
72.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
73.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, हिमाचल प्रदेश
74.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पालक्कड़, केरल
75.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खान विद्यापीठ), धनबाद
76.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बरहमपुर, ओडिशा
77.	केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
78.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र
79.	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
80.	राष्ट्रीय बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली
81.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
82.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली
83.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली
84.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
85.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
86.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
87.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालिकट
88.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
89.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
90.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हज़रतबल, श्रीनगर
91.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिज़ोरम
92.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी, उत्तराखंड
93.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम
94.	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान/विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
95.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
96.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, निरजुली, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
97.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर, मध्य प्रदेश
98.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी
99.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
100.	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
101.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
102.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
103.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
104.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
105.	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली
106.	वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नई दिल्ली
107.	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, दिल्ली
108.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
109.	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, चंडीगढ़
	विदेश मंत्रालय
110.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
111.	भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली
112.	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
113.	भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़, हरियाणा
114.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई
115.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय
116.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
117.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपुरा (जम्मू एवं कश्मीर)
118.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
119.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
120.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी, असम
121.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
122.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी, पश्चिम बंगाल
123.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मदुरै
124.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र
125.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
126.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़
127.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
128.	भारतीय दन्त परिषद
129.	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
130.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
131.	भारतीय उपचर्या परिषद
132.	जवाहरलाल नेहरु स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी
133.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड
134.	भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
135.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
136.	पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग
137.	भारतीय भेषजी परिषद
138.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
139.	रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज (आरआईपीएएनएस), आइज़ोल
	गृह मंत्रालय
140.	राष्ट्रीय न्याय विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधी नगर
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
141.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भू-संपदा नियामक प्राधिकरण
142.	चंडीगढ़ भू-संपदा नियामक प्राधिकरण
	जल शक्ति मंत्रालय
143.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी, उत्तर प्रदेश
144.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
145.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश
146.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, उत्तराखंड
147.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली
148.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
149.	केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर (दत्तोपंत थेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड)
150.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
151.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
	विधि और न्याय मंत्रालय
152.	ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चंडीगढ़
153.	राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
154.	केंद्रीय वक्फ़ परिषद, नई दिल्ली
155.	दरगाह ख्वाज़ा साहेब, अजमेर
156.	भारतीय हज़ समिति, मुंबई
157.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
158.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
159.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता
160.	मुंबई पोर्ट प्राधिकरण
161.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (पूर्व में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट)
	विद्युत मंत्रालय
162.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
163.	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
164.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
	रेल मंत्रालय
165.	रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
166.	गति शक्ति विश्वविद्यालय, वड़ोदरा
	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
167.	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
168.	अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर
169.	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान, देहरादून
170.	राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास, नई दिल्ली
	जनजातीय कार्य मंत्रालय
171.	राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली
	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
172.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
173.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली

अनुलग्नक-1.4

(पैराग्राफ संख्या 1.12 में संदर्भित)

ऐसे स्वायत्त निकायों की सूची जहाँ अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	आयुष मंत्रालय
1.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली
2.	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद
3.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान
4.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग
5.	पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
6.	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
7.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
	नागर विमानन मंत्रालय
8.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय
	कोयला मंत्रालय
9.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
10.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
11.	सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, मुंबई
12.	स्पाइसेस बोर्ड
13.	टी बोर्ड भारत, कोलकाता
	कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय
14.	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	संस्कृति मंत्रालय
15.	एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता
16.	केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी
17.	पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता
18.	भारतीय विरासत संस्थान, नोएडा (पूर्व में राष्ट्रीय कला संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली)
19.	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता
20.	पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर
21.	रामपुर रज़ा लाइब्रेरी बोर्ड, रामपुर, उत्तर प्रदेश
22.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
23.	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर
	रक्षा मंत्रालय
24.	वैमानिकीय विकास अभिकरण, बैंगलुरु
	शिक्षा मंत्रालय
25.	अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
26.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम
27.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
28.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
29.	केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई
30.	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, असम
31.	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञात), नई दिल्ली
32.	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट
33.	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, नारनौल/महेंद्रगढ़

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
34.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
35.	झारखण्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची
36.	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर
37.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा, पंजाब
38.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़ (अजमेर)
39.	डॉ बी. आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
40.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
41.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
42.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला
43.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम
44.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
45.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल, आंध्रप्रदेश
46.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी, पश्चिम बंगाल
47.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा, राजस्थान
48.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ
49.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर, कर्नाटक
50.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची
51.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीसिटी, चित्तूर, आंध्रप्रदेश
52.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अमृतसर
53.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता
54.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची
55.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक
56.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
57.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
58.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
59.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली, पंजाब
60.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र
61.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू
62.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
63.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
64.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
65.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटीबीएचयू वाराणसी
66.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खरगपुर, पश्चिम बंगाल
67.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, हिमाचल प्रदेश
68.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़, केरल
69.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति, आंध्र प्रदेश
70.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बरहमपुर, ओडिशा
71.	केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा
72.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र
73.	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
74.	नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी
75.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
76.	राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची
77.	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई
78.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
79.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
80.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (एनआईटी), मिज़ोरम
81.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालिकट
82.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
83.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हज़रतबल, श्रीनगर
84.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
85.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
86.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड
87.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
88.	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान/विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
89.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
90.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, निरजुली, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
91.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर, मध्य प्रदेश
92.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
93.	संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर
94.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
95.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
96.	विश्व भारती शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
97.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
98.	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, चंडीगढ़
	विदेश मंत्रालय
99.	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
100.	भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़, हरियाणा
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
101.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
102.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा
103.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी, पश्चिम बंगाल
104.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र
105.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली
106.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
107.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
108.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड
109.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बैंगलुरु
110.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
111.	पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग
112.	भारतीय भेषजी परिषद
113.	रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेस (रिपन्स), आइज़ोल
	गृह मंत्रालय
114.	भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर
115.	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात
	जल शक्ति मंत्रालय
116.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, उत्तराखंड
117.	पूर्वोत्तर जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर
	विधि और न्याय मंत्रालय
118.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र, नई दिल्ली
119.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, दमन
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
120.	दरगाह ख्वाज़ा साहेब, अजमेर
121.	भारतीय हज़ समिति, मुंबई

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
122.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता
123.	नाविक भविष्य निधि संगठन
124.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (पूर्व में कोलकाता पोर्ट न्यास)
125.	विशाखापत्तनम पोर्ट न्यास
	रेल मंत्रालय
126.	रेल भूमि विकास प्राधिकरण
	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
127.	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (पूर्व में राष्ट्रीय कौशल विकास अधिकरण), नई दिल्ली
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
128.	अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर
129.	पंडित दीन दयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली
	वस्त्र मंत्रालय
130.	केंद्रीय रेशम बोर्ड
	जनजातीय कार्य मंत्रालय
131.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली
	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
132.	केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली

अनुलग्नक-1.5

(पैराग्राफ संख्या 1.12 में संदर्भित)

ऐसे स्वायत्त निकायों की सूची जहाँ माल सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	आयुष मंत्रालय
1.	केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
2.	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
3.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान
4.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग
5.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
6.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
7.	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
8.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
	संस्कृति मंत्रालय
9.	एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता
10.	केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी
11.	पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता
12.	तिब्बती कृतियां एवं अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला
13.	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर
15.	रामपुर रज़ा लाइब्रेरी बोर्ड, रामपुर, उत्तर प्रदेश
16.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
17.	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
18.	सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, मुंबई
19.	स्पाइसेस बोर्ड
20.	टी बोर्ड भारत, कोलकाता
	रक्षा मंत्रालय
21.	वैमानकीय विकास अभिकरण, बैंगलुरु
	शिक्षा मंत्रालय
22.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
23.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
24.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम
25.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
26.	केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई
27.	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, असम
28.	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान), नई दिल्ली
29.	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट
30.	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
31.	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची
32.	डॉ बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
33.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
34.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
35.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला
36.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम
37.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
38.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल, आंध्र प्रदेश
39.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी, पश्चिम बंगाल
40.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा, राजस्थान
41.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर, कर्नाटक
42.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची
43.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीसिटी, चित्तूर, आंध्रप्रदेश
44.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
45.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता
46.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची
47.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक
48.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
49.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र
50.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
51.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
52.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
53.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटीबीएचयू वाराणसी
54.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू
55.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खरगपुर, पश्चिम बंगाल
56.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, हिमाचल प्रदेश
57.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़, केरल
58.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़, पंजाब
59.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बरहमपुर, ओडिशा
60.	केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा
61.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
62.	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
63.	नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी
64.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
65.	राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची
66.	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई
67.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
68.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालिकट
69.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
70.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हज़रतबल, श्रीनगर
71.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
72.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
73.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिज़ोरम
74.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड
75.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
76.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, निरजुली, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
77.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर, मध्य प्रदेश
78.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
79.	संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर
80.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
81.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
82.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
83.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
84.	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, चंडीगढ़
	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय
85.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
86.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा
87.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी, पश्चिम बंगाल
88.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
89.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली
90.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
91.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
92.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
93.	रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज़, आइज़ोल
	गृह मंत्रालय
94.	भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर
95.	राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधी नगर
96.	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात
	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
97.	राजघाट समाधि समिति
	जल शक्ति मंत्रालय
98.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी, उत्तर प्रदेश
99.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
100.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर
	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
101.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	विधि और न्याय मंत्रालय
102.	भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र, नई दिल्ली
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
103.	भारतीय हज़ समिति, मुंबई
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
104.	पारादीप पोर्ट प्राधिकरण, पारादीप (पूर्व में पारादीप पोर्ट न्यास)
105.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (पूर्व में कोलकाता पोर्ट न्यास)
106.	विशाखापत्तनम पोर्ट न्यास
	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
107.	राष्ट्रीय व्यायसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (पूर्व में राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण), नई दिल्ली
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
108.	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई
109.	अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण संस्थान, ग्वालियर
	जनजातीय कार्य मंत्रालय
110.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली
	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
111.	केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली

अनुलग्नक-1.6

(पैराग्राफ संख्या 1.13 में संदर्भित)

ऐसे स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने न तो ब्याज लौटाया और न ही अपने वार्षिक लेखों में इसके लिए देयता बनाई

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम	ब्याज वापस नहीं की गयी/देयता न बनाई गई राशि (₹ करोड़ में)
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	
1.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	1.43
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	
2.	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद	0.57
	संस्कृति मंत्रालय	
3.	एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता	0.19
4.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला, पंजाब	0.67
5.	पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	0.15
6.	सलार जंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना	0.05
	शिक्षा मंत्रालय	
7.	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उ.क्षे.), कानपुर	0.14
8.	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू	1.17
9.	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट ओडिशा	3.86
10.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	0.28
11.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल	0.96
12.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र	2.68
13.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू	3.59
14.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, संबलपुर, ओडिशा	4.74
15.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा	2.78

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम	ब्याज वापस नहीं की गयी/देयता न बनाई गई राशि (₹ करोड़ में)
16.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बरहमपुर, ओडिशा	1.26
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र	0.14
18.	नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा	4.45
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
19.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा	7.24
20.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुरा, जम्मू	5.47
21.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा, पंजाब	0.81
22.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद	77.04
	विधि और न्याय मंत्रालय	
23.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सिलवासा	0.01
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
24.	केंद्रीय वक्फ़ परिषद, नई दिल्ली	0.01
	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	
25.	मुंबई पोर्ट प्राधिकरण	0.40
26.	विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट	1.23
	वस्त्र मंत्रालय	
27.	वस्त्र समिति	0.50
	कुल	**121.82**

अनुलग्नक-1.7

(पैराग्राफ संख्या 1.13 में संदर्भित)

ऐसे स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का हिसाब नहीं रखा है

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	कृषि मंत्रालय
1.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि
2.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
3.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना
4.	राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना
	आयुष मंत्रालय
5.	अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, नई दिल्ली
6.	केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
7.	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
8.	केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
9.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान
10.	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग
11.	राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग
12.	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर
13.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
14.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे
15.	राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान, लेह
16.	पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
17.	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
18.	राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
	नागर विमानन मंत्रालय
19.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
20.	कॉफी बोर्ड
21.	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश
22.	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, असम
23.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा
24.	रबड़ बोर्ड
	संस्कृति मंत्रालय
25.	इलाहाबाद संग्रहालय सोसाइटी, इलाहाबाद
26.	एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता
27.	केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह
28.	केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी
29.	केंद्रीय हिमालयीय संस्कृति शिक्षण संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
30.	बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र, तवांग मठ विद्यालय, अरुणाचल प्रदेश
31.	गोंट्से गादेन रबग्येल लिंग मठ मठवासी स्कूल, बोमडिला (बौद्ध संस्कृति संरक्षण समिति), अरुणाचल प्रदेश
32.	भारतीय विरासत संस्थान, नोएडा (पूर्व में राष्ट्रीय कला संरक्षण संग्रहालय एवं संग्रहालय विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली)
33.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
34.	तिब्बती कृतियाँ एवं अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला
35.	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
36.	उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
37.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला, पंजाब
38.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर
39.	राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
40.	रामपुर रज़ा लाइब्रेरी बोर्ड, रामपुर, उत्तर प्रदेश
41.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
42.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावूर
43.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
	रक्षा मंत्रालय
44.	राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं खेल संस्थान, दिरांग, अरुणाचल प्रदेश
45.	नेहरु पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी
	शिक्षा मंत्रालय
46.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर, झारखंड
47.	ओरोविल फाउंडेशन, ओरोविल, तमिलनाडु
48.	अविनाशीलिंगम गृह विज्ञान एवं महिला उच्च शिक्षा संस्थान, कोयम्बटूर
49.	शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद (उ.क्षे.), कानपुर
50.	शिक्षु प्रशिक्षण मंडल, मुंबई
51.	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, असम
52.	केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश
53.	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, नारनौल, महेंद्रगढ़
54.	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची
55.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड
56.	डॉ भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
57.	डॉ हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
58.	गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलकाता
59.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
60.	भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर, हावड़ा, पश्चिम बंगाल
61.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, (आईआईआईटी), श्रीरंगम, त्रिची
62.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल, आंध्र प्रदेश
63.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, असम
64.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्यानी, पश्चिम बंगाल
65.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम
66.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची
67.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत
68.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीसिटी, चित्तूर, आंध्र प्रदेश
69.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, उना, हिमाचल प्रदेश
70.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र
71.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, त्रिवेंद्रम
72.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलुरु
73.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
74.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खरगपुर, पश्चिम बंगाल
75.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़, केरल
76.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खान विद्यापीठ), धनबाद
77.	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, मध्य प्रदेश
78.	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
79.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
80.	नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमानी
81.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली
82.	राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची
83.	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई
84.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
85.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
86.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
87.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
88.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
89.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हज़रतबल, श्रीनगर
90.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर, झारखंड
91.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
92.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिज़ोरम
93.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड
94.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी, उत्तराखंड
95.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम
96.	नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा
97.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, निरजुली, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
98.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर, मध्य प्रदेश
99.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
100.	संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
101.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
102.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
103.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल
104.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
105.	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली
106.	वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नई दिल्ली
107.	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, दिल्ली
108.	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई
109.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
110.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून
	विदेश मंत्रालय
111.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
112.	भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली
	वित्त मंत्रालय
113.	प्रतिबलित परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि
	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय
114.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, तंजावूर, तमिलनाडु
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
115.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा, पंजाब
116.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
117.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
118.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी, असम

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
119.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
120.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्यानी, पश्चिम बंगाल
121.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
122.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली
123.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़
124.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
125.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुरा, जम्मू
126.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
127.	भारतीय दन्त परिषद
128.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
129.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
130.	जवाहरलाल नेहरु पीजीएमईआर संस्थान, पुडुचेरी
131.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड
132.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
133.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
134.	पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग, मेघालय
135.	भारतीय भेषज परिषद
136.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
137.	रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज (रिपंस), आइज़ोल
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
138.	राजघाट समाधि समिति
139.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भू-संपदा नियामक प्राधिकरण
140.	चंडीगढ़ भू-संपदा नियामक प्राधिकरण

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	जल शक्ति मंत्रालय
141.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
142.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश
143.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली
	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
144.	केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
	विधि और न्याय मंत्रालय
145.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सिलवासा
146.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, दमन
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम मंत्रालय
147.	खादी और ग्रामोद्‌योग आयोग
	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
148.	केंद्रीय वक्फ़ परिषद, नई दिल्ली
149.	भारतीय हज़ समिति, मुंबई
150.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
151.	मुंबई पोर्ट प्राधिकरण
152.	मुंबई पोर्ट प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास
	कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्रालय
153.	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (पूर्व में राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण), नई दिल्ली
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
154.	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई
155.	राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
156.	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून
157.	राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास, नई दिल्ली
158.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली
159.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली
160.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक, ओडिशा
	वस्त्र मंत्रालय
161.	केंद्रीय रेशम बोर्ड
162.	वस्त्र समिति, मुंबई
	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
163.	भारतीय खेल प्राधिकरण
	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
164.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली

अनुलग्नक-1.8

(पैराग्राफ संख्या 1.13 में संदर्भित)

ऐसे स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने लेखों में संशोधन किया

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	आयुष मंत्रालय
1.	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई
2.	केंद्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
3.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलूरू
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
4.	कॉफी बोर्ड
5.	विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र
	संस्कृति मंत्रालय
6.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावूर
	शिक्षा मंत्रालय
7.	ओरोविल फाउंडेशन, तमिलनाडु
8.	अविनाशलिंगम गृह विज्ञान एवं महिला उच्च शिक्षा संस्थान, कोयंबटूर
9.	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
10.	आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश
11.	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी
12.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरुर
13.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, तमिलनाडु
14.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम
15.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़, कर्नाटक
16.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर, कर्नाटक
17.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीरंगम, त्रिची

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
18.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलुरु
19.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलुरु
20.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
21.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
22.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
23.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कराइकल, पुडुचेरी
24.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
25.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथकल, कर्नाटक
26.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
27.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी
28.	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक
	वित्त मंत्रालय
29.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
30.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई
	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय
31.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, तंजावूर, तमिलनाडु
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
32.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मदुरै
33.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
34.	जवाहरलाल पीजीएमईआर संस्थान, पुडुचेरी
35.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बैंगलुरु
	भारी उद्योग मंत्रालय
36.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड

क्र. सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकायों का नाम
	जल शक्ति मंत्रालय
37.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, उत्तराखंड
	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
38.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
39.	विशाखापत्तनम पोर्ट न्यास
	कौशल विकास और उद्‌यमशीलता मंत्रालय
40.	राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान, चेन्नई
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
41.	राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई
42.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक, ओडिशा
	वस्त्र मंत्रालय
43.	केंद्रीय रेशम बोर्ड
	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
44.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, चेन्नई, श्रीपेरुमबुदूर/तिरुप्पेरुम्पुदूर

अनुलग्नक-1.9

(पैराग्राफ संख्या 1.14 में संदर्भित)

व्यक्तिगत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखे पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ

ए. तुलन पत्र

ए.1 कॉर्पस/पूंजीगत निधि

1. केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयूके) ने विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उच्च शिक्षा वित्तपोषण अभिकरण (हेफा) से ऋण लिया है। 31 मार्च 2023 तक, सीयूके ने भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में ₹44.49 करोड़ की राशि प्राप्त की है जिसमें से ₹38.65 करोड़ की राशि हेफा की मूल ऋण राशि तथा ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु उपयोग की गई थी। ₹5.84 करोड़ (₹44.49 करोड़-₹38.65 करोड़) की शेष राशि के साथ ₹0.65 करोड़ के सीयूके के हिस्से सहित कुल ₹6.49 करोड़ को 14 मार्च 2023 को कैनरा बैंक में फ्लैक्सी जमा खाते में जमा किया गया था। हालाँकि, सीयूके ने ₹44.49 करोड़ की पूर्ण राशि को पूंजीकृत किया है जिसके परिणामस्वरूप अनुसूची-3-वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान-अप्रयुक्त सहायता अनुदान ₹5.84 करोड़ से कम तथा अनुसूची 1 कॉर्पस/पूंजीगत निधि को अधिक दर्शाया गया। वर्ष 2021-22 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किए जाने के बावजूद, सीयूके ने इस टिप्पण का अनुपालन नहीं किया था।

(केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड)

2. संस्थान में मंत्रालय से पूंजीगत अनुदान प्राप्त होते ही उसे कार्यकारी अभिकरण से उपयोगिता प्रमाणपत्र या व्यय विवरणी प्राप्त किए बिना पूंजीगत/कॉर्पस निधि में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया थी। इसके परिणामस्वरूप 'कॉर्पस/पूंजीगत निधि (अनुसूची 1) को ₹31.19 करोड़ [मेसर्स मैकॉन लि. (₹26.89 करोड़), सीपीडब्ल्यूडी (₹1.35 करोड़) तथा मेसर्स एनपीसीसीएल (₹2.95 करोड़) के प्रति गैर-समायोजित पड़ी अग्रिम] से अधिक दर्शाया गया, साथ ही 'वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान' (अनुसूची 7) के अंतर्गत अप्रयुक्त अनुदानों को ₹31.19 करोड़ कम दर्शाया गया।

पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लेख किए जाने के बावजूद संस्थान ने इस संबंध में संशोधनात्मक उपाय नहीं किए थे।

(राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता)

3. 'उधार लागत' पर लेखांकन मानक-16 के अनुसार, किसी पूंजीगत परिसम्पत्ति के निर्माण के चरण के दौरान किए गए सभी ब्याज भुगतानों को पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाना चाहिए। उपरोक्त के उल्लंघन में, एनआईटी गोवा ने उच्च शिक्षा वित्तपोषण अभिकरण (हेफा) ऋण पर ₹9.11 करोड़ के ब्याज भुगतान को पूंजीकृत नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत निधि (अनुसूची 1) तथा निर्धारित परिसम्पत्तियों (अनुसूची 5) को ₹9.11 करोड़ से कम दर्शाया गया।

(राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा)

4. कॉर्पस/पूंजीगत निधि में तेल कम्पनियों द्वारा अक्षयनिधि के सृजन हेतु राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान को अंशदान दी गई ₹583.80 करोड़ की निधि शामिल है, जिसकी ब्याज आय का संबंधित परियोजनाओं (अर्थात एईआई शिवसागर तथा आरजीआईपीटी जेएएस है) के आवर्ती व्यय को पूरा किए जाने हेतु उपयोग किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप ₹583.80 करोड़ से 'कॉर्पस/पूंजीगत निधि' (अनुसूची 1) को अधिक तथा 'चिन्हित/अक्षयनिधि' (अनुसूची 3) को कम दर्शाया गया।

(राजीव गांधी पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी)

ए.2 चिन्हित निधि/अक्षयनिधि/नामित निधि

5. उपरोक्त में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भौतिक सत्यापन में पहचाने गए गैर-निष्पादित पीएमईजीपी इकाईयों के कारण बैंक से प्राप्त ₹162.87 करोड़ की कॉल बैक मार्जिन मनी शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप चिन्हित/अक्षयनिधि तथा परिसम्पत्ति (बैंक बैलेंस) को ₹162.87 करोड़ कम दर्शाया गया।

(खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग)

6. उपरोक्त राशि में जीपीएफ, सीपीएफ तथा एनपीएस निधियों से संबंधित ₹36.56 करोड़ शामिल है, जबकि एमएचआरडी प्रारूप के अनुसार जीपीएफ, एनपीएस तथा सीपीएफ हेतु अलग वार्षिक लेखा तैयार किए जाने है तथा मुख्य वार्षिक लेखे के

साथ संलग्न किए जाने चाहिए। इसके परिणामस्वरूप 'देनदारियों' तथा 'परिसम्पत्तियों' दोनों को ₹36.56 करोड़ अधिक दर्शाया गया।

(मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहबाद, प्रयागराज)

7. संस्थान ने चिन्हित/अक्षयनिधि के निवेशों से अर्जित ₹4.47 करोड़ की आय को चिन्हित/अक्षयनिधि (अनुसूची-2) में सीधे हस्तांतरित करने के बजाए आय के रूप में आय एवं व्यय लेखा में शामिल किया है। इसके परिणामस्वरूप ₹4.47 करोड़ 'आय' तथा 'कॉर्पस/पूंजीगत निधि' (अनुसूची-1) को अधिक दर्शाया गया तथा उसी राशि तक 'चिन्हित/अक्षयनिधि को कम दर्शाया गया।

(राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड)

ए.3 आरक्षित निधि एवं अधिशेष

8. यह उन निधियों को दर्शाता है जो विभिन्न परियोजनाओं के अधीन अवसंरचना का सृजन करने के विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने हेतु पूंजीगत अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी, परंतु 31 मार्च 2023 तक अप्रयुक्त रहीं। अव्ययित अनुदान को चिन्हित निधियों (अनुसूची-3) के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। गलत लेखांकन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आरक्षित निधि एवं अधिशेष को ₹9.84 करोड़ प्रत्येक से अधिक दर्शाया गया तथा चिन्हित निधियों को उतनी ही राशि से कम दर्शाया गया।

(मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, चैन्नई))

ए.4 वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान

9. एम्स एक बैंक खाता संचालित करता है, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं के आयकर तथा जीएसटी जैसे बिलों से की गई वसूली को आगे संबंधित प्राधिकारियों को जमा कराने हेतु रखा जाता है। हालाँकि, यह पाया गया है कि 31 मार्च 2023 को इस खाते में ₹13.95 करोड़ की राशि उपलब्ध थी। चूंकि इस बैंक खाते को एम्स (मुख्य) लेखे के वार्षिक लेखे में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए चालू परिसम्पत्तियों तथा वर्तमान देनदारियों को ₹13.95 करोड़ कम दर्शाया गया था।

(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली)

10. उपरोक्त में स्वच्छता कार्य योजना (₹0.36 करोड़) तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन (₹26.61 करोड़) के कारण ₹26.97 करोड़ की अव्ययित सहायता अनुदान राशि शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरुप चालू देनदारियों को ₹26.97 करोड़ तक कम तथा कॉर्पस/पूंजीगत निधि को उसी राशि तक अधिक दर्शाया गया।

(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर)

11. संस्थान ने 2021-22 के ₹11.09 करोड़ के गैर-योजनागत व्यय को बिना सक्षम प्राधिकारी के संस्वीकृति के चालू वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त ₹69.65 करोड़ (अनुसूची-10) के अनुदान के प्रति समायोजित किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹68.31 करोड़ के चालू वर्ष के व्यय के लेखांकन के पश्चात यूजीसी से प्राप्य ₹9.75 करोड़ के अनुदान (अनुसूची-10) को गलत रूप में प्रदर्शित किया गया। इस गलत प्रदर्शन का परिणाम ऋण, अग्रिम एवं जमा को ₹9.75 करोड़ तक अधिक दर्शाए जाने के साथ वर्तमान देनदारियों एवं प्रावधान (अप्रयुक्त अनुदान) को ₹1.34 करोड़ तक कम बताए जाने तथा आय/पूंजीगत निधि को ₹11.09 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया।

(अविनाशीलिंगम महिला गृह विज्ञान एवं उच्च शिक्षा संस्थान)

12. वर्ष 2015-16 से लेखे में क्रमशः "अनुदान सहायता पारगमन" और "निर्गत निधि की वापसी" शीर्षकों के अंतर्गत ₹22.86 करोड़ और ₹3.03 करोड़ की शेष राशि दर्शाई गई है। इन शेष राशियों को लेखे में समायोजित/समाशोधित करने की आवश्यकता है। यह अभियुक्ति पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्टों में भी की गई थी, लेकिन परिषद द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्)

13. देय बिलों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न सेवाओं/वस्तुओं के कारण प्राप्त 183 बिलों के संबंध में ₹ 13.81 करोड़ की देनदारियां शामिल नहीं थीं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 के लिए देनदारियों को कम दर्शाया गया तथा परियोजना अग्रिम समायोजन लेखे के शेष को ₹ 3.81 करोड़ अधिक दर्शाया गया। इस मुद्दे को 2021-22 के एसएआर में उजागर किया गया था, लेकिन सीआरआईएस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र)

14. उपरोक्त राशि में 31 मार्च 2023 तक ब्याज सहित आवंटित भूमि के लिए पट्टा किराये के रूप में नोएडा प्राधिकरण की ₹ 11.14 करोड़ की बकाया मांग शामिल नहीं है। एफडीडीआई ने (फरवरी 2022 और मई 2022) नोएडा प्राधिकरण से इस तर्क पर ब्याज राशि माफ करने का अनुरोध किया कि उसके पास बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अधिशेष निधि नहीं है। हालाँकि, प्राधिकरण ने मार्च 2022 एवं जुलाई 2022 में एफडीडीआई के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि पट्टा किराया तथा ब्याज एफडीडीआई द्वारा पट्टा समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार देय था और ब्याज की माफी का कोई प्रावधान नहीं था। इसके बावजूद, 31 मार्च 2023 तक लेखा बही में बकाया मांग का प्रावधान नहीं किया गया था, हालांकि इसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया था। नोएडा प्राधिकरण के बकाया मांग के गैर-प्रावधानीकरण के परिणामस्वरूप चालू देनदारियों एवं प्रावधानों तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों को कम दर्शाया गया और परिणामस्वरूप व्यय की तुलना में आय की अधिकता (घाटा) को ₹ 11.14 करोड़ कम दर्शाया गया।

(फुटवीयर डिज़ाइन एवं विकास संस्थान)

15. कर्मचारियों एवं पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों को पूरा करने के लिए एक ट्रस्ट डीड (14 जनवरी 2004) के माध्यम से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट का गठन किया गया था। पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को निधि प्रबंधक नियुक्त किया गया है। एलआईसी हर साल बीमांकिक

मूल्यांकन करती है, जिसके आधार पर मुंबई पोर्ट न्यास द्वारा एलआईसी में धन का निवेश किया जाता है।

एलआईसी द्वारा यथासूचित 31 मार्च 2023 तक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कुल पेंशन देनदारी ₹11,410.42 करोड़ (मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए ₹8,805.56 करोड़ और भावी पेंशनभोगियों के लिए ₹2,604.86 करोड़) थी। 31 मार्च 2023 तक पेंशन निधि शेष ₹9,354.82 करोड़ था। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, निधि शेष में ₹2,055.60 करोड़ की कमी है।

इस कमी के परिणामस्वरूप देनदारियों (पेंशन निधि लेखा) एवं परिसंपत्तियों (चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम-मुंबई पोर्ट न्यास से प्राप्य) को ₹2055.60 करोड़ तक कम दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा 2012-2013 से पेंशन देनदारियों के लिए प्रावधान में कमी इंगित कर रही है।

(मुंबई पोर्ट प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास)

16. उपरोक्त में मार्च 2023 के लिए वैधानिक देनदारियों (वन रॉयल्टी-₹44.10 लाख, श्रम उपकर-₹47.64 लाख तथा आयकर (ठेकेदार)-₹17.27 लाख) के लिए ₹1.09 करोड़ शामिल नहीं हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान उपरोक्त बकाया व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों तथा बकाया व्ययों के साथ-साथ ₹1.09 करोड़ की सीमा तक घाटे को भी कम दर्शाया गया है।

(राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), निरजुली)

17. उपरोक्त में देय ₹14.91 करोड़ व्यय शामिल है। हालाँकि, इस शीर्ष के अंतर्गत वास्तविक खाता शेष केवल ₹13.67 करोड़ है। यह विसंगति इसलिए हुई क्योंकि संस्थान ने वर्ष 2020-21 के दौरान अतिरिक्त प्रावधान किए थे, लेकिन बाद के वर्षों में उसे आय में नहीं जोड़ा गया। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और प्रावधानों को ₹1.24 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया है तथा अनुसूची 1 कॉर्पस फंड को भी उसी सीमा तक कम दर्शाया गया है।

(राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट)

18. यूआईडीएआई के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कॉर्पोरेट कार्यालय में वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारियों के वेतन, विभिन्न एएमसी शुल्क तथा अन्य देय राशियों को शामिल न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में ₹5.61 करोड़ की राशि कम दर्शाई गई। इसके परिणामस्वरूप अधिशेष भी उतनी ही राशि से अधिक दर्शाया गया।

(भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण)

ए.5 अचल परिसंपत्तियां

19. शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा प्रारूप के अनुसार, भवनों पर सीधी रेखा पद्धति से दो प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास प्रभार्य है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि भवनों के सकल मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से प्रभार्य ₹2.70 करोड़ के मूल्यह्रास के सापेक्ष मे एआईसीटीई ने ₹16.18 करोड़ का मूल्यह्रास प्रभारित किया। इसके परिणामस्वरूप व्यय को ₹13.48 करोड़ अधिक तथा अचल परिसंपत्तियों को उतनी ही राशि से कम दर्शाया गया है।

(अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली)

20. 31 मार्च 2023 तक मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, भोपाल तथा नई दिल्ली स्थित विभिन्न सीपीडब्ल्यूडी प्रभागों से प्राप्त फॉर्म 65 के अनुसार, पूंजीगत कार्यों पर व्यय ₹9.26 करोड़ था। इसके विपरीत, अनुसूची-8 अचल परिसंपत्तियों में दर्शाए गए चालू पूंजीगत कार्यों में वृद्धि केवल ₹4.41 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों (चालू पूंजीगत कार्य) को ₹4.85 करोड़ तक कम दर्शाया गया है, तथा चालू परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों (अनुसूची 11) को भी उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया है।

(अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई)

21. सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से पूंजीगत कार्यों के निष्पादन के लिए कोलकाता, पुणे और भुवनेश्वर को क्रमशः ₹13.80 करोड़, ₹1.33 करोड़ तथा ₹4.50 करोड़ की अग्रिम राशि जारी की गई। इन्हें अनुचित तरीके से "भवन" शीर्ष के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया, जबकि 31 मार्च 2023 तक कार्य पूरा नहीं हुआ था। इसके परिणामस्वरूप

अचल परिसंपत्तियों को अधिक तथा चालू परिसंपत्तियों को समान राशि से कम दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, अचल परिसंपत्तियों के अनुचित पूंजीकरण के कारण उन पर ₹1.27 करोड़ (₹69 लाख, ₹13.30 लाख और ₹45 लाख) की सीमा तक अस्वीकार्य मूल्यह्रास लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों को कम दर्शाया गया तथा उसी सीमा तक व्यय को अधिक दर्शाया गया।

(केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्)

22. परिषद ने क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आरआरआईयूएम), सिलचर, असम के निर्माण से संबंधित कार्य मेसर्स नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी) को सौंपा था। निधि उपयोग विवरण के अनुसार, कुल व्यय ₹50.83 करोड़ था, जिसमें से परिषद ने ₹46.30 करोड़ का भुगतान कर दिया है। भवन 08 अक्टूबर 2022 को परिषद को सौंप दिया गया था, तथा उसका उद्घाटन 20 नवंबर 2022 को किया गया था।

मार्च 2021 से, परिषद ने चालू कार्य के अंतर्गत ₹20.17 करोड़ की निधियों को शामिल नहीं किया है। चूंकि भवन परिषद को सौंप दिया गया है, इसलिए इसे 'भवन' शीर्ष के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों (अनुसूची-8) में शामिल किया जाना चाहिए। परिषद ने आरआरआईयूएम, सिलचर को अचल परिसंपत्तियों (अनुसूची-8) के अंतर्गत अपने भवन के रूप में नहीं दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों (भवन) को ₹46.30 करोड़ कम दर्शाया गया है तथा चालू कार्य को ₹26.13 करोड़ अधिक दर्शाया गया है तथा अग्रिमों को ₹20.17 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।

(केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्)

23. केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के प्रशासनिक खण्ड का निर्माण कार्य सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ₹24.27 करोड़ की लागत से पूरा किया गया तथा 03 जनवरी 2022 को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। यद्यपि भवन अप्रैल 2022 में अधिभोग/उपयोग में लाया गया, लेकिन भवन का मूल्य सीडब्ल्यूआईपी से भवन में स्थानांतरित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भवन (नेट ब्लॉक) को

₹23.79 करोड़ तथा मूल्यह्रास को ₹48.55 लाख कम दर्शाया गया और चालू पूंजीगत कार्य को ₹24.27 करोड़ अधिक दर्शाया गया।

(केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई)

24. चालू पूंजीगत कार्यों में शैक्षणिक खण्ड 1, 3 और 4 के निर्माण के लिए एनबीसीसी को वितरित ₹166.71 करोड़ की राशि शामिल है। अभिलेखों की जांच से पता चला कि विश्वविद्यालय ने जुलाई 2017 से इन खण्डों में कक्षाएं शुरू कर दी थीं तथा ये इमारतें वित्तीय वर्ष 2017-2018 से कार्यात्मक उपयोग में हैं। हालाँकि, विश्वविद्यालय ने इन निर्मित परिसंपत्तियों का पूंजीकरण नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप चालू पूंजीगत कार्य को ₹166.71 करोड़ अधिक, अचल परिसंपत्तियों को ₹ 146.70 करोड़ कम (₹166.71 करोड़ में से दो प्रतिशत प्रति वर्ष मूल्यह्रास घटाकर ₹20.01 करोड़) तथा कॉर्पस निधि/पूंजीगत निधि को ₹20.01 करोड़ अधिक दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 के लिए अधिशेष को ₹3.33 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।

(हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़)

25. आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दिनांक 09 नवंबर 2017 के अपने आदेश के अंतर्गत विशाखापत्तनम में आईआईपीई के स्थायी परिसर की स्थापना के लिए निदेशक, आईआईपीई के पक्ष में वांगली गांव, विशाखापत्तनम में 201.80 एकड़ भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण के निर्देश जारी किए। लेखा नोट्स की नोट संख्या 18 के अनुसार, राज्य सरकार ने भूमि पर स्वामित्व के संबंध में विवादों को सुलझा लिया है तथा वर्ष 2022-23 के दौरान इसे आईआईपीई को सौंप दिया है।

आईआईपीई ने अपनी लेखा नीति संख्या 3.2 के अनुसार उपर्युक्त भूमि का मूल्य निर्धारित किया है, जिसमें कहा गया है कि उपहार में दी गई/दान की गई परिसंपत्तियों का मूल्यांकन घोषित मूल्य पर किया जाता है, जहां उपलब्ध हो, तथा उपलब्ध न होने की स्थिति में, परिसंपत्ति की भौतिक स्थिति के संदर्भ में समायोजित वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। तदनुसार, प्रति एकड़ सात

लाख रुपये के उचित बाजार मूल्य पर विचार करने के बाद, आईआईपीई ने अचल परिसंपत्तियों के अंतर्गत भूमि को ₹14.13 करोड़ के मूल्य पर मान्यता दी।

हालांकि, 'सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन' पर लेखांकन मानक (एएस)-12 के पैरा 7.1 के अनुसार 'सरकारी अनुदान भूमि या अन्य संसाधनों जैसी गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों के रूप में हो सकते हैं, जो रियायती दरों पर दिए जाते हैं। इन परिस्थितियों में, ऐसी परिसंपत्तियों का उनके अधिग्रहण लागत पर हिसाब रखना सामान्य बात है। निःशुल्क दी गई गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों को नाममात्र मूल्य पर दर्ज किया जाता है। चूंकि राज्य सरकार ने आईआईपीई को यह भूमि निःशुल्क दी थी, इसलिए इसका मूल्यांकन नाममात्र मूल्य पर किया जाना चाहिए था। एएस-12 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप भूमि तथा कॉर्पस फंड को ₹14.13 करोड़ से अधिक दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त, लेखांकन नीति संख्या 3.2 भी अपूर्ण है और इसे एएस-12 के प्रावधानों के अनुरूप पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम)

26. उपरोक्त में पूर्ण हो चुके सिविल कार्यों के लिए ₹59.62 करोड़ शामिल नहीं हैं। संस्थान ने सड़क, रिटेनिंग वॉल, भवन आदि जैसे सिविल कार्य किए हैं और ₹287.97 करोड़ मूल्य के ऐसे सिविल कार्य 31 मार्च 2023 तक पूरे होकर संस्थान द्वारा उपयोग में लाए जा चुके हैं। तथापि, संस्थान ने केवल ₹ 228.35 करोड़ की राशि का पूंजीकरण किया है, जिसके परिणामस्वरूप 'मूर्त अचल परिसंपत्तियों (सिविल कार्य)' को ₹ 59.62 करोड़ कम दर्शाया गया है तथा 'कार्य-प्रगति पर' को समान राशि से अधिक दर्शाया गया है। तदनुसार, वर्ष के लिए 'मूल्यह्रास' के साथ-साथ 'घाटा' को कम करके दर्शाया गया है तथा 'अचल परिसंपत्तियों' को ₹ 1.19 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।

(राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश)

27. वर्ष के दौरान संस्थान ने सोहरा स्थित अपने स्थायी परिसर में परिसर आईसीटी अवसंरचना की आपूर्ति, प्रतिष्ठान, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए जारी कार्य आदेश के सापेक्ष में भुगतान की गई ₹6.07 करोड़ की राशि को पूंजीकृत किया।

हालाँकि, 31 मार्च 2023 तक कार्य पूर्ण होना शेष था और इसलिए भुगतान की गई किसी भी राशि को अचल परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाने के बजाय चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। हालाँकि, संस्थान ने भुगतान की गई राशि को अचल परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया है, जिसके परिणामस्वरूप कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों, भवनों, विद्युत प्रतिष्ठानों तथा मूल्यह्रास को क्रमशः ₹2.17 करोड़, ₹0.69 करोड़, ₹2.52 करोड़ और ₹0.69 करोड़ तक अधिक जबकि चालू पूंजीगत कार्य को ₹6.07 करोड़ कम दर्शाया गया है। वर्ष का घाटा भी ₹0.69 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।

(राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, शिलांग)

28. उपर्युक्त शीर्ष में ऐसी परिसंपत्तियों के गैर-पूंजीकरण के कारण ₹5.18 करोड़ की राशि कम दर्शाई गई है जो अक्टूबर 2022 के दौरान उपयोग में लाई गयी परन्तु तुलन पत्र की तिथि को चालू कार्य के रूप में दर्शायी गयी। इसके परिणामस्वरूप चालू कार्य को भी उसी मात्रा से अधिक दर्शाया गया।

(भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड)

29. अचल परिसम्पत्तियों (अनुसूची-8) में पूंजीगत डब्ल्यू-आई-पी (एनएसएनआईएस, पटियाला) के रूप में ₹39.76 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जो एजेंसियों (वैपकोस - ₹36.23 करोड़ तथा एनबीसीसी - ₹3.52 करोड़) के पास जमा की गई है। इसके परिणामस्वरूप अनुसूची-8 (अचल परिसंपत्तियों) के अंतर्गत पूंजीगत डब्ल्यू-आई-पी के साथ-साथ पूंजीगत निधि को ₹39.76 करोड़ कम दर्शाया गया। पिछले वर्ष भी इस ओर ध्यान दिलाया गया था, तथापि, एसएआई द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(भारतीय खेल प्राधिकरण)

30. डीडीओ, मुख्यालय की अचल परिसंपत्तियों (अनुसूची-8) और पूंजी निधि अनुसूची में ₹9.55 करोड़ (सीडब्ल्यूआईपी की ₹8.91 करोड़ तथा ₹0.64 करोड़ की अचल परिसंपत्ति) की राशि शामिल नहीं है। भुगतान सीधे मुख्यालय (वित प्रभाग) से

निर्माण एजेंसी को किया गया है। समेकित लेखे के आय एवं व्यय लेखे की अनुसूची-22 में इसे प्रेषण प्राप्त/इकाइयों/केन्द्रों को जारी रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार, ₹9.55 करोड़ के पूंजीगत व्यय को लेखे में दर्ज नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, अचल परिसंपत्तियों के साथ-साथ पूंजीगत निधि को भी ₹9.55 करोड़ कम दर्शाया गया।

(भारतीय खेल प्राधिकरण)

ए.6 निवेश

31. विश्वविद्यालय ने प्रारूप में निर्धारित चालू परिसंपत्तियों (अनुसूची-7) में उप-शीर्ष 'बैंक शेष' के अंतर्गत अलग से दर्शाने के बजाय उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत ₹30.83 करोड़ की राशि के चिन्हित/अक्षय निधि के बचत बैंक खाते के शेष को दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप, चालू परिसंपत्तियों में ₹30.83 करोड़ की कम राशि दर्शाई गई है तथा चिन्हित/अक्षय निधि से निवेश को भी उतनी ही राशि से अधिक दर्शाया गया है।

(हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय)

ए.7 चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

32. निर्माण एजेंसी द्वारा उप-ठेकेदार को दिए गए जुटाव अग्रिमों पर ब्याज को जमा राशि पर 'ब्याज प्राप्य' शीर्ष के अंतर्गत दर्ज न करने के परिणामस्वरूप उपरोक्त शीर्ष में ₹17.09 करोड़ (₹17.34 करोड़-₹0.25 करोड़) की राशि कम दर्शाई गई। पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख के बावजूद, संस्थान ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियां और प्रावधान' (अनुसूची 7) में ₹17.09 करोड़ की कमी दर्शायी गयी।

(अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी)

33. शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 25 अक्टूबर 2018 की अधिसूचना के अनुसार, यह सलाह दी गई थी कि लेखा बही में आईआरजी से खर्च की गई निधि के अनुरूप ऋणात्मक शेष राशि न दिखाई जाए, बजाय इसके आईआरडी/कॉर्पस निधि से किए गए व्यय के अनुरूप डेबिट किया जाना चाहिए।

अनुसूची-8 में ₹68.69 करोड़ की अन्य चालू प्राप्य परिसंपत्तियां शामिल हैं। क्रम संख्या 8 अन्य चालू प्राप्य परिसंपत्तियों में डेबिट शेष शामिल है जो क) एमओई अनुदान तथा ख) एमओई अनुदान-एचईएफएफए ऋण पर ब्याज में अतिरिक्त व्यय को दर्शाता है, जिसकी राशि क्रमशः ₹9.93 करोड़ एवं ₹0.82 करोड़ है। व्यय की गई राशि को मंत्रालय से प्राप्य के रूप में दर्शाया गया था क्योंकि 29 तथा 31 मार्च 2023 के दौरान व्यय की गई राशि तकनीकी खराबी और आरबीआई द्वारा गैर-निकासी के कारण पीएफएमएस के माध्यम से मंत्रालय को वापस कर दी गई थी। बाद में वही अनुदान प्राप्त हुए।

हालाँकि, इस मामले में उपरोक्त अधिसूचना का अनुपालन नहीं किया गया है तथा अनुसूची-8 के अंतर्गत प्राप्य राशि ₹10.77 करोड़ दर्शायी गयी है।

(भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु)

34. उपरोक्त में अप्रैल 2006 से पहले नगर निगम ग्रेटर मुंबई (एमसीजीएम) से संपत्ति कर पर दावा की गई छूट के संबंध में ₹14.57 करोड़ शामिल है। चूंकि एमसीजीएम द्वारा 15 वर्षों से अधिक समय से दावा स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए इसकी वसूली के संबंध में अनिश्चितता को पहचानने के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए था।

संपत्ति कर पर दावा की गई रियायत के गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप प्राप्य राशि को ₹14.57 करोड़ से अधिक तथा घाटा/हानि उतनी ही राशि ₹14.57 करोड़ कम दर्शाया गया।

(मुंबई पोर्ट प्राधिकरण)

35. उपरोक्त में विद्युत कनेक्शन की सुरक्षा जमा राशि ₹1.03 करोड़ शामिल नहीं है, बल्कि इसे प्रशासनिक व्यय में दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप 'पूंजी/कॉर्पस निधि' और 'चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम' दोनों में ₹1.03 करोड़ की कमी दर्शाई गई।

(रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी)

36. चार संयुक्त उद्यम प्रसंस्करण कम्पनियों को कार्यशील पूंजीगत ऋण के रूप में ₹12.91 करोड़ की राशि दी गई। 31 मार्च 2023 तक इन कंपनियों की सकल ऋणात्मक संपत्ति है। इसे देखते हुए इन कंपनियों से ऋण राशि की प्राप्ति दूर की बात थी। चूंकि इन ऋण राशियों की वसूली संभव नहीं है, इसलिए ऋण राशियों की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। तथापि, रबड़ बोर्ड ने ऋण राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। चार कंपनियों को कार्यशील पूंजीगत ऋण के सापेक्ष में गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप 'चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम' और 'कॉर्पस/पूंजीगत निधि' को ₹12.91 करोड़ अधिक दर्शाया गया।

(रबड़ बोर्ड)

बी. आय एवं व्यय लेखा

बी.1 व्यय

37. वर्ष 2022-23 के दौरान परिषद को पूंजीगत अनुदान के रूप में ₹40.00 करोड़ प्राप्त हुए, जिसे आय एवं व्यय लेखे में आय के रूप में लिया गया है। इसमें से परिषद ने वर्ष के दौरान ₹11.90 करोड़ व्यय के रूप में दर्ज किये। इसके परिणामस्वरूप आय में ₹40 करोड़, व्यय में ₹11.90 करोड़ तथा व्यय की तुलना में आय ₹28.10 करोड़ अधिक दर्शाया गया।

वर्ष 2021-22 के लेखे पर भी परिषद को इसी तरह की टिप्पणी जारी की गई थी। हालाँकि, परिषद द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्)

38. उपरोक्त विवरण आईआईटी रोपड़ परिसर में भवनों के निर्माण और अवसंरचना ढांचे के विकास के उद्देश्य से उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) से संस्थान द्वारा लिए गए सावधि ऋणों पर ब्याज व्यय को दर्शाता है।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 16 (एएस 16) के प्रावधानों के अनुसार, उधार लेने की लागत को उस परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाना चाहिए जो सीधे तौर पर किसी अर्हक परिसंपत्ति के

अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित है। एएस 16 में आगे यह प्रावधान भी किया गया है कि उधार लागतों का पूंजीकरण तब रोक दिया जाना चाहिए जब अर्हक परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाएं। वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित स्पष्ट होना चाहिए: (क) उधार लागतों के लिए अपनाई गई लेखांकन नीति; तथा (ख) अवधि के दौरान पूंजीकृत उधार लागतों की राशि।

उपर्युक्त के अनुसार, एचईएफए सावधि ऋणों पर निर्माण-पूर्व अवधि के ब्याज को परियोजना लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाना चाहिए था।

सावधि ऋण पर उपर्युक्त ब्याज के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान चालू पूंजीगत कार्य को कम तथा व्यय को ₹25.92 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।

यद्यपि संस्थान ने एएस-16 में निहित निर्धारित प्रावधानों से विचलन किया है, तथापि इसने उधार लागत के उपचार के संबंध में लेखांकन नीति का खुलासा नहीं किया है।

पिछले वर्षों में व्यय के रूप में दर्ज एचईएफए ब्याज की सूचना संस्थान द्वारा नहीं दी गई थी। इसे भी सुधारा जाना चाहिए।

(भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़)

39. उपरोक्त में आरजीआईपीटी द्वारा एनसीसीएल को पूर्ण एवं अंतिम निपटान में भुगतान की गई ₹17.09 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जो कुछ संविदात्मक दायित्वों के कारण उनके बीच विवाद में ब्याज भुगतान के लिए थी। एएस-10, 'संपत्ति संयंत्र और उपकरण' के अनुसार, किसी परिसंपत्ति की लागत में परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालित करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक लाने के लिए सीधे तौर पर लागत में शामिल है। चूंकि ब्याज लागत पक्षों के बीच विवाद से उत्पन्न हुई थी तथा यह सीधे तौर पर परिसंपत्ति को उस स्थान एवं स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार नहीं थी जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक थी, इसलिए इसे 'स्थायी

परिसंपत्तियों' (अनुसूची 6) के अंतर्गत पूंजीकरण करने के बजाय 'आय एवं व्यय लेखे' के अंतर्गत 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के रूप में प्रभारित किया जाना चाहिए था।
इसके परिणामस्वरूप 'अन्य प्रशासनिक व्यय' में ₹17.09 करोड़ की कमी दर्शायी गयी है। इसके अतिरिक्त, चूंकि आरजीआईपीटी ने 'आस्थगित राजस्व आय (मूल्यह्रास)' के अंतर्गत ₹17.09 करोड़ के ऐसे गलत पूंजीकरण पर ₹2.87 करोड़ का मूल्यह्रास लगाया है, इसलिए 'अचल परिसंपत्ति' तथा 'आस्थगित राजस्व आय (मूल्यह्रास)' दोनों को क्रमशः ₹14.22 करोड़ (अर्थात ₹17.09 करोड़ में से ₹2.87 करोड़ घटाकर) तथा ₹2.87 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।

(राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान)

बी.2 आय

40. आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुष प्रवेश परामर्श समिति (एएसीसीसी) सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अखिल भारतीय कोटा सीटों के आवंटन के लिए ऑनलाइन परामर्श आयोजित करती है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली वित्तीय संरक्षक है तथा एएसीसीसी की ओर से अभ्यर्थियों से गैर-वापसीयोग्य पंजीकरण शुल्क एवं वापसीयोग्य सुरक्षा राशि एकत्र करता है तथा एएसीसीसी की सलाह पर अभ्यर्थियों को सुरक्षा राशि वापस कर देता है।

2022-23 के दौरान, संस्थान ने "जमा जब्ती 2021-22" शीर्ष के अंतर्गत ₹4.84 करोड़ जब्त किए और इसे आय एवं व्यय लेखे की अनुसूची-12 (बिक्री/सेवाओं से आय) में 'सेवा से आय-अखिल भारतीय आयुष पीजी प्रवेश परीक्षा आय' शीर्षक के अंतर्गत आय के रूप में दर्शाया। इसी प्रकार, संस्थान ने परामर्श से संबंधित धन प्राप्ति के लिए संचालित बैंक खातों में ब्याज के रूप में ₹1.47 करोड़ अर्जित किए तथा उसे अनुसूची-17 (अर्जित ब्याज) में आय के रूप में दर्शाया।

उपरोक्त राशि को मंत्रालय को वापसी योग्य दिखाने के बजाय आय के रूप में दर्शाने के परिणामस्वरूप आय को अधिक तथा शेष राशि को ₹6.31 करोड़ से अधिक दर्शाया गया, जो व्यय की तुलना में आय से अधिक है।

(अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली)

41. परिषद को पूंजीगत अनुदान के रूप में ₹4.87 करोड़ प्राप्त हुए तथा परिषद ने इसे आय एवं व्यय लेखे में आय के रूप में दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप आय को अधिक दर्शाया गया है तथा व्यय की तुलना में आय की अधिकता को ₹4.87 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया है। वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लेखे पर परिषद को इसी तरह की टिप्पणी जारी की गई थी। हालाँकि, परिषद द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्)

सी. सामान्य

42. ऋण, अग्रिम एवं जमा (अनुसूची-08) में एमओई/यूजीसी की पूर्व स्वीकृति के बिना सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए ₹287.56 करोड़ की प्राप्य राशि शामिल है। पिछले वर्ष भी इस ओर ध्यान दिलाया गया था। यह समस्या अभी भी बनी हुई है।

शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) कानपुर

43. पिछले वर्ष के एसएआर में उल्लेखित होने के बावजूद, अप्रैल 2015 से दिसंबर 2022 की अवधि के ₹18.53 करोड़ का मिलान नहीं किया गया तथा इसे बैंक मिलान विवरण में सूचीबद्ध किया गया है।

(भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी)

44. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीय उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए जारी वित्तीय विवरण प्रारूप के अनुसार, जीपीएफ और सीपीएफ लेखे को संस्थान के मुख्य लेखे से अलग किया जाना चाहिए तथा इस लेखे को संस्थान के वार्षिक लेखे के साथ अलग से दिखाया जाना चाहिए। हालाँकि, संस्थान ने वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य लेखे की तुलन पत्र की अनुसूची 2 ए में जीपीएफ और सीपीएफ लेखे को

शामिल किया है। इसके परिणामस्वरूप जीपीएफ और सीपीएफ (अनुसूची 2ए) के अंतर्गत तुलन पत्र में देनदारियों को ₹38.59 करोड़ अधिक दर्शाया गया है तथा इसी प्रकार अनुसूची 5 में निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश को भी अधिक दर्शाया गया है। हालांकि पिछले एसएआर में भी इसी प्रकार की टिप्पणी की गई थी, लेकिन कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं।

(राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट)

45. निफ्टम अधिनियम, 2021 की धारा 34(2) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि “निफ्टम के प्रत्येक संस्थान के लेखे की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।” अधिनियम की धारा 34(4) में आगे बताया गया है कि, "भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या इस संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित प्रत्येक संस्थान के लेखे, उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे तथा सरकार उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी।" यह देखा गया कि 2021-22 के दौरान निफ्टम के वित्तीय विवरण लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बजाय, निफ्टम ने अपने वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवायी तथा उसे संसद में प्रस्तुत किया। निफ्टम की यह कार्रवाई उसके अपने नियामक अधिनियम का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, चूंकि 2021-22 के दौरान सीएजी द्वारा निफ्टम की लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी, इसलिए लेखापरीक्षा ने संसद में पेश की गयी लेखापरीक्षित लेखे में बताए गए आंकड़ों पर भरोसा किया है।

(राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, सोनीपत)

46. भंडागारण विकास एवं नियमितता प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के पास शुल्क एवं अंशदान के रूप में ₹12.46 करोड़ (अनुसूची-7) की राशि है जिसे भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाना था। यह राशि सीएफआई को हस्तांतरित नहीं की गई है तथा इसे अलग खाते में रखा गया है। पिछले कई वर्षों से डब्ल्यूडीआरए के

एसएआर में बार-बार यह टिप्पणी की जाती रही है। हालाँकि, अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा डब्ल्यूडीआरए की फीस, आय, प्रभार आदि के रूप में प्राप्तियों को सीएफआई में जमा करने के मुद्दे को भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग (डीओईए) के समक्ष उठाया गया। डीओईएस ने सुझाव दिया है कि डब्ल्यूडीआरए की उपरोक्त प्राप्तियां हर महीने भारत के लोक लेखा में डब्ल्यूडीआरए कोष में जमा की जाएंगी तथा जुर्माना और दंड सीएफआई में जमा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डब्ल्यूडीआरए ने न तो अभी तक डब्ल्यूडीआरए निधि का रखरखाव किया है और न ही निधि में राशि हस्तांतरित की है। इस निधि का सृजन न किया जाना, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों और सलाह का उल्लंघन है।

(भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण)

अनुलग्नक-1.10

(पैराग्राफ संख्या 1.15 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीएबी का नाम	मंत्रालय	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ तथा सीएबी द्वारा की गई कार्रवाई	वसूली गई राशि
1.	केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी)	अल्पसंख्यक मामले	लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर, सीडब्ल्यूसी द्वारा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल को *मुसाफिरखाना* की विकास परियोजना के लिए जारी की गई ऋण की किस्त ऋण राशि पर अर्जित ब्याज सहित सीडब्ल्यूसी खाते में वापस कर दी गई, क्योंकि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी परियोजना पर कोई व्यय नहीं किया गया था।	0.97
2.	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश)	शिक्षा	विश्वविद्यालय को आउटसोर्स जनशक्ति की आपूर्ति करने वाले एक ठेकेदार ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत नियोक्ता के अंशदान (ईपीएस 8.33 *प्रतिशत* और ईपीएफ 3.67 *प्रतिशत*) के संबंध में भारत सरकार से धन प्रेषण प्राप्त करने के साथ-साथ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत मासिक वेतन बिलों में नियोक्ता के योगदान (ईपीएस और ईपीएफ) का दावा किया। विश्वविद्यालय यह सत्यापित करने में विफल रहा कि ठेकेदार ने पीएमआरपीवाई का लाभ उठाया था और उसके बिलों से पीएमआरपीवाई लाभ की राशि नहीं काटी। इसके परिणामस्वरूप नवंबर 2017 से दिसंबर 2019 के दौरान ठेकेदार को ₹44.31 लाख का अनियमित भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा में यह मुद्दा	0.56

क्र. सं.	सीएबी का नाम	मंत्रालय	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ तथा सीएबी द्वारा की गई कार्रवाई	वसूली गई राशि
			उठाए जाने के बाद (फरवरी 2020), विश्वविद्यालय ने ठेकेदार से (मार्च 2020 से मार्च 2022 के दौरान) ₹55.69 लाख (अतिरिक्त भुगतान ₹44.31 लाख + एकमुश्त जुर्माना/ब्याज ₹11.38 लाख) की पूर्ण वसूली की।	
3.	भारतीय भूमि पोर्ट प्राधिकरण	गृह मामले	एलपीएआई दो *प्रतिशत* की दर से स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहा, जिसका परिणाम कुल ₹57.41 लाख के कर की गैर-कटौती में हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, एलपीएआई ने ₹42.68 लाख की राशि वसूल की।	0.43
4.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	शिक्षा	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) ने जुलाई 2013 से आईआईएसईआर को 'सार्वजनिक उपयोगिता उपभोक्ता' के बजाय 'निजी शैक्षणिक संस्थान' उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत किया है तथा उच्च बिजली शुल्क वसूल रहा है। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (सितंबर 2019), संस्थान ने डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के खिलाफ लोक शिकायत निवारण अधिकारी (पीजीआरओ) को एक आवेदन पत्र दिया (दिसंबर 2019)। जवाब में, पीजीआरओ ने जनवरी 2020 में जारी अपने अंतिम आदेश में, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल को निर्देश दिया कि वह आवेदन जमा करने की तारीख, अर्थात् अप्रैल 2016 से संस्थान को 'सार्वजनिक उपयोगिता उपभोक्ता' के रूप में वर्गीकृत करे।	1.33

क्र. सं.	सीएबी का नाम	मंत्रालय	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ तथा सीएबी द्वारा की गई कार्रवाई	वसूली गई राशि
			परिणामस्वरूप, पीजीआरओ के निर्देश के अनुसार, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल द्वारा सितंबर 2020 से बिजली के बिलों में कुल ₹1.33 करोड़ की वापसी कर समायोजन किया गया। इसके अलावा, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल 15 प्रतिशत के बजाय 17.5 प्रतिशत की दर से अधिक विद्युत शुल्क भी वसूल रहा था। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल ने नवंबर 2023 से विद्युत शुल्क की दर घटाकर 15 प्रतिशत कर दी है, तथा संस्थान द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी हेतु डब्ल्यूबीएसईडीसीएल से पत्राचार जारी है।	
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रुड़की	शिक्षा	आईआईटी रुड़की ने अप्रैल 1996 से मार्च 2018 के बीच विभिन्न उद्देश्यों जैसे आकस्मिक व्यय, यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा भत्ता, चिकित्सा उपचार इत्यादि के लिए अपने कर्मचारियों को ₹1.85 करोड़ की अग्रिम राशि दी, जिसे संस्वीकृति की तिथि से तीन महीने के भीतर समायोजित किया जाना था। ये राशि पाँच से 25 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी गैर-समायोजित पड़ी रही। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (नवंबर 2022), आईआईटीआर ने बताया (दिसंबर 2023) कि ₹1.85 करोड़ की सभी अग्रिम राशियां समायोजित कर दी गईं हैं।	1.85
			कुल	**5.14**

अनुलग्नक-1.11

(पैराग्राफ संख्या 1.15 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर धन प्रेषण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीएबी का नाम	मंत्रालय	सीएबी द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन और की गई कार्रवाई	प्रेषित राशि
1.	भारतीय वैश्विक परिषद	विदेश मामले	भारतीय प्रवासन केन्द्र (आईसीएम) का 01 अगस्त 2022 को भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) में विलय कर दिया गया। विलय के समय आईसीडब्ल्यूए को आईसीएम से ₹4.53 करोड़ प्राप्त हुए, जो आईसीएम को विदेश मंत्रालय से प्राप्त अनुदान था। इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (मार्च 2023), आईसीडब्ल्यूए ने सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए (अप्रैल 2023) ₹4.63 करोड़ की अव्ययित राशि ब्याज सहित (मार्च 2023 तक) विदेश मंत्रालय को जमा कर दी।	4.63
2.	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	विदेश मामले	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय ने ठेकेदारों (एसपीसीआईएल एवं एसीआईएल) से उनके चालू खाते के बिलों से मोबिलाइज़ेशन अग्रिम पर ब्याज वसूल किया था। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय ने वर्ष 2022 और 2023 के दौरान विदेश मंत्रालय को ₹17.24 करोड़ का ब्याज जमा कर दिया।	17.24
			कुल	**21.87**

अनुलग्नक-3.1

(पैराग्राफ संख्या 3.11 में संदर्भित)

विश्वविद्यालय विकास शुल्क का कम संग्रहण

	कमी का वर्ग/कारण	छात्रों की संख्या	प्रति छात्र प्रति वर्ष ₹ 600 की दर से डीयू को भेजी जाने वाली राशि	छात्रों से संग्रहित राशि#	यूडीएफ का कम संग्रहण
ए. राम लाल आनंद कॉलेज					
2012-13	द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के स्नातक छात्रों से यूडीएफ का शून्य संग्रहण	1222	733200	शून्य	733200
2013-14		1217	730200	शून्य	730200
2014-15		1538	922800	शून्य	922800
2015-16		1980	1188000	शून्य	1188000
2016-17		1381	828600	शून्य	828600
2017-18		1221	732600	शून्य	732600
2018-19		1287	772200	शून्य	772200
2019-20		1398	838800	शून्य	838800
2020-21		755*	453000	शून्य	453000
कुल (ए)		**11999**	**7199400**	**शून्य**	**7199400**
*** केवल तृतीय वर्ष के स्नातक छात्र।**					
बी. शिवाजी कॉलेज					
2012-13	प्रथम , द्वितीय और तृतीय वर्ष के स्नातक तथा बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स (बीबीई) छात्रों एवं प्रथम तथा	3535	2121000	1060500	1060500
2013-14		3457	2074200	1037100	1037100
2014-15		3661	2196600	1098300	1098300
2015-16		3546	2127600	1063800	1063800
2016-17		3933	2359800	1179900	1179900
2017-18		3838	2302800	1151400	1151400
2018-19		3677	2206200	1103100	1103100

2019-20	द्वितीय वर्ष के स्नातकोत्तर छात्रों से प्रति छात्र प्रति माह ₹ 300 की पुरानी दर पर यूडीएफ का संग्रहण	3677	2206200	1103100	1103100
2020-21		3838	2302800	1151400	1151400
कुल (बी)		**33162**	**19897200**	**9948600**	**9948600**
सी. शहीद भगत सिंह (संध्या) कॉलेज					
2012-13	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों से प्रति छात्र प्रति माह ₹300 की पुरानी दर पर यूडीएफ का संग्रहण	1924	1154400	577200	577200
2013-14		2082	1249200	624600	624600
2014-15		2275	1365000	682500	682500
2015-16		2215	1329000	664500	664500
2016-17		2270	1362000	681000	681000
कुल (सी)		**10766**	**6459600**	**3229800**	**3229800**

अनुलग्नक-7.1

(पैराग्राफ संख्या 7.2.3.3 (बी) में संदर्भित)

2017-18 से 2021-22 के दौरान एसएआई द्वारा नमूना-जाँच किए गए छात्रावास परियोजनाओं में समय की अधिकता

क्र. सं.	परियोजना की अवस्थिति	छात्रावास का प्रकार	एसएआई द्वारा एए&ईएस जारी करने की तिथि	एए&ईएस के अनुसार पूरा होने की अवधि (महीनों में)	पूरा होने का महीना	समय की अधिकता, यदि कोई हो (महीने) (मार्च 2025 तक)
1.	एसटीसी पुडुचेरी	100 बिस्तरों वाला	15.05.2017	12#	अप्रैल 2022	**45**
2.	एनएसएनआईएस पटियाला	150 बिस्तरों वाला	05.05.2017	12#	सितंबर 2021	**39**
3.	डॉ. केएसएसआर, नई दिल्ली	162 बिस्तरों वाला	05.05.2017	12#	अप्रैल 2021	**34**
4.	एनसीओई सोनीपत	100 बिस्तरों वाला	05.05.2017	12#	मार्च 2020	**21**
5.	एनसीओई ईटानगर	120 बिस्तरों वाला	25.03.2021	उ.न.	कार्य प्रगति पर	
6.	एनसीओई सोनीपत	300 बिस्तरों वाला	11.07.2019	18	20.04.2024	**39**
7.	एलएनसीपीई, तिरुवनंतपुरम	300 बिस्तरों वाला	15.07.2019	18	कार्य प्रगति पर	**50**
8.	एनसीओई इम्फाल	300 बिस्तरों वाला	11.07.2019	18	कार्य प्रगति पर	**50**
9.	एनसीओई भोपाल	300 बिस्तरों वाला	15.07.2019	18	28.06.2023	**29**
10.	एएसआई पुणे	300 बिस्तरों वाला	14.08.2019	24	25.05.2024	**32**
11.	एनसीओई कोलकाता	300 बिस्तरों वाला	14.08.2019	24	कार्य प्रगति पर	**43**

क्र. सं.	परियोजना की अवस्थिति	छात्रावास का प्रकार	एसएआई द्वारा एए&ईएस जारी करने की तिथि	एए&ईएस के अनुसार पूरा होने की अवधि (महीनों में)	पूरा होने का महीना	समय की अधिकता, यदि कोई हो (महीने) (मार्च 2025 तक)
12.	आईजी स्टेडियम, नई दिल्ली	300 बिस्तरों वाला	14.08.2019* 15.01.2021*	24	कार्य प्रगति पर	**43**
13.	एनसीओई बैंगलुरु	300 बिस्तरों वाला	14.08.2019	24	23.12.2023	**27**
14.	एनएसएनआईएस पटियाला	300 बिस्तरों वाला	14.08.2019	24	15.05.2022	**08**
15.	एसटीसी औरंगाबाद	300 बिस्तरों वाला	14.08.2019	24	11.03.2024	**30**
16.	एनसीओई लखनऊ	300 बिस्तरों वाला	14.08.2019	24	15.11.2022	**14**
17.	डॉ. केएसएसआर, नई दिल्ली	300 बिस्तरों वाला	14.08.2019* 16.02.2021*	24	08.10.2022	**13**

 # निधि जारी होने की तिथि से पूर्ण होने की अवधि * सबसे पहले वैपकोस को जारी, तत्पश्चात एनबीसीसी को ## कार्य प्रारंभ होने की तिथि

अनुलग्नक-7.2

(पैराग्राफ संख्या 7.2.3.4 (ए) में संदर्भित)

2017-18 से 2021-22 के दौरान एसएआई द्वारा नमूना-जांच किए गए क्रीडा-स्थल (एफओपीएस) परियोजनाओं में समय की अधिकता

क्र. सं.	परियोजना की अवस्थिति	एसएआई द्वारा एए&ईएस जारी करने की तिथि	एए&ईएस के अनुसार पूरा होने की अवधि (महीनों में)	पूरा होने का महीना	समय की अधिकता, यदि कोई हो (महीने) (मार्च 2025 तक)
1.	एमडीसीएनएस, नई दिल्ली में स्क्वैश कोर्ट परिसर का निर्माण	19.10.2020	लागू नहीं	31.12.2021	
2.	एमडीसीएनएस, नई दिल्ली में दो सिंथेटिक हॉकी सतहों का प्रतिस्थापन	05.05.2017	12#	जुलाई 2018	01
3.	जेएनएस, नई दिल्ली में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का प्रतिस्थापन	03.07.2017	9#	31.08.2021	42
4.	एनसीओई इम्फाल में तीरंदाजी मैदान का उन्नयन	11.06.2021	लागू नहीं	कार्य प्रगति पर	
5.	एनसीओई इम्फाल में सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ बिछाना	03.07.2017	9	20.07.2019	16
6.	एलएनसीपीई तिरुवनंतपुरम में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक की रिलेइंग	29.05.2019	6	30.04.2020	04
7.	एनसीओई बैंगलुरु में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, फ्लड लाइटिंग और अन्य फील्ड सुविधाओं की रिलेइंग	15.01.2021	लागू नहीं	23.12.2023	

क्र. सं.	परियोजना की अवस्थिति	एसएआई द्वारा एए&ईएस जारी करने की तिथि	एए&ईएस के अनुसार पूरा होने की अवधि (महीनों में)	पूरा होने का महीना	समय की अधिकता, यदि कोई हो (महीने) (मार्च 2025 तक)
8.	हजारीबाग में सिंथेटिक हॉकी टर्फ बिछाया जाना	16.02.2021	लागू नहीं	17.05.2024	
9.	तिनसुकिया, असम में सब-बेस ड्रेनेज तथा चेन लिंक के निर्माण सहित 400 मीटर का सिंथेटिक 8 लेन एथलेटिक ट्रैक बिछाना	18.10.2017	9	कार्य प्रगति पर	81

अनुलग्नक-7.3

(पैराग्राफ संख्या 7.2.5 में संदर्भित)

प्रशिक्षकों की अविवेकपूर्ण तैनाती अवधि के परिणामस्वरूप अप्रयुक्त मानव दिवस

क्र. सं.	कोचों की अविवेकपूर्ण तैनाती का आरओ वार विवरण	कोचों की संख्या	तैनाती की अवधि (महीने)	अप्रयुक्त मानव-महीने
उन विषयों में प्रशिक्षकों की नियुक्ति जो उपलब्ध नहीं थे				
1	एनसीओई कोलकाता - छह केंद्रों में[1], ऐसे 45 मामले सामने आए जिनमें कुल 73 प्रशिक्षकों को उन विषयों में तैनात किया गया जो इन केंद्रों पर उपलब्ध/अनुमोदित नहीं थे।	73	12	876
2	एनसीओई तिरुवनंतपुरम - केन्द्र में 2020-21 और 2021-22 के दौरान 16 विषयों के लिए क्रमशः 49 और 43 प्रशिक्षक थे। हालाँकि, इनमें से कोई भी विषय एनसीओई, तिरुवनंतपुरम में प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध नहीं था।	92	12	1104
3	एनसीओई, अलप्पुझा - एनसीओई में तीन खेल विधाएँ हैं, *अर्थात्* पतवार, कयाकिंग और कैनोइंग। हालाँकि, वॉलीबॉल विधा के एक कोच को मई 2014 में इस केन्द्र में नियुक्त किया गया था, जहाँ से वह जनवरी 2020 में सेवानिवृत्त हुआ।	1	34	34

[1] एनसीओई कोलकाता (वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, क्रिकेट, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल), चार एसटीसी (एसटीसी कोलकाता - वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, लॉन टेनिस, कबड्डी/खो-खो, क्रिकेट, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल/एसटीसी अगरतला-बास्केटबॉल, हैंडबॉल और भारोत्तोलन/एसटीसी रांची-बास्केटबॉल और वॉलीबॉल/एसटीसी जलपाईगुड़ी-तीरंदाजी) और ईसी दार्जिलिंग (तीरंदाजी)
एसएआई ने सूचित किया (अप्रैल 2025) कि एनसीओई कोलकाता के संबंध में फिलहाल पांच प्रशिक्षक ऐसे स्थानों पर तैनात हैं जहां विषय उपलब्ध नहीं हैं तथा सात प्रशिक्षक ऐसे स्थानों पर तैनात हैं जहां कोई प्रशिक्षु उपलब्ध नहीं है।

क्र. सं.	कोचों की अविवेकपूर्ण तैनाती का आरओ वार विवरण	कोचों की संख्या	तैनाती की अवधि (महीने)	अप्रयुक्त मानव-महीने
4	एनसीओई भोपाल-वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, एसटीसी रायपुर में केवल दो खेल, वॉलीबॉल और तीरंदाजी, संचालित हो रहे थे। हालाँकि, वर्ष 2020-21 में अन्य खेलों, *अर्थात्* जूडो, फुटबॉल और बैडमिंटन के तीन अतिरिक्त प्रशिक्षक, और वर्ष 2021-22 में जूडो और फुटबॉल के दो अतिरिक्त प्रशिक्षक एसटीसी रायपुर में तैनात किए गए थे।	5	12	60
5	एनसीओई गांधीनगर-एसटीसी जयपुर में साइक्लिंग का एक कोच 32 महीने (जनवरी 2018 से सितंबर 2020) के लिए तैनात किया गया था, हालांकि साइक्लिंग का अनुशासन कभी शुरू नहीं किया गया था। इसी प्रकार, एसटीसी जोधपुर में क्रिकेट का एक अन्य कोच 55 महीने (दिसंबर 2014 से जुलाई 2019) के लिए तैनात किया गया था, जबकि वहां यह अनुशासन उपलब्ध नहीं था।	1 1	32 55	32 55
6	एनएसएनआईएस/एनसीओई पटियाला-2021-22 के दौरान, तैराकी, टेबल टेनिस और फुटबॉल के तीन कोच तैनात रहे, जबकि उपरोक्त विषयों को 2020-21 के दौरान एनएसएनआईएस पटियाला से स्थानांतरित कर दिया गया था।	3	12	36
7	एनसीओई ज़ीरकपुर-मई 2016 से जुलाई 2020 और अप्रैल 2021 तक क्रमशः डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चंडीगढ़ में एक-एक क्रिकेट कोच तैनात थे, जो एनसीओई के लिए एक चिह्नित अनुशासन नहीं था।	1	27	27

क्र. सं.	कोचों की अविवेकपूर्ण तैनाती का आरओ वार विवरण	कोचों की संख्या	तैनाती की अवधि (महीने)	अप्रयुक्त मानव-महीने
ऐसे अनुशासनों के सापेक्ष प्रशिक्षकों की तैनाती जिनमें कोई प्रशिक्षु नहीं था				
1	एनसीओई कोलकाता-पांच केंद्रों में[2], विभिन्न विषयों के लिए कुल 29 प्रशिक्षकों की तैनाती के 12 मामले थे, जिनमें कोई प्रशिक्षु नहीं था।	29	12	348
	कुल	**206**		**2572**

[2] एनसीओई कोलकाता (बैडमिंटन, फुटबॉल, हैंडबॉल और तैराकी), चार एसटीसी (एसटीसी रांची-कुश्ती, एसटीसी गिद्धौर-वॉलीबॉल, एसटीसी हजारीबाग-तीरंदाजी, एसटीसी जलपाईगुड़ी-जिम्नास्टिक)

अनुलग्नक-7.4

(पैराग्राफ संख्या 7.2.5 में संदर्भित)

उन क्षेत्रीय केंद्रों का विवरण जहां 2017-18 से 2021-22 के दौरान ऐसे कोच तैनात किए गए जिनकी सेवाओं का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया गया था

क्र. सं.	अनुशासन	वर्ष	ऐसे केन्द्र जहां गैर-उपलब्ध अनुशासन के सापेक्ष प्रशिक्षक तैनात किए गए अथवा जहाँ कोई प्रशिक्षु नहीं था	तैनात कोचों की संख्या	केन्द्र जहां उस अनुशासन के सापेक्ष प्रशिक्षक तैनात नहीं है जिसमें प्रशिक्षु थे	प्रशिक्षुओं की संख्या
1.	मुक्केबाज़ी	2017-18	एसटीसी कोलकाता	2	ईसी जमशेदपुर	21
	मुक्केबाज़ी	2018-19	एसटीसी कोलकाता	1	ईसी लुंगलेई	10
	मुक्केबाज़ी	2019-20	एसटीसी कोलकाता	1	ईसी लुंगलेई	10
	मुक्केबाज़ी	2020-21	एनसीओई कोलकाता	1	ईसी जमशेदपुर	6
	मुक्केबाज़ी	2021-22	एनसीओई कोलकाता	1	ईसी जमशेदपुर	5
2.	भारोत्तोलन	2017-18	एसटीसी कोलकाता	1	एसटीसी ढेंकनाल	4
	भारोत्तोलन	2018-19	एसटीसी कोलकाता	1	एसटीसी ढेंकनाल	7
	भारोत्तोलन	2019-20	एसटीसी कोलकाता	1	एसटीसी ढेंकनाल	9
3.	कबड्डी	2018-19	एसटीसी कोलकाता	1	एसटीसी ढेंकनाल	19
	कबड्डी	2020-21	एनसीओई तिरुवनंतपुरम	1	एसटीसी विशाखापत्तनम	10
	कबड्डी	2021-22	एनसीओई तिरुवनंतपुरम	2	एसटीसी यनम	14

क्र. सं.	अनुशासन	वर्ष	ऐसे केन्द्र जहां गैर-उपलब्ध अनुशासन के सापेक्ष प्रशिक्षक तैनात किए गए अथवा जहाँ कोई प्रशिक्षु नहीं था	तैनात कोचों की संख्या	केन्द्र जहां उस अनुशासन के सापेक्ष प्रशिक्षक तैनात नहीं है जिसमें प्रशिक्षु थे	प्रशिक्षुओं की संख्या
4.	तीरंदाजी	2017-18	एसटीसी जलपाईगुड़ी ईसी दार्जिलिंग	1 1	ईसी भुवनेश्वर	14
	तीरंदाजी	2021-22	एसटीसी हजारीबाग	1	एसटीसी रायपुर	8
5.	कुश्ती	2021-22	एसटीसी रांची	1	एसटीसी ढेंकनाल	5
6.	कसरत	2020-21	एनसीओई तिरुवनंतपुरम	1	एसटीसी अगरतला	9
		2021-22	एसटीसी जलपाईगुड़ी एनसीओई तिरुवनंतपुरम	1 2	एसटीसी अगरतला नियमित विद्यालय एसजीएन खालसा उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री गंगानगर	5 13
7.	वालीबाल	2017-18	एनसीओई अलाप्पुझा	1	एसटीसी हजारीबाग	4
	वालीबाल	2018-19	एसटीसी कोलकाता	4	एसटीसी रायपुर	32
8.	बास्केटबाल	2017-18	एसटीसी कोलकाता	1	नियमित विद्यालय एसजीएन खालसा उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री गंगानगर	10
		2018-19	एसटीसी कोलकाता	1	नियमित विद्यालय एसजीएन खालसा उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री गंगानगर	2

क्र. सं.	अनुशासन	वर्ष	ऐसे केन्द्र जहां गैर-उपलब्ध अनुशासन के सापेक्ष प्रशिक्षक तैनात किए गए अथवा जहाँ कोई प्रशिक्षु नहीं था	तैनात कोचों की संख्या	केन्द्र जहां उस अनुशासन के सापेक्ष प्रशिक्षक तैनात नहीं है जिसमें प्रशिक्षु थे	प्रशिक्षुओं की संख्या
		2019-20	एसटीसी कोलकाता	1	नियमित विद्यालय एसजीएन खालसा उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री गंगानगर	8
		2020-21	एनसीओई कोलकाता	1	नियमित विद्यालय (महारानी लक्ष्मी बाई राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर)	8
	बास्केटबाल	2021-22	एनसीओई कोलकाता	1	नियमित विद्यालय (महारानी लक्ष्मी बाई राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर)	8
9.	तैराकी	2021-22	एनसीओई कोलकाता	1	नियमित विद्यालय भूपाल नोबल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर	22
			कुल	32		

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/hi/page-9-of-26